Bachelor of Arts (DDE)

Semester –I

Paper Code – BA1006-I

POLITICAL THEORY – I

राजनीतिक सिद्धान्त –I

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

(A State University established under Haryana Act No. XXV of 1975)

NAAC 'A+' Grade Accredited University

Copyright © 2002, 2020; Maharshi Dayanand University, ROHTAK

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the copyright holder.

Maharshi Dayanand University
ROHTAK – 124 001

Price : Rs. 325/-

Publisher: Maharshi Dayanand University Press

Publication Year: 2021

विषय सूची

इकाई संग्रह	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.0	इकाई का परिचय	6–45
1.1	इकाई के उद्देश्य	6
1.2	**राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व**	**7–21**
1.2.1	परिचय	7
1.2.2	उद्देश्य	7
1.2.3	राजनीतिक सिद्धान्त का अर्थ	7
1.2.4	राजनीतिक सिद्धान्त की प्रकृति	9
1.2.5	राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र	14
1.2.6	राजनीतिक सिद्धान्त का महत्व	17
1.2.7	निष्कर्ष	19
1.2.8	मुख्य शब्दावली	20
1.2.9	अभ्यास हेतू प्रश्न	20
1.2.10	संदर्भ सूची	21
1.3	**शक्ति की अवधारणा**	**22–35**
1.3.1	परिचय	22
1.3.2	उद्देश्य	22
1.3.3	शक्ति की परिभाषा	22
1.3.4	शक्ति की विशेषताएँ	23
1.3.5	शक्ति के स्त्रोत	26
1.3.6	शक्ति के प्रकार	28
1.3.7	राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ	31
1.3.8	राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व	32
1.3.9	निष्कर्ष	34
1.3.10	मुख्य शब्दावली	34
1.3.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	34
1.3.12	संदर्भ सूची	35
1.4	**सत्ता की अवधारणा**	**36–45**
1.4.1	परिचय	36
1.4.2	उद्देश्य	36
1.4.3	सत्ता की परिभाषा	36
1.4.4	सत्ता की विशेषताएँ	37
1.4.5	सत्ता के प्रकार	39
1.4.6	सत्ता के कार्य	41
1.4.7	सत्ता के आधार	42
1.4.8	सत्ता तथा शक्ति में अन्तर	43
1.4.9	निष्कर्ष	44
1.4.10	मुख्य शब्दावली	44

1.4.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	45
1.4.12	संदर्भ सूची	45
इकाई – 2		**46–110**
2.0	इकाई का परिचय	46
2.1	इकाई के उद्देश्य	47
2.2	**नागरिकता**	**47–61**
2.2.1	परिचय	47
2.2.2	उद्देश्य	47
2.2.3	नागरिक का अर्थ	47
2.2.4	नागरिक की परिभाषा	48
2.2.5	नागरिक की विशेषताएँ	48
2.2.6	नागरिक के प्रकार	49
2.2.7	नागरिकता	49
2.2.8	नागरिकता की प्राप्ति	50
2.2.9	नागरिकता का समाप्त होना	51
2.2.10	भारतीय नागरिकता	52
2.2.11	भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955	53
2.2.12	नागरिकता के सिद्धान्त	53
2.2.13	आदर्श नागरिकता में बाधाएँ	57
2.2.14	आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय	58
2.2.15	निष्कर्ष (Conclusion)	60
2.2.16	मुख्य शब्दावली	60
2.2.17	अभ्यास हेतू प्रश्न	60
2.2.18	संदर्भ सूची	61
2.3	**अधिकार**	**62–74**
2.3.1	परिचय	62
2.3.2	उद्देश्य	62
2.3.3	अधिकार की परिभाषा	62
2.3.4	अधिकारों की विशेषताएँ	63
2.3.5	अधिकारों का वर्गीकरण	64
2.3.6	अधिकारों संबन्धी सिद्धान्त	69
2.3.7	निष्कर्ष	73
2.3.8	मुख्य शब्दावली	73
2.3.9	अभ्यास हेतू प्रश्न	73
2.3.10	संदर्भ सूची	74
2.4	**स्वतन्त्रता**	**75–88**
2.4.1	परिचय	75
2.4.2	उद्देश्य	75
2.4.3	स्वतन्त्रता का अर्थ	75
2.4.4	स्वतन्त्रता की विशेषताएँ	76

2.4.5	स्वतन्त्रता के स्वरूप	77
2.4.6	स्वतन्त्रता का प्रकार	77
2.4.7	स्वतन्त्रता के संरक्षण	80
2.4.8	स्वतन्त्रता और कानून में सम्बन्ध	82
2.4.9	स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणाएँ	84
2.4.10	निष्कर्ष	87
2.4.11	मुख्य शब्दावली	87
2.4.12	अभ्यास हेतू प्रश्न	87
2.4.13	संदर्भ सूची	88
2.5	**समानता**	**89–99**
2.5.1	परिचय	89
2.5.2	उद्देश्य	89
2.5.3	समानता की परिभाषाएँ	89
2.5.4	समानता का अर्थ	90
2.5.5	समानता की विशेषताएँ	91
2.5.6	समानता के प्रकार	91
2.5.7	स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध	92
2.5.8	राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानताओं में सम्बन्ध	95
2.5.9	निष्कर्ष	98
2.5.10	मुख्य शब्दावली	98
2.5.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	98
2.5.12	संदर्भ सूची	99
2.6	**न्याय**	**100–110**
2.6.1	परिचय	100
2.6.2	उद्देश्य	100
2.6.3	न्याय का अर्थ	100
2.6.4	न्याय की परिभाषा	100
2.6.5	न्याय की विशेषताएँ	101
2.6.6	न्याय के भिन्न–भिन्न रूप अथवा पक्ष	102
2.6.7	न्याय सम्बन्धी विचार	105
2.6.8	जान राल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त	106
2.6.9	निष्कर्ष	109
2.6.10	मुख्य शब्दावली	109
2.6.11	अभ्यास हेतू प्रश्न	110
2.6.12	संदर्भ सूची	110
इकाई – 3	लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न	111–151

इकाई– 1

1.0 इकाई परिचय

हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धान्त पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? राजनीतिक सिद्धान्त इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धान्त उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्या, लोकतंत्र और धर्मनिपरेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटावारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जाँच करता है।

राजनीति–सिद्धान्त की अन्य बहुत–सी संकल्पनाओं की तरह शक्ति की भी कोई एक परिभाषा नहीं मिलती। साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान युग में शक्ति राजनीति की एक मौलिक धारणा है। यह उसी प्रकार राजनीति का केन्द्रीय तत्व है जिस प्रकार समाज का केन्द्रीय ततव व्यक्ति और अर्थशास्त्र का केन्द्रीय तत्व धन है। हालांकि राजनीति में शक्ति की अवधारणा कोई नया विचार नहीं है किन्तु इसका आधुनिक रूप अमरीकी राजनीति शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है। शक्ति की अवधारणा का विकास कई चरणों में हुआ है।

राजनीति के अन्तर्गत किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए शक्ति प्रयोग आवश्यक है। परन्तु शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहां सिद्ध होती है जहां शक्ति केवल बल–प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता कर लेती है। संक्षेप में, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियां, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं।

1.1 इकाई के उद्देश्य

1. राजनीतिक सिद्धान्त का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना।
2. राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आकलन करना।
3. राजनीतिक संस्थाओं और समस्याओं के बारे में जानना।
4. राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष को समझना।
5. सत्ता के कौन–कौन से आधार है, उनको जानना।

राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्त्व

(Political Throry : Meaning, Nature, Scope and Significance)

1.2.1 परिचय

आज का मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करता है। वह सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और यहां तक कि अपने आप को भी जानने की लालसा रखता है। मनुष्य के इसी स्वभाव के कारण ही अनेक प्रकार के शास्त्रों का जन्म हुआ और शताब्दियों से उन पर खोज चल रही है। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण ही राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry) का जन्म हुआ। बहुत–सी राजनीतिक संस्थाओं तथा समस्याओं के बारे में विचार किया गया तथा निष्कर्ष निकाले गए जिनकी सहायता से कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है। यही नियम, सिद्धान्त बन जाते हैं। यह देखने में आया है कि लोग प्रायः राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry), राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy), राजनीतिक विज्ञान (Political Science) आदि शब्दों के अर्थ एक जैसे समझते हैं। परन्तु सैद्धान्तिक सत्यता इसके विपरीत है। क्योंकि इन शब्दों के अर्थ एक जैसे नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धान्त न तो राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy) है, और न ही राजनीतिक विज्ञान (Political Science) है। राजनीतिक सिद्धान्त (Sub Political Theory) इसका अपना ही एक विशेष अर्थ और स्वरूप है।

1.2.2 उद्देश्य

1. राजनीतिक सिद्धान्त सम्बन्धी मान्यताओं, विकसित पद्धतियों और प्रविधियों को समझना।
2. राजनीतिक सिद्धान्त की वैज्ञानिक पद्धति व तथ्यों को जानना।
3. राजनीतिक सिद्धान्त में परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त के मूल्यों, आदर्शों व नैतिकता को जानना।
4. राजनीति विज्ञान में सिद्धान्त निर्माण की समस्याओं को समझना।
5. राजनीतिक सिद्धान्त की उपयोगिता के महत्व को जांचना।

1.2.3 राजनीतिक 'सिद्धान्त' का अर्थ (Meaning of Political Throry)

काइडन (Kiden) ने राजनीतिक 'सिद्धान्त' (Theory) को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण (Tool) माना है। वस्तुतः सिद्धान्त शब्द के अनेक अर्थ हैं। कोहन (Cohan) के अनुसार "यह शब्द एक खाली चैक के समान है, जिसका सम्भावित मूल्य उनके उपयोगकर्त्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर करता है।"

राजनीतिक 'सिद्धान्त' को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थियोरी (Political Theory) कहते हैं। 'थियोरी' शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द 'थ्यौरिया' (Theoria) से हुई जिसका अर्थ है 'एक मानसिक दृष्टि' जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल 'वर्णन' (Description) या 'किसी लक्ष्य के विषय में कोई विचार या सुझाव देना' (Proposal or goal) ही सिद्धान्त नहीं कहलाता। सिद्धान्त के अन्तर्गत "किसी भी विषय के सम्बन्ध में एक लेखक की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है।" ("Theory comprises a thinker's entire teaching on a subject, including his description of the fasts, his explanations, his conception of history, his explanation, his value judgements and his proposals of goals of policy, and of principles" – Arnold Brecht)

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धान्त की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैंः–

एन्ड्रयू हेकर (Andrew Hacker) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त में 'तथ्य' (Facts) और मूल्य (Values) दोनों समाहित हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं।" दूसरे शब्दों मे हर सिद्धान्त शास्त्री एक वैज्ञानिक और 'दार्शनिक', दोनों की भूमिका निभाता है। ("Every political throriest worthy of the name plays double role.... He is part scientist and part philosopher and he will divide his time between the two pursuits according to his own temperament and interests.")

जेर्मिनो (Germino) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त मानवीय सामाजिक असतित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अध्ययन है।" ("Political throry is the critical study of the principles of right order in human social existence.")

जार्ज सेबाइन (George Sabine) के अनुसार "व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धान्त से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो कि राजनीति से सम्बन्धित या प्रासंगिक हैं और संकीर्ण दृष्टि में इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से है।" ("Broadly political theory means ' as anything about politics or relevant to politics' and narrowly as the disciplined investigation of political problems.")

जोहन पलामैंटज (J. Plamentz) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त से मेरा अभिप्राय सरकार के कुछ कार्यों की व्याख्या करना नहीं है, अपितु इससे मेरा अभिप्राय सरकार के उद्देश्यों सम्बन्धी व्यवस्थित चिन्तन है।" ("By political throry I do not mean explanation of some Government functions, I mean systematic thinking bout the purpose of Government.")

वर्तममान युग के प्रसिद्ध लेखक डेविड हैल्ड (Devid Held) के इस विचार से हम सहमत हैं कि, "राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अवधारणाओं (Concepts) और व्यापक अनुमानों (Generalizations) का एक ऐसा ताना–बाना है, जिसमें शासन राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।" ("Political throries are complex networks' of concepts and generalizations bout political life involving Ideas, assumptions and statements bout the nature, purposes and key features of Government, State and Society and about the political capabilities of human beings.")

राजनीतिक सिद्धान्त की ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है और सभी रजानीतिक सिद्धान्तार इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा है और यह उन विचारों का समूह है जिनके आधार पर राजनीतिक तथ्यों या राज्य के सर्वपक्षीय स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धान्त में ऐसे विचार व धारणाएं शामिल होती हैं, जिनकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार या तथ्यों के नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक पक्षों की उचित व्याख्या की जाती है। जब कोई राजनीतिक घटना घटती है, जो उसका व्यवहारिक निरीक्षण करने के लिए कुछ परिणाम निश्चित करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त की सहायता अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धान्त में (1) अवलोकन (Observation), (2) व्याख्या (Explanation), (3) मूल्यांकन (Value-Judgement) ये तीन तत्त्व शामिल हैं। जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः–

(1) अवलोकन (Observation):– यदि हम किसी ऐसे राजनीतिक विचारक का अध्ययन करें जिसने किसी सिद्धान्त–निर्माण का कार्य किया है तो हमें यह दिखाई देगा कि वह केवल काल की राजनीति के किसी विशेष पक्ष से चिंतित अथवा असंतुष्ट था। उसके द्वारा उस काल की घटनाओं का उल्लेख अपने विचारों की पुष्टि

के लिए किया गया। प्लेटो, मैक्यावली, हाब्स, लॉक, कार्ल मार्क्स, लार्ड ब्राईस आदि सभी विद्वानों ने तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन इस कारण से किया है, कि वे उन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे।

उदाहरण के तौर पर – लार्ड ब्राईस ने लोकतंत्रीय सरकारों की सफलता और दुर्बलता की जाँच के लिए न सिर्फ ग्रन्थों का ही सहारा लिया बल्कि अपने समय के प्रमुख लोकतंत्रीय देशों की कार्य प्रणाली का बहुत निकटता से अध्ययन किया। यह अध्ययन कुछ मान्यताओं के आधार पर किया गया जैसे कि यह मान्यता कि 'लोकतन्त्र में न्यायपालिका स्वतन्त्र होती है' आदि।

(2) व्याख्या (Explanation):– तथ्यों या घटनाओं का संकलन करके अनावश्यक सामग्री कांट–छांट कर अलक कर दी जाती है। उनका माप–तोल या परीक्षण करके 'कारण और कार्य' (Cause and Effect) के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, इसे हम सिद्धान्त कह सकते हैं तथा इसे हम सामान्यीकरण भी कहते हैं, जिसका अर्थ है 'निष्कर्ष को सामान्य नियमों का रूप देना।' सिद्धान्त की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्यों का चयन औ उनकी व्याख्या करते समय कितनी निष्पक्षता बरती गई है। लार्ड ब्राइस का यह निष्कर्ष आज भी बड़ा मूल्यवान समझा जाता है कि 'पैसे की शक्ति ने विधान–मंडल और प्रशासन दोनों को पथभ्रष्ट कर दिया है।'

(3) मूल्यांकन (Value-Judgement):– राजनीति का लेखक एक 'वैज्ञानिक' और 'दार्शनिक' दोनों की भूमिका निभाता है। वह वैज्ञानिक विधियों का सहारा ले सकता है, पर उसके अपने कुछ 'मूल्य और आदर्श' भी होते है। डेविड हैल्ड ने कहा है कि "आदर्शपूरक प्रश्नों' (Normative Questions) से राजनीति विज्ञान बच नहीं सकता। केवल 'वर्णन' और 'व्याख्या' के प्रति निष्ठा या समर्पण से ही काम नहीं बनेगा। राजनीतिक सिद्धान्त में किसी भी परियोजना के अंतर्गत 'दर्शन' (Philosophy) और 'विज्ञान' (Science) एक–दूसरे का स्थान नहीं ले सकते।"

1.2.4 राजनीति सिद्धान्त की प्रकृति (Nature of Political Theory)

'राजनीतिक सिद्धान्त' का इतिहास बहुत पुराना है। मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है:–

(क) परम्परागत अथवा शास्त्रीय चिंतन (Traditional or Classicial Political Throry)

(ख) आधुनिक राजनीतिक चिंतन (Modern Political Thrtory)।

परम्परागत राजनीतिक चिन्तन से सम्बन्धित लेखकों में प्लेटो, अरस्तू, हाब्स, लॉक, कॉंट, हीगल, कार्ल मार्क्स तथा मान्टेस्क्यू आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(क) परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएं (Charaterstics of Traditional orClassical Theory)

परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

1. **समस्याओं का समाधान करने का प्रयास (Study for Solving Problems)**:– परम्परागत लेखकों की रचनाओं पर अपने युग की घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और वे अपने–अपने ढंग से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील थे। उदाहरण स्वरूप 'प्लेटो' के सामने यूनान के नगर–राज्यों के आपसी ईर्ष्या–द्वेष तथा कलह का जो वातावरण मौजूद था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने 'दार्शनिक राजा' (Philosphor King) के सिद्धान्त की रचना की। उस व्यवस्था का उद्देश्य शासक वर्ग को निजी स्वार्थ से ऊपर रखना था। इटली की तत्कालीन स्थिति को देखकर 'मैक्यावली' इस परिणाम पर पहुंचा कि शासक के लिए अपने राज्य को विस्तृत तथा मजूबत बनाने के लिए झूठ कपट, हत्या और अन्य सभी साधन उचित हैं।

2. **मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन (Mainly Descriptive Stueies)**:– परम्परागत चिंतन मुख्यतः वर्णनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है। अतः यह न तो व्याख्यात्मक है, न विश्लेषणात्मक और न ही इसके माध्यम से राजनीतिक समस्या का समाधान हो पाया है। विद्वानों

के अनुसार राजनीतिक संस्था का वर्णन मात्र पर्याप्त है ओर उनके द्वारा इस बात पर विचार नहीं कियागया है कि संस्थाओं तथा भिन्नताओं के मूल में कौन–सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं।

3. **परम्परागत चिन्तन पर दर्शन, धर्म तथा नीतिशास्त्र का प्रभाव (Influence of Philosophy, Religion and Ethics on Classical Studies)**:– परम्परागत चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दर्शन तथा धर्म से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं। यद्यपि प्लेटो तथा अरस्तु के चिंतन में यह कुछ हद तक दिखाई देते हैं, परन्तु इनका स्पष्ट उदाहरण मध्य युग में इसाई धर्म का राजधर्म में परिवर्तन हो जाने पर प्राप्त हुआ। उस समय राज्य तथा 'धर्म संघ' (Church) के आपसी सम्बन्धों को लेकर एक भीषण विवाद चल पड़ा। यूरोप के कई विद्वानों ने ये कहा कि राज्य की तुलना में 'चर्च' श्रेष्ठ है और धार्मिक अधिकारी लौकिक (Worldly) मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेंट टामस एक्वीनास (St. Thomas Acquinas) आदि विचारक इसी मत के थे। दूसरी और विलियम ऑकम (William of Occam) ने 'राजसत्ता' को 'चर्च' से उच्चतर माना।

4. **मुख्यतः निगमनात्मक अध्ययन (Deductive Reasoning and Normative Stueies)**:– अधिकांश परम्परावादी लेखकों ने 'निगमनात्मक विवेचन' (Deductive Reasoning) अथवा 'मानकीय उपागम' (Normative) का सहारा लिया। इन लेखकों ने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं किया। 'मानकीय उपागम' का अर्थ है कि मस्तिष्क में किन्हीं आदर्शों की कल्पना कर लेने के बाद उस कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए सिद्धान्तों का निर्माण करना। इस अध्ययन पद्धति को अपनाने वाले लेखकों में प्लेटो, रूसो कॉंट, हीग़ल और वर्क आदि प्रमुख हैं।

प्लेटो ने 'दार्शनिक शासक' (Philosoher-King) के आदर्श को हमारे समक्ष रखा जबकि रूसो ने 'सामान्य इच्छा' (General will) का सिद्धान्त अपने मनगढ़न्त आदर्श के आधार पर रखा। रूसो के अनुसार 'सामान्य इच्छा' कभी भी असत्य नहीं हो सकती तथा वही शासन अच्छा होगा जो 'सामान्य इच्छा' के अनुसार चलाया जाएगा। हीगल (Hegel) ने लिखा है कि पूर्व विकसित राज्य राजतन्त्र हो सकता है, तथा इस राज्य में सम्राट राज्य की एकता का प्रतीक है, अपितु कुछ परम्परागत लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने 'मानवीय उपागम' के साथ–साथ 'आनुभाविक उपागम' (Empirical Approach) को भी अपनाया। उन्होंने 'तथ्यों तथा आंकड़ों' का संकलन करके उनका विधिवत विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए – अरस्तु ने अपने काल के 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किय और उसके बाद ही उसने आदर्श 'राज्य' की कल्पना की थी। इसी प्रकार मार्क्स के विचारों में भी मानवीय तथा आनुभविक, दोनों पद्धतियों का मिलाजुला रूप मिलता है।

5. **औपचारिक, संस्थागत तथा कानूनी (Formal, Institutional and Legal)**:– परम्परागत अध्ययन मुख्यतः औपचारिक संस्थाओं, संविधान तथा कानून से सम्बन्धित था। इसके अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां ऐतिहासिक (Legal) थीं। उस काल के लेखकों ने केवल औपचारिक संस्थाओं का ही वर्णन किया, उनके व्यवहार के परिक्षण पर बल नहीं दिया। उदाहरण के लिए – लास्की तथा डायसी आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में संस्थाओं के औपचारिक (Formal) तथा कानूनी (Legal) रूप का ही अध्ययन किया।

6. **अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख 'प्रतिमान' और 'अवधारणाएं' (**Study of 'models' anf 'Concepts')**:–** परम्परागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय प्रतिमान (Models) और अवधारणाएं (Concepts) राज्य (State) 'सम्प्रभुत्ता' (Sovereignty) 'कानून' (Legal) तथा 'राष्ट्रवाद' (Nationalism) थे। इन्हें परम्परागत इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये काफी पुराने हैं तथा इन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

7. **मूल्य सापेक्ष (Value Loaded)**:– परम्परागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष (Value Loaded) है। इसका दार्शनिक दृष्टि से मूल्यों (Value), आदर्शों (Ideals) तथा लक्ष्यों (Aims) से भी गहरा सम्बन्ध है।

मूल्यांकन (An Evaluation)

परम्परागत रचनाओं का अपना महत्त्व है जो इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:–

(क) उपयोगी (Useful):– परम्परागत विद्वानों के विश्लेषण काफी उपयोगी सिद्ध हुए। विशेषकर प्लेटो, अरस्तु, हाब्स आदि विचारकों की कृतियाँ आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हीगल के 'वाद' 'प्रतिवाद' ओर 'संवाद' (Thesis, Antithesis and Synthesis) के सिद्धान्त ने राजनीतिक विचारों के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लॉक के 'स्वतन्त्रता' और 'प्राकृतिक' अधिकारों की व्याख्या आज भी विशेष महत्व रखती है।

(ख) आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त का स्वरूप (Nature of Modern Political Theory) अथवा **आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Modern Political Theory)**:– द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जगत राजनीति विज्ञान की धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। चार्ल्स ई. मेरियम (Charles E-Merriam) ने अपने ग्रन्थ 'न्यु आस्पेक्टस ऑफ पॉलीटिक्स' (New Aspects of Politics) में यह संकेत दिया था कि राजनीति के विज्ञान को एक नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 'राजनीतिक सिद्धान्त' ऐसी शक्तियों के सम्पर्क में आ गया है कि कालांतन में वे इसकी प्रक्रिया (Process) को मूलतः संशोधित कर देंगी।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के विकास में सबसे अधिक योगदान 'आनुभाविक पद्धति' (Empirical Methods) ने दिया है। इन पद्धतियों मे इस बात पर बल दिया जाता है कि राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनया जाए और 'तथ्यों' तथा 'आंकड़ों' (Facts ad Figures) पर विशेष बल दिया जाए। वर्तमान सिद्धान्त शास्त्री 'शक्ति' (Power), 'सत्ता' (Authority), 'राजनीतिक अभिजन' (Political Elite), 'राजनीतिक प्रभाव' (Political Influence), 'राजनीतिक विकास' (Political Development) तथा 'राजनीतिक संस्कृति' (Political Culture) जैसी अवधारणाओं पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं। 'शक्ति' सिद्धान्त की पुष्टि चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) तथा हैराल्ड लासवेल (Harold Lasswel) द्वारा की गई। जबकि जी. मोस्का (G. Mosca), राबर्ट काईकेल्स (Robert Michels) तथा पेरैंटों (Pareto) ने राजनीतिक अभिजन (Poltical Elite) के सिद्धान्त को विकसित किया। सन् 1953 में डेविड ईस्टन की पुस्तक 'दि पॉलिटिकल सिस्टम' (The Political System) छपी, जिसमें उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को 'निवेश' (Input) तथा 'निर्गत' (Output) के माध्यम से समझाया हैं जनता की मांगें 'निवेश' तथा संसद, कार्यपालिका व न्यायपालिका द्वारा लिए गए विशेष निर्णय 'निर्गत' हैं।

कुछ सिद्धान्त शास्त्रियों ने राजनीति में एक नई क्रान्ति को जन्म दिया, जिसको व्यवहारवादी क्रान्ति (Behaviourla Revolution) के नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारवादी क्रान्ति एक प्रकार से परम्परागत सिद्धान्त–शास्त्रियों के प्रति असंतोष का परिणाम थी। व्यवहारवादी लेखकों – जिसमें राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl), डेविड ईस्टन (Devid Easton) तथा पावेल (Powell) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ने राजनीति को अन्य 'प्राकृतिक विज्ञानों' की भांति एक 'शुद्ध विज्ञान' बनाने पर बल दिया। उन्होंने 'राजनीतिक दलों' 'दबाव समूहों', 'जनमत', 'मतदान आचारण' तथा विधानमण्डल कार्यपालिका और न्यायपालिका के व्यवहारिक आचरण पर बल दिया। सन् 1970 के दशक में कुछ ऐसे लेखक सामने आए जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए 'मूल्यों' का भी परित्याग नहीं किया। इन लेखकों में कार्ल पॉपर (Karl Popper) तथा जान राल्स (John Rawls) आदि शामिल थे। सन् 1990 के दशक में जिन लेखकों ने राजनीतिक सिद्धान्तों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें जॉन डनन (John Dunn), स्अीवन लूकेज़ (Steven Lukes), सूसैन ऑकिन (Susan Okin) तथा डेविड हैल्ड (David Held) के नाम उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

1. परम्परागत सीमाएं छोड़कर अध्ययनः– राजनीतिक विद्वान अब परम्परागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक अब 'तथ्य और घटनाएँ' (Facts and Figures) जहाँ कहाँ भी उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics) अथवा धर्म (Rrligion) से सम्बन्धित हो, चाहे वे व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र अथवा विश्व से सम्बन्धित हों, अब राजनीति के अध्ययन के विषय बन गये हैं। विद्वानों की ये भवना रहती है कि परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविक अवधारणाओं (Concepts) का आधार बनाया जाए। ईस्टन (Easton), डहल (Dahl), आल्मण्ड (Almond) तथा वेबर (Weber) आदि विद्वानों ने व्यक्ति के कार्यों व उनके व्यवहार के 'विश्लेषणात्मक अध्ययन' (Analytical Study) पर बल दिया है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी प्रकार से समझने में आसानी हो।

2. अध्ययन की अन्तः शास्त्रीय पद्धति (Interdisciplinary Approach ot the Study of Politics):– आधुनिक युग में राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विधाओं से सहयोग लेने की प्रवृति को विशेष बढ़ावा मिला है। राजनीति विज्ञान समाज–शास्त्र (Sociology), अर्थशास्त्र (Economics) और मनोविज्ञान (Psychology) की अध्ययन पद्धतियों और निष्कर्षों को ग्रहण कर रहा है। ग्राहम वालास (Grahm Wallas) आर्थर बेन्टले (Arthur Bentley), चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) और हैराल्ड लासवैल (Harold Lasswell) आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रतिमानों (Models) को ग्रहण करने पर बल दिया है। अतः किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझने के लिए उस समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

   वर्तमान समय में ये धारणा जोर पकड़ रही है कि भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण (Globalization) की प्रक्रिया को समझे बिना 'राज्य' के बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सिद्धान्त में विश्व अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन अलग–अलग नहीं बल्कि एक साथ करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह हे कि ये सभी तत्त्व राज्य के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं।

3. मूल्य निरपेक्ष अर्थात् तटस्थ अध्ययन (Value-Free Studies):– आधुनिक लेखक विशेषकर व्यवहारवादियों (Behaviourlists) ने 'मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान' (Value free Studies) पर बल दिया है। उनका मानना है कि राजनीकि विचारकों को 'मूल्य निरपेक्ष' अर्थात् तटस्थ (Netural) रहना चाहिए। उन्हें 'क्या होना चाहिए?' के स्थान पर 'क्या है?' का उत्तर खोजना चाहिए। राजनीतिक विचारकों का काम सही या गलत बतलना नहीं है बल्कि लेखकों को चाहिए कि वे 'तथ्यों' और 'आंकड़ों' का मात्र वर्गीकरण और विश्लेषण करें उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि कौन–सी शासन प्रणाली 'अच्छी' या कौन–सी शासन प्रणाली 'बुरी' है। क्योंकि 'अच्छा' अथवा 'बुरा' मूल्य सापेक्ष है न कि निरपेक्ष।

4. आनुभाविक अध्ययन (Empirical Study):– आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को 'विशुद्ध विज्ञान' बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों की नाप–तोल पर विशेष बल दिया इसमें उन्होंने नयी–नयी तकनीकें जैसे जनगणना अभिलेखों (Census Records) और आंकड़ों का अध्ययन करना तथा जनमत जानने की विधियों (Opinion Polls), साक्षात्कारों और जातीय अध्ययनों (Ethonographical Stueies) के द्वारा कुछ परिणाम निकालना आदि शामिल हैं। डेविड़ ईस्टन ने इस बात पर बल दिया "खोज सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धान्त आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरथर्क साबित होगा।" (Research ought to be systematic, theory, unsupported by data, may prove tutile.) हैराल्ड लासवैल (Harold Laswell), चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam) आदि लेखकों ने राजनीति को 'विज्ञान' बनाने का प्रयास किया।

राजनीति के कुछ क्षेत्रों में अध्ययन की विशेषकर मतदान और चुनावी आचरण (Voting Behaviour) आदि क्षेत्रों में इस प्रणाली से बड़ी सुविधा हुई।

परन्तु वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि राजनीति 'मानवीय जीवन' से सम्बन्ध रखती है, मनुष्य विचारशील प्राणी है। वह विचार और व्याख्या करने की क्षमता रखता है (Idividual is a self-interpreting social being)। उस पर इस प्रकार के प्रयोग नहीं किये जा सते, जो प्राकृतिक वस्तुओं अथवा जड़ पदार्थों पर किये जा सकते हैं।

5. समस्या समाधान का प्रयास (Problem Solving Efforts):– राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे 'राजसत्ता' (Power of the State), व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Autonomy), 'प्रभुसत्ता' (Sovereignty), न्याय (Justice) तथा लोकतन्त्र जैसी अवधारणाओं (Concepts) का समुचित समाधान ढूंढने का प्रयास पुरातन काल से किया जा रहा है। आधुनिक सिद्धान्त शास्त्री जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं – वे युद्ध और शान्ति (War and Peace), बेरोजगारी (Unemployment), सामाजिक हलचल (Social Trumoil), असमानता (Inequality) तथा पर्यावरण (Environment) आदि से सम्बन्ध रखती हैं।

6. शोध एवं सिद्धान्त में घनिष्ठ सम्बन्ध (Research and Theory are co-related):– वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धान्तों के निर्माण में लगे रहते हैं। शोध (Research) और सिद्धान्त (Theory) अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धान्तिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के सम्बन्ध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण (Analysis) करते हैं।

7. अनौपचारिक तत्त्वों का अध्ययन (Study of Informal Factors):– आधुनिक व्यवहारवादी विचारकों जैसे डहल (Dahl), डेविड ईस्टन (Devid Easton), आल्मण्ड (Almond) तथा पावेल (Powell) के अनुसार परम्परागत अध्ययन की औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार व राजनीतिक दल (Political Party) आदि का ही अध्ययन काफी नहीं है। वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए उन सभी अनौपचारिक तत्त्वों का भी अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं, जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वह जनमत, मतदान आचरण, विधानमण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों के अध्ययन पर भी बल देते हैं।

8. उत्तरव्यवहारवादी क्रान्तिः मूल्यों को पुनः स्वीकार करने की पद्धति (Post-Behavioral Revolution : Acceptance of Values in the Study of Politics):– व्यवहारवादी क्रान्ति ने आदर्शों तथा मूल्यों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। राजनीति को पूर्ण विज्ञान बनाने की चाह में व्यवहारवादी लेखक 'आकड़ों तथा तथ्यों' (Facts and Figures) में ही उलझ कर रहे गये थे। उन्होंने किसी आदर्श व लक्ष्य के साथ जुड़ने से साफ इंकार कर दिया। परन्तु शीघ्र ही एक नई क्रान्ति का उदय हुआ जिसे त्तर व्यवहारवादी (Post-Behaviouralism) के नाम से पुकारा जाता है। इस युग के सिद्धान्त शास्त्रियों के यह अनुभव हुआ कि राजनीति प्राकृतिक विज्ञानों की भान्ति पूर्ण विज्ञान का रूप नहीं ले सकती। उत्तर व्यवहारवादी विक्ष्वानों ने इस बात पर बल दिया कि सिद्धान्त शास्त्री समस्याओं के समाधान से मुंह नहीं मोड़ सकते, अतः उन्होंने 'मानवीय उपागम' (Normativer Approach) और 'अनुभावित उपागम' (Empirical Approach) दोनों को स्वीकार किया। डेविड ईस्टन ने कहा है कि, "यह मानकर चलना गलत है कि मूल्य निरपेक्ष हुए बिना कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता। उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त पर बल दिया जो अनुभाविक उपागम पर आश्रित होने के बावजूद नैतिक मूलयों को प्रोत्साहन दे। डेविड ईस्टन लिखता है कि, "आप चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, मूल्यों को आप इतनी सुगमता से नहीं नकार सकेंगे, जितनी सुगमता से आप अपने

कोट को उतार कर फेंक देते हैं। मूल्य हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हैं। मनुष्य होने के नाते हम अपने मनोभावों और अपनी पसंद और ना पसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।" (Whatever effort is exerted, values can not be shed, in the way, a person revmoves his coat. They are an integral part of the personality and as we are human, we can assume that our mental sets and preferences will be with us.)। ईस्टन की भान्ति ही कोबन ने भी 'मूल्यों के पुनर्निर्माण' (Reconstruction of Values) पर बल दिया। जान रॉल्स ने उन सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश की जिन पर चलकर हम 'नयायोचित समाज की स्थापना कर सकते हैं। अर्थात् मात्र मूल्य निरपेक्ष पर जोर देने से काम नहीं चलेगा। आधुनिक सिद्धान्त शास्त्री यह मानने लगे हैं कि 'सभी मूल्य एक जेसे नहीं हो सकते हैं।' (All values cannot be treated as equal)। ऐलन बाल लिखता है कि "ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि व्यक्तियों ने उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिन्हें वे श्रेष्ठ समझते थे क्रूर व्यवहार का सामना किया और घोर यातनाएं सहन की।" (Individuals are prepared... to undergo aavage ill-treatment and torture in the belief that some political values are superior to others.)

1.2.5 राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र (Scope of Political Theory)

राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितनी की मनुष्य की गतिविधियां। जीवन का कोई भी क्षेत्र या पहलू ऐसा नहीं जो राजनीति से अछूता रह सके। उदारवादियों (Liberal Thinkers) ने राजनीति का रिश्ता केवल सरकार और नागरिकों (Government and Citizens) तक ही सीमित रखा, जबकि मार्क्सवादियों ने उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का ही स्वामित्व माना है। आज के नारीवादी लेखक तो पारिवारिक और घरेलू मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। इस प्रकार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है। राजनीतिक सिद्धान्त शास्त्रियों को अब बहुत से विषयों के बारे में सिद्धान्तों का निर्माण करना पड़ता है। आजकल मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को राजनीतिक सिद्धान्ता के कार्य–क्षेत्र में शामिल किया जाता हैः–

1. राज्य का अध्ययन (Study of the State):– प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य–क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पति कैसे हुई? उसका विकास कैसे हुआ? तथा नगर–राज्य के सयम से लेकर अब तक के राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुचने तक इसके स्वरूप का विकास कैसे हुआ? अतः इसमें हम राज्य के ऐतिहासिक अध्ययन, वर्तमान के साथ–साथ इसके भावी स्वरूप का भी अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धानत राज्य की घरेलू सीमाओं को लांघ कर अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की भूमिका का अध्ययन करता है।

2. सरकार का अध्ययन (Study of the Government):– सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके ,ारा राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है। जिस प्रकार हम राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार सरकार के एतिहासिक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीतिक सिद्धान्त में सरकार के तीन अंगों (Organs of Government) (1) विधानपालिका (Legislature), (2) कार्यपालिका (Executive) तथा (3) न्यायपालिका (Judiciary) सरकार के विभिन्न प्रकारों अथवा रूपों (Forms of Government) तथा उसके संगठन का भी अध्ययन किया जाता है।

3. 'शक्ति' का अध्ययन (Study of Power):– वर्तमान समय में 'शक्ति' की अवधारणा (Power Concept) का अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। शक्ति के कई रूपों जैसे सामाजिक शक्ति (Social Poweer), आर्थिक शक्ति (Economic Power), व्यक्तिगत शक्ति (Individual Power), जनमत की शक्ति (Power of Public Opinion), राष्ट्रीय शक्ति (National Power) और अर्न्तराष्ट्रीय शक्ति (International Power) आदि। राजनीतिक सिद्धान्त 'शक्ति' के इन विभिन्न रूपों के पारस्परिक सम्बन्धों को देखता है और ये जानना चाहता है कि मानव समाज में किस को क्या मिलता है? (Who gets what) कैसे

(How) मिलता है? और क्यों (Why) मिलता है? राजनीतिक सिद्धान्तकारों ने 'शक्ति' के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि 'राजनीतिक सिद्धान्त शक्ति की प्रक्रिया का सिद्धान्त है।' (Political Theory is the study of Political Process.)

4. मानवीय व्यवहार का अध्ययन (Study of Human Behaviour):– व्यवहारवादी लेखकों ने 'मानवीय व्यवहार' (Human Behaviour) को राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे जो प्रेरणाएं कार्य करती हैं, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त में होना चाहिए। इस प्रकार 'राजनीति' इन विद्वानों के अनुसार, 'मनुष्य व्यवहार' के अतिरिक्त कुछ नहीं है।' आधुनिक विद्वान मानते हैं कि मनुष्य भावनाओं का समूह होता है उसकी अपनी प्रवृतियां और इच्छाएं होती हैं जिसके अनुसार उसक राजनीतिक व्यवहार नियन्त्रित होता है। इसलिए आधुनिक विद्वान – जैसे हैरोल्ड लासवैल (Harold Lasswell), जी. आमण्ड (G. Almond), जेम्स कोलमैन (James Coleman) तथा डेविड ईस्टन (David Easton), 'व्यक्ति' या 'व्यक्ति समूहों' (Human Groups) के राजनीतिक व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं। व्यवहारवादियों ने मानवीय व्यवहार के अध्ययन के अन्तर्गत राजनीतिक दलों (Political Paries) दबाव समूहों (Pressure Groups), जनमत (Public Opinion), मतदान आचरण (Voting Behaviour) तथा व्यवस्था विश्लेषण (Systems Analysis) आदि पर विशेष बल दिया है।

5. नीति–निर्माण प्रक्रिया (Process of Policy-Making):– आधुनिक विद्वानों के अनुसार नीति निर्माण प्रक्रिया (Process of Policy-Making) भी राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र का मुख्य विषय है। इस में उन सभी तत्वों को अध्ययन होना चाहिए जो शासकीय नीति निर्माण प्रक्रिया को निश्चित करने में योगदान देते हैं। राज्य की संस्थाए 'क्या नीति अपनाए'? (Which Policy they should Adopt)। उस नीति को 'किस प्रकार लागू किया जाए' (How these Policies are to be implimented)। इस दृष्टि से विधानपालिका तथा कार्यपालिका के शासन सम्बन्धी कार्यों मतदाताओं राजनीतिक दलों–उनके संगठन तथा एनको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है।

6. राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक (Scientific) विषय बनाता है:– जिस विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं होते हैं, वह विषय वैज्ञानिक प्रकृति का हो ही नहीं सकता। राजनीतिक क्षेत्र घटनाओं से भरा रहता है। इन घटनाओं के कारणों को जाना, उन घटनाओं का विश्लेषण करना तथा घटनाओं के संदर्भ में सिद्धान्त बनाना राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य क्षेत्र है।

7. विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण का अध्ययन (A styudy of Development, Modernization and Environment):– राजनीतिक सिद्धान्त में कुछ नवीन धारणाएं, जैसे – राजनीतिक विकास (Political Development), सामाजीकरण (Socialization), आधुनिकीकरण (Modernization) और पर्यावरण (Environment) भी अध्ययन का विषय है। विभिन्न विद्वानों ने विकासशील देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। विकसित राजनीतिक व्यवस्थाएं विकासशील देशों के लिए मॉडल (Model) प्रमाणित हो रही हैं। इसके साथ पर्यावरण की समस्याएं भी राजनीतिक अध्ययनों में स्थान पा रही हैं। पर्यावरण सुधारों के अनेक उपाय बताये जाते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण (Control of Population), वन सर्वेक्षण आदि। औद्योगिक विकास (Industrial Development) के लिए साफ सुथरे वातावरण की आवश्यकता होती है।

8. राजनीतिक दल मताधिकार और चुनावी रणनीति का अध्ययन (Study of Political Parties, Franchies and Electoral Politics):– सिद्धान्त शास्त्रियों ने राजनीतिक दलों की संरचना (Structure), उनके कार्यों और उनके रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रायः राजनीतिक दलों के तीन मुख्य प्रकार जैसे – एक दलीय

पद्धति तथा बहुदलजीय पद्धति राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के विषय है। वे देश जिन में 'सरकारी विचारधारा' (Official Ideology) वाली सिर्फ एक ही पार्टी होती है वे सर्वाधिकारी शासन (Totalitarian Systems) का उदाहरा प्रस्तुत करते हैं। इस श्रेणी में कम्युनिस्ट (Communist) और फासिटवादी (Fascist) देश शामिल हैं। दूसरे, कुछ ऐसे देश जहां सैनिक पदाधिकारी या असैनिक वर्ग बल प्रयोग द्वारा सत्ता हथिया लेते हैं। वे भी सर्वाधिकारी शासन (Totalitarian Systems) बहु–दलीय पद्धति (Multi-arty System) के उदाहरण हैं। प्रायः प्रजातान्त्रिक देशों में द्वि–दलीय व्यवस्था पाई जाती है।

9. तथ्यों और करणों में सम्बन्ध निश्चित करना (To Detyermine the Relationship between causes and Affects):– राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि उसके द्वारा कारणों तथा तथ्यों (Causes and Effects) में सम्बन्ध निश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जब कभी कोई घटना घटती है तो उस घटना के कुछ कारण अवश्य होते हैं। अर्थात् उस घटना के प्रभावों (Effects) और कारणों (Causes) में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। राजनीति शास्त्री का उद्देश्य यह होता है कि वह पृथक–पृथक घटनाओं के कारणों और उनके प्रभावों में सम्बन्ध (Co-relation) निश्चित करने का प्रयास करे।

10. व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन (Study of Individual's Relations with the State):– प्राचीनकाल से लेकर आज तक व्यक्ति और राज्य का क्या सम्बन्ध है। इस विषय पर राजनीतिक सिद्धान्त के विद्वानों में मतभेद रहा है। अठारहवीं सदी में व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अधिक बल दिया गया तथा राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन किया गया। वर्तमान लोकतन्त्रीय व्यवस्था ने मौलिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। आज जबकि राज्य एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के सिद्धान्तों को अपना रहे हैं, जिससे राज्य नागरिकों के जीवन के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के अधिकारों को किस हद तक सुरक्षित किया जाए? क्योंकि इसका भय है कि कहीं राज्य नागरिकों के अधिकरों का अतिक्रमण न करें। इसलिए व्यक्ति तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध राजनीति सिद्धान्त के अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय हैं।

11. अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन (Study of International Relations):– आधुनिक युग में एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है, जिस कारण राज्यों में आपसी सम्बन्ध होने स्वाभाविक हैं। यही कारण है कि आज हम राजनीतिक सिद्धान्त में अर्न्तराष्ट्रीय कानून (International Law) तथा अर्न्तराष्ट्रीय संगठन (International Organization) जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nation Organization) आदि संघों को भी अध्ययन करते हैं।

12. क्षेत्रीय संगठन तथा दक्षेस का अध्ययन (Study of SAARC – South Asian Association for Regional co-operation):– अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो राज्यों की प्रभुसत्ता (Sovereignty) को सीमित करते हैं। जैसे – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (Multi-Nationals Companies), शक्ति गुट (Power Blocks) और विभिन्न क्षेत्रीय संगठन (Regional Organizations)। क्षेत्रीय संगठनों के अर्न्तगत यूरोपीय संसद (European Parliament), दक्षेस (SAARC – South Asian Asociation for Regional Cooperation) और आसियान आदि। राज्यों द्वारा जो नीतियां (Policies) बनाई जाती हैं और निर्णय लिये जाते हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। यदि राजनीतिक विचारक इन प्रभावों को अनदेखा करें तो उनका अध्ययन अपूर्ण होगा।

13. नारीवाद का अध्ययन (Study of Feminism):– पश्चिम में 1960 के दशक से 'स्त्रियों की समस्याओं' का अध्ययन प्रारम्भ हो गया था। 1970 के दशक में नारी मुक्ति को लेकर गंभीर प्रयत्न किये गये। अनेक लेखकों ने माना कि स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति में सुधार

कैसे सुनिश्चित किया जाए। भारत में सतीप्रथा, बालविवाह तथा देवदासी प्रथा के विरूद्ध लड़ाई लड़ी गई और राज्य द्वारा इनके विरूद्ध कानून पास करके इन्हें समाप्त किया गया। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों के लिए संसद तथा राज्य विधान मंडलों में एक तिहाई (⅓) स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था से सम्बन्धित बिल विचाराधीन हैं।

संक्षेप में राजनीतिक सिद्धान्त का क्षेत्र अत्याधिक विस्तृत है। वास्तव में राजनीतिक सिद्धान्त राजनीत विज्ञान की एक श्रृख्ला है तथा इसका क्षेत्र राजनीतिक सामग्री के संदर्भ में वैज्ञानिक–विश्लेषण करने, विश्वसनीय सिद्धान्त अथवा नियमों तथा सामान्यीकरण निश्चित करना होता है।

1.2.6 राजनीतिक सिद्धान्त का महत्त्व (Significance of Political Theory)

'सिद्धान्त' का अस्तित्व विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है तथा सिद्धान्त के अस्तित्व के कारण ही किसी विषय को एक स्वतन्त्र अनुशासित (Independent Discipline) होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। इस सत्यता में ही 'राजनीतिक सिद्धान्त' (Political Theory) की आवश्यकता और महत्ता (Significance) छिपी हुई है। राजनीतिक सिद्धान्त की महत्ता निम्नलिखित हैं:–

1. कारण और प्रभाव में परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन (To Determine Relationship Between 'Sause' and 'Effect'):– कारण और प्रभाव में परस्पर सम्बन्ध होता है। कुछ कारणों या तथ्यों का अस्तित्व कुछ विशेष प्रकार के प्रभावों को जन्म देता है – जैसे राजनीतिक अज्ञानता का अस्तित्व प्रजातंत्र की सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा सिद्ध होती है और ऐसे तथ्यों का अस्तित्व राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाने का उत्तरदायी होता है। अर्थात् विभिन्न तथ्यों के साथ सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करके उसके विभिन्न पक्षों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा उन तथ्यों में परस्पर सैद्धान्तिक सम्बन्ध निश्चित किये जा सकते हैं। ये सभी कुछ सिद्धान्तों के अस्तित्व के बिना असम्भ है, क्योंकि सिद्धान्त तथा तथ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एस.पी. वर्मा ने ठीक कहा है कि, "तथ्य और सिद्धान्त एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सिद्धान्त के बिना तथ्य अनावश्यक विवरणों का व्यर्थ समूह है, जो सिद्धान्त तथ्यों पर आधारित नहीं हैं वह एक विशुद्ध कल्पना है।" (Fact and theory are there-fore dependent on each other. Facts without throry are useless heap of irrelevant details. Theory which is not rooted in facts is pure speculation)।

राजनीतिक सिद्धान्त विभिन्न तथयों के परस्पर सम्बन्धों को निश्चित करने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायक सिद्ध होता है। राजनीतिक सिद्धान्त को एक सम्पूर्ण अनुशासन का स्वरूप प्रदान करता है।

2. ज्ञान का सरलीकरण (Simplification of Knowledge):– सिद्धान्त ज्ञान का सरलीकरण है। इससे किसी विषय को समझने में आसानी रहती है। सिद्धान्त प्रतिमान (Model) स्थापित करके बहुत से 'तथ्यों' (Facts) को एक प्रतीक (Symbol) में बदल देता है। जिस प्रकार अंकगणित (Algebra) में कई वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में सरलीकरण कर लिया जाता है ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। विभिन्न तथ्यों और घटनाओं को प्रतीक बनाकर परिभाषित करना सिद्धान्त की महत्ता है। राजनीति में शक्ति, औचित्य (Legitimacy), न्याय (Justice), अधिकार (Rights), कर्तव्य (Duties), वैधता, समानता आदि अनेक प्रतीक हैं।

3. नये शोध उपकरण खोजना (Search for New Research Techniques of Tools):– सिद्धान्त की सहायता से नये प्रयोग व अविष्कार के लिए नये शोध उपकरण (Research tools) खोजता है। वह सिद्धान्त उतना ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा जो नये सिद्धान्त खोजने की क्षमता रखता है।

4. अन्वेषकों के लिए लाभदायक (Useful for Researchers):– डेविड ईस्टन का विचार है कि राजनीतिक सिद्धान्त अन्वेषण (Research) के लिए विशेषकर लाभदायक है। डेविड ईस्टन ने यह विचार प्रकट किया है

कि "यदि सैद्धान्तिक रूपरेखा (Theoretical Framework) पहले विद्यमान होगी तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को क्रमबद्ध करना और सामान्यीकरण (Generalization) निश्चित करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जा सकता है तथा सैद्धान्तिक रूपरेखा का अस्तित्व विभिन्न अन्वेषकों के अन्वेषण का तुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव बनाती है। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विभिन्न अन्वेषकों (Researchers) के द्वारा निश्चित किये गये परिणामों या सामन्यकरणों (Generalization) की पुष्टि की जा सकती है।

5. स्पष्टता प्राप्त करना (To Acquire Conceptual Clarity):– राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही हमें राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही हमें स्वतन्त्रता, समानता, न्या, प्रभुसत्ता तथा लोकतन्त्र आदि अवधारणाओं की उत्पत्ति, विकास आदि को समझने में सहायता मिलती है। कोई देश वास्तव में लोकतान्त्रिक है या नहीं ये तभी जाना जा सकता है जब हम लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों का विश्लेषण करें। राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन से ही स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।

6. शासन प्रणालियों को औचित्य (वैधता) प्रदान करते हैं (Profice Legitimacy to the Government):– सभी शासन प्रणालियां (Government) किसी न किसी सिद्धान्त पर आधारित होती हैं। इसके लए ये आवश्यक है कि आम जनता को पता हो कि किस व्यक्ति या दल को देश का शासन चलाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अर्थात शासन प्रणाली वैध (Legitimaty) होनी चाहिए। जब किसी देश में शासन प्रणाली बदलती है अथवा सत्ता परिवर्तन होता है तब उसकी वैधता को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी राजनैतिक विचारधारा अथवा सिद्धान्त का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए – प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए फासीवाद (Fascism) तथा नाजीवाद (Nazism) का सहारा लिया।

7. सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक (Helpful in Understanding the Social Changes):– मानव समाज एक गतिशील संस्था है, जिसमें दि प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे परिवर्तन के विभिन्न पक्षों तथा उनके द्वरा उत्पन्न हुए प्रीाावों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त (Political Throry) सहायक सिद्ध होता है। इसतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों में स्थपित सामाजिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध विद्रो अथवा क्रान्तियां हुई उसका मुख्य कारण यह था कि स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं (Established Social Order) नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। उदाहरण के लिए – फ्रांस की सन् 1789 की क्रान्ति। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धान्त को एक विचारधारा का ही रूप माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था (वर्ग–विहीन तथा राज्य विहीन समाज) (Class less and Stateless Society) की स्थापना हो जाएगी तो फिर सिद्धान्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर ही वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना की थी। उसका यह विचार ठीक नहीं है कि ऐसा समाज स्थापित हो जाने के पश्चात सिद्धान्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तव में सभ्यता के निरंतर हो रहे विकास के कारण जैसे–जैसे मानव समाज का अधिक विकास होगा, वैसे–वैसे सामाजिक परिवर्तन को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त की आवश्यकता अधिक महसूस होगी।

8. समस्याओं के समाधान में सहायक (Helpful in Sovling Problems):– राजनीतिक सिद्धान्त देश तथा समाज की समस्याओं को हल करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नये सिद्धान्तों के माध्यम किया जाना है। प्रत्येक काल (Era) तथा परिस्थिति में उस समय की समस्याओं को हल करने के लिए नये सिद्धान्तों (New Theories) की

आवश्यकता अनुभव की जाती है तथा नये सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है। कई विद्वानों, जैसे – बैंथम (Bentham), मिल (Mill), ग्रीन (Green), कार्ल मार्क्स (Karl Marx), महात्मा गाँधी (Mahatma Gandhi) आदि ने समकालीन समस्याओं (Contemporary Problems) के समाधान पर बल दिया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तकारों ने अनेक देशों में बेरोजगारी (Unemployment) व गरीबी (Poverty) आदि की समस्याओं व अन्य आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं (Social Problems) को हल करने के लिए सामाजिक–आर्थिक न्याय (Social-Economic Justic) की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है।

9. शान्ति स्थापना का लक्ष्य (Goal of Keeping Peace in the World):– राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का परिणाम यह हुआ कि यह कहा जाने लगा कि सिद्धानतशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों की तरह, तटस्थ रहना चाहिए, उन्हें तथ्यों को ऑकड़ों का मात्र, वर्गीकरण व विश्लेषण (Analysis and Classification) करना चाहिए। यह कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं कि अमुक शासन प्रणाली अच्छी है अथवा अमुक नहीं। पर साम्यवाद, नाजीवाद और फासिस्ट व्यवस्था ने मान जाति के लिए जो चुनौतियां पैदा की, उनसे निपटना जरूरी था। इन व्यवस्थाओं के कुपरिणाम सामने आ जाने के बावजूद यदि सिद्धान्त शास्त्री मूक दर्शक बने रहते तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती थी, महान् वैज्ञानिक अलबर्ट आईन्सटीन (Albert Einstein) नाज़ी उत्पीडन का शिकार रह चुके थे और उन्होंने अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। मूल्य निरपेक्षता की राजनीति पर उन्होंने व्यंग किया कि, "यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य यह बना ले कि पृथ्वी से समूल मानव प्रजाति का विनाश कर दिया जाए तो भी बौद्धिक आधार ऐसे दृष्टिकोण का खंडन नहीं किया जा सकता।" (If some one approves as a goal, the extermination of the human race from the earth, one cannot refute such a view point on rational gruunds.) अभिप्राय यह है कि यदि सभी मूल्यों को एक समान मान लिया जाए तो विश्व का विनाश करने वालों का विरोध आप केसे करेंगे? आप तो यही कहेंगे कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक की तरह उसे अपने प्रयोग या परिक्षण की छूट दी जाए।

10. राजनीतिक आन्दोलन के प्रेरणा स्त्रोत (Motivation behind many political movements):– सिद्धान्त राजनीतिक आन्दोलन को प्रभावित करते हैं। लेनिन जो राजनीतिक आन्दोलन के लिए सिद्धान्त के महत्त्व को समझते थे, ने सन् 1902 में कहा था, "एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धान्त के बिना कोई दल किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता।" (Only a party guided without an advanced theory cannot act as a vanguard in the fight.) लेनिन ने ये बात बार–बार कही, "क्रान्तिकारी सिद्धान्त के बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव नहीं है।" (Without a revolutionary theory, there cannot be a revolutionary movement.)। इस प्रकार प्लेटो (Plato), अरस्तु (Aristotle), चाणक्य (Chanakya), लॉक (Locke), मण्टेस्क्यू (Montesquieu), महात्मा गाँधी (Mahata Gandhi), कार्ल मार्क्स (Karl Marx) तथा एगेल्स (Engles) जैसे विचारकों की कृतियों में उस समय की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उन्होंने उठाए, उनका आज भी महत्त्व है। 20वीं शताब्दी में इस कार्य के लिए ग्राहम वालास (Grahm Walace), लास्की (Laski), मैकाइवर (Machiver), चार्ल्स मैरियम (Charles Merriam), रार्बट डहल (Robert Dahl), डेविड ईस्टन (Devid Easton) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

1.2.7 निष्कर्ष (Conclusion)

राजनीतिक सिद्धान्त का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके बिना राजनीति विज्ञान एक अधूरा अनुशासन होगा और राजनीतिक विज्ञान के रूप में इसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा। राजनीतिक विषय के इस विज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप राजनीति सिद्धानत के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। राजनीतिक सिद्धानत अन्वेष्कों के परिणामों को विश्वास योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन की उचित व्याख्या भी राजनीतिक सिद्धान्त की महत्ता को अनुभव करते हुए प्लाम्टैंज (Plamentz) ने कहा है, "राजनीतिक सिद्धान्त

राजनीतिक विज्ञान से भिन्न है, यह कोई कल्पनाओं या मनोविरोधताओं को प्रकट करने का साधन नहीं है। न ही यह कोई मनोरंजन है, और न ही यह भाषायी विश्लेषण है, यह एक विस्तृत, कठोर और लाभदायक कार्य है, इसकी भी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि अन्य विज्ञानों की।" (Political theory, as distinct from political science is not fantasy or the parading of prejudices, nor is an intellecutal game, still less is its linguistic analyasis. It is an elaborate, rigorous, difficult and useful undertaking. It is an much needed as any of the Sciences.)

राजनीतिक सिद्धान्तों का महत्व सदा ही रहता है। इसलिए प्लेटा, अरस्तु, चाणक्य, लॉक, रूसो, माण्टस्क्यू, कार्ल मार्क्स तथा महात्मा गाँधी जैसे विचारकों ने अपनी रचनाओं में जिन मूल प्रश्नों को उठाया उनका आज भी महत्व है। 20वीं शताब्दी के विद्वानों मे लास्की, मैकाइवर, लासवैल, डेविड ईस्टन आदि का विशेष महत्व है। एन्ड्रयू हेकर ने ठीक ही लिखा है कि, "राजनीतिक सिद्धानत समय की परिसीमा में नहीं बंधे हैं, आज से पहले भी उनका महत्व है और आगे आने वाले समय में भी उनका महत्व बना रहेगा।" (The historical texts have their greatest value in that the theories they offer transcened the times and the personalities whch produced them. In this sense, they are timeless and, in an important respect anonymous.)

1.2.8 मुख्य शब्दावली

1. राजनीतिक सिद्धान्त
2. दार्शनिक
3. परम्परावादी
4. अवधारणाएं
5. निगमनात्मक
6. मूल्य सापेक्ष
7. उत्तरव्यवहावादी

1.2.9 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. राजनीतिक सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के विषय–क्षेत्र की समीक्षा कीजिए।
   (Define Political Theory. Examine the scope of Modern Political Theory)
2. राजनीतिक सिद्धान्त का अर्थ तथा स्वरूप बताइए।
   (Describe the meaning and nature of Political Theory)
3. आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए।
   (Discuss the main characteristics of Modern Political Theory)
4. राजनीतिक सिद्धान्त के महत्व का वर्णन कीजिए।
   (Discuss the significance of Polityical Theory)
5. राजनीतिक सिद्धान्त के उद्देश्यों तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
   (Discuss the purpose and uses of Political Theory)

1.2.10 संदर्भ सूची

- N.P.Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschmanand C. D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.3 शक्ति की अवधारणा

(Concept of Power)

1.3.1 परिचय

हाब्स (Hobbes) ने लिखा है, "शक्ति तथा और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना का ही दूसरा नाम 'जीवन' है। इस कामना का अन्त केवल मृत्यु के साथ ही होता है।" (Life is... Perptual and restless desire of power after power that ceaseth only in death.)। बेकर के अनुसार, "राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता।" (Politics is inseparable from power.)। पुरातन काल से ही विद्वानों ने राजनीति के क्षेत्र में 'शक्ति' के महत्व को स्वीकारा है। परन्तु 'शक्ति' की अवधारणा के सम्बन्ध में सभी विद्वानों का एकमत नहीं है। सुकरात तथा प्लेटा ने 'शक्ति' का अध्यन 'दार्शनिक दृष्टिकोण' के आधार पर किया। अरस्तु, मैक्यावली तथा हाब्स आदि विद्वानों ने शक्ति का 'यथार्थवादी दृष्टिकोण' से अध्ययन किया। उनका मानना है कि 'शक्ति' राज्य में स्वभाविक रूप से निवास करती है। मैक्स वेबर, केटलिन, लासवैल, बर्टेण्ड रसल, मेरियम तथा मार्गेन्थो आदि विद्वानों ने 'शक्ति' की महत्ता पर बल दिया है। मार्गेन्थो ने राज्य के बीच की राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष' बताया है। केटलिन ने माना है कि 'राजनीति शक्ति का विज्ञान है' (Politics is the science of Power)। उलमर ने लिखा है कि, "यदि अरस्तु से लेकर वर्तमान समय तक के राजनीतिक लेखों का विश्लेषण किया जाए तो निःसन्देह यह सच्चाई प्रकट हो जाएगी कि शक्ति ही एक ऐसी केन्द्रीय धारणा है जिसके इर्द–गिर्द राजनीति की व्याख्या करने वाले सभी यन्त्र घूमते हैं।" (A content analysis of the political writings from Aristotle to the present world no doubt reveal power as the central concept around which attempts to explain politics have revolved.)

शक्ति को ही आधार मानकर राजनीतिक विचारकों ने राजनीति की व्याख्या को ही राजनीति विज्ञान का केन्द्रीय विषय स्वीकार किया है।

1.3.2 उद्देश्य

1. राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना।
2. राजनीति विज्ञान को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानना।
3. राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के स्त्रोतों के बारे में जानना।
4. राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के स्वरूप को समझना।
5. राष्ट्रीय शक्ति के बारे में जानना।

1.3.3 शक्ति की परिभाषा (Definition of Power)

शक्ति की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। राबर्टडहल ने अपनी पुस्तक 'Modern Political Analysis' में लिखा है, "प्रथम तथा सबसे मुख्य बात जो जाननी चाहिए वह यह है कि न तो साधारण भाषा में और न ही राजनीति शास्त्र में शक्ति के बारे में और उसकी परिभाषा के लिए विद्वानों में कोई समझौता है।" (The first and salient fact one needs to know what about power is that neither in ordinary language nor in Political Science is there agreement on terms and difinitions.)। इसका मुख्य कारण यह है कि 'शक्ति' शब्द का प्रयोग भिन्न–भिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। विद्वानों ने शक्ति, प्रभाव, सत्ता, प्रशस्तिकरण, बल तथा उत्पीड़न आदि शब्द का प्रयोग एक–दूसरे के लिए किया है। 'शक्ति' की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार की हैः–

1. राबर्ट डहल (Robert Dahl) के अनुसार, "शक्ति की परिभाषा प्रायः प्रभाव की एक विशेष स्थिति के रूप में की जाती है, जिसमें आज्ञा अनुपालन न करने पर भारी हानि उठानी पड़ती है।" (Power is often difined as a special care of influence involving severe losses for non-compliance.)

2. लावसैल और कैपलिन (Lasswell and Kaplin) का मानना है कि, "शक्ति प्रभाव को लागू करने की एक विशेष स्थिति है और वांछित नीतियों का पालन करने पर वास्तविक या धमकीपूर्ण प्रक्रिया के साथ भारी हानि पहुँचाने का एक तरीका है।" (Power is a special case of exercise of influence the process of effecting policies of others with the help of actual or theratened severe deprivations for non-conformity with policies intended.)

3. मैकाइवर (Macver) के अनुसार, "शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यवहार को नियंत्रित व नियमित और निर्देशित करने की क्षमता से है।" (By the possession of power, we mean the capacity to centralize, regulate or direct the behaviour of persons or things.)

4. मार्गेन्थो (Morgenthau) के अनुसार, "सामाजिक सम्बन्धों में दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है।" (By power, we mean the power of a man over the minds and actions of other men in social contact with one anothere.)। अपने इस कथन के आधार पर ही मार्गेन्थे न यह बताया है कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह सामर्थ्य है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करती है या उन्हें अपनी इच्छा को मानने के लिए विवश करता है।

5. आर.एच. टॉनी (R.H. Tawney) ने कहा है, "शक्ति किसी व्यक्ति या मूह की उसकी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की क्षमता है।" (Power is the capacity of an individual or group to work in the manner which it desires.)

6. कार्ल डयूश (Karl Deutsh) के शब्दों में "शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं के विजय पाने की योग्यता है।" (Power is the ability to prevail on conflict and overcome obstacles)

7. शूमन के अनुसार, "शक्ति मित्र बनाने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है।"

8. हार्टमन (Hartmann) के अनुसार, "शक्ति वह बल अथवा क्षमता है जिसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है।" (Power is the strength and capacity that a vovereign state can use to achieve its national interests)

इन परिभाषाओ के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि शक्ति उस योग्यता का नाम है जिस योग्यता के द्वारा व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों के कार्यों या नीतियों को इस तथ्य की सहायता से प्रभावित करता है कि यदि उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न किये गये तो अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को कठोर हानि सहन करनी पड़ सकती है।

1.3.4 शक्ति की विशेषताएँ (Characteristics of Power)

1. अन्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता (Ability to influence the behaviour of others):– शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों अथवा नीतियों को प्रभावित करता है। ऐसी क्षमता के बिना शक्ति की धारणा की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति अपनी ऐसी योग्यता के आधार पर दूसरे व्यक्तियों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ऐसी योग्यता अनेक रूपों में हो सकती है, जैसे – आर्थिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, व्यक्तिगत योग्यता, शारीरिक योग्यता आदि।

2. मानवीय सम्बन्धों का विशिष्ट रूप (A certain kind of human relationship):– शक्ति मानवीय सम्बन्धों का एक विशेष रूप है। शक्ति के लिए एक कर्ता तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ताकि कर्ता उन अन्य व्यक्तियों पर अपनी क्षमता के अनुसार प्रभाव डाल सके तथा उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकै। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के बल से अन्य व्यक्तियों के कार्य नीतियों अथवा व्यवहार को प्रभावित कर रहा होता है तो वह उनसे एक सम्बन्ध बना लेता है, इसलिए कहा जाता है कि शक्ति मानवीय सम्बन्धों का एक विशेष रूप है। (Power is a certain kind of human relationship)

3. शक्ति स्थितिपरक होती है (Power is situational):– शक्ति स्थिति और पद पर निर्भर करती है, एक उच्च अधिकारी की अपने अधीन अधिकारियों पर तब तक शक्ति रहती है जब तक वह उच्च पद पर है। उच्च अधिकारी जैसे ही सेवानिवृत हो जाता है वैसे ही उसकी शक्ति अपने अधीन कर्मचारियों पर समाप्त हो जाती है। उदाहरणार्थ – जैसे कि कॉलेज के प्रिंसीपल की शक्ति अपने विद्यार्थियों पर तब रही है जब तक वे कॉलेज में रहते हैं।

4. शक्ति सापेक्ष होती है (Power is relative):– एक शक्तिशाली व्यक्ति होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह सभी पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और वह स्वयं किसी और के अधीन नहीं होता। एक शक्तिशाली की शक्ति उन क्रियाओं के क्षेत्र और प्रकार पर भी निर्भर करती है जिन्हें वह करना चाहता है। एक व्यक्ति की शक्ति एक सम्बन्ध में हो सकती है, सम्बन्धेां के सभी क्षेत्रों में नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली नहीं हो सकता।

   शक्ति का सम्बन्ध समय से भी होता है, समय बीतने के साथ–साथ शक्ति बढ़ती या कम होती रहती है। आज का शक्तिशाली नेता अथवा राजनीतिक दल कल का शक्तिहीन नेता अथवा दल हो सकता है। शक्ति का सम्बन्ध उन साधनों से भी होता है जिन पर वह आधारित होती है। एक व्यक्ति की शक्ति बहुत से साधनों पर निर्भर करती है, जैसे – धन, परिवार, ज्ञान, सामाजिक स्तर, धर्म, नेतृत्व की योग्यता तथा उसका व्यक्तित्व आदि।

5. शक्ति में हानि पहुंचाने की धारण भी शामिल है (Power involves the idea of deprivation):– शक्ति की अवधारणा में कहीं–न–कहीं आनि पहुंचा सकने की धारणा भी शामिल है। शक्ति का अस्तित्व उस व्यक्ति के पास होता है जिस व्यक्ति के पास उसकी इच्छाओं या आदेशों की अव्हेलना करने वाले व्यक्ति को कठोर हानि पहुंचाने की योगयता हो। उदाहरणार्थ – यदि किसी कारखाने का स्वामी अपने कर्मचारियों को यह आदेश देता है कि कुछ निश्चित समय में उनके लिए किसी अमुक कार्य को पूरा करना अनिवार्य है, परन्तु यदि कुछ कर्मचारी उसके इन आदेशों का पालन नहीं करते तो उस कारखाने का मालिक ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी सकता है अथवा उनके विरूद्ध कोई अन्य कार्यवाही भी कर सकता है। यदि उस मालिक के पास ऐसा करने की क्षमता है तो उसके पास वास्तविक अर्थों में शक्ति का अस्तित्व है। परन्तु यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो कारखाने के मालिक के पास शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि जिसके पास शक्ति है तथा यदि उसकी इच्छानुसार काम नहीं होता है तो वह कार्य ना करने वाले से बल प्रयोग द्वारा कार्य ले सकता है अथवा ऐसा न करने पर उन्हें हानि पहुंचा सकता है।

6. शक्ति के दो स्वरूप – वास्तविक शक्ति तथा सम्भावित शक्ति (Two Aspects of Power – Actual Power and Possible use of Power):– शक्ति के दो स्वरूप हैं – वास्तविक तथा सम्भावित (Actual and Potential) एक व्यक्ति का विश्लेषण करना पड़ता है। वास्तविक शक्ति का अर्थ व्यक्ति की वह शक्ति है, जिसे शक्तिधारी द्वारा एक स्थिति में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। संभावित शक्ति उसकी वह शक्ति है जिसका प्रयोग

उस सत्ताधारी द्वारा किया जा सकता है। इसका विश्लेष उन स्त्रोतों के सम्बन्ध में करना होता है जो उस व्यक्ति के पास होते हैं और यदि वह चाहे तो उनका प्रयोग कर सकता है।

7. शक्ति के लिए विरोधी हितों का होना अनिवार्य (Existence of conflicting interests are essential for power):– शक्ति के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले कर्ता और उन व्यक्तियों जिन पर वह इस्तेमाल की जा रही है, के हितों (Interest) या मूल्यों का विरोध हो। ऐसे विरोध के अभाव में शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, यदि आदेश देने वाला (Actor) तथा आदेश का पालन करने वाले (Subjects) के हित अथवा मूल्यों (Values) में परस्पर विरोध (Conflict) हो।

8. उद्देश्य अनिवार्य (Purpose of Goal Essential):– शक्ति का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। (Exercise of Power must be for some purpose or goal) यदि शक्ति का प्रयोग उद्देश्यहीन (Purposeless) होगा तो शक्ति व्यर्थ एवं प्रभावहीन होगी। इस सम्बन्ध में कार्ल डयूश ने कहा है कि, "शक्ति के बिना इच्छा प्रभावहीन है, परन्तु इच्छा के बिना शक्ति अनियमित या अक्रमबद्ध रूप में ही प्रभावशाली होती है। यदि कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो शक्ति वातावरण पर कुछ अक्रमबद्ध प्रभाव उत्पन्न करने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। कुछ निर्णय होने अनिवार्य हैं, जिनके द्वारा शक्ति की प्रयुक्ति का नेतृत्व अथवा निर्देश किया जाना चाहिए।" (Will is ineffective without power, but power is only randomly effective without will. Powe can not accomplish more than a sucession of random impact on the environment, unless there is some relatively fixed goal or purpose, some decisions by which the application of power can be guided or directed.)

9. शक्तिशाली की पहचान में कठिनाई (Difficult to locate the real power holder):– शासन प्रणाली कैसी भी हो, उस व्यक्ति या व्यक्तिया समूह का पता लगाना बड़ा कठिन है जो शक्ति का वास्तविक प्रयोग करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पर्दे के पीछे (Behind the stage) रहकर शासक के निर्णयों और आदेशों को प्रभावित करते हैं। एक विद्वान का कथन सत्य है कि, "समाज के अधिक शक्तिशाली लोग वे हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं या जो वातावरण को तथा समय–समय पर उठने वाले प्रश्नों को नियंत्रित करते हैं। वे प्रश्नों को सुलझाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। यह पता लगाना आसान नहीं होता कि वास्तव में शक्तिशाली कौन है? तथा राजनीतिक शक्ति किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है?

10. शक्ति परिवर्तनशील (Dynamic nature of power):– शक्ति परिवर्तनशील होती है तथा शक्ति के तत्वों में परिवर्तन से शक्ति में बदलाव आ जाता है। उदाहणार्थ – 1971 में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश एक पृथक राज्य बन गया। इससे स्पष्ट है कि शक्ति परिवर्तनशील है।

11. प्रयोग पर निर्भर (Dependence on its usage):– कोई व्यक्ति या संस्था शक्तिशाली है अथवा नहीं यह उसकी शक्ति के प्रयोग द्वारा ही ज्ञात होता है। यदि एक विधि द्वारा प्राप्त शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो उसका शक्तिशाली अथवा शक्तिहीन होना कैसे सिद्ध होगा? उदाहरणार्थ – इंग्लैण्ड का सम्राट अथवा भारत का राष्ट्रपति जिसका परम्पराओं अथवा संविधान द्वारा अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन इंग्लैण्ड का सम्राट अथवा भारत का राष्ट्रपति इन शक्त्यिों का प्रयोग स्वयं नहीं करता बल्कि इनकी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रीमण्डल (Council of Ministers) करता है। इसलिए इंग्लैण्ड के सम्राट अथवा भारत के राष्ट्रपति को 'नाम मात्र' अध्यक्ष और मन्त्रीमण्डल को वास्तविक शासक कहा जाता है।

12. मूल्यांकन करना सरल नहीं (Not easy to evaluate):– शक्ति का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन है। कोई व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र कितनी शक्तिशाली है, इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हम कह सकते हैं कि दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता का नाम शक्ति है। शक्ति का अस्तित्व मानवीय सम्बन्धों में ही हो सकता है। शक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शकित का प्रयोग करने वाले के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके। शक्ति मनुष्य के परस्पर सम्बन्धों का विशिष्ट रूप है। यह स्थितिपरक (Situational) है तथा सापेक्ष (Relative) होती है। इसके दो स्वरूप – वास्तविक (Actual) तथा सम्भावित (Potential) है। शक्ति परिवर्तनशील है इसकी पहचान में अर्थात वास्तव में शक्तिशाली कौन है? इसमें कठिनाई आती है। शक्ति का वास्तविक अर्थों में अस्तित्व तभी हो सकता है जब शक्ति का प्रयोग करने वाले और उसके अधीन व्यक्तियों में परस्पर विरोध (Conflict) हो।

1.3.5 शक्ति के स्त्रोत (Sources of Power)

शक्ति के स्त्रोतों के बारे में भी राजनीति शास्त्र के विद्वान एकमत नहीं हैं। क्योंकि शक्ति अनेक स्त्रोतों से उत्पन्न होकर अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। नेपोलियन (Nepoleon), हिटलर (Hitler), लेनिन (Lenin), स्आलिन (Stalin), चर्चिल (Churchil), रूजवेल्ट (Roosevelt), मुसोलिनी (Mussolini), माओ–तसतुंग (Mao-Tse-Tung) तथा महात्मा गाँधी (Mahatma Gandhi) आदि सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्तियों में बहुत अंतर था। शक्ति के स्त्रोतों के बारे में प्रसिद्ध विद्वानों के विचार इस प्रकार हैः–

फ्रेडरिक (Fredrick) के अनुसार शक्ति के निम्नलिखित तीन मुख्य स्त्रोत हैंः–

1. उत्पीड़न (Coercion)
2. सहयोग (Co-operation)
3. प्रशस्त्रीकरण (Persuation)

एक अन्य विद्वान ब्रैचर (Brecher) ने शक्ति के चार स्त्रोत बताये हैं।

1. पशुबल या इसके प्रयोग की धमकी (Brute force or threat of its use)
2. कानूनी या गैर–कानूनी (Legal or Illegal)
3. प्रतिष्ठा अथवा अधिकार (Prestige or Authority)
4. आर्थिक साधन (Economic resources)

कुछ राजनीतिक विद्वानों ने शक्ति के दो प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन किया है।

1. आन्तिरिक स्त्रोत (Internal Sources)
2. बाहरी स्त्रोत (External Sources)

शक्ति के स्त्रोतों की पूर्ण सूची देना सम्भव नहीं है। फिर भी शक्ति के कुछ मुख्य स्त्रोतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता हैः–

1. ज्ञान (Knowledge) – शक्ति का प्रमुख स्त्रोत ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपनी अन्य योग्यताओं एवं क्षमताओं (Capabilities) का इस प्रकार संचालित करता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। ज्ञान के द्वारा ही लोगें में नेतृत्व (Leadership), सहनशीलता (Tolerance) आदि गुणों का विकास होता है। क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सोचने समझने और दुखों से स्वयं को बचाने की शिक्षा देता है। ज्ञान व्यक्ति के कष्टों को दूर

करके उसे उन साधनों को पाने की क्षमता देता है जिससे वह अपना जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र रख सके तथा स्वयं को दुखों व कष्टों से बचा सके।

2. संगठन (Organization) – संगठन शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। कहावत भी है कि,'संगठन में शक्ति है' (Unity is strength)। जब लोग मिलकर किसी संगठन का निर्माण करते हैं और मिलजुलकर तथा अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है। जब अलग–अलग इकाईयां आपस में मिलकर एक संघ बना लेती है तब उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जैसे राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ तथा धार्मिक संघ काफी शक्तिशाली होते हैं। राज्य शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ है और इस कारण राज्य का सबसे अधिक संगठित रूप है तथा सब संघों में सबसे अधिक शक्तिशाली है।

3. धन सम्पत्ति (Wealth and Property) – धन व सम्पत्ति शक्ति के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। अधिक धन व स्त्रोतों वाला व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो सकता है। धनी व्यक्ति ही शक्ति को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह ही चुनाव लड़ सकता है और पैसे के बल पर जीत सकता है। धनी व्यक्ति चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देता है जिससे उनका नेताओं तथा नौकरशाही पर प्रभाव पड़ता है तथा उनकी शक्ति में बढ़ौतरी होती है। जिस राष्ट्र के पास आर्थिक साधन बहुत होते हैं वे विश्व के अन्य देशों को आर्थिक यहायता देकर बहुत अधिक प्रभावित करता है। अमेरिका विश्व में आर्थिक साधनों के कारण अधिक प्रभावशाली बन गया है, क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में उससे आर्थिक स्त्रोत अधिक हैं। अरब राज्यों ने अपनी प्राकृतिक सम्पदा 'तेल' के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाई है।

4. सत्ता (Authority) – लोकतंत्र में सत्ता शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। एक व्यक्ति जब कोई राजनीतिक अथवा कानूनी पद को विधिवत प्राप्त कर लेता है तो वह सत्ताधारी अर्थात् उस पद की शक्ति का प्रयोग करने वाला कहलाता हैं सत्ता व्यक्ति को वैधतापूर्ण शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति चुनाव तीत कर संसद का सदस्य, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री अथवा प्रधानमंत्री बन जाता है तब वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

5. आकार (Size) – मैकाईवर के अनुसार, "शक्ति की कार्य–कुशलता उन अलग–अलग हालत द्वारा घटती–बढ़ती रही है, जिनके अधीर उसे काम करना है।" अर्थात् एक व्यक्ति की शक्ति का आधार संगठन का आकार होता है। यथाशक्ति माना जाता है कि संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, उस संगठन में कार्यरत व्यक्ति भी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन कई बार संगठन का आकार उस व्यक्ति की शक्ति को कम या नष्ट भी कर सकता है। उदाहणार्थ – मुगल सम्राट अकबर के राज्य का आकार औरंगजेब से छोटा होते हुए भी अधिक शक्तिशाली था। इसके विपरीत औरंगजेब के राज्य का आकार अकबर से बड़ा होने के बावजूद औरंगजेब अकबर की तुलना में काफी कम शक्तिशाली था। यही कारण था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया।

6. सैनिक शक्ति (Military Factor) – सैनिक शक्ति किसी राष्ट्र की शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। जिस राष्ट्र के पास अधिक सैन्य शक्ति है वह विश्व में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके विपरीत सैन्य दृष्टिकोण से दुर्बल देश की राष्ट्रीय शक्ति भी कम होती है। उदाहणार्थ – अमेरिका, रूस, चीन आदि राष्ट्रों की सैन्य शक्ति अधिक होने के कारण उन्हें शक्तिशाली माना जा सकता है।

7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति (Scientific and Technological Advancement) – आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक और तकनीकि प्रगति भी शक्ति का एक प्रमुख स्त्रोत है। तकनीकी विकास ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। कोई भी देश तकनीकी विकास के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को

शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं बना सकता। जो देश तकनीकी विकास में आगे होगा वह अधिक शक्तिशाली होगा। अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है।

8. करिश्माई नेतृत्व (Charismatic Leadership) – नेताओं की निःस्वार्थ देशभक्ति (Patriotism), जन कल्याण की भावना, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता आदि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। कुछ नेताओं का करिश्माई नेतृत्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभता है। स्आलिन, चर्चिल, लेनिन, रूजवेल्ट, माओ–तसे–तुंग, जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गाँधी आदि करिशमाई नेता अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे।

9. विश्वास (Faith) – शक्ति का एक स्त्रोत विश्वास है जिस व्यक्ति या नेता में लोगों को विश्वास होता है। उस नेता की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति तब तक शक्तिशाली रह सकता है जब तक लोगों का उसके प्रति विश्वास बना रहे। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति भी जनता का विश्वास खाने के बाद सत्ता में नहीं रह सकता। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी 1977 से पहले बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन 1977 में वे लोकसभा का चुनाव हार गई, क्योंकि वे जनता का विश्वास खो चुकी थीं। तीन वर्ष के बाद 1980 में इंदिरा गाँधी ने जनता का विश्वास पुनः प्राप्त किया और फिर से सत्ता में आ गईं।

10. जन संचार के साधन (Means of Communication) – जन संचार के साधन भी शक्ति का एक स्त्रोत हैं। जन संचार के साधनों का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। समाचार–पत्र, रेडियो, टेलिविजन आदि जनमत (Public Opinion) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल उम्मीद्वारों को चुनाव जितवाने के लिए जन संचार के साधनों का जोर–शोर से जनमत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जिन राजनीतिक दलों का यदि समाचार–पत्रों तथा अन्य साधनों पर अधिक नियंत्रण होता है तो वह दल अधिक शक्तिशाली होते हैं।

11. राजनीतिक योग्यता (Political Ability) – राजनीतिक योग्यता शक्ति का एक स्त्रोत है। राजनीतिक निपुणता के कारण अमुक राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्रपतियों या प्रधानमन्त्रियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के अपने साधनों के प्रयोग करने की अलग–अलग क्षमता होती है। जो व्यक्ति अपनी निपुणता का प्रयोग अधिक कुशलता से करेगा वह अवश्य ही दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा।

1.3.6 शक्ति के प्रकार/स्वरूप (Kinds of Power)

शक्ति के अनेक रूप होते हैं। अनेक विद्वानों ने शक्ति के वर्गीकरण का प्रयत्न किया है, लेकिन वे एकमत नहीं हैं। फिर भी इस विषय में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार हैंः–

1. राबर्ट डहल के अनुसार शक्ति के दो प्रकार होते हैं –

   i. औचित्यपूर्ण (Legitimate) – शासक वर्ग सदैव अपने व्यवहार का औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है, जब जनता शासर्क वर्ग के व्यवहार को औचित्यपूर्ण मान लेती है, तब उसे औचित्यपूर्ण शक्ति (Legitimate Power) कहा जाता है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण हो उसे सत्ता कहा जाता है। मैक्स वेबर (Max Weber) के अनुसार, "औचित्यपूर्ण शक्ति के तीन स्वरूप हैं। प्रथम किसी व्यक्ति को संविधान या उसके अधीन निर्मित कानूनों के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसके ऐसे अधिकारों को सामूहिक रूप में संवैधानिक शक्ति (Constitutional Power) कहा जाता है। दूसरे जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को परम्परा के आधार पर पवित्र माना जाये, शक्ति परम्परा, रीति–रिवाजों, प्रथाओं अथवा प्रचलनों के कारण ही वह शक्ति का प्रोग करें तो उसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परम्परागत रूप (Traditional Power) कहा जायेगा। जैसे इंग्लैण्ड का सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग रीति रिवाजों व परम्पराओं के आधार पर करता

है। तीसरे जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण होती है, तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। श्रीमति इन्दिरा गाँधी व महात्मा गाँधी की शक्ति को करिश्माई शक्ति माना जाता था।

ii. अनौचित्यपूर्ण शक्ति (Illegitimate Power) – जब कोई शक्तिवान गैर–कानूनी त था गैर–संवैधानिक ढंग से शक्ति का प्रयोग करता है तो वह अनौचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। इसका प्रयोग एडवर्ड शिल्ड (Edward Shills) के अनुसार बल, छल–कपट व प्रभुत्व के आधार पर होता है।

2. गोल्ड हेमर (Gold Hemer) व एडवर्ड शिल्ड (Edward Shills) के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवतित करने की क्षमता को 'शक्ति' माना जाता है। दूसरे के व्यवहार के परिवर्तन के अनुसार शक्ति के तीन प्रकार होते हैंः–

i. बल (Force) – शक्तिवान व्यक्ति जब दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार बल के प्रयोग द्वारा परिवर्तित करता है तो शक्ति का रूप बल प्रयोग (use of force) होता है।

ii. प्रभुत्व (Influence) – जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलायेगा। 'प्रभुत्व' (Influence), आदेश (Order) या आग्रह (Persuation) के रूप में हो सकता है।

iii. छल–कपट (Manipulation) – अपनी इच्छा को छिपाकर जब कोई शक्तिवान अप्रत्यक्ष ढंग से दूसरों को अपनी इच्छानुसार छल–कपट अथवा चातुर्य (manipulation) के द्वारा तैयार करने का प्रयत्न करता है तो शक्ति का रूप छल–कपट अथवा चातुर्य का होता है।

3. बायर्सटेड नामक विद्वान ने शक्ति के चार आधार बताये हैंः–

i. दृश्यता के आधार पर (On the basis of visibility) – जब शक्ति का रूप प्रकट दिखाई देता है तब बायर्सटेड उसे शक्ति का 'प्रकट रूप' कहता है। शक्ति का यह प्रकटीकरण सत्ता, बल आदि कहा जायेगा। दूसरी ओर जब शक्ति का रूप प्रकट दिखाई नहीं देता तो वह उसे 'छिपी हुई शक्ति' (Latent Power) कहता है।

ii. दमन के आधार पर (On the basis of Coercion or Repressive Power) – जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारपूर्ण ढंक से किया जाता है तो उसका रूप दमनात्मक (Coercive or repressive) होता है। दूसरी ओर जब शक्ति का औचित्य प्रयोग दूसरे को अपनी ओर करने के लिए करता है तो शक्ति का रूप अदमनात्मक अथवा गैर दमनकारी (Non-repressve of pursuasive power) कहलाता है।

iii. औपचारिकता के आधार (On the basis of formal use) – औपचारिकता के आधार पर शक्ति औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है। औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग संविधान, कानून, नियम, जन–सहमति के आधार पर प्रयोग की जाती है। दूसरी ओर अनौचित्यपूर्ण शक्ति गैर–कानूनी तथा गैर–संवैधानिक होती है।

iv. प्रयोग के आधार पर (On the basis of its use) – शक्ति के प्रयोग के आधार पर शक्ति दो प्रकार की हो सकती है – प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। जब शक्ति का प्रयोग शक्तिवान के द्वारा स्वयं किया जाता है तब उसे प्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है, जब शक्ति का प्रयोग शक्तिवान न करके किसी अन्य अथवा किसी अधीनस्थ से करवाये उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं।

4. शक्ति–प्रवाह अथवा दिशा की दृष्टि के आधार पर (On the basis of flow of power)

बायर्सटेड (Biersted) ने शक्ति प्रवाह अथवा दिशा की दृष्टि से शक्ति के तीन रूप बताए हैंः–

i. एक–पक्षीय शक्ति (Unilateral Power) – जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है तो उसकी शक्ति एक–पक्षीय होती है। सेना में अधिकारियों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंध एक–पक्षीय होता है।

ii. द्विपक्षीय शक्ति (Bi-lateral Power) – जब शक्ति का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो राष्ट्रों तथा दो समूहों के बीच होता है तथा दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा सौदेबाजी भी होती है तो उसे द्विपक्षीय शक्ति कहते हैं।

iii. बहु–पक्षीय शक्ति (Multi-lateral Power) – जब शक्ति का प्रयोक अनेक पक्षों के मध्य किया जाए, उसे बहु–पक्षीय शक्ति कहते हैं। बहुपक्षीय शक्तियों में सौदेबाजी (Bargaining) होती है तथा समझौते (Contract) भी होते हैं।

5. केन्द्रीयकरण के आधार पर (On the Basis of Centralisation)

शक्ति के अधिवास (Location) के अनुसार शक्ति के तीन रूप होते हैंः–

i. केन्द्रित शक्ति (Centralizaed Power) – जब समस्त शक्तियां केन्द्र के पास हों तब उसे केन्द्रित शक्ति कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था केन्द्रित शक्ति का उदाहरण है।

ii. विकेन्द्रित शक्ति (Decentralized Power) – जब शक्तियां केन्द्र तथा इकाइयों, संस्थाओं व निकायों में विभाजित हों तो विकेन्द्रीत शक्ति होती है। संघात्मक (Federation) व्यवस्था विकेन्द्रित शक्ति के कतिपय उदाहरण हैं।

iii. व्याप्त शक्ति (Diffused Power) – अस्पष्ट रूप से बिखरी हुई शक्ति को व्याप्त अथवा विस्तृत शक्ति कहा जाता है। जैसे – जन–शक्ति।

6. क्षेत्रीयता के आधार पर (On the basis of Regionalization)

इस आधार पर शक्ति के दो प्रकार हैंः–

i. राष्ट्रीय शक्ति (International Power) – प्रत्येक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है, उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर एक महान शक्ति (Super Power) है।

ii. अर्न्तराष्ट्रीय शक्ति (International Power) – विश्व से सम्बन्धित शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है।

7. मात्रा और प्रभाव के आधार पर (On the basis of Quantity and Influence)

इस आधार पर शक्ति के तीन रूप हैंः–

i. महान शक्तियाँ (Super Power) –आज संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर एक महान शक्ति है।

ii. मध्यम श्रेणी की शक्तियाँ (Middle Ranking Power) – राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर कुछ राष्ट्र मध्य श्रेणी की शक्तियों में आते हैं।

iii. निम्न श्रेणी की शक्तियाँ (Low Ranking Power) – राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर कुछ राष्ट्र निम्न श्रेणी की शक्तियों में आते हैं।

8. राजनीतिक शक्ति (Political Power) – शक्ति का एक अन्य वर्गीकरण राजनीतिक शक्ति के रूप में किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें आर्थिक तथा सैनिक शक्तियां भी शामिल हैं। एक ओर राजनीतिक शक्ति जहां आर्थिक व सैनिक शक्ति के रूप में निर्धारित करती है वहां आर्थिक व सैनिक शक्ति भी बहुत सीमा तक राजनीतिक शक्ति के रूप को निर्धारित करती है तथा अर्थव्यवस्था व सैनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करती है।

9. सैनिक शक्ति (Military Power) – राजनीतिक शक्ति (Political Power) की सुदृढ़ता के लिए सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता भी आवश्यक होती है। ये भी आवश्यक है कि राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति को अपने नियंत्रण में रखे। कई देशों में यदि उनकी राजनीतिक शक्ति में कमी आती है तब सैनिक शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर होकर सैनिक शासन की स्थापना कर लेती है। अनेकों छोटे राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ आजकल चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटकर सेना ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। म्यमांर इसका ताजा उदाहरण है।

10. आर्थिक शक्ति (Economic Power) – किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शकित उसकी आर्थिक शकित पर निर्भर है। किसी देश की आर्थिक स्थिति छिन्न–भिन्न हो जाने से उस देश की राजनीतिक शक्ति भी प्रायः डांवाडोल होने लगती है, सलिए देश की आर्थिक शक्ति को व्यवस्थित रखना आवश्क होता है। ऐसा राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसे सदैव दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जिससे आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र होने के कारण अन्य राज्यों की आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों को लगातार प्रभावित करता है।

11. राष्ट्रीय शक्ति (National Power) – मारगैन्थो (Morgenthau) के अनुसार, "प्रत्येक राज अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं।" एक अन्य विक्षन महेन्द्र कुमार (Mahendra Kumar) के अनुसार, "राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपनी इच्छा के अनुसार संयत करता है।" (National Power can also be defined as the capacity to control the behaviour of other states in accordance with one's will.) राष्ट्रीय शक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि अनेक तत्व हैं।

12. मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power) – मनोवैज्ञानिक शक्ति से तात्पर्य है कि राज्य में शासक तथा शासितों में एक दूसरे के प्रति मनोवैज्ञानिक विश्वास होना चाहिए। देश की जनता को शासक वर्ग में विश्वास तथा शासक वर्ग को जनता के प्रति उत्तरदायित्व दोनों को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्र में मनोवैज्ञानिक एकता होगी तो राष्ट्र संगठित होगा इसका आर्थिक विकास होगा तथा इसकी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि होगी।

1.3.7 राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ (Meaning of National Power)

प्रसिद्ध विद्वान महेन्द्र कुमार के अनुसार, "राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपनी इच्छा के अनुसार संयत करता है।" (National Power can also be difined as the capacity to control the behaviour of other States in accordance with one's will.)। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान मारगैन्थो (Morgenthau) के अनुसार, "प्रत्येक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है, उसे 'राष्ट्रीय शक्ति' कहते हैं।" राष्ट्रीय शक्ति एक सामूहिक शक्ति है जिसके मुख्यतः तीन रूप होते हैंः–

i. सैनिक शक्ति (Military Power)

ii. आर्थिक शक्ति (Economic Power)

iii. मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power)

सैनिक शक्ति का सम्बन्ध राज्य की उस क्षमता से है, जिसके द्वारा वह देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है तथा देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखता है। आर्थिक शक्ति का सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक साधनों, ओद्यौगिक तथा तकनीकी विकास तथा राष्ट्र के मानव धन से होता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति से अभिप्राय है – राष्ट्र के नेताओं की नीतियों निर्णयों तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के द्वारा राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य की प्राप्ति। यदि लोगों को अपने शासकों पर विश्वास नहीं है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय होगा कि उस राज्य में मनोवैज्ञानिक एकता का अभाव है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए इन तीनों प्रकार की शक्तियों का होना अनिवार्य है और ये शक्तियां एक–दूसरे पर निर्भर हैं। यह आवश्यक है किन्तु राष्ट्र की आर्थिक व सैनिक शक्ति मजबूत रहे। शासक और शासित में परस्पर विश्वास बना रहे अर्थात् मनोवैज्ञानिक शक्ति का भावार्थ ये है कि तीनों में परस्पर घनिष्ठता है और इनमें संतुलन बना रहना चाहिए।

1.3.8 राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व (Determinations of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति से अभिप्राय किसी राष्ट्र की सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति आदि के सामूहिक रूप से है। विश्व के सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता है। जिन राष्ट्रों में राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति अधिक विकसित है दूसरी ओर जिन देशों में निर्धारक तत्वों की कमी है वहां राष्ट्रीय शक्ति का विकास बहुत कम हुआ है। अतः राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं:–

1. भौगोलिक स्थिति (Geographical Position) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में देश की भौगोलिक स्थिति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य देश के भौतिक वातावरण, नदियों, पर्वतों, झीलों, झरनों, मिट्टी, धातुओं और वन आदि जैसे प्राकृतिक साधनों से है। इसके अतिरिक्त जलवायु और वर्षा, भूमध्य रेखा से देश की दूरी, समुद्री तट से ऊंचाई, सागर या महासागर से उसके फासले आदि से भी भौगोलिक स्थिति सम्बद्ध है। इन देशों की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, सम्पूर्ण सामाजिक ढांचों और नागरिकों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जर्मनी, यूरोप के कई देशों के मध्य घिरा होने के कारण (अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण), सैनिक शक्ति का विकास आवश्यक समझता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत भारत का रक्षक प्राचीन समय से माना जाता है। हिमालय पर्वत भारत की भूमि पर आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ी बाधा और चुनौती है। भारतीय भौगोलिक स्थिति भी चीन की सैनिक कार्यवाहियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हुई है।

भौगोलिक स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को भी शक्तिशाली बनाने में सहायक होती है। बडे–बड़े वन, नदियां, घाटियां आदि अनेक प्राकृतिक साधन देश के लिए धन के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। जैसे अरब देशों के धनी होने के कारण इन देशों की भूमि में 'तेल' का अथाव भंडार है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व में सर्वाधिक धनसम्पन्न होने का कारण उसकी भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक साधनों का अथाव भंडार है।

2. जनसंख्या का आधार (Demographic Base) – देश की जनसंख्या अर्थात् मानवीय शक्ति का राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए जनसंख्या का प्रयाप्त होना आवश्यक है। लेकिन जनसंख्या न तो अत्यधिक और न ही बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या देश की भूमि और उत्पादन के साधनों के अनुसार होनी चाहिए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए जनसंख्या शिक्षित एवं जागरूक हो।

3. तकनीकी उन्नति (Technological Progress) – आधुनिक युग में राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास अनिवार्य है। कोई भी देश तकनीकी विकास के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली और प्रभाशाली नहीं बना सकता। तकनीकी विकास ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं।

आज का मनुष्य विविध भौतिक सुख–सुविधाओं व साधनों का उपभोग तकनीकी विकास के कारण ही कर पा रहा है। लेकिन ये कहना भी आवश्यक है कि तकनीकी विकास का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए ना कि मानवता का विनाश।

4. आर्थिक पद्धति (Economic System) – समुचित आर्थिक प्रणाली से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन सकती है। आर्थिक प्रणाली का रूप पूंजीवाद, समाजवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो सकता है। आर्थिक प्रणाली का चुनाव देश की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र के नेताओं का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक प्रणाली का चुनाव करें। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में उचित आर्थिक प्रणली महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

5. शासन प्रणाली (Form of Government) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में अच्छी शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। शासन प्रणाली के अनेक रूप हैं। देश के नेताओं को चाहिए कि वे देश की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रणाली का चुनाव करें। शासनप्रणाली के रूपों में किसी देश में एकात्मक (Unitary) शासन प्रणाली लाभदायक हो सकती है। जबकि कुछ देशों में संघात्मक (Federal) स्वरूप अधिक लाभप्रद हो सकता है, इसी प्रकार संसदीय प्रजातंत्र (Parliamentary Democracy) कुछ देशों के लिए तथा अन्य देशों में अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र (Presidential Decomaracy) अधिक लाभदायक हो सकती है। अर्थात् विभिन्न देशों के नेतागणों को अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार शासन प्रणाली का चुनाव करना चाहिए, जो राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में सक्षम हो।

6. राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership) – राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्वें में एक महत्पूर्ण तथ्व राजनीतिक नेतृत्व है। राजनीतिक नेतृत्व में जन कल्याण की भावना, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, जागरूकता, निःस्वार्थ देशभक्ति आदि राष्ट्रीय शक्ति का विकास करती है। जैसे लेनिन, स्आलिन, चर्चिल, लिंकन, माओ, जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी जैसे नेताओं से राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ौतरी होती है। जबकि राजनीतिक नेतृत्व की दुर्बलता राष्ट्र को पीछे धकेल देती है।

7. विदेश नीति (Foreign Policy) – राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने के लिए उचित विदेश–नीति को ग्रहण करना आवश्यक है। एक अच्छी विदेश नीति का चुनाव राष्ट्र शक्ति के निर्माण में अत्यधिक सहायक हो सकता है। विश्वशक्ति के सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसी स्थिति में विदेश नीति के संचालक सिद्धान्त निश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। कोई विकसित राष्ट्र यदि 'गुट बंदी' की नीति अपनाएंगें तो उन्हें अपनी नीतियों का निर्माण गुटबंदी के आधार पर करना होगा। इसलिए उन्नतशील देशों को गुटबंदी की नीति से मुक्त रहना चाहिए एवं अपनी राष्ट्रशक्ति के निर्माणकारी कार्यों में अन्य देशों को हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं देनी चाहिए।

8. संचार के साधन (Means of Communication) – संचार के साधनों का राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान हैं संचार के साधन, जैसे – टेलिफोन, डाक–तार, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि दूरवर्ती संदेशों को पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार रेलों, सड़कों, जलयान, वायुयान एवं अन्य आवागमन के साधन लोगों को आने–जाने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। दूसरे ओद्यौगिक विकास, व्यवसायिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

9. राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल (National Character and National Morale) – राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल राष्ट्रशक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रीय चरित्र से अभिप्राय है कि लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों तथा राष्ट्रीय हितों को अपने हितों की अपेक्षा प्राथमिकता दें। राष्ट्रीय मनोबल से अभिप्राय लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एक दृढ़ लगन तथा अटूट आत्मविश्वास है। राष्ट्रीय मनोबल ही संकट के समय

सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह राष्ट्रीय मनोबल ही रण भूमि में लड़ रहे सेनिकों को साहस और उत्साह प्रदान कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सुदृढ़ राष्ट्रीय मनोबल ही किसी राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर और सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

10. सैनिक तत्व (Military Factor) – राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिक शक्ति के द्वारा जहां राष्ट्र विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करते हैं वहां राष्ट्रों का प्रभाव भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति में वृद्धि करता रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सेना पर बहुत अधिक खर्च करता है। नये–नये अस्त्र–शस्त्र निर्मित किये जाते हैं। अत्यधिक सैनिक शक्ति की वृद्धि के कारण कभी–कभी युद्ध भी छिड़ जाते हैं। आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक शक्ति से अधिक प्रभुत्वशाली होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है।

1.3.9 निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में अनेक तत्व, जैसे – भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, तकनीकी उन्नति, उचित आर्थिक शासन प्रणाली, उचित विदेश नीति, भरपूर आवागमन और संचार साधन, लोगों का राष्ट्रीय हितों को प्राथमकता देना, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल का होना तथा सैनिक शक्ति आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त और भी अनेक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो राष्ट्रीय शक्ति के विकास में सहायक हैं। इसमें संदेह नहीं की सम्भवतः ईमानदार, बुद्धिमान, राष्ट्रीय चरित्र वाले दूरदर्शी नेतृत्व का अस्तित्व सभी तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे नेतागण ही राष्ट्र का बहुमुखी विकास कर सकते हैं।

1.3.10 मुख्य शब्दावली

1. यथार्थवाद
2. करिश्माई
3. संगठन
4. औचित्यपूर्ण
5. केन्द्रित
6. राष्ट्रीय
7. प्रभुसत्ता

1.3.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति के विभिन्न स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए।
   (What do you understand by the term 'Power'? Discuss the various sources of Power.)
2. शक्ति से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो।
   (What do you understand by the term 'Power'? Discuss the various kinds of Power.)
3. राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा बताएं। इसके निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें।
   (Define 'National Power'. Also explain its determinations.)
4. राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें।
   (Discuss the major determinations of National Power.)

4. राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित तत्वों की व्याख्या करें – जनसंख्या, तकनीकी उन्नति।
(Explain the following elements of National Power – Population, Technological Progress.)

5. राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित तत्वों की व्याख्या करें – भौगोलिक स्थिति तथा राष्ट्रीय मनोबल।
(Explain the following elements of National Power – Geograhical Position and National Morale.)

1.3.12 संदर्भ सूची

- N.P.Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

1.4 सत्ता की अवधारणा (Concept of Authority)

1.4.1 परिचय

सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की 'आत्मा' कहा जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अव्हेलना नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किये रह सकता है। लोकतन्त्र (Democracy) में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात् जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है।

सत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं जो लेटिन भाषा के शब्द 'आक्टोराइटस' (Auctoritas) से निकला है इसका शाब्दिक अर्थ है 'स्वीकृति' या 'सहमति' ('Assent' or 'Consent') प्राचीन रोम में इस शब्द को प्रयोग तब किया जाता था जब किसी कानून को उस समय की सीनेट स्वीकार कर लेती थी। उस समय रोम में यह कहा जाता था कि 'कानून अथवा निर्णय को सत्ता या स्वीकृति प्राप्त हो गई थी।" (The law had acquired authoritas) साधारणतया शक्ति और सत्ता दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है परन्तु राजनीति शास्त्र में दोनों शब्दों से अलग–अलग तात्पर्य है।

1.4.2 उद्देश्य

1. प्राचीनकाल से ही राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा के महत्व को जानना।
2. सत्ता का पालन करने के पीछे विश्वास, एकरूपता, लोकहित एवं दबाव जैसे आधारें को समझना।
3. सत्ता, शासक व शासितों में मध्य विद्यमान सहमति को समझना।
4. सत्ता के कार्यों का अवलोकन करना।
5. सत्ता व शक्ति के अंतर को समझना।

1.4.3 सत्ता की परिभाषा (Definition of Authority)

स्माज विज्ञानों के अर्न्तराष्ट्रीय ज्ञान–कोष (Encyclopaedia of Social Sciences) के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएँ की गई हैं, किन्तु अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति प्रभाव (Power Influence) तथा नेतृत्व (Leadership) से जुड़ी हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सत्ता संबंधी परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. यूनेस्को (UNESCO) की एक रिपोर्ट के अनुसार "सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हों।"
2. सामाजिक विज्ञानों के विश्व–कोष के अनुसार "सत्ता शक्ति की अभिव्यक्ति है तथा इस बात का संकेत है कि इसके अधीन व्यक्ति इसका पालन करते हैं।" (According to Encyclopaedia of Social Sciences "Authority is a manifestation of power and obedience on the part of those subject to it.")
3. राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) के अनुसार "वैधता पूर्ण शक्ति को प्रायः सत्ता कहा जाता है।" (Legitimate power is often called authority.)
4. जोवेनल (Jouvenal) के अनुसार, "सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है।" (Authority I mean the facility of gaining another man's assent.)

5. मैकाइवर (Maciver) के अनुसार "सत्ता की परिभाषा प्रायः शक्ति के रूप में की जाती है। यह दूसरे से आज्ञाएँ पालन करवाने की शक्ति है।" (Authority is often defined as being pwer, the power to command obediendce.)

6. हन्ना एरन्डट (Hannah Arerndt) के अनुसार, "सत्ता का अभिप्राय वह शक्ति है जो इच्छा पर आधारित है। इसका मुख्य चिन्ह उन लोगों द्वारा उनकी मान्यता है जिनको इनका पालन करेन के लिए न तो दबाव तथा न ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है।" (Authority means power that is based on consent, its hallmark is unquestining recognition by those who are asked to obey, neither coercion nor persuasion is needed.)

7. ऐरिक रो (Eric Rowe) के अनुसार, "सत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसे जनता का समर्थन अथ्वा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा जिसके प्रयोग द्वारा सरकार तथा सरकारी कर्मचारी जनता का नेतृत्व करते हैं।" (Authority is the power wich enjoys the support or recognition of people and by he use of which Government or the public servants can lead the people.)

8. सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) के अनुसार, "सत्ता उस क्षमता को कहा जाता है जिससे तर्क पूर्ण विधि से यह तय किया जाता है कि इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर कौन–सा कार्य उचित है।" (Authority is the capacity to justify the process of reasoning what is deserved from the point of view of mere will, desire of perference.)

9. ओसलन (Oslon) के शब्दों में, "सत्ता की परिभाषा औचित्यपूर्ण शक्ति के रूप में की जाती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति को मूल्यों के अनुसार और उन अवस्थाओं में किया जाता है जिनको वह ठीक समझता है।" (Authority is defined as legitimate power that is used in accordance with the subjects, values and under conditions, he views as proper.)

10. एच.ए. साइमन (H.A. Simon) के अनुसार, "सत्ता निर्णय लेने वाली वह शक्ति है जो दूसरों के कार्यों को निर्देशित करती हैं यह उन दो व्यक्तियों का आपसी सम्बन्ध है जिनमें एक विशिष्ट और दूसरा उसके अधीन होता है।" (Authority may be defined as the power to make decisions which guides the actions of another. It is relationship between two individuals one superior and the other subordiante.)

संक्षेप में जब राज्य की शक्ति को वहाँ की जनता का औचित्यपूर्ण (Legitimate) समर्थन प्राप्त हो जाता है तो उसे सत्ता कह जाता है। बिना सम समर्थन के उसक रूप शक्ति का ही रहेगा। दूसरे शब्दों में सत्ता का तात्पर्य ऐसे योग्यता से है जिसका आधार विवेकयुक्त तथा दूसरों की स्वीकृति अथवा सहमति (Assent or Consent) है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन के बल से अथवा हिंसक शक्ति द्वारा अपने आदेशों का पालन करवाता है तो उसकी इस क्षमता अथव योग्यता को सत्ता नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सत्ता का आधार सदैव विवेकयुक्त तथा वैधता है तथा इसे सम्बद्ध लोगों की सहमति अथवा स्वीकृति अवश्य प्राप्त होती है। यदि सत्ता का प्रयोग तर्कपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण नहीं होगा तो सम्बद्ध लोगों की सहमति तथा स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। अतः सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति केप्रयोग को कहा जाता है, जो शक्ति के समान शक्तियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है।

1.4.4 सत्ता की विशेषताएँ (Characterstics of Authority)

राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) ने वैध अथवा औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहा है। इस प्रकार सत्ता एक योग्यता है जो तर्क तथा अन्य लोगों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। सत्ता दो व्यक्तियों (Persons or individuals) के मध्य एक सम्बन्ध है जिसमें एक व्यक्ति श्रेष्ठ (Superior) और दूसरा अधीन (Subordinate) है। श्रेष्ठ व्यक्ति के

उचित आदेश्ज्ञ का पालन अधीन व्यक्ति द्वारा स्वीकृति व सहमति से किया जाता है। सत्ता की विशेषताएं निम्नलिखित हैंः–

1. वैध शक्ति सत्ता है (Legitimate power is Authority) – राबर्ट ए. डहल ने अपनी पुस्तक 'Modern Political Analysis' में लिखा है कि, "वैध शक्ति या प्रभाव साधारणतया सत्ता कही जाती है।" (Legitimate power is often called authority.)। इसका तात्पर्य यह है कि जब शक्ति का अधार वैधता होता है तब वह सत्ता हो जाती है। सत्ता की वैधता दो उपायों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रथम यह सत्ता संविधान या वैधानिक (Consititutional or Legal) हो सकती है। दूसरे यदि शक्ति का प्रयोग तर्कपूर्ण अथवा विवेकयुक्त होता है तो वह सत्ता बन जाती है।

2. सत्ता तर्क पर आधारित है (Authority is based on reason or Logic) – सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) ने अपनी पुस्तक 'An Introduction to Political Theory' में लिखा है कि, "सत्ता तर्क का विरोध नहीं बल्कि यह तर्क का साकार रूप है।" (... Authority is not opposed to reason, but is actually the embodiment of reason.)। सत्ता तर्कपूर्ण या विवेकयुक्त है। इससे तात्पवर्य यह है कि सत्ताधारी व्यक्ति का आदेश सुझाव या विचार अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से तर्कसंगत है और अन्य व्यक्ति उस तर्क से सहमत हैं तथा इस आधार पर वे सत्ता को मान्यता देते हैं।

3. सत्ता शक्ति नहीं है (Authority is not power) – सी.जे. फ्रेडरिक ने अपनी पुस्तक 'An Introduction to Political Theory' में लिखा है, "सत्ता शक्ति का भेद नहीं है बल्कि यह सत्तव शक्ति के साथ रहता है। यह मनुष्यों और वस्तुओ का ऐसा गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करता है, जो शक्ति निर्मित करता है, परन्तु स्वयं शक्ति नहीं है।" (Authority is not a kind of poer, but something that accompanies power. It is a quality in men and things which enhances the power, something which creates power, but is not itself power.)

4. स्वीकृत तथा सम्मानित यूनेस्को (U.N.E.S.C.O.) की एक रिपोर्ट के अनुसार, "सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत तथा सममनित होती है। इसका अर्थ यह है कि सत्ताधारी को अन्य व्यक्ति केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि सत्ता का सम्मान भी करते हैं। सत्ताधारी के आदेश, सुझाव अथवा विचार केवल उसके डर के कारण ही नहीं माने जाते बल्कि सत्ताधारी के सम्मान के कारण भी माने जाते हैं।

5. संगठन (Organisation) –सत्ता सदैव संगठनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसी शक्ति है जो कि सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता की अपेक्षा पद पर आधारित होती है। श्रेष्ठ पद पर होने के कारण वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को आदेश्ज्ञ देता है। अन्य शब्दों में उसके आदेश इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वह उच्च पद पर आसीन है।

6. दमन शक्ति का कम प्रयोग (Minimum use of Coercion) –सत्ताधारी के आदेशों का पालन केवल दमन के डर के कारण नहीं किया जाता बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि आदेश ठीक और उचित होते हैं तथा अधीनस्थ खुशी से सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं।

7. सत्ता औपचारिक तथा निश्चित होती है (Authorityis formal and difinite)–सत्ता औपचारिक, निश्चित तथा विशिष्ठ होती है। इसके प्रयोग के नियम व सिद्धान्त होते हैं। परन्तु कुछ एक विद्वान सत्ता को औपचारिक नहीं मानते। इन विद्वानों में सी.जे. फ्रेड्रिक का नाम उल्लेखनीय है। फ्रेड्रिक के अनुसार, "सत्ता शक्ति का रूप नहीं है। परनु यह एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के साथ ही रहता है। सत्ता व्यक्तियों तथा वस्तुओं में ऐसा गुण है जो शक्ति उत्पन्न करता है परनतु यह स्वयं शक्ति नहीं है।" (Authority is ot a kind of power, but something that accompanes power. It is a quality in men and things which enhances their power, something

which creates power but is not itself power.)। उदाहरणार्थ – एक व्यक्ति विदेश नीति का विशेषज्ञ हो वह विदेशमन्त्री न होते हुए भी विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित कर सकता है।

8. सत्ता तर्क (विवेक) का साकार रूप (Authority is an embodiment of reason) – सी.जे. फ्रेड्रिक के शब्दों में, "जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, मेरे विचार से उसके पास तर्कपूर्ण व्यवख्या करने की योग्यता भी होती है।" (The man who has authority possesses something that I would describe as the capacity for reasoned elaboration, for giving convincing reasons for what he does or propoese to have others to do.)। फ्रेड्रिरिक का विचार सत्य है कि सत्ता का अधार ठोस तर्क होता है।

9. पद–सोपान या श्रेणीबद्धता (Hierarchy) –सत्ता की स्थापना विभिन्न अधिकारियों के अपासी सम्बन्धों से होती है, जिन्हें पद–सोपान के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रशासन में अधिकारियों की अनेक श्रेणियां होती हैं। उच्च अधिकारी के पास अधिक सत्ता होती है ओर उसके आदेशों का पालन अन्य अधिकारियों को करना पड़ता है। पद–सोपान अथवा श्रेणीबद्धता (Hierarchy) सत्ता में निर्देश, नीरीक्षण और नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जबकि उत्तरदायित्व (Responsibility) नीचे से ऊपर की ओर चलता है।

10. उत्तरदायित्व (Responsibility) –सत्ता का रूप चाहे कोई भी हो, सत्ता सदैव उत्तरदायी होती है। जैसे लोकतांत्रिक (Democratic) व्यवस्था में सत्ताधारी दल (Ruling Party) अपने सभी कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है तथा विधानमण्डल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

11. सत्ता भौतिक नहीं (Authority is not Material) – शक्ति की भांति सत्ता का स्वरूप भी भौतिक नहीं होता, इसलिए इसे ना तो देखा जा सकता है ओर ना ही इसे दिखाया जा सकता है। सत्ता को अनुभव कर सकते हैं देख नहीं सकते। जैसे – कॉलेज के प्रिंसिपल की सत्ता को विद्यार्थी अनुभव करते हैं देख नहीं सकते।

संक्षेप में सत्ता किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके आधार पर वह अपने कार्यों की अन्य व्यक्तियों से स्वीकृति तथा सहमति प्राप्त करता है। सत्ता का सार विवेकशील तर्क संगतता तथा वैधता है। हम राबर्ट डहल (Robert Dahl) के शब्दों से सहमत हैं जब वे कहते हैं कि "वैध शक्ति को प्रायः सत्ता का नाम दिया जाता है।" (Legitimate Power is often called authority.)

1.4.5 सत्ता के प्रकार अथवा रूप (Kinds of Authority)

सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात (Sacrates), प्लेटो (Plato) और आगस्टाईन (Augustine) आदि के समय से होती रही है, किन्तु इसकी विस्तृत विवेचना बीसवीं सदी के राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर (Max Weber) ने औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के तीन प्रकारों (Kinds) का वर्णन किया हैः–

1. परम्परागत सत्ता (Traditional Authority):– परम्परागत सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जो प्रचलित परम्पराओं या रीति–रिवाजों (Conventions) पर आधारित होती है। लोग किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारी के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा पहले से होता रहा है। इस प्रकार की सत्ता परम्परागत सत्ता कही जाती है। परम्परागत सत्ता प्राचीन समय में कबीलों (Tribes) अथवा जातियों के मुखिया लोगों के पास होती थी। उदाहणार्थ – प्राचीन और मध्यकाल (Middle Ages) में जब राजतन्त्र (Monarchy) का युग था तो पैतृक सिद्धान्त (Patriarchal Theory) के आधार पर राजा गद्दी पर बैठता था तथा जनता उसकी सत्ता को परम्परागत आधार पर स्वीकार करती थी। सामाजिक क्षेत्र में भी भारत में ब्राह्मण जाति को काफी समय पहले तक परम्परा के आधार पर विशिष्ठ स्थान प्राप्त था उनकी आज्ञा का पालन भी लोग परम्परा के आधार पर करते थे। वर्तमान समय में प्रजातन्त्र के कारण परम्परागत सत्ता काफी कम होती जा रही है।

2. वैधानिक तथा संवैधानिक सत्ता (Legal and Constitutinal Authority):– मैक्स वेबर के अनुसार से सत्ता संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत पद धारक को प्राप्त होती है। राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों (Officials) को संविधान या कानून के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है और वे उसी के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति अपनी सत्ता का उल्लंघन करता है तो उसका वैधानिक आधार नहीं रहता। उदाहणार्थ – भारत के राष्ट्रपति (President) को जो शक्तियां भारतीय संविधान (Indian Constitution) द्वारा दी गई उसका आधार संवैधानिक (Constitutional) अथवा वैधानिक सत्ता कहा जा सकता है, इसी प्रकार विभिन्न अधिकारियों द्वारा शासन चलाने के लिए जो शक्तियां प्रयुक्त की जाती है उनका आधार भी संविधान अथवा कानून होता है।

3. करिश्मात्मक सत्ता (Charismatic Authority):– मैक्स वेबर ने सत्ता का तीसरा रूप करिश्मात्मक सत्ता कहा जै। मैक्स वेबर का विचार है, "करिश्मात्मक सत्ता किसी विशिष्ठ व्यक्ति के आदर्श, चरित्र, वीरता एवं अलौकि पवित्रता के प्रति लगन पर आधारित है।" (Charismatic authority rests on devotion, on the specific and exceptional sancity, heroism or exemplary character.)। दूसरे शब्दों में जब एक सत्ताधारी की शक्ति को लोग उसके साधारण गुणों, चरित्र, वीरता (Heroism) अथवा व्यक्तित्व (personality) के कारण उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसे उस सत्ताधारी की चमत्कारी अथवा करिश्मात्मक सत्ता कहा जाता है। जैसे भारत मे जवाहर लाल नेहरू आदि की सत्ता का आधार उनका करिश्मात्मक व्यक्तित्व था।

ऊपरलिखित के अतिरिक्त सत्ता के कुछ अन्य रूपों को भी मान्यता दी जाती है:–

4. धार्मिक सत्ता (Religious Authority):– धार्मिक सत्ता से तात्पर्य उस सत्ता से है जिसका आधार धार्मिक विश्वास होता है। धार्मिक सत्ता का कोई एक विशेष रूप नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। जैसे ईसाई धर्म (Christianity) को मानने वालों के लिए पोप (Pope) की सत्ता, अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर (Golden Temple) के अकाल तख्त (Akal Takth) के प्रमुख ग्रन्थी (Head Priest) की सत्ता तथा जामा मस्जिद (Jama Masjid) के शाही इमाम की सत्ता आदि धार्मिक सत्ता के रूप हैं।

5. राजनीतिक सत्ता (Political Authority):– राजनीतिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं, जो राजनीतिक नेताओं के पास होती है तथा जो किसी सरकारी पद पर आसीन न होते हुए भी सरकार की नीतियों, निर्णयों, शासन संचालन तथा कार्यों को प्रभावित करते हैं। भारत में जय प्रकाश नारायण तथा महात्मा गांधी की सत्ता इसी प्रकार की सत्ता के उदाहरण हैं।

6. औचित्यपूर्ण सत्ता (Legitimate Authority):– औचित्यपूर्ण सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो कानून के अनुसार उचित हो और जिस सब व्यक्ति अपनी सन्तरात्मा के आधार पर स्वीकार करते हैं। जैसे लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सत्ता औचित्यपूर्ण होती है।

7. अवैध अथवा अनौचित्यपूर्ण सत्ता (Illegitimate Authority):– अवैध अथव अनौचित्यपूर्ण सत्ता कानून, संविधान, परम्परा अथवा रीति–निवाजों पर आधारित न होकर अनुचित साधनों जैसे बल, छल–कपट द्वारा प्रापत की जाती है, तो उसे अवैध अथव अनौचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति या समूह वैध सत्ताधारी से क्रान्ति अथवा सैन्य बल द्वारा सत्ता छीन ले तो उसे अवैध सत्ता कहेंगे। यह सत्ता स्थायी नहीं होती तथा लोग कभी भी इसके विरूद्ध हो सकते हैं। जैसे आजकल म्यंमार में सैनिक तानाशाही की सत्ता है।

8. विशिष्टजनों की सत्ता (Authority of the Elite):– ऐसीसत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो बुद्धि, धन, अथ्वा शक्ति के कारण समाज के विशिष्ट वर्ग अथवा अभिजन वर्ग हैं।

9. शक्ति पर आधारित सत्ता (Authority based on force):– इस प्रकार की सत्ता का आधार 'शक्ति या बल' है। यह सिद्धान्त 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is right) पर आधारित है। 'शक्ति सिद्धान्त के अनुसार राज्य

की उत्पत्ति के सिद्धान्तों के अन्तर्गत, शक्तिशाली कमजोरों को अपने अधीन करके स्वयं शासक बन गया तथा उसकी सत्ता का आधार 'शक्ति' था। परन्तु आधुनिक प्रजातन्त्र में यह सिद्धान्त महत्वहीन है। हम टी.एच. ग्रीन (T.H. Green) के कथन से सहमत हैं, जब वह कहता है कि, "राज्य का आधार इच्छ है शक्ति नहीं।" (Will not the force, is the basis, of State.)

निष्कर्ष (Conclusion)

संक्षेप (In brief) में सत्ता के मुख्य दो रूप हैं – (क) वैध सत्ता (Legitimate Authority) तथा (ख) अवैध सत्ता (Illegitimate Authority)। इनके अतिरिक्त मैक्स वेबर ने सत्ता की तीन रूप बताए हैं – (क) परम्परागत सत्ता, (ख) वैधानिक सत्ता एवं संवैधानिक सत्ता तथा (ग) करिश्मात्मक सत्ता (Charismatic Authority) आदि। इनके अतिक्ति सत्ता के अन्य रूप हैं – धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, बल या शक्ति पर आधारित सत्ताा तथा अभिजन अथ्वा विशिष्ट वर्ग की सत्ता। आदि आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में वैधानिक तथा राजनीतिक सत्ता का महत्व अधिक है। आधुनिक व्यक्ति किसी अधिकारी अथ्वा सत्ताधारी के आदेशों का पालन तर्क के आधार पर परख कर करता है। इसलिए वैधानिक सत्ताा अधिक महत्वपूर्ण है। हम टी.एच. ग्रीन के कथन से सहमत हैं जब वह कहता है कि, "राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं।" (Will not the force is the basis of State.)

1.4.6 सत्ता के कार्य (Functions of Autority)

सत्ता क कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता हैः–

1. संगठन में तालमेल अथवा समन्वय की स्थापना (Co-ordination in the Organisation):–सत्ता का एक मुख्य कार्य संगठन में तालमेल अथवा समन्वय की स्थापना करना है। किसी भी संगठन, विशेष रूप से राज्य में सत्ताधारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि अपने अधीन अधिकारियों को आवश्यक आदेश दे तथा संगठन की कार्यविधियों की जानकारी प्राप्त करता रहे। इसके साथ–साथ प्रत्येक संगठन में जो भी योजना बनाई व लागू की जाती है, उसे प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचाना सत्ताधारी का कर्तव्य है। जब सम्बन्धित व्यक्तियों से योजना स्वीकृत होती है तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उससे जुड़ा हुआ पाता है।

2. नियन्त्रण (Control):–सत्ता को अपनी नीतियों तथा कार्यों के कार्यान्वित करवाने के लिए अपने अधीन कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। नियन्त्रण के अन्तर्गत सत्ताधारी को यह देखना होगा कि उसके अधीन कर्मचारी अपने कर्तव्य उचित ढंग से निभा रहे हैं अथवा नहीं। नियन्त्रण असीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी एक सीमा होनी चाहिए।

3. उत्तरदायित्व (Responsibility):–सत्ता का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत कार्यों तथा समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के मध्य एकरूपता स्थापित करती है। ऐसा करने के लिए उसे स्वीकृति (Sanctions) प्राप्त होती है। इस स्वीकृति के कई रूप हो सकते हैं – राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, सामाजिक अथवा नैतिक। स्वीकृतियों के आधार पर सदस्य सत्ता की आज्ञाओं का पालन करते हैं।

4. अनुशासन (Discipline):–सत्ताधारी के लिए अनुशासन आवश्यक है। सत्ताधारी के अधीन व्यक्तियों का अनुशासित होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि जब तक कर्मचारी अनुशासित नहीं होंगे, तब तक सत्ता के नियमों एवं आदेशों का पालन तथा कर्तव्यों के प्रति निष्ठा व अनुशासन नहीं होगा, संगठन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं जिन्हें 'आचार संहिता' (Code of Conduct) कहा जाता है। इससे कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। लेकिन इस संहिता का वास्तविक उद्देश्य सुधारवादी होता है।

5. निर्णय (Decision):–सत्ता की सफलता तथा असफलता सत्ताधारी के निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। सत्ता की सफलता का आधार 'सही समय पर सही निर्णय' (Strike while the iron is hot) सत्ता के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण भी निर्णयों पर आधारित होता है। सत्ताधारी व्यक्ति को समय–समय पर विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या के समाधान करने के लिए उचित साधन अपनाना उचित निर्णय पर ही निर्भर करता है। लोकतान्त्रितक युग में तो सत्ताधारी द्वारा उचित और समय अनुकूल निर्णय लेने आवश्यक हैं अन्यथा सत्ताधारी अपनी सत्ता भी खो सकता है।

6. विकास (Development):–सत्ताधारी का मुख्य लक्ष्य विकास होता है। आजकल एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) होने के नाते सत्ता द्वारा कल्याण व विकास को ध्यान में रखकर ही कार्य किए जाते हैं। विकास ही वह धुरी है सत्ता जिसके चारों ओर चक्कर लगाती है।

7. विशेषज्ञों की बुद्धि का प्रयोग (Use of the Advice of Specialist or Experts):–सत्ताधारी का कर्तव्य है कि वह निर्णय लेते समय विशेषज्ञों की राय जान ले। दूसरे शब्दों में सत्ताधारी के निर्णयों में विशेषज्ञों की राय भी सम्मलित होनी चाहिए। इससे शासन की कार्यकुशलता बढ़ती है तथा अधीन कर्मचारी सत्ताधारी के निर्णयों को खुशी–खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का सत्ता के पद–सोपान (Hiearachy) में ऊँचा स्तर प्रदान किया जाता है।

1.4.7 सत्ता के आधार (Basis of Authority) अथवा सत्ता की स्वीकृतियाँ (Sanctions of Authority) अथवा सत्ता का पालन क्यों होता है? (Why Authority is Obeyed?)

मनव जीवन के प्रत्येक पक्ष में सत्ता का विशेष महत्व है और कहना गलत न होगा कि सत्ता ही जीवन का मूल आधार है। इस संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है? अन्य शब्दों में वे कौन–कौन से आधार हैं, जिनके कारण व्यक्ति सत्ता का पालन करते हैं? सत्ता के स्थाई आधार सदा के लिए निश्चित नहीं किए जा सकते। क्योंकि इस परिवर्तनशील मानव समाज की गति के साथ–साथ सत्ता के आधारों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। सत्ता के विभिन्न आधार अथवा स्वीकृतियां निम्नलिखित हैं:–

1. वैधानिक स्वीकृति (Legal Sanction):–सत्ता की स्वीकृतियों में एक स्वीकृति वैधानिक स्वीकृति भी है। वैधानिक स्वीकृति का अर्थ है सत्ता के पीछे वैधानिकता का होना, यदि किसी अधिकारी या शासन की सत्ता को कानूनी या वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे।

2. सामाजिक स्वीकृति (Social Sanction):–सत्ता के पीछे सबसे शक्तिशाली स्वीकृति सामाजिक स्वीकृति है अर्थात् समाज का एक बडा वर्ग स्वाभाविक रूप से सत्ता की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करते वे लोगों द्वारा अपमानित (Insult) किए जाते हैं। इसीलिए समाज के डर से लोग सत्ता की आज्ञा का पालन करते हैं।

3. उद्देश्य की स्वीकृति (Sanction of Purpose):–सत्ता की आज्ञा का पालन अधीनस्थ कर्मचारी इसलिए करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये आवश्यक है कि आज्ञा पालन करने वालों में ये विश्वास होना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं उनसे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

4. मनोवैज्ञानिक स्वीकृति (Psychological Sanction):–सत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक स्वीकृति का सम्बन्ध सत्ताधारी व्यक्ति से है। अधीनस्थ कर्मचारी (Subordinates) अपने से उच्चाधिकारी की आज्ञा का पालन मनोवैज्ञानिक स्वीकृति के आधार पर करते हैं। ये कहना उचित होगा कि यदि सत्ताधारी व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से युक्त है तो उसकी आज्ञा कापालन निश्चित ही हो जाता है।

5. आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति (Sanction of Economic Security):– कर्मचारी सत्ताधारी की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं, ताकि वे अपने पद पर बने रहें, धन कमाएं तथा सम्मान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति सत्ता के लिए स्वीकृति है।

6. जनमत की स्वीकृति (Sancetional of Public Opinion):– जनमत की स्वीकृति सत्ता के पीछे की शक्ति है। आधुनिक युग प्रजातन्त्र का युग है। प्रजातन्त्र में शासन का जनमत पर आधारित होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में संवैधानिक स्वीकृति के अतिरिक्त सत्ता का जनमत की स्वीकृति पर आधारित होना भी अनिवार्य है। आधुनिक युग में जनमत सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार है और राज्य सत्ता का तभी स्वाभाविक रूप से पालन हो सकता है यदि यह जनमत पर आधारित हो।

7. उत्तरदायित्व से बचने की प्रवति (Tendency to Avoid Responsibility):– अधीनस्थ कर्मचारी अपने उत्तरादयत्वि से बचने के लिए सत्ताधारी की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों में उत्तरदायित्व न लेने की भावना से सत्ता की आज्ञा मानने की प्रवृति पैदा हो जाती है।

8. व्यक्तिगत गुणों की स्वीकृति (Sanctions Behind Personal Qualities):–सत्ताधारी कई बार अपने आदेशों का पालन केवल कानूनी आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने गुणों तथा योग्यता के आधार पर भी करवाता है।

1.4.8 सत्ता तथा शक्ति में अन्तर (Distinguish between Authority and Power)

चार्ल्स ई. मेरियम (Charles E. Merriam) ने अपनी पुस्तक 'Political Power' में 'शक्ति' और 'सत्ता' में कोई भेद नहीं किया है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का एक यन्त्र है और इसका प्रभाव भौतिक है। सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो सकती है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता है। इस प्रकार शक्ति एक व्यक्ति की क्षमता है और अधिकार को उस व्यक्ति की सत्ता कहा जा सकता है। कभी–कभी शक्ति तथा सत्ता एक ही व्यक्ति में तथा कभी–कभी अलग–अलग व्यक्तियों में भी पाई जा सकती है।

सत्ता तथा शक्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न हैं, परनतु व्यवहारिक रूप में शक्ति का प्रयोग सत्ता के लिए और सत्ता का प्रयोग शक्ति के लिए यिका जाता है। सत्ता एक ऐसी वस्तु है जिसे पाया जाता है, रखा जाता है तथा खोया भी जाता है। सत्ता का स्वरूप प्रायः कानूनी (Legal)होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि शक्ति का स्वरूप भी कानूनी ही हो। लासवैल (Lasswell) के अनुसार जब शक्ति को कानूनी रूप दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है तथा आज्ञा प्रदान करने की क्षमता को शक्ति कहा जा सकता है। शक्ति तथा सत्ता का अन्तर निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है:–

1. वैधता के आधार पर अन्तर (Difference on the Basis of Legitimacy):–राबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) ने कहा है, "कानून पूर्ण शक्ति को प्रायः सत्ता कहा जाता है।" (Legitimate power is often called Authority.) । इससे स्पष्ट है कि शक्ति तथा कानून का योग सत्ता बनती है तथा शक्ति कानूनी व गैरकानूनी औचित्यपूर्ण तथा अनौचित्य दोनों हो सकती है। परन्तु सत्ता केवल वैध होती है।

2. बल के आधार पर अन्तर (Difference on the Basis of Force):– शक्ति तथा सत्ता का अर्थ प्रायः नियन्त्रण करने से लिया जाता है। परन्तु शक्ति का आधार बल, कपट, छल योजना, दमन, भय आदि होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सत्ता नियमों, धारणाओं, तर्कों, वैधता आदि पर आधारित होती है। सत्ता सहमति पर आधारित होती है, फलतः बल की आवश्यकता नहीं है।

3. स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of the abilities to gain consent):–सत्ता की परिभाषा देते समय जोवेनल (Jouvenal) ने कहा है कि, "सत्ता से मेरा अभिप्रायः व्यक्ति की

उस योग्यता से है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है।" (What I mean by authority is the ability of a man to get his proposals accepted.)। परन्तु जब व्यवहार को बदलने का प्रयत्न किया जाता है उस समय शक्ति का प्रयोग होता है।

4. विवेक के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Reason):– सी.जे. फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) ने कहा है कि, "सत्ता उस क्षमता का नाम है जिसके माध्यम से तर्क द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि हमारी इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर कौन–सा कार्य अधिक उचित है?" (Authority is the capacity to justify the process of reasoning what is deserved from the point of view of mere will, desire or preference.)। कहने का अर्थ यह है कि सत्ता द्वारा जो आदेश दिये जाते हैं वे तर्कपूर्ण और विवेकशील होते हैं। जिसके कारण सत्ताधारी व्यक्ति प्रभावशाली बन जाता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। इसके विपरीत शक्ति की अवधारणा में तर्क या विवेक का होना अनिवार्य नहीं है। शक्ति के कई रूप हो सकते हैं जैसे प्रभाव (Influence), अनुनय (Persuation), बल, दमन (Coercion) परन्तु तर्क या विवेक शक्ति का मुख्य तत्व नहीं होता।

5. उत्तरदायित्व के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Accountability):–सत्ताधारी अपनी सत्ता के प्रयोग के लिए अपने श्रेष्ठ व्यक्ति, संस्था अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे प्रजातान्त्रिक प्रणाली में सत्ताधारी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत शक्ति का प्रयोगकर्त्ता अनुत्तरदायी (Unaccountable) होता है।

6. लोकतान्त्रिक आधार पर अन्तर (Difference on the Democratic basis):–सत्ता शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक लोकतान्त्रिक है। सत्ता के पीछे सदैव सजनमत की सहमति होती है तथा जनमत ही लोकतन्त्र का आधार है।

7. उद्देश्य के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Objective):– शक्ति की तुलना में सत्ता बहुउद्देश्यीय (Multi-objective) है। सत्ता का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि शक्ति का प्रयोग विशेष उद्देश्यों अथवा स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए हो सकता है। सत्ता का क्षेत्र विस्तृत है जबकि शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है।

1.4.9 निष्कर्ष (Conclusion)

शक्ति तथा सत्ता में बहुत अधिक अन्तर होते हुए भी दोनों में निम्नलिखित आधार पर गहरा सम्बन्ध है:–

1. सत्ता आदेश देने का अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता होती है।
2. जब शक्ति का प्रयोग वैधानिक हो तो वह सत्ता कहलाती है अर्थात् शक्ति + वैधनिकता = सत्ता।
3. एम.जी. स्मिथ (M.G. Smith) के अनुसार, "शक्ति के बिना सत्ता प्रभावहीन होती है तथा बिना सत्ता के शक्ति प्रभुत्व तो स्थापित कर सकती है परन्तु वह संस्थाकृत (Institutionalized) नहीं बन सकती।

1.4.10 मुख्य शब्दावली

1. सत्ता
2. लोकतंत्र
3. कानून
4. जनमत
5. राजनीतिक

6. विशिष्टजन

7. पद–सोपान

1.4.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. सत्ता की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य लक्षणों तथा स्वरूपों का वर्णन कीजिए।

   (Define Authority. Discuss the main characterstics and kinds of Authority.)

2. सत्ता की परिभाषा दीजिए। सत्ता के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

   (Define Authority. Discuss the main functions of Authority.)

3. सत्ता के आधारों का वर्णन कीजिए।

   (Discuss the basis of Authority.)

4. शक्ति तथा सत्ता में अन्तर कीजिए। इनमें आपसी सम्बन्ध क्या हैं?

   (Distinguish between power and Authority. How are they related to one another?)

5. सत्ता और शक्ति की परिभाषा दें तथा इन दोनों के आपसी भेदों का वर्णन करें।

   (Define Authority and Power and discuss the differences between the two.)

1.4.12 संदर्भ सूची

- N.P.Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.0 इकाई का परिचय

एक विशिष्ट संबंध जिसे लोग आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में सापेक्षतः बराबरी का दर्जा देते हैं और अधिकार व विशेषाधिकार जो वह प्रदान करता है तथा कर्तव्य व बाध्यताएँ जो उससे जन्म लेती है, पर अतीत में ध्यान दिया गया है और अनेक समाजों में उसे अभिव्यक्ति दी गई है। नागरिकता इस प्रकार के संबंध में अभिव्यक्त एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता से इंगित करती है। इस प्रकार का संबंध प्रायः आमतौर पर अन्य सामाजिक संबंधों और खासतौर पर, सार्वजनिक जीवन को गहराई से अंकित करता है। आज, हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है और वहाँ पर भी जहाँ नागरिकता के प्रावधान होते हैं, अगर कोई वहाँ का नागरिक न हो। गत वर्षों में सामाजिक विज्ञान में नागरिकता पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई थी। परन्तु अन्तिम डेढ़ दशक में नागरिकता सामाजिक विज्ञान में साहित्य में नियामक प्रयोजन एवं सामाजिक घटना दोनों के रूप में अचानक मुख्य प्रकरण के रूप में उभरी है।

अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है, जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अधिकार उन बातों का द्योतक है, जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करते हैं और जीवन में सूझ–बूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है।

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितान्त आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतन्त्रता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतन्त्रता के वातावरण में ही सम्भव है। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता के अलग–अलग अर्थ लेता है। अधिकांश मनुष्य स्वतन्त्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता का अर्थ प्राचीन परम्पराओं एवं बन्धनों से मुक्त होने से लेते हैं, आध्यात्मिक संत स्वतन्त्रता को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं। अतः स्वतन्त्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है, जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएँ प्राप्त हों।

स्वतन्त्रता और समानता आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श है। फ्रांसीसी क्रांति के तीन आदर्श थे – स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने आधुनिक चिंतन की दिशा में प्ररेणा शक्ति का काम किया। समानता या विषमता की समस्या आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की मुख्य समस्या रही है परन्तु समानता और विषमता के मानदंड प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं।

राजनीतिक व्यवहार व सिद्धान्त में न्याय केन्द्रीय महत्व का है। सरकार के कानूनों, सार्वजनिक नीतियों तथा प्रशासनिक निर्णयों का समर्थन करने अथवा विरोध करने में, न्याय की इच्छा से ही प्रतिवेदन किए जाते हैं। न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है, जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारम्भ से ही विचार होता रहा है।

2.1 इकाई के उद्देश्य

- नागरिकता के अर्थ एवं परिभाषा को जानना।
- नागरिकता प्राप्ति की नीतियों को समझना।
- अधिकार सम्बन्धी धारणाओं को जानना।
- राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानता को समझना।
- न्याय सम्बन्धी विचारों को जानना।

2.2 नागरिकता

(Citizenship)

2.2.1 परिचय

नागरिकता को सामान्य तौर पर व्यक्ति–समूह व राज्य के बीच संबंध के संदर्भ में समझा जाता है। इस संबंध को पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के कुछ रूप में समझा जाता है। नागरिकता की सर्वाधिक सामान्य रूप से मान्य परिभाषा अंग्रेज समाजशास्त्री टी०एच० मार्शल ने दी है, जो इसकी 'एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता' के रूप में व्याख्या करते हैं। नागरिकता इस परिभाषा के अनुसार, एक राजनीतिक समुदाय में सदस्यता को इंगित करती है, जो कि हमारे वर्तमान संदर्भ में राष्ट्र–राज्य ही है। नागरिकता, तदनुसार, उन लोगों के बीच संबंध के एक विशिष्ट पहलू को इंगित करेगी जो किसी राष्ट्र में एक साथ रहते हैं। यह किसी सांस्कृतिक/भावनात्मक पहचान की बजाय समुदाय के भीतर राजनीतिक निष्ठा एवं नागरिक निष्ठाओं पर जोर देती है।

2.2.2 उद्देश्य

- नागरिकता का व्यापक व विस्तृत अर्थ को जानना।
- नागरिक के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को समझना।
- भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम को जानना।
- नागरिकता संबंधित प्रचलित सिद्धान्तों को समझना।
- नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जाँचना।

2.2.3 नागरिक का अर्थ
(Meaning of Citizen)

नागरिक (Citizen) का शाब्दिक अर्थ है, ''नगर में रहने वाला'' इसके अनुसार नागरिक केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो नगर में रहता हो और गाँव में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। परन्तु वर्तमान समय में नागरिक का यह शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि इसका व्यापक और विस्तृत अर्थ लिया जाता है।

प्राचीन काल में जो व्यक्ति नगर में रहता हो, उसे नागरिक माना जाता था, परन्तु आज यह धारणा उचित नहीं मानी जाती। यूनानी उस व्यक्ति को नागरिक मानते थे, जो राज्य के राजनीतिक कार्यों में भाग लेता हो। अरस्तू (Aristotle) के अनुसार, ''नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के वैधानिक और अदालती प्रबन्ध में भाग लेता है।'' (''A citizen is a person who has the power to take part in the logilative and judicial administration of the state.'')

अरस्तू द्वारा दी गई परिभाषा वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों पर लागू नहीं होती है। क्योंकि आज राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य प्रबन्ध में भाग देना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव भी है।

आज नागरिक प्रत्येक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो और राज्य का सदस्य होने के कारण वह कुछ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार भोग रहा हो और इसके विकल्प में राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का भुगतान करता हो।

2.2.4 नागरिक की परिभाषा (Definition of Citizen)

भिन्न–भिन्न विद्वानों द्वारा दी गई नागरिक की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. वैटल (Vettal) के अनुसार ''नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो समाज के साथ कुछ कर्त्तव्यों के कारण प्रतिबद्ध रहते हैं, इसकी शक्ति के अधीन रहते हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में बराबर के भागीदार होते हैं।'' (''Citizens are the members of a civic society bound to this society bound to this society by certain duties subject to its authority and equal participants is its advantages.")
2. मिलर (Miller) के विचारानुसार ''नागरिक एक सम्बन्धित राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं। वह ऐसे व्यक्ति है जो राज्य की स्थापनाप करते हैं और जो व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की शक्ति के अधीन रहते हैं।'' (''Citizents are the members of political community to which thhey belongs. They are people who compose that state and who in their associate capacity here establility to which they belong. They are people who compose the state and who in their associate capacity here established or subjected themseleve to the dominion of Government for the protection of the individual and collective rights.")
3. ए०के० सिऊ (A.K. Siu) के अनुसार ''नागरिक वह है जो राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो जिस को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जनसेवा की भावना से प्रभावित होता हो।'' ("One who owes allegiance to the state has access to the civil and political rights and is inspired with a spirit of service to the community.")
4. श्री निवास शास्त्री (Sriniwas Shastri) के कथनानुसार ''नागरिक राज्य का वह सदस्य है जो राज्य में रहकर अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण प्रगति के लिए प्रयत्न करता है और जिसको इस बात का अनुभव होता है कि समाज की अधिक नैतिक भलाई के लिए क्या करना आवश्यक है।'' ("A Citizne may be defined as one who is a member of a state and tries to fulfil and realise himself fully within it, along with intelligent appreciation of what should be alone to the highest moral welfare of the community.")

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम देखते हैं कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी राज्य का सदस्य है, राज्य के प्रति श्रद्धा रखता हो, अधिकार भोगता है और बदले में कर्तव्यों का भुगतान करता है, नागरिक कहे जाने का अधिकारी है।

2.2.5 नागरिक की विशेषताएँ (Characteristic of Citizen)

नागरिक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

1. **राज्य का सदस्य (Member of State)** नागरिक के लिए किसी राज्य का सदस्य होना आवश्यक है।

2. **राज्य के प्रति वफादारी (Loyality towards the state)** नागरिक राज्य के प्रति वफादारी की भावना रखता है।

3. **अधिकार भोगना (Enjoyment of Rights)** नागरिक राज्य का सदस्य होने के कारण राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को भोगता है।

4. **कर्तव्यों का भुगतान (Owes Duties)** नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्यों का भुगतान भी करता है।

5. **समाज सेवा (Social Services)** श्री निवास शास्त्री के अनुसार नागरिक में समाज सेवा की भावना का होना आवश्यक है।

2.2.6 नागरिक के प्रकार

(Kinds of Citizen)

नागरिक दो प्रकार के होते हैंः–

1. **जन्मजात नागरिक (Natural Born Citizen)** – वह नागरिक जो जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकारी होतें हैं जिसका आधार खून सम्बन्ध (Blood Relation) अथवा जन्म स्थान (Place of Birth) होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम जन्मजात नागरिक (Natural Born Citizen) कहते हैं।

2. **राज्य अधिकृत नागरिक** (Naturalised Citizen) – वह नागरिक जो जन्म के आधार पर तो किसी और राष्ट्र के नागरिक होते हैं परन्तु स्वेच्छानुसार कुछ शर्तें पूरी करने के पश्चात् अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं।

2.2.7 नागरिकता

(Citizenship)

एक नागरिक को राज्य का सदस्य होने के नाते जो पद (Status) प्राप्त होता है, उसे नागरिकता (Citizenship) कहते हैं। नागरिक राज्य द्वारा दिये गये सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है और उसके प्रति कर्तव्य का पालन करता है।

कई विद्वानों द्वारा नागरिकता की भिन्न–भिन्न परिभाषाएँ दी गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार हैः–

1. गैटल (Gettell) के अनुसार ''नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है।'' ("Citizenship is that condition of individual due to which he can use national and political rights in his state and is ready to fulfill obligations.")

2. लास्की (Laski) के अनुसार ''अपनी बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।'' ("Citizenship is the constitution of one's instructed judgement to public good.")

3. बायर्ड (Buyard) के अनुसार, ''नागरिकता अपनी वफादारी को ठीक निभाना है।'' ("Citizenship consists in the right ordering of loyalities.")

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नागरिकता राज्य के नागरिक का वह पद (Status) हैं, जिसके कारण राज्य की ओर से उसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

2.2.8 नागरिकता की प्राप्ति (Acquisition of Citizenship)

नागरिकता निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं जो कि इस प्रकार हैः–

जन्मजात नागरिकता (Nutral Born Citizenship)

एक बच्चे (Child) को अपने जन्म से ही एक राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह जन्मजात नागरिकता कहलाती है यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैः–

रक्त के आधार पर (By Blood)

इस आधार पर बच्चे (Child) को अपने माता–पिता के राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। बच्चे का जन्म भले ही कहीं हो, वह उसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जिसके उसके माता–पिता है। यदि कोई भारतीय पति–पत्नी कुछ समय के विदेश में रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा भारत का ही नागरिक माना जाएगा।

जन्म स्थान से (By Place of Birth)

कई देशों में यह नियम है कि जो बच्चा (Child) जहाँ पैदा होगा, वह उसी देश का नागरिक माना जाएगा, उसके माता–पिता भले ही किसी अन्य देश के नागरिक हों।

दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)

कई देशों ने रक्त सिद्धान्त और जन्म सिद्धान्त दोनों को अपना रखा है। कई बार एक बच्चा दो राज्यों की जन्मजात नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यदि एक भारतीय पति–पत्नि अर्जेन्टाइना (Argentina) की यात्रा पर है और यात्रा के दौरान अर्जेन्टाइना में उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वह बच्चा अर्जेन्टाइना के जन्म–स्थान के सिद्धान्त के अनुसार अर्जेन्टाइना का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके माता–पिता भारतीय हैं तो भारत के रक्त सिद्धान्त के अनुसार वह भारत का भी जन्मजात नागरिक माना जाएगा। परन्तु कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता। इसलिए व्यस्क (Adult) होने पर उसे दोनों राज्यों में से किसी एक की नागरिकता छोड़नी होती है।

राज्यकृत नागरिकता (Naturalised Citizenship)

यह नागरिकता किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त नहीं होती। इसे राज्य अपनी इच्छा से प्रदान करता है। कुछ शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करने पर एक व्यक्ति को राज्यकृत नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

निवास के समय के आधार पर (Period of Resisdence)

जब कभी एक विदेशी किसी देश में बस जाता है, और फिर उस देश को छोड़कर अपने देश में वापिस नहीं जाना चाहता, राज्य से प्रार्थना करने पर ऐसे विदेशियों को नागरिकता मिल ही जाती है, परन्तु हर देश में इस निवास की अवधि अलग–अलग हो सकती है। इग्लैण्ड (England) और अमेरिका (America) में यदि एक विदेशी नागरिक चाहता है तो उसे यह नागरिकता वहाँ पाँच वर्ष तक रहने के बाद मिल सकती है। भारत में यह अवधि चार वर्ष है। स्वीड़न में यह अवधि केवल दो वर्ष है।

विवाह के द्वारा (Through Marriage)

पुरूष और स्त्री को बराबर की नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु जब कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसे पति के राज्य की नागरिकता अपने आप ही मिल जाती है। परन्तु जापान में स्थिति दूसरी है। यदि कोई विदेशी, जापानी स्त्री से विवाह कर ले तो उस विदेशी को जापानी नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

सम्पत्ति (Property)

कई देशों में यह नियम है कि यदि वहाँ कोई विदेशी जमीन जायदाद खरीद ले तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, दक्षिणी अमेरिका के पेरू (Peru) और मैक्सिको (Mexico) में यही नियम हैं।

नौकरी (Service)

कुछ देशों में यह भी नियम है कि यदि एक विदेशी उस देश में सरकारी नौकरी करता है तो राज्य उसे नागरिकता प्रदान कर सकता है।

गोद लेना (Adoption)

जब एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य के नागरिक को गोद ले लेता है, तो गोद लिये जाने वाले (Adopted Child) अपने गोद लेने वाले की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, गोद लिया गया व्यक्ति (या बच्चा) (Adopted) उसी देश का नागरिक हो जाता है, जिस देश का गोद लेने वाला है।

विजय (Conquest)

यदि कोई देश किसी अन्य देश के किसी भी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला ले तो जीते गए देश के सभी नागरिकों को विजेता देश की नागरिकता मिल जाती है।

विद्वानों को (To Scholars)

कुछ देश विद्वानों और वैज्ञानिकों (Scientists) को नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। यदि विदेशी विशेषज्ञ (expert) या वैज्ञानिक फ्रांस (France) की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे फ्रांस में एक वर्ष के निवास के बाद वहाँ की नागरिकता मिल सकती है।

राजनीतिक शरण (Political Asylum)

कुछ देशों में दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था से पीड़ित होकर, भागकर आए हुए लोगों को भी नागरिकता प्रदान करने का नियम है। रूस में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई साम्यवादी विचारधारा और कार्यों के कारण देश की सरकार से पीड़ित होकर रूस में शरण लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

2.2.9 नागरिकता का समाप्त होना (Loss of Citizenship)

लम्बी अनुपस्थिति (Long Absence)

यदि कोई नागरिक अपने देश को छोड़कर लम्बे समय तक किसी अन्य देश में रहता है तो वह अपने राज्य की नागरिकता खो देता है। इस अनुपस्थिति की अवधि हर देश में अलग–अलग है। फ्रांस और जर्मनी में यदि कोई व्यक्ति देश से दस वर्ष या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नागरिकता छिन जाती है।

विवाह (Marriage)

यदि कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसके अपने देश की नागरिकता उससे छिन जाती है। यदि कोई विदेशी जापानी स्त्री से विवाह कर जापान की नागरिकता स्वीकार कर लेता है उसे अपने देश की नागरिकता से हाथ धोना पड़ सकता है।

दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)

यदि एक व्यक्ति दो राज्यों को जन्मजात नागरिक बन जाए तो उसे एक ही राज्य की नागरिकता मिल सकती है, दूसरे राज्य की नागरिकता उससे छिन जाती है।

विदेशी सरकारी नौकरी (Service under a Foreign Government)

यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी सरकार की नौकरी कर लेता है तो उसकी अपनी सरकार उसकी नागकिरता छीन लेती है।

देश त्याग (Expatriation)

यदि एक नागरिक स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अनुमति मिल जाती है और इस तरह उससे अपने देश की नागरिकता छिन जाती है।

विदेशी सरकार से सम्मान प्राप्त करने पर (Decoration form a foreign Government)

कभी–कभी किसी नागरिक को कोई विदेशी सरकार सम्मान देकर कोई पदवी दे देती है। यदि वह व्यक्ति उस पदवी को स्वीकार कर लेता है तो उसके अपने देश की नागरिकता छिन सकती है।

स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग (Voluntary Renunciation of Citizenship)

कई बार नागरिक अपने राज्य की जन्मजात नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग कर किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।

गोद लेना (Adoption)

यदि कोई बच्चा (Child) किसी विदेशी द्वारा गोद ले लिया जाता है तो उसकी पहली नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसे गोद लेने वाले माता–पिता की नागरिकता मिल जाती है।

देशद्रोह या गम्भीर अपराध (Ireasout Serious Crime)

यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है या राष्ट्रीय सरकार के विरूद्ध कोई बगावत करता है तो उसे भी अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ता है।

विजय (Conquest)

जब कोई विदेशी राज्य एक राज्य को जीत लेता है तथा उस पर अपना अधिकार कर लेता है तो उस राज्य में रहने वाले नागरिकों की पहला नागरिकता समाप्त हो जाती है। उन्हें विजयी राज्य की नागरिकता मिल जाती है।

2.2.10 भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship)

15 अगस्त सन् 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उससे पूर्व भारतवासी इंग्लैण्ड के राजा की प्रजा मात्र थे। उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे, जो इंग्लैण्ड के नागरिकों को प्राप्त थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ, तो उसमें भारतीय नागरिकता के नियमों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वे निम्नलिखित हैं:–

1. संविधान के लागू होने के समय वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और भारत में रहता है, भारत का नागरिक है।
2. ऐसे सभी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष से भारत में रहते हैं और जिनकी निष्ठा भारत के प्रति है, वे भारत के नागरिक बन सकते हैं।
3. ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता भारतीय हैं, परन्तु जिनका जन्म विदेश में हुआ है, भी भारत के नागरिक हैं।

4. पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं तथा सिक्खों के बारे में यह कहा गया है कि सन् 1948 से पूर्व पकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्ति, जिनके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी या इनमें कोई एक अथवा स्वयं अविभाजित भारत में जन्में हो तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके पश्चात् भारत आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है।

5. विदेशों में बसे ऐसे भारतीय, जिनका अपना अथवा जिनके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है और वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे अपना नाम उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में लिखवा सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।

2.2.11 भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955 (Indian Citizenship Acquisition Act, 1955)

विदेशियों को भारतीय नागरिकता देने के सम्बन्ध में सन् 1955 में संसद द्वारा 'नागरिकता प्राप्ति अधिनियम' पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई थीः–

1. भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करता।

2. भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो अथवा वहाँ सरकारी नौकरी करता हो।

3. उपरोक्त एक वर्ष से पहले के 7 वर्षों में वह कुल मिलाकर 4 वर्षों तक भारत में रहा हो अथवा चार वर्ष तक सरकारी नौकरी की हो।

4. वह चरित्रता व्यक्ति हो।

5. संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो।

6. नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात् वह या तो भारत में निवास करने अथवा यहाँ किसी सरकारी नौकरी में बने रहने का इच्छुक हो।

7. यदि किसी विदेशी ने दर्शन विज्ञान, कला साहित्य, विश्व शान्ति अथवा मानव–विकास के क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है। तो वह ऊपर दी गई शर्तों को पूरा किये बिना भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है।

यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस अधिनियम में दी गई शर्तें पूरी करनी होगी तथा भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होगी।

2.2.12 नागरिकता के सिद्धान्त (Theories of Citizenship)

नागरिकता के बारे में कई प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित है, जिनमें निम्नलिखित सिद्धान्त प्रमुख हैंः–

नागरिकता का उदारवादी सिद्धान्त (Liberal Theory of Citizenship)

इस सिद्धान्त का आधार नागरिक के अधिकार है। नागरिक के अधिकारों को इस सिद्धान्त में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए इस सिद्धान्त के नागरिकता का 'विकासात्मक सिद्धान्त' भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक टी.एच. मार्शल है। टी.एच. मार्शल (T.H. Marshall) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नागरिकता और सामाजिक वर्ग' (Citizenship and Social Class) में नागरिक के तीन प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया है। 1. नागरिक

अधिकार (Civil Rights), 2. राजनीतिक अधिकार (Political Rights) तथा 3. सामाजिक अधिकार (Social Rights) ऊपर दिये गये तीनों अधिकारों को मार्शल (Marshall) ने 'नागरिकता के मूल तत्त्व' (Elements of Citizenship) कहा है। ये मूल तत्त्व निम्नलिखित हैं:–

नागरिक अधिकार (Civil Rights)

इग्लैण्ड में सबसे पहले नागरिक अधिकारों का विकास हुआ, जिनमें मुख्य रूप से विचार अभिव्यक्ति, और धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अर्जित करने तथा आपस में किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध (Contract) करने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता तथा स्वेच्छाचारी ढंग से बन्दी न बनाए जाने के अधिकार शामिल थे। सन् 1689 के 'अधिकार पत्र' (Bill of Rights) द्वारा इस सिद्धान्त पर बल दिया गया कि कानून सबसे ऊपर (Rule of Law) है।

राजनीतिक अधिकार (Political Rights)

नागरिकता के अगले मूल तत्त्व 'राजनीतिक अधिकार' (Political Rights) में 'सुधार कानून' (Reforms Act, of 1832) में आरम्भ हुआ। इससे पहले केवल तीन प्रतिशत व्यस्क को मतदान का अधिकार प्राप्त था, जिनमें महिलाएँ शामिल नहीं थी। सन् 1832, 1867 तथा 1884 के सुधार – अधिनियमों द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ।

सामाजिक अधिकार (Social Rights)

नागरिकता के तीसरे मूल तत्व सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा (Social-Economic Security) का आरम्भ 20वीं शताब्दी में हुआ। सन् 1906 में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल में 'दोपहर का भोजन' (Mid-day Meals) देने की व्यवस्था की गई। सन् 1908 में 70 वर्ष और उसके अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old age pension scheme) लागू कर दी गई। सन् 1909 में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) तथा अधिकतम काम करने के घंटे (Maximum Working Hours) निश्चित किए गये। आजकल इंगलैण्ड के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी नागरिकों को बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु तथा अनाथावस्था के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है।

इस प्रकार मार्शल (Marshall) के मतानुसार अधिकारों का विस्तार रेखीय (Linear) है। यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन की जनता ने एक छलांग (Jump) के बाद दूसरी छलांग लगाई। पहले नागरिक क्षेत्र में, उसके पश्चात् राजनीतिक क्षेत्र में तथा अन्त में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता आई है।

मार्शल (Marshall) के शब्दों में, ''नागरिकता वास्तव में एक ऐसी स्थिति की तलाश है, जिसमें लोगों को यह लगे कि समाज में सभी समान महत्त्व है और उन्हें समान अवसर उपलब्ध हैं। आदर्श स्थिति हम उसे नहीं कहेंगे जब बेसमेन्ट (Basement) में रहने वाला व्यक्ति पहली मंजिल पर रहने लगे। आदर्श स्थिति तो वह है जब बहुमंजिल इमारतें समाप्त हो जाएं और हर व्यक्ति को रहने के लिए एक बंगला उपलब्ध हो।'' (The expansion of social rights is no longer merely an attempt to abate the obvious nuisance of destitution in the lowest ranks of society. It is no longer content to raise the floor-level in the basement of the social edifice, leaving the superstructure as it was. It has begun to remodel the whole building, and it might even end by converting a sky-scraper into a bungalow.)

नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धान्त (Marxist Theory of Citizenship)

यह सिद्धान्त मार्क्स के (Marx) वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित है और यह मान्यता है कि अधिकार वर्ग संघर्ष की ही देन है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक एंथनी गिड्डिन्स (A.Giddens) है। नागरिकता के बारे में एंथनी गिड्डिन्स (A. Giddens) के विचार उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं:–

1. समाज की संरचना (The Consitution of Society)
2. राष्ट्र राज्य और हिंसा (The Nation State and Violence)
3. ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन समीक्षा (A contemporary critique of Historical Materialism)

एंथनी गिड्डिन्स (Anthony Giddens) ने मार्शल (Marshall) के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है जो कि इस प्रकार हैः–

आलोचना
(Criticism)

त्रि–चरणीय विकास (Three-tier Development)

एंथनी गिड्डिन्स (Anthony Giddens) मार्शल की त्रि–चरणीय विकास सम्बन्धी धारणा को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मार्शल का यह कहना अधिक तर्क संगत नहीं है कि अधिकारों का विकास रेखीय है अर्थात् अधिकारों के क्षेत्र में समाज ने एक के बाद दूसरी तथा दूसरी के बाद तीसरी छलांग लगाई है। मार्शल इस बात को भूल गए कि नागरिकों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनके अनुसार औद्योगिक अधिकार; जैसे श्रमिक संघ बनाने, प्रदर्शन तथा हड़ताल करने तथा न्यूनतम मजदूरी आदि के अधिकतर नागरिक अधिकारों के विकास मात्र नहीं है। बल्कि वे मजदूरों को कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुए गिड्डिन्स (Giddens) मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के अधिकार किसी न किसी टकराव का परिणाम है।

अधिकारों का लगातार विकास (Continious Development of Rights)

गिड्डिन्स (Giddens) ने इस आधार पर भी मार्शल के सिद्धान्त की आलोचना की है। उसके अनुसार मार्शल (Marshell) ने यह बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया है कि अधिकारों का लगातार विकास हो रहा है। वह यह भूल जाता है कि आने वाले समय में यह असम्भव है कि राज्य सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में अपना हाथ खींच ले और लोगों को प्रतिस्पर्धा (Compitition) की स्थिति में छोड़ दें। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार की बजाय उनमें कटौती सम्भव है।

मार्शल के सिद्धान्त की इस प्रकार आलोचना करने के पश्चात् गिड्डिन्स (Giddens) ने नागरिक तथा अधिकारों के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार हैः–

संघर्ष (Struggle)

गिड्डिन्स (Giddens) के अनुसार अधिकारों का विकास राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ हुआ है। इन राज्यों का प्रशासनिक ढाँचा जनता के सहयोग के बिना नहीं चल सकता था। मध्यवर्ग ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अधिकारों की माँग की। उन्हें ये अधिकार राज्य की दया से नहीं मिले बल्कि उन्हें इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह वर्ग संघर्ष कई स्तरों पर चला – बर्जुआ वर्ग ने सामन्तों से लड़ाई लड़ी और मजदूरी मे बर्जुआ वर्ग (पूँजीपतियों) के विरूद्ध संघर्ष किया। एक लम्बे संघर्ष के बाद ही मजदूरों को संघ बनाने (Right of Trade Unionism), न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) तथा पूँजीपतियों से सामूहिक सौदेबाजी (Right to collective Barganning) आदि प्राप्त हुए।

अधिकारों का विकास साथ–साथ (Simerltaneous Development of Rights)

गिड्डिन्स (Giddens) का कहना है कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का विकास साथ–साथ हुआ। उदाहरण के लिए सन् 1689 का अधिकार–पत्र (Bill of Rights 1689) में नागरिकों के केवल नागरिक अधिकारों का ही उल्लेख नहीं था, बल्कि उसमें राजनीतिक अधिकार भी शामिल थे।

केवल पूंजीपति वर्ग के लिए (Mainly for the Bourgeois Class)

गिड्डिन्स (Giddens) के अनुसार पश्चिम के वर्तमान पूँजीवादी राज्य वास्तव में वर्ग राज्य हैं क्योंकि वे पूँजीपतियों के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।

परन्तु बड़े–बड़े उद्योगों के मालिक राजनीतिक नेताओं को चंदा देने की क्षमता पर नियंत्रण रखने के कारण राजनीति पर छाए हुए हैं।

मूल्यांकन
(Evaluation)

यद्यपि गिड्डिन्स के सिद्धान्त में कुछ सच्चाई है, परन्तु उनकी यह मान्यता निराधार है कि मार्शल (Marshall) के विश्लेषण में उस संघर्ष का कहीं वर्णन नहीं मिलता। जिसके बिना अधिकारों की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। मार्शल (Marshall) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है ''नागरिकता के विस्तार को प्रोत्साहन उस संघर्ष से मिला जो अधिकारों को प्राप्त करने के बाद उनके उपयोग के लिए भी संघर्ष आवश्यक था।'' (The growth of citizenship is stimulated both by the struggle to win these rights and by their enjoyment when won.)

बहुलवादी सिद्धान्त (Pluralist Theory)

यह सिद्धान्त नागरिकता के विकास को एक जटिल प्रक्रिया मानता है। इस सिद्धान्त का मुख्य समर्थक डेविड हैल्ड (David Held) है। इस सिद्धान्त को डेविड हैल्ड का सिद्धान्त कहा जाता है। डेविड हैल्ड ने गिड्डिन्स के सिद्धान्त में कई त्रुटियाँ बताई हैं। गिड्डिन्स (Giddens) की पुस्तक (राष्ट्र, राज्य और हिंसा) में मार्क्सवाद की कई मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। गिड्डिन्स (Giddens) ने लिखा है, ''आज के उन्नत औद्योगिक समाजों में पूँजीवाद का अब वह रूप नहीं रह गया है जो 19वीं शताब्दी में था और इस परिवर्तन को लाने में मुख्य भूमिका श्रमिक आन्दोलन की रही। अधिकांश पूँजीवाद देशों में पूँजीवाद ने अब कल्याणकारी पूँजीवाद का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है और सामाजिक आर्थिक अधिकारों का दायरा विस्तृत हुआ है।'' (Among the industrialized societies at least, capitalism is by now a very different phenomenon from what it was in the nineteenth century and labour movements have played a major role in charging it. In most of the capitalist countries, we now have to speak to the existence of 'welfare capitalism', a system in which the labour movement has achieved a considerable stake and which economic (Social) citizienship rights brook large.) डेविड हैल्ड (David Held) के अनुसार अधिकारों का उदय विभिन्न कारणों से हुआ है, जिनमें मुख्य भूमिका इन तत्त्वों की रही (i) सामन्तों तथा राजाओं के आपसी झगड़े, (ii) करों की वृद्धि के खिलाफ किसानों का विद्रोह, (iii) व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, (iv) पुनः जागरण (Ranaissance) का प्रभाव, (v) इंग्लैण्ड फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्र राज्यों का उदय, (vi) चर्च तथा राज्य के झगड़े और धर्म सुधार आन्दोलन और, (vii) व्यक्तिवाद तथा अन्य राजनीतिक विचारधाराओं का उत्थान।

डेविड हैल्ड (David Held) ने मार्शल (Marshall) तथा गिड्डिन्स के विचारों को नकारा नहीं बल्कि इस दायरे को विस्तृत करने का सुझाव दिया है। उसमें सब नए मुद्दे जोड़े जाएं; जैसे नारी – आन्दोलन, श्वेत लोगों के विरूद्ध अश्वेत आन्दोलन, बालश्रम तथा बच्चों के अधिकार (Child labour and rights of Children)।

नागरिक का स्वेच्छातन्त्रवादी सिद्धान्त (Libertarian Theory of Citizenship)

इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतन्त्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। यह सिद्धान्त बाज़ार समाज (Market Society) के प्रतिरूप को नागरिक जीवन का आधार मानता है। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवक्ता राबर्ट नॉजिक (Nozic) हैं। नॉजिक ने, अपनी प्रसिद्ध रचना ('Anarchy, State and Utopia 1974) के अन्तर्गत यह संकेत किया है कि लोग अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं (Preference) के लिए निजी गतिविधि, बाजार–विनिमय और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं। क्योंकि नागरिकता की सभी आवश्यकताएँ इन तरीकों से आवश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से नागरिक का अर्थ है – सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता (Rational Consumer of Public Goods)। राबर्ट नॉजिक (Robert Nassic) ने राज्य को एक विशाल उद्यत और

नागरिकों को राज्य का ग्राहक माना है। नागरिकता के इस सिद्धान्त के आलोचकों ने इस बात पर आलोचना की है कि मुफ्त बाजार (Free Market) आधारित व्यक्तिवाद सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है।

नागरिकता का समुदायवादी सिद्धान्त (Communitarian Theory of Citizenship)

नागरिकता के स्वेच्छांतत्रवादी सिद्धान्त के विरूद्ध नागरिकता का समुदायवादी सिद्धान्त व्यक्ति और समुदाय के सुदृढ़ संबंधों पर बल देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीतिक वाद–विवाद तथा निर्णय प्रक्रिया में भोग लेकर समाज के भावी रूप को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का मुख्य लक्षण नागरिक सहभागिता (Political Participation Arnold) है। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक हन्ना आरेद (Hanna Arendt) बेंजामिन बाबर (Benjaman Barber) और माइकल वॉल्जर है। वर्तमान समाज का आकार बहुत बड़ा है और समाज की जटिलता अधिक है। जिस कारण से इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देना कठिन कार्य है।

नागरिकता के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् अब हम आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएँ और उनका समाधान पढ़ेंगे।

2.2.13 आदर्श नागरिकता में बाधाएँ (Hindrances of Ideal Citizenship)

आदर्श नागरिक किसी भी देश की अमूल्य सम्पत्ति है तथा राष्ट्र की प्रगति और विकास आदर्श नागरिकों पर ही निर्भर करता है, परन्तु समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं, जो नागरिक को उसके आदर्श मार्ग से विचलित कर देती है। इन परिस्थितियों को ही आदर्श नागरिक के मार्ग की बाधाएँ कहा जाता है। इन बाधाओं का वर्णन निम्नलिखित हैः–

लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) के विचारानुसार, अच्छी नागरिकता के मार्ग में तीन बाधाएँ हैं:– (i) दलबन्दी (Party spirit) (ii) आलस्य (Indolence) (iii) स्वार्थ (Self Inerest) इन बाधाओं के अतिरिक्त निरक्षरता (Illiteracy), गरीबी (Poverty), बुरे रीति–रिवाज (Evil Customs), साम्प्रदायिकता (Communalism) तथा संकुचित राष्ट्रीय (Narrow Natioanlism) आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

दलबन्दी (Party Factionalism)

अच्छी नागरिकता के लिए दलबन्दी भी एक रूकावट है। वैसे तो राजनीतिक दलों को प्रजातन्त्र का प्राण कहा जाता है। परन्तु जब राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हितों के आधार पर न होकर जातिगत हितों के आधार पर होता है तो दल राजनीतिक वातावरण को भ्रष्ट कर देते हैं। नागरिक जातिगत दलबन्दी में फँसकर राष्ट्रीय हितों का त्याग कर देते हैं और अपनी–अपनी जाति के हितों को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे समाज में परस्पर द्वेष, घृणा तथा कलह उत्पन्न हो जाती है।

आलस्य (Indolence)

आलस्य से तात्पर्य राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही है। यदि नागरिक को राजनीतिक विषयों का ज्ञान नहीं होता तो वह राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकेगा। अधिकतर व्यक्ति यह समझते हैं राजनीतिक विषयों का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उनकों इसमें रूचि लेने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं कि अनेक मतदाता केवल आलस्य के कारण भी अपना मत देने के लिए नहीं जाते वे समझते हैं कि उनकी ओर से कोई भी दल शासन करे उनको कोई चिंता नहीं है। ऐसे विचार निःसन्देह अच्छी नागरिकता के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

स्वार्थ (Self-Interest)

अधिकतर नागरिक सार्वजनिक हितों का त्याग करके अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं। जब एक मतदाता विधानमण्डल के लिए खड़े हुए उम्मीदवार से रिश्वत लेकर अपना मत दे देता है तो देश के हित का त्याग करके अपने स्वार्भ को पूरा करता है। उसके इस स्वार्थी हित से अनुचित उम्मीदवार का चुनाव हो सकता है जो विधान मंडल में जाकर अपने स्वार्थ को पूरा करेगा।

गरीबी (Poverty)

यदि नागरिक निर्धन हैं तो अच्छी नागरिकता का उत्पन्न होना कठिन हैं। गरीब व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो सकता है। वह डाकू, चोर, घातक और धोखेबाज बन सकता है निर्धनता सब बुराईयों की जननी है। निर्धन व्यक्ति को लोकहित के काम में कोई रूचि नहीं होती क्योंकि उसको तो पहले पेट भरने की चिन्ता होती है। जिस व्यक्ति को दो समय भर पेट भोजन नहीं मिलता, वह देश के कार्यों में क्या रूचि दिखलाएगा? जिस देश के लोग अत्यधिक गरीब हैं, वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

साम्प्रदायिकता (Communalism)

यदि नागरिकों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता होगा तो वे राष्ट्रीय हितों का त्याग करके अपने साम्प्रदायिक हितों की पूर्ति करेंगे। साम्प्रदायिकता व्यक्तियों को अलग–अलग वर्गों में विभाजित कर देती है जिसका परिणाम परस्पर ईर्ष्या–द्वेष होता है। साम्प्रदायिकता के साथ–साथ प्रान्तीयता भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। प्रान्तीयता के कारण देश की एकता को हानि पहुँचाती है और देश अनेक छोटे–छोटे राज्यों में बंट जाता है।

निरक्षरता (Illiteracy)

निरक्षरता मनुष्य को पशु तुल्य बना देती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। लास्की (Laski) के अनुसार, नागरिकता व्यक्ति के लोकहित कार्य के प्रति न्यायात्मक दृष्टि (Judicious Power) पर निर्भर करती है। अनपढ़ व्यक्ति राज्य का प्रबन्ध सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अज्ञानी तथा अशिक्षित मतदाताओं के कारण प्रजातन्त्र भीड़तन्त्र (Mobcracy) बन जाता है।

बुरे रीति–रिवाज (Evil Customs)

पुराने तथा बुरे रीति रिवाज भी अच्छी नागरिकता को बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरणतः भारत में जाति–पाति की प्रथा अच्छी नागकिरता के मार्ग में बड़ी बाधा है। इस प्रकार दहेज–प्रथा, पर्दा–प्रथा आदि बुराईयाँ भी अच्छी नागरिकता को विकसित करने से रोकती हैं।

संकुचित राष्ट्रीयता (Narrow Nationalism)

संकुचित राष्ट्रीयता के कारण कभी–कभी एक दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है, जिससे संसार की शान्ति भंग हो जाती है और मानव जाति को हानि पहुँचती है। नागरिकता का आदर्श है। परन्तु राष्ट्रीयता विश्व नागरिकता के मार्ग में बाधा डालती है।

उपर्युक्त बाधाओं की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाधाएँ नागरिक को एक आदर्श नागरिक बनने से रोकती हैं।

2.2.14 आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय (Method to remove the Hindrances to Good Citizenship)

यह स्पष्ट है कि यदि देश में अच्छी नागरिकता का विकास करना है तो इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने का उपाय किया जाए। लार्ड ब्राइस ने बाधाओं को दूर करने के दो उपाय बताए हैं:–

व्यवस्था उपचार (Mechanical Remedies)

व्यवस्था उपचार वे हैं, जो सरकार की मशीनरी में कुछ परिवर्तन लाकर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवस्था उपचार में निम्नलिखित उपचार सम्मिलित हैं।

अनिवार्य मतदान (Compluslory voting)

कुछ लेखकों का विचार है कि अनिवार्य मतदान द्वारा नागरिकों की राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीनता को दूर किया जा सकता है। बैल्जियम (Belgium) तथा आस्ट्रेलिया (Australia) में मतदाताओं के लिए मतदान करना आवश्यक है। परन्तु यह उपचार अनेक देशों द्वारा नहीं अपनाया गया। यह ठीक है कि अनिवार्य मतदान से नागरिकों की उदासीनता को कुछ अंश तक दूर किया जा सकता है, परन्तु दबाव में मतदाता लापरवाही से वोट डाल सकते हैं, जिसका परिणाम अयोग्य उम्मीदवारों का चुनाव हो सकता है।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय (Measures to Check Curruption)

राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकता है जिसके द्वारा चुनावों में भ्रष्टाचार तथा गैर–कानूनी विधियों के प्रयोग करने पर कठोर दण्ड दिया जा सके।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

यह विचार किया जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी वोट शक्ति के अनुसार विधानमण्डल में स्थान प्राप्त हो सकते हैं। यह प्रणाली विधानमंडल को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि रूप प्रदान करती है।

प्रत्यक्ष विधि निर्माण (Direct Legislation)

राजनीतिक कार्यों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए लोकमत संग्रह (Referendum) तथा अनुक्रम (Initiative) के उपायों को अपनाया जा सकता है। लोकमत संग्रह के अन्तर्गत नागरिक विधानमण्डल द्वारा पाए किए गए किसी बिल पर अपने विचार प्रकट करते हैं। यदि जनता का बहुमत उस बिल के पक्ष में मतदान कर देता है तो वह बिल कार्यान्वित हो जाता है अन्यथा नहीं। अनुक्रम के अन्तर्गत नागरिक विधानमण्डल के विचार हेतु कोई बिल भेज सकते है। इस प्रकार इन उपायों द्वारा लोगों का सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर सोच–विचार करने तथा अपनी उदासीनता त्यागने के योग्य बनाया जाता है।

नैतिक उपचार (Ethical Remedies)

व्यवस्था उपचारों की अपेक्षा नैतिक उपचार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे, जिनका वर्णन इस प्रकार से हैः–

गरीबी का अन्त (Removal of Poverty)

गरीबी आदर्श नागरिक के लिए अभिशाप है। इसे दूर किया जाना चाहिए। गरीबी नागरिकता को गलत कार्य करने के लिए विवश कर देती है। जब तक आर्थिक असमानता रहेगी तब तक आदर्श नागरिकता भी स्थापित नहीं हो पायेगी और राज्य या समाज का कल्याण भी नहीं हो पाएगा।

अच्छी शिक्षा (Good Education)

प्लेटो (Plato) ने ठीक ही कहा है कि उस राज्य में कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। देश के सारे राजनीतिक दल मिलकर यह प्रयत्न करें कि बच्चों में आदर्श नागरिकता के गुण उत्पन्न किए जाएं। शिक्षा तथा प्रचार द्वारा साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, स्वार्थपरता तथा दलबन्दी का अन्त किया जाना चाहिए।

राजनीति दल (Political Parties)

राजनीतिक दलों को राष्ट्र हित के समक्ष रखकर कार्य करना चाहिए। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय निम्न स्तर के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए तथा राजनीतिक नेताओं को ईमानदारी बुद्धिमत्ता एवं समझदारी का परिचय देना चाहिए।

निष्पक्ष और स्वतन्त्र प्रैस (Free and Impartial Press)

रेड़ियो और टेलीविजन की भान्ति समाचार–पत्र भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, परन्तु प्रेस स्वतन्त्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी एक निष्पक्ष लोकमत तैयार किया जा सकेगा और समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने में सहायता मिल सकेगी।

सामाजिक समानता (Social Equality)

सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज का समान अंग है और सभी को समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उच्च आदर्श (High Ideals)

नागरिकों को नैतिकता के आधार पर उच्च आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाए तो बहुत सी बाधाएँ जैसे साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, क्षेत्रवाद, संकीर्णता की भावनाएँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। उच्च आदर्शों की स्थापना प्रचार प्रसार के लिए रेड़ियो या टेलिविजन का प्रयोग किया जा सकता है।

सामाजिक बुराईयों का अन्त (Removal of Social Evils)

समाज में कुछ सामाजिक बुराईयाँ चली आ रही है जो आदर्श नागरिक के लिए कलंक है जैसे छुआछूत, दहेज–प्रथा, सती–प्रथा आदि। इन सामाजिक बुराईयों को राज्य द्वारा दूर किया जाना चाहिए।

2.2.15 निष्कर्ष (Conclusion)

आदर्श नागरिकता का निर्माण करना और आदर्श नागरिकता के मार्ग में व्याप्त बाधाओं को दूर कर समाज के एक पक्ष के वश की बात नहीं है। इस कार्य में तो प्रत्येक पक्ष को अपना अपना योगदान देना होगा। राज्य, सरकारें, राजनीतिक दल, राजनेता, अभिनेता, रेड़ियों, समाचार पत्र आदि सभी का यह संयुक्त दायित्व बनता है कि वे आदर्श नागरिकता की स्थापना में अपना सम्पूर्ण योगदान प्रदान करें।

2.2.16 मुख्य शब्दावली

1) नागरिकता
2) राजनीतिक शरण
3) दोहरी नागरिकता
4) बर्जुआ
5) समुदायवादी

2.2.17 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. नागरिकता क्या है? नागरिकता के प्रकार तथा इसको प्राप्त करने के ढंग बताओ।
(What is citizenship? Define its kinds and methods of acquiring citizenship.)

2. नागरिकता की परिभाषा बताएँ। नागरिकता किस प्रकार प्राप्त तथा समाप्त होती हैं?
(Define citizenship. How can citizenship be acquired and lost?)

3. नागरिकता की परिभाषा बताएं। एक व्यक्ति अन्य राज्य का नागरिक किस प्रकार बन सकता है?
(Define Citizenship. How can one became a citizen of another state?)

4. राज्यकृत नागरिकता से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार प्राप्त या समाप्त होती है?
(What do you mean by Naturalized citizenship? How is it acquired and lost?)

5. आदर्श नागरिकता के रास्ते में क्या बाधाएँ हैं? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
(What are the hindrances in the path of ideal or good citizenship? How can they be removed?)

6. नागरिकता के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the various theories of citizenship.)

7. नागरिकता के तीन मूल तत्वों पर प्रकाश डालते हुए टी०एच० मार्शल के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(Examine T.H. Marshall's theory highlighting three elements of citizenship.)

8. नागरिकता के सिद्धान्त में मार्शल व गिड्डेन्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
(Examine the contribution of Marshall and Giddens to the theory of citizenship.)

2.2.18 संदर्भ सूची

- N. P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N.J.Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.3 अधिकार

थॉमस जैफरसन (Thomes Jefferson) के अनुसार ''सब मनुष्य समान रूप से स्वतन्त्र हैं और उनके कुछ जन्मजात अधिकार है, जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन अथवा अपनी सन्तानों से अलग नहीं रह सकते जैसे जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकारों का उपभोग, सम्पत्ति प्राप्त करने और सुखी जीवन के साधन के अधिकार।'' (We hold these truths to be self-evident that men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights that among these are life, Liberty and pursuit of Happiness.) सी.डी. बर्न्स (C.D. Burns) के अनुसार ''फ्रांस की क्रान्ति ने कोई दान नहीं माँगा, उसने मनुष्य के अधिकारों की मांग की।''

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता, जीवित रहता और मर जाता है। समाज में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में ही वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। किन्तु यदि समाज में उसे जीवन की सुविधाएँ और विकास के अवसर न मिलें तो उसका व्यक्तित्व अपूर्ण और अविकसित रह जाता है।

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समाज में प्रत्येक राज्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं और लस्की (Laski) के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ''एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।'' (Every state is known by the rights, that it maintains.)

2.3.1 परिचय

अधिकार समाज से, विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से, उद्‌भूत होते हैं और इसी कारण हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकार व्यक्तियों के अधिकार होते हैं; वे व्यक्तियों से ही संबंध रखते हैं, वे व्यक्तियों के लिए अस्तित्व रखते हैं, इनका व्यवहार उनके द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि अपनी निजी पहचानों का सम्पूर्ण विकास लाभ कर सकें।

2.3.2 उद्देश्य

1. सामाजिक जीवन में अधिकारों की अनिवार्यताओं को समझना।
2. अधिकारों के ऐतिहासिक विकास, क्षेत्र और विचारों के बारे में जानना।
3. अधिकार संबंधी समालोचनाओं द्वारा दिए वैकल्पिक अर्थों पर भी ध्यान केन्द्रित करना।
4. अधिकारों से संबंधित धारणाओं को जानना।
5. आधुनिक प्रजातन्त्रीय शासन में अधिकारों के महत्व को समझना।

2.3.3 अधिकार की परिभाषा

(Definitions of Rights)

अधिकार का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकें। विभिन्न विद्वानों द्वारा अधिकार की निम्नलिखित परिभाषाएँ की गयी हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार हैः–

1. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। (Rights are those conditions of social life, without which no man can seek in general to be himself at his best.)
2. वाइल्ड (Wild) के अनुसार, ''अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतन्त्रता की उचित माँग है।'' (A right is a responsible claim to freedom in the exercise of certain activities.)
3. बोसांके (Bosanquet) के अनुसार, ''अधिकार वह माँग है, जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है।'' (A right is a claim recognised by the society and enforced by the state.)
4. हालैण्ड (Holland) के शब्दों में ''व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को, स्वयं शक्ति से नहीं वरन् समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं।'' (A right is one man's capacity of influencing the act of other's not by his own strength out but by the strength of the society.)
5. भारतीय विद्वान श्री निवास शास्त्री (Shriniwas Shastri) के अनुसार, ''अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम या रीति है, जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो।'' (In its essence a right is an arrangement, rule or practice sanctioned by the law of the community and conducive to the highest moral good of the citizen.)
6. ऑस्टिन (Austin) के अनुसार, ''अधिकार एक व्यक्ति के पास दूसरे से मनवाने और उन्हें कुछ कार्यों से रोकने की शक्ति को कहते हैं।'' (Rights means one man's capacity of exacting from another's actor forebearance.)
7. टी०एच० ग्रीन (T.H. Green) के शब्दों में ''अधिकार वह शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के नैतिक प्राणी होने के कारण उसके व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक है।'' (Rights are those powers which are necessary to the fulfillment to man's vocation as a moral being.)
8. अर्नेस्ट बार्कर (Earnest Barker) के अनुसार, ''अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतन्त्रता का ही दूसरा नाम है। इस स्वतन्त्रता की गारंटी मुझे कानून से हासिल होती है।'' (Any particular right which I have capacity of enjoying some particular status, or employing some particular power of action which has been secured and guaranteed to me by law.)

2.3.4 अधिकारों की विशेषताएँ

(Charactersitcs of Rights)

अधिकारों की अलग–अलग परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम देखते हैं कि इनमें निम्न विशेषताएँ पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं:–

1. **अधिकार व्यक्ति के हक होते हैं (Right are claims of an individuals)**:– अधिकार व्यक्ति के दावे होते हैं जिनकी वह माँग कर सकता है और उसे वह प्राप्त होने चाहिए।
2. **अधिकार समाज में ही सम्भव हैं (Rights are possible only in the society)**:– अधिकारों को व्यक्ति केवल समाज में ही प्राप्त कर सकता है। यदि समाज नहीं है तो व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। अकेले व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके कार्यों पर बन्धन लगानेक की आवश्यकता नहीं है।

3. **अधिकारों को समाज स्वीकृत करता है (Rights are recognised by the society also):–** अधिकार समाज द्वारा ही स्वीकार होने चाहिएं। समाज किसी अधिकार को तभी स्वीकार करता है यदि उसमें सर्वकल्याण हित छिपा हुआ है, नहीं तो मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कई दावे करेगा।

4. **अधिकार राज्यों द्वारा स्वीकृत और निर्धारित किये जाते हैं (Right are recognised and enforced by the state):–** अधिकारों का राज्य द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है और स्वीकृत अधिकारों को राज्य निर्धारित भी करता है। राज्य देखता है कि कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन न करें और वह उल्लंघन करने वालों को दंड देता है।

5. **अधिकार असीमित नहीं होते (Right are not unlimited):–** जिन अधिकारों को एक बार मान्यता मिल जाती है। उन्हीं अधिकारों को प्रयोग करते समय हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकार सीमित होते हैं, असीमित नहीं।

6. **अधिकार सार्वभौतिक होते हैं (Right are universal):–** कोई भी अधिकार कभी भी किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप में नहीं दिया जा सकता अपितु सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होते हैं।

7. **अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर सम्बन्धित हैं (Rights and Duties are corelated):–** अधिकार के पास कर्त्तव्य सम्बन्धित होते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अर्थहीन होते हैं। इन दोनों को कभी एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा अधिकार दूसरे का कर्तव्य है।

8. **अधिकार सामाजिक हितों के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं (Right can be used for social Good or welfare):–** अधिकार का भाव व्यक्ति की भलाई के लिए साथ–साथ सामाजिक भलाई भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि समाज को हानि हो तो उस अधिकार को वापिस लिया जा सकता है।

9. **अधिकार समय के अनुसार बदलते हैं (Rights keep on changing with time):–** अधिकार समय के साथ–साथ बदलते रहते हैं जैसे राज्य प्रगति करता रहता है वह अधिक अधिकार प्रदान करता जाता है। तानाशाही में सीमित अधिकार थे परन्तु आज लोकतन्त्र में व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं।

सामान्य शब्दों में अधिकार की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है।

2.3.5 अधिकारों का वर्गीकरण

(Classification of Rights)

साधारणतः अधिकारों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। (i) नैतिक अधिकार (Moral Rights) व (ii) कानूनी अधिकार (Legal Rights)। कानूनी अधिकारों के दो प्रकार होते हैं। (i) सामाजिक अधिकार (Social Rights) व (ii) राजनैतिक अधिकार (Political Rights)। सामाजिक अधिकारों को सात भागों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है:–

(i) समानता का अधिकार (Right to Equality)

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

(iii) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

(iv) रोजगार का अधिकार (Right to work)
(v) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
(vi) जीवन का अधिकार (Right to Life)
(vii) परिवार का अधिकार (Right to Family)

इसी प्रकार राजनैतिक अधिकार को भी चार वर्गों में बांटा गया है जैसेः–

(i) मत देने का अधिकार (Right to Vote)
(ii) निर्वाचित होने का अधिकार (Right to Get Elected)
(iii) सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)
(iv) प्रार्थना करने का अधिकार (Right to Petition)

समानता के अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। जैसेः–

(i) राजनीतिक समानता का अधिकार (Right to Political Equality)
(ii) सामाजिक समानता का अधिकार (Right to Social Equality)
(iii) आर्थिक समानता का अधिकार (Right to Economic Equality)

नीचे दी गई तालिका से अधिकारों के ये प्रकार भली भाँति स्पष्ट हो जायेंगे।

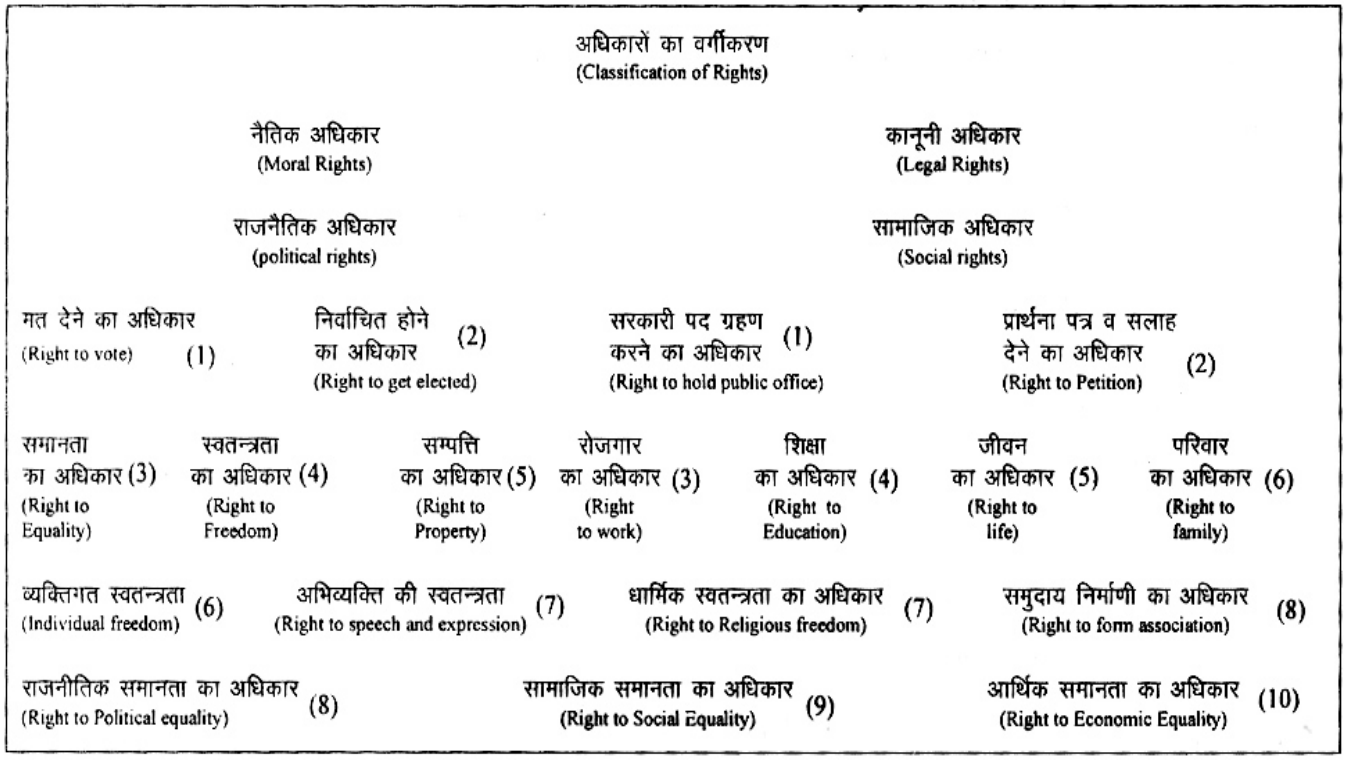

साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैंः–

नैतिक अधिकार (Moral Rights)

नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण (Moral Conduct) से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा

रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें जनमत (Public Opinion) या स्वविवेक द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के कानूनों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

कानूनी अधिकार (Legal Rights)

ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिसका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है। लीकॉक (Leacock) ने अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि ''कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार हैं, जो एक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं।''

कानूनी अधिकारों के दो भेद किये जा सकते हैंः–

(i) सामाजिक या नागरिक अधिकार, (ii) राजनीति अधिकार।

सामाजिक या नागरिक अधिकार (Social or Civil Rights)

प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैंः–

जीवन का अधिकार (Rights of Life)

मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके। जीवन को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति के अधिकार में ही आत्म–रक्षा (Self-Defence) का अधिकार सम्मिलित है। जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का भी अन्त नहीं कर सकता है। अतः आत्महत्या (Suicide) एक दण्ड़नीय अपराध है। सैंट थॉमस एक्वीनास (Acquinas) के शब्दों में, ''आत्महत्या स्वयं अपने प्रति समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है।'' (Sucide is an offence to oneself, an offence to society and an offence to God hiself.)

समानता का अधिकार (Right to Equality)

समानता का अधिकार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने की समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातन्त्र की आत्मा है। समानता के अधिकार के निम्न भेद (Kinds) हैंः–

1. **राजनीतिक समानता का अधिकार (Right of Political Equality)**: इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। न्याय (Justice) और कानून (Law) की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए।
2. **सामाजिक समानता का अधिकार (Right to Social Equality):–** इसका तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बेनी प्रसाद (Beni Prasad) के शब्दों में, ''सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का समान महत्व है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है।'' सामाजिक समानता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए ही भारतीय संविधान के तीसरा अध्याय, 17वें अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को दण्ड़नीय अपराध करार दिया गया है।

3. **आर्थिक समानता का अधिकार (Right to Economic Equality):–** वर्तमान समय में आर्थिक समानता का अभिप्राय यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गम्भीर असमानताएँ नहीं होनी चाहिए और सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का उचित वितरण किया जाना चाहिए। टॉनी (Tawney) के शब्दों में, ''आर्थिक समानता का अर्थ ऐसी आर्थिक समानता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके।'' लॉस्की (Laski) के अनुसार इसका तात्पर्य 'उद्योग में प्रजातन्त्र' से है।

स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से, बिना किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके।'' (It implies the power to expand the choice by the individual of his own way of life without being imposed prohibitions form outside.) स्वतन्त्रता के अधिकार के प्रमुख भेद निम्न हैं:–

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Individual Freedom)

मिल (Mill) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इसे सर्वोत्तम सद्‌गुण मानते हैं। स्वतन्त्रता के इस रूप का प्रतिपादन करते हुए जे०एस० मिल (J.S.Mill) कहते हैं कि, ''स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु होता है।'' (Over himself, over his own body, mind and soul, the individual is sovereign.)

विचार और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Speech and Expression):– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने और भाषण, लेख आदि के माध्यम से इन विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही सलाह देने, आलोचना करने, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। मिल्टन (Milton) कहते हैं, ''मुझे अपने अन्तर्मन के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतन्त्रता और अन्य स्वतन्त्रताओं से ज्यादा पसंद है।''

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Religious Freedom)

धार्मिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी प्रकार का धर्म न ही लादा जा सकता है। धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में रूसों (Rousseau) ने ठीक ही कहा है, ''सब धर्मों को, जो दूसरे धर्मों को सहन करते हैं, सहन किया जाना चाहिए, जब तक, उसके मत नागरिकता के कर्तव्यों का विरोध नहीं करते।''

समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Form Associations)

संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मन्त्र है। इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके।

सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

सम्पत्ति के अधिकार का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गये धन (Money) को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या संचित करके रख सकता है। इस सम्बन्ध में लॉस्की (Laski) ने लिखा है कि ''सम्पत्ति का अधिकार तभी तक है जब तक मेरी सेवा की दृष्टि से उसका कुछ महत्व है, उस वस्तु पर मेरा स्वामित्व नहीं हो सकता, जिसका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य के श्रम से हुआ हो। मेरा किसी वस्तु का

स्वामित्व न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, यदि उसके परिणामस्वरूप मुझे अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।'' एक अन्य स्थान पर लॉस्की (Laski) लिखते हैं कि ''धनवान तथा निर्धन में बंटा हुआ समाज रेत की नींव पर टिका होता है।''

रोजगार अथवा काम का अधिकार (Right to Work)

व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित वेतन प्राप्त होना चाहिए। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''अपना श्रेष्ठ रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब तक किसी व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं, अपितु उसे कार्य की उपयुक्त मजदूरी का अधिकार होना चाहिए।''

शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और प्रारम्भिक शिक्षा (Primary or Elementary education) की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए।

परिवार का अधिकार (Right to Family)

व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन–पोषण का अधिकार होना चाहिए तथा राज्य को इस सम्बन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए।

राजनीतिक अधिकार (Political Rights)

राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों में है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। साधारणतया एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं:–

वोट अथवा मतदान का अधिकार (Right to Vote)

वोटे देने अथवा मतदान को प्रजातन्त्र की आधारशिला कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकारिक विस्तृत बनाने की है इसलिए अधिकतर देशों में वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) को अपना लिया गया है।

चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Fight Election)

प्रजातन्त्र में शासक (Rules) और शासित (Ruled) का कोई भेद नहीं होना चाहिए और योग्यता सम्बन्धी कुछ शर्तों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।

सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)

व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए।

प्रार्थना पत्र व सलाह देने का अधिकार (Right to Petition)

लोकतन्त्रीय शासन का संचालन जनहित के लिए ही किया जाना चाहिए। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सरकार को प्रार्थना–पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत ही शासन की आलोचना करने का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक अधिकार (Political Rights) देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और देश में बसे हुए

विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है।

2.3.6 अधिकारों संबन्धी सिद्धान्त

(Theories of Rights)

अधिकारों सम्बन्धी समय–समय पर अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:–

अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त (National Theory of Rights)

अधिकार के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सबसे पुराना है और इसका प्रचलन यूनानियों (Greeks) के समय से है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसा कि आर्शीवादम (Ashirvadam) ने कहा है, ''अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी (Skin) का रंग इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है वे तो स्वयं सिद्ध है।'' (They are as much a part of man's nature as say the colour of his skin. They do not require an elaborate explanation or justification. They are selt-eriden.) हॉब्स (Hobbes), लॉक (Locke) रूसो (Rousseau) मिल्टन (Milton) वाल्टेयर (Voltair) टामस पेन (Thomas Paine), हर्बर्टस्पेन्सर (Herbert Spencer) ब्लैकस्टोन (Black Stone) आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। स्पेन्सर (Spencer) का विचार है कि समान स्वतन्त्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। लॉक (Locke) के शब्दों में ''सभी मनुष्य स्वतन्त्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रभाव (Influence or Effect or Impact)

इस सिद्धान्त ने फ्रांस और अमरीका की क्रान्ति के प्रेरक सिद्धान्त के रूप में कार्य किया था और इसके आधार पर ही स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व की घोषणा की गई थी।

आलोचना

(Criticism)

वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धान्त का अधिक महत्त्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धान्त की आलोचना की जा सकती है:–

प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक ('Natural' word is unclear and confusing)

प्राकृतिक सिद्धान्त में जिस 'प्राकृतिक' शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतया अनिश्चित और अनेकार्थक है। रिची (Ritchie) के अनुसार, ''प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ है जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (Complete Cosmes), सृष्टि (Nature), वह स्थान जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श (Ideal) या पूर्ण लक्ष्य (Aim) अपूर्ण (Incomplete) साधारण (Simple) या औसत (Average)।'' प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण यह सिद्धान्त भी नितांत अनिश्चित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है।

प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर मतभेद (Differences in the list of Natural Rights)

प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन–कोन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं है। इस सिद्धान्त के कुछ समर्थक व्यक्तिगत सम्पत्ति के (Individual or Personal Property) प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य पूर्ण आर्थिक

समानता को प्राकृतिक समझते हैं। लॉस्की (Laski) ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि ''अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची बनायी नहीं जा सकती।''

पारस्परिक विरोध (Self Contradictory)

प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का भी दोषी पाया जाता है। स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।

राज्य कृत्रिम संस्था नहीं (State is not an Artificial Creation)

इस सिद्धान्त के अनुसार, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया है, किन्तु वास्तविकता इसके ठीक विपरित है, क्योंकि राज्य एक कृत्रिम (Artificial) संस्था (Creation) नहीं है।

सामाजिक स्वीकृति के बिना अधिकार सम्भव नहीं (Lack of Social Sancity)

इस सिद्धान्त में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गयी है, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है। समाज में बिना सामाजिक स्वीकृति के अधिकार का अस्तित्व सम्भव नहीं हो सकता जैसा कि गिलक्राइस्ट (Gilchrist) ने कहा है कि ''अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।'' (Rights arise from the fact that man is a social being.)

महत्त्व (Importance)

प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है और जिनसे मनुष्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अमरीका, भारत, सोवियत रूस आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गयी है, वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। लॉर्ड (Lord) के शब्दों में कहा जा सकता है कि ''यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हों अथवा नहीं, परन्तु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक है।'' (Natural rights are those conditions, whether afforded by human agency or not which are required for the development of individuality.)

अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त

(Legal Theory of Rights)

यह सिद्धान्त प्राकृतिक सिद्धान्त के ठीक विपरित है और इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन् बनावटी है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति को केवल ही अधिकार हो सकते हैं, जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य अधिकारों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के कार्य करता है:–

1. अधिकारों की परिभाषा करना (To define Rights)
2. उनकी सीमाएँ निश्चित करना (To draw limitations on Rights)
3. उनके प्रयोग की व्यवस्था करना (To implement Rights)

कानूनी सिद्धान्त का समर्थक बैंथम (Bentham), ऑस्टिन (Austin), हॉब्स (Hobbes) हालैण्ड (Holland) आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार अधिकारों का मापदण्ड नैतिक (Moral) आधार न होकर वास्तविकता (Reality) के कारण, इस सिद्धान्त को वास्तविक अधिकार (Factual Right) कहा जा सकता है।

आलोचना
(Criticism)

अधिकारों के कानून सिद्धान्तों को भी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती हैः–

राज्य के आदेश काननों का निर्माण नहीं करते (Orders of State do not make laws)

राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानूनों का निर्माण नहीं हो जाता है। वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और रक्षा करता है। उदाहरण के लिए राजय का कोई भी कानून चोरी (Stealing), घूस खोरी (Bribery), और कालाबाजार (Black Marketing) को अधिकार के रूप में बदल नहीं सकता है। इस संबंध में नार्मन (Norman Wilde) ने उचित ही कहा है कि ''कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है, परन्तु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। अधिकारों का कानून का स्वरूप दिया जाए या उनका अपना अलग अस्तित्व है। (The law does not create our rights, but only recognise them and protect them, they are enforced because they are rights and are not rights because they are enforced.)

राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा (State will become autocratic)

यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है तो इसके परिणामस्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा और शासक अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अन्त कर देंगे। आर्शीवादम (Ashrivadam) ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''यह कहना कि एक मात्र राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है।''

महत्त्व (Importance)

यद्यपि इस सिद्धान्त की इस प्रकार से आलोचनाएँ की जाती हैं लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस सिद्धान्त में सत्य का अंश है।

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त
(Historical Theory of Rights)

इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का जन्म इतिहास में हुआ है। वे उन रीतिरिवाजों और प्रथाओं पर आधारित हैं जो एक लम्बे अर्से से चली आ रही है। ये रीति – रिवाज और प्रथाएँ ही मनुष्य के अधिकार बन जाते हैं। रिशे (Rishay) ने कहा है, ''ये अधिकार, जिनके विषय में यह परम्परा (Custom) होती है कि वे कभी उन्हें प्राप्त थे। रीति रिवाज प्राचीन कानून आदि हैं। (Those rights which people think they ought to have are just those rights which they have been a customed do have or which they have tradition of having once possessed custom in primitive law.)

अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त में कुछ सत्यता है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे कितने ही अधिकार रीति रिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ राज्य द्वारा स्वीकृत होने पर कानून बन गए, परन्तु सभी अधिकारों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाकिंस (Hawkins) का कथन है, ''इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती परन्तु केवल इतिहास पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता।'' (History can not be ignored, but history can not be realised on alone.)

अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धान्त
(Social Welfare Theory of Rights)

इस सिद्धान्त के समर्थकों में बैंथम (Bentham) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बैंथम (Bentham) के

अनुसार हमारे अधिकार वे हैं जो समाज के अधिक से अधिक मनुष्यों को प्रसन्नता (Greatest Happiness of the greatest number) दे सकें। दूसरे शब्दों में अधिकार समाज की देन हैं और वे सामाजिक कल्याण की दशाए हैं। लॉस्की (Laski) ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। लॉस्की (Laski) का कथन है कि ''हमारे अधिकार समाज से स्वतन्त्र नहीं होते, वरन वे उनमें निहित है।'' (Out rights are not independent of society, but inherent in it.)

समाज कल्याण व अधिकारों का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लॉस्की (Laski) ने भी कहा है कि सार्वजनिक कल्याण के विरूद्ध मेरा कोई अधिकार नहीं क्योंकि इस प्रकार का अधिकार उस कल्याण के विरूद्ध होगा जो अन्तिम और आविछिन्न रूप से मेरे सम्बन्धित है। (I can not have right against the public welfare, for that ultimately is to give me rights against a welfare, which is ultimately and inseparably associated with my own.)

आलोचना (Criticism)

अधिकारों को सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी होना चाहिए, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता परन्तु इस सिद्धान्त के कुछ दोष भी हैं।

1. यह सिद्धान्त अस्पष्ट और अनिश्चित है (Unclear and Non definite) रू यह मालूम करना कि 'अधिक से अधिक मनुष्यों के हित का क्या तात्पर्य है बहुत कठिन है।
2. कभी–कभी सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण में विरोध पैदा हो जाता है।

अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त

(Idealist Theory of Rights)

यह सिद्धान्त अधिकारों के नैतिक पक्ष को महत्व देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, मनुष्य के आन्तरिक विकास के लिए बाह्म परिस्थितियाँ आवश्यक है। बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। हैनरिसी (Henrisi) के शब्दों में 'अधिकार वपे परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व और अस्तित्व और उसकी पूर्णता के निर्मित आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं की स्थिति के लिए आवश्यक है। (Rights are that which are really necessary for the maintenance of material conditions necessary to the existences and perfection of human personality.) लॉस्की (Laski) ने यह भी कहा है कि अधिकारों को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता हैः–

1. व्यक्ति का हित (Individual Welfare)
2. भिन्न भिन्न वर्गों का हित (Welfare of different Classes)
3. राष्ट्रीय हित

आलोचना (Criticism)

वह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि व्यक्ति क्या है? इसके अतिरिक्त यदि व्यक्तित्व की परिभाषा दे भी सकें तो यह कहना बहुत कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए किन–किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है।

निष्कर्ष (Conclusion)

ऊपर दिये गये भिन्न–भिन्न अधिकारों के सिद्धान्तों के वर्णन से स्पष्ट है कि इन सभी सिद्धान्तों में कुछ सत्यता है। प्रत्येक सिद्धान्त किसी एक ही तथ्य पर जोर देता है परन्तु यदि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त सबसे अच्छा सिद्धान्त है, क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अधिकार दिये जाएं।

2.3.7 निष्कर्ष

हाल ही में, राजनीतिक–सिद्धान्त के क्षेत्र में अधिकारों की अवधारणा का बड़ा महत्व हो गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजनीति का अर्थ और सरकार संबंधी अध्ययन के साथ अधिकारों का अध्ययन भी मुख्य विषय बन गया है।

2.3.8 मुख्य शब्दावली

1. स्वतंत्रता
2. अधिकार
3. सार्वभौमिक
4. कानूनी
5. कल्याणकारी
6. आदर्शवादी

2.3.9 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. ''राज्य अपने अधिकारों द्वारा माना जाता है।'' आधुनिक प्रजातन्त्रीय राज्य में लोगों को क्या अधिकार देने चाहिए?

   ("State is known by the Rights it maintains." What rights should be given in modern democratic states.)

2. अधिकारों के स्वरूप के विषय में भिन्न–भिन्न सिद्धान्त कौन से हैं? इनमें से कौन सा सिद्धान्त सर्वाधिक सन्तोषजनक है और क्यों?

   (What are the various theories regarding the nature of rights? Which of these is most satisfactory and why?)

3. अधिकारों की परिभाषा बताए। आधुनिक राज्य में नागरिकता का प्राप्त अधिकारों के भिन्न–भिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।

   (Define rights and discuss the various kinds of rights enjoyed by the citizens in the modern state.)

4. अधिकारों के भिन्न–भिन्न सिद्धान्तों का वर्णन करें। उनमें से कौन सा सिद्धान्त सर्वाधिक संतोषजनक है?

   (Describe the different theoreies of Rights. Which of them is most satisfactory?)

5. अधिकारों की परिभाषा बताएँ। इसकी भिन्न–भिन्न किस्मों (प्रकारों) की व्याख्या करें। (Define rights – Discuss its various kinds.)

6. अधिकार क्या होते हैं? एक नागरिक कौन से राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार आधुनिक राज्य में प्राप्त करता है?

   (What are rights? Describe the civil and political rights that a citizen enjoys in a modern state.)

7. अधिकारों का उदारवादी– व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें। (Critically examine the Libeal individualist theory of Rights.)

8. अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धान्त का क्या अर्थ है। इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ कौन सी है?

   (What is mean by Marxist theory of Rights? What are the important characteristics of this theory?)

2.3.10 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.4 स्वतन्त्रता

(Liberty)

डॉ० राधा कृष्णन (Dr. Radha Krishnan) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन् एक सर्वोच्च साध्य है।'' मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतन्त्रता का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बर्ट्रेण्ड रसेल (Bertrand Russell) कहते हैं कि ''स्वतन्त्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृति है इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण सम्भव है। मैजिनी (Mazzini) का कथन है कि ''स्वतन्त्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। अतएव आपको स्वतन्त्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती हो उससे जैसे भी बने, अपनी स्वतन्त्रता छीन लेना आपका कर्त्तव्य है।''

2.4.1 परिचय

उदारवादी विचार के एक मर्म–सिद्धांत के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा सर्वाधिक सामान्य तौर पर नियंत्रण–अभाव के रूप में समझी जाती है। स्वतन्त्रता–संबंधी धारणा आधुनिक यूरोप में नए सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक संबधों की स्थापना के प्रसंग में विकास हुआ। इस प्रकार, स्वतन्त्रता की धारणा का नियंत्रण–अभाव या व्यक्ति की स्वायत्तता–क्षेत्र के रूप में विकास हुआ। हॉब्स, लॉक एवं रूसो जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धान्तों ने नियंत्रणों की अविद्यानता के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा सामने रखी।

2.4.2 उद्देश्य

1. स्वतन्त्रता के आधुनिक व सामाजिक सिद्धान्त में बुनियादी लोकतान्त्रिक मूल्यों को जानना।
2. स्वतन्त्रता के विभिन्न पहलुओं, धारणाओं, औचित्य एवं सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे।
3. स्वतन्त्रता की प्रमुख विशेषताओं को जानना।
4. आधुनिक लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में स्वतन्त्रता संबंधी संरक्षण को जान सकेंगे।
5. स्वतन्त्रता व कानूनी संबंधी धारणाओं के आपसी संबंध के बारे में जानना।

2.4.3 स्वतन्त्रता का अर्थ
(The Meaning of Liberty)

स्वतन्त्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी (Liberty) कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'लिबर' (Liber) से हुई 'लिबर' का अर्थ है – मुक्ति अर्थात् 'बन्धनों का अभाव' (Absence of Restraints) इसको अभिप्राय यह हुआ कि लोगों को 'इच्छानुसार कार्य करने की आजादी' है। वास्तव में स्वतन्त्रता (Liberty) की यह परिभाषा बहुत भ्रमपूर्ण है। स्वतन्त्रता का अर्थ यदि यह लिया जाए कि 'हर बन्धन एक बुराई है।' (All restraints are Evil) तो स्वतन्त्रता स्वेच्छाचार (Licence) का ही दूसरा नाम बन जाएगी। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को सदा मनचाहा कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाये रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अपने अधिकतम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके।''

स्वतन्त्रता की परिभाषाएँ
(Difinitions of Liberty)

'स्वतन्त्रता' शब्द की परिभाषा अलग–अलग विद्वानों ने अलग–अलग ढंग से की है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैः–

1. सीले (Seeley) का कथन है कि, ''स्वतन्त्रता अति शासन का उल्टा रूप है।'' (Liberty is the opposite of over governments.)
2. कोल (Cole) के मतानुसार ''बिना किसी रूकावट के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतन्त्रता है।'' (Liberty is the freedom of the individual to express without external hindrance to his personality.)
3. टी०एच०ग्रीन (T.H. Green) का कथन है, कि ''स्वतन्त्रता उन कार्यों को करने या उन वस्तुओं का उपयोग करने की शक्ति है जो करने और उपभोग करने योग्य है।'' (Freedom is the positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying and that too, something we do or enjoy with others.)
4. गैटल (Gettel) के शब्दों में स्वतन्त्रता से अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे करने योग्य कार्यों को करने की छूट प्राप्त होकर उससे आनंद मिलता है। (Liberty is the positive power of doing the enjoying those things which are worthy of enjoyment and worth.)
5. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता का अर्थ उस वातावरण को कायम करना है जिसमें व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हों।'' (Liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.)
6. हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) का कहना है कि, ''प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतन्त्र है जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन उससे किसी दूसरे मनुष्य की वैसी ही स्वतन्त्रता नष्ट न होती हो।'' (Every man is free to do what he wills, provided he does not in fringe on the equal freedom of any other man.)
7. मेक्कनी (Mackeni) का कथन है कि ''स्वतन्त्रता सभी तरह की पाबन्दियों का अभाव न होकर अनुचित पाबन्दियों के स्थान पर उचित पाबन्दियों की स्थापना है।'' (Freedom is not the absence of all restraints, first rather the subsitution of rational over for the irrational.)
8. रैम्जे मूर (Remsay Muir) के शब्दों में, ''स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने विचार के अनुसार सोचने, उसके प्रकट करने और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति का सुरक्षित उपयोग करने से है। (Liberty means to secure enjoyment by individuals and by associations of the power to think their own way under the shelter of the law, provided they do not impair the corressponding rights of others.)
9. सी.डी. बर्न्स (C.D. Burns) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता का अर्थ योग्यता और व्यक्ति का पूर्ण विकास है।'' (Liberty is to grow to one's nature height and to develop one's ability.)

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता मनमानी करने का अधिकार नहीं है। स्वतन्त्रता सभी प्रकार के प्रतिबन्धों की अनुपस्थिति भी नहीं है और न ही स्वतन्त्रता अनियन्त्रित शक्ति के प्रयोग को कह सकते हैं। जैसा कि बार्कर (Barker) ने कहा है, कि ''जिस तरह बदसूरती का न होना सुन्दरता नहीं है उसी तरह बन्धनों का न होना स्वतन्त्रता नहीं है।

2.4.4 स्वतन्त्रता की विशेषताएँ (Characterstics of Liberty)

स्वतन्त्रता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **समान (Equal)**: स्वतन्त्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है।
2. **करने योग्य कार्य (Worth doing)**: करने योग्य कार्य करने की शक्ति ही स्वतन्त्रता है।

3. **उचित वातावरण (Congenial Environment)**: व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए उचित वातावरण ही स्वतन्त्रता है।

4. **बन्धनों का अभाव (Absence of Restraints)**: स्वतन्त्रता सभी प्रकार के बन्धनों का अभाव नहीं है।

5. **समाज के विरूद्ध नहीं (Not against Society)**: स्वतन्त्रता का प्रयोग समाज के विरूद्ध नहीं किया जा सकता।

6. **उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था (Provision for genuine restraints)**: 'अनुचित प्रतिबन्धों' के स्थान पर 'उचित प्रतिबन्धों' की व्यवस्था ही स्वतन्त्रता है।

7. **समाज से बाहर नहीं (Not outside the Society)**: स्वतन्त्रता समाज के अन्दर ही मिल सकती है, समाज से बाहर नहीं।

2.4.5 स्वतन्त्रता के स्वरूप

(Nature of Liberty)

स्वतन्त्रता के दो रूप (Aspects) हैं। जो कि इस प्रकार हैः–

नकारात्मक रूप (Negative Aspect of Liberty)

स्वतन्त्रता के नकारात्मक पहलू का अर्थ है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का बंधन न हो और उसे अपनी इच्छानुसार प्रत्येक कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस विचार का समर्थन हॉब्स (Hobbes) स्पेन्सर (Spencer) तथा जे०एस० गिल (J.S. Mill) आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। हॉब्स (Hobbes) ने लिखा है ''स्वतन्त्रता का अर्थ बन्धनों का अभाव है।'' (Liberty means the absence of restrains.) इसी विचार का समर्थन करते हुए रूसो (Rousseau) ने लिखा है, ''मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है परन्तु वह बन्धनों में जकड़ा हुआ है।'' जे०एस०मिल (J.S.Mill) के अनुसार, ''व्यक्ति के जो कार्य स्वयं से सम्बन्धित (Self regarding actions) हैं, उन पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिए।

सकारात्मक रूप (Positive Aspect of Liberty)

कई लेखकों द्वारा स्वतन्त्रता के नकारात्मक स्वरूप की आलोचना की गई है। उनका कहना है कि स्वतन्त्रता का अर्थ 'बन्धनों का अभाव नहीं' बल्कि 'अनुचित बन्धनों' का अभाव है। बार्कर (Barker) ने लिखा है, कि ''जिस प्रकार कुरूपता का न होना सुन्दरता नहीं उसी प्रकार बन्धनों का न होना स्वतन्त्रता नहीं है।'' (As beauty is not the absence of ugliness so liberty is not the absence of restraint.) इसी प्रकार मैकेंजी (Mackenzie) ने लिखा है कि ''स्वतन्त्रता सभी प्रकार के बन्धनों के स्थान पर उचित प्रतिबन्धों को स्वतन्त्रता कहते हैं।'' (Freedom is not the absence of all restraints, but rather the substitution of rational ones for the irrational.)

2.4.6 स्वतन्त्रता का प्रकार

(Kinds of Liberty)

माण्टेस्क्यू (Montesquieu) ने एक स्थान पर कहा है कि ''स्वतन्त्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों, और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो।'' माण्टेस्क्यू (Montesquieu) के इस कथन का कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैंः–

प्राकृतिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty)

इस धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति (Nature) की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतन्त्र पैदा होता है। इसी विचार के व्यक्त करते हुए रूसों (Rousseau) ने लिखा है कि ''मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है किन्तु सर्वत्र यह बन्धनों से बंधा हुआ है।'' (Man is born free but every where he is in chains.) समझौतावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमरीका की स्वाधीनता घोषणा (Declaration of American Independence) और 'फ्रांस की राज्य क्रान्ति' (French Revolution) में इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया गया था।

आलोचना
(Criticism)

भ्रमात्मक (Confusing)

प्राकृतिक स्वतन्त्रता की यह धारणा पूर्णतया भ्रमात्मक (Confusing) है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता की स्थिति में तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is right) का व्यवहार प्रचलित होगा। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतन्त्रता।

असीमित स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव नहीं (Unlimited Liberty Impossible in Civilised Society)

सभ्य समाज में रहकर असीमित अधिकारों का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतन्त्रता को सीमित करना जरूरी है।

महत्त्व (Importance)

इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका पर्याप्त महत्व है कि यह सिद्धान्त इस बात पर प्रकाश डालता है कि सब व्यक्ति समान हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास हेतू उन्हें समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Liberty)

इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिनका सम्बन्ध केवल उसके स्वयं के अस्तित्व से हो इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मलित किया जा सकता है। मिल (Mill) का कहना है कि ''मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही, किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु है।'' (The role and for which man kind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their member is self protection – over himself, over his own body, mind and soul, the invididual is sovereign.)

आलोचना (Criticism)

व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उससे ही सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

महत्त्व (Importance)

इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य ही है कि जिन कार्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति का खर्च से हो, उनके विषय में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।

नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)

नागरिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतन्त्रताओं से है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करना होता है। अमेरिका में संविधान में साफतौर पर लिखा गया है कि ''कानून की उचित प्रक्रिया के बगैर किसी भी मनुष्य को उसके जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।'' इसी तरह भारत में भी नागरिकों को नागरिक स्वतन्त्रता दी गई है। लेकिन निवारक नजरबन्दी अधिनियम (Preventive Detention Act) भारत सुरक्षा अधिनियम (Defence of India Rules) और आन्तरिक सुरक्षा कानून (Maintenance of Internal Security Act) आतंकवादी कार्यवाही नजरबन्दी अधिनियम (Terrorist Act) आतंकवादी कार्यवाही नजरबन्दी अधिनियम (Terrorist, Defence Security Act) आदि के द्वारा समाज व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ स्थितियों में नागरिकों की स्वतन्त्रता पर रोक भी लगाई जा सकती है। सन् 2002 में भारत में आतंकवाद विरोधी कानून, पोटा (POTA) द्वारा नागरिकों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जा सकती है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)

अपने राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतन्त्रता को राजनीतिक स्वतन्त्रता कहा जाता है। लॉस्की (Laski) के अनुसार ''राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है।'' (The power to be active in the affairs of the state.) लीकॉक राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतन्त्रता (Constitutional Liberty) से लेते हैं। जिसका अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छानुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक उनके प्रति उत्तरदायी हों।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैंः–

1. मतदान देने का अधिकार (Right to Vote)
2. निर्वाचित होने का अधिकार (Right to get Elected)
3. उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to Hold Public Office)
4. सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार (Right to criticise Government and its Policies)

इस अधिकारों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल एक प्रजातन्त्रात्मक देश में ही प्राप्त की जा सकती है।

आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)

वर्तमान समय में आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो, तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। लॉस्की (Laski) के अनुसार ''आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति की बेरोजगारी (Unemployment) और अपर्याप्तता (Insufficient) के निरन्तर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुँचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए।'' (By economic liberty, Laski means, "Security and the opportunity of find reasonable siginificance in the earning of daily bread. I must that is be free from the constant fear of unemployment and insuifficiency, which perhaps be safeguard against the wants of tomorrow.)

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (National Liberty)

प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतन्त्र होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतन्त्रता सम्बन्धी इस व्यवस्था को 'राष्ट्रीय स्वतन्त्रता' कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परम्परा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतन्त्रता राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो।

नैतिक स्वतन्त्रता (Moral Liberty)

व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से पराधीन हो, तो उसे स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतन्त्रता की वास्तविक एक महान स्वतन्त्रता है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिससे वह अनुचित लोभ–लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे (Comte) के विचार मे, 'व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतन्त्रता है।''

प्लेटो (Plato), अरस्तू (Aristotle), ग्रीन (Green), बोसांके (Bosnaquet), काण्ट (Kant) ने इस बात पर बल दिया है कि नैति स्वतन्त्रता से ही मनुष्य का विकास सम्भव है।

2.4.7 स्वतन्त्रता के संरक्षण (Safeguards of Liberty)

कहावत है कि हाथी खरीदना तो आसान है लेकिन उसका पालन–पोषण कठिन है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतन्त्रता बनाये रखना है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतन्त्रता को सदैव ही संकट बना रहता है।

विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं (Conditions) का होना आवश्यक है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैंः–

आदर्श कानून (Ideal or Good Laws)

व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया कानून व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान कर सकें।

विशेषाधिकार का अन्त (Absence of Special Rights and Privileges)

जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति या सम्पत्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभी नागरिकों की स्वतन्त्रता की पूर्ण नहीं हो पाती है। स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अन्त नितान्त आवश्यक है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिये गये हो तो उस दशा में जनसाधारण स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता।''

लोकतन्त्रीय शासन (Democratic Form of Government)

व्यक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है, किन्तु यदि लोकतन्त्रीय (Democratic) शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतन्त्रीय (Democracy) जनता शासित होने के साथ–साथ शासक (Ruler) भी होती है और शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होने

के कारण स्वतन्त्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतन्त्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य के विरूद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं वरन् राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैण्ड, फ्रांस आदि राज्यों के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है।

स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालय (Independent and Impartial Judiciary)

नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय स्वतन्त्र व निष्पक्ष हों और न्यायालयों के कार्यों में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के अभाव में स्वतन्त्रता एक ढकोसला (Myth) मात्र बनकर रह जाती है।

सतत् जागरूकता (Eternal Vigilance)

स्वतन्त्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत् जागरूकता ही है। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करें। कहावत है कि ''सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है।'' (Enternal Vigilance is the Price of Liberty.) लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''नागरिकों की महान् भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतन्त्रता की वास्तविक सुरक्षा है।'' इस सम्बन्ध में थामस जैफरसन (Thomas Jafferson) के शब्द महत्वपूर्ण हैं कि, ''कोई भी देश तब तक अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय समय पर वहाँ जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती रहे।'' (Which country can preserve its liberties, if its rulers are not warned from time to time that the people preserve the spirit of resistance.)

शक्तियों का प्रथक्करण तथा अवरोध और सन्तुलन (Separation of Powers; Checks and Balances)

स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति प्रथक्करण (Separation of Power) तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं सन्तुलन के सिद्धान्त (Checks and Balances) को अपनाना आवश्यक है। शक्ति प्रथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध है, अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे स्वतन्त्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

निष्पक्ष और स्वतन्त्र प्रैस (Impartial and Independent Press)

स्वतन्त्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतन्त्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाचार–पत्र (News Paper) स्वतन्त्र हैं, तो उनके द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है, जनता में स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है।

2.4.8 स्वतन्त्रता और कानून में सम्बन्ध (Relation Between Law and Liberty)

स्वतन्त्रता से अभिप्राय अथवा स्वतन्त्रता का अर्थ एक व्यक्ति का पूर्ण मनमानी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अराजकता फैल जाएगी। वास्तविक स्वतन्त्रता केवल उसी समय सम्भव हो सकती है, जबकि मनुष्य कानून की सीमाओं में रहकर तथा उसका पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, कानून राज्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं और वास्तव में एक राज्य की प्रभुसत्ता उसके कानूनों द्वारा ही प्रकट होती है। इसलिए प्रभुसत्ता, कानून तथा स्वतन्त्रता के विरोधी है। विद्वानों ने स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध के विषय में दो दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित हैंः–

स्वतन्त्रता और कानून परस्पर विरोधी है (Liberty and Laws are Opposed to Each Other)

पहले दृष्टिकोण के अनुसार, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कानून व स्वतन्त्रता को एक दूसरे का विरोधी मानती है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के अधिकांश राजनीतिक विचारक यह मत रखते हैं कि स्वतन्त्रता और कानून में परस्पर विरोध है। इस सम्बन्ध में विलियम गोडविन (William Godwin) ने कहा है, ''कानून स्वतन्त्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है।'' इसी प्रकार कोकर (Coker) का भी यही विचार है, ''राजनीतिक सत्ता अनावश्यक तथा अवांछनीय है।''

उपरलिखित सम्बन्ध में इन विचारकों के मत निम्नलिखित हैंः–

1. **व्यक्तिवादियों का मत (View of Individuals):** 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जोर दिया और यह कहा कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर एक प्रतिबंध है। इसलिए व्यक्ति की स्वतन्त्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे। जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने भी कहा है कि, ''सरकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के शारीरिक अथवा मानसिक विकास के कुछ न कुछ भाग को अवरूद्ध कर देता है।'' (Government interference, starves the development of some Portion of the bodily or menal development.)
2. **अराजकतावादियों का मत (View of Anarchists)**: अराजकतावादियों के अनुसार, राज्य प्रभुसत्ता का प्रयोग करके नागरिकों की स्वतन्त्रता को नष्ट करता है। अतः अराजकतावादियों ने राज्य को समाप्त करने पर जोर दिया। प्रोधा (Proudha) ने विचार व्यक्त किया है, ''मनुष्य पर मनुष्य का किसी भी रूप में शासन अत्याचार है।'' (Government over man in any form in oppression.)
3. **बहुलवादियों का मत (View of Pluralists)**: बहुलवादियों का विचार है कि राज्य के पास जितनी अधिक सत्ता होती है, उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता उतनी ही कम होती है, उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता उतनी ही कम होती है, इसलिए वे राज्य सत्ता को विभिन्न समुदायों में बांटने के पक्ष में है। इस प्रकार बहुलवादी राज्य को भी एक संस्था मानते हैं और उसे अन्य संस्थाओं से अधिक शक्ति देने के पक्ष में नहीं है। लॉस्की (Laski) ने कहा है, ''असीमित और अनुत्तरदायी राज्य मानवता के हितों के विरूद्ध है।'' (Unlimited and irresponsible state is incompatiable with the interest of humanity.")
4. **सिन्डी कलिस्टों का मत (View of Syndicatists)**: सिन्ड़ीकलिस्ट, अराजकतावादियों की तरह राज्य को पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनके मतानुसार राज्य सदैव पूँजीपतियों का समर्थन करता है। जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

स्वतन्त्रता और कानून एक–दूसरे के विरोधी नहीं (Liberty and Laws are not Opposed to Each Other)

स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ये दोनों एक–दूसरे के विरोधी न होकर एक–दूसरे के पूरक (Complimentary) हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना खतरे में पड़ जाएगा। इस दृष्टिकोण के समर्थक

समाजवादी और आदर्शवादी है। इन विचारकों का कहना है कि कानून स्वतन्त्रता का हनन नहीं करता बल्कि उसकी रक्षा करता है। इसलिए लॉक (Locke) ने ठीक ही कहा है, ''जहाँ कानून नहीं है, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं है।'' हॉकिन्स (Hockins) ने भी लिखा है, ''व्यक्ति जितनी अधिक स्वतन्त्रता चाहता है। उतना ही उसे सत्ता के आगे झुकना पड़ता है।'' (The greatest the liberty a person desires the greator is the authority to which he should submit himself.) इस दृष्टिकोण का विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रकार हैः–

कानून स्वतन्त्रता का रक्षक है (Law Safeguards Liberty)

स्वतन्त्रता का अर्थ सभी के लिए सीमित स्वाधीनता है। अपने दायरे में रहकर अपना विकास करना ही स्वतन्त्रता है, जिसका अभिप्राय है कि सभी पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं, जिससे वे एक–दूसरे की स्वतन्त्रता न छीन सके। राज्य अपनी सत्ता कानून द्वारा प्रदर्शित करता है, इसलिए कानून सबकी स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक होते हैं। कानून स्वतन्त्रता के विरोधी नहीं, बल्कि उसकी पहली शर्त होते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए लॉक (Locke) ने कहा था कि, ''जहाँ कानून नहीं होते वहाँ स्वतन्त्रता नहीं होती।'' (Where there is no law there is no freedom.)

कानून स्वतन्त्रता की पहली शर्त है (Law is the First Condition of Liberty)

मोन्टेस्क्यू (Montesquieu) ने स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए कहा है कि, ''स्वतन्त्रता वे सभी कार्य करने का अधिकार है जिनको करने की अनुमति कानून देता है।'' रूसो (Rosseau) ने सामान्य इच्छा (General Will) के मानने को ही वास्तविक स्वतन्त्रता कहा है। विलोबी (Willoughby) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता केवल वहीं सुरक्षित है जहाँ बंधन है।'' (Freedom exists only where there is restraint) रिशी (Ritchie) के शब्दों में, ''कानून आत्मविकास के सुअवसर के रूप में स्वतन्त्रता को सम्भव बनाते हैं और सत्ता के अभाव में इस प्रकार की स्वतन्त्रता सम्भव नहीं हो सकती।'' (Liberty in the sense of positive opprotunity for self-developments is creation of law and not something that could be apart from the action of the state.) स्वतन्त्रता की प्रकृति में ही प्रतिबन्ध है और प्रतिबन्ध इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व सुविधाएँ प्राप्त हो सके। एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता या सामाजिक हित में बाधक न बन सकें। स्वतन्त्रता को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है कि उसे सीमित किया जाए। अरस्तू (Aristoto) के शब्दों में, ''मनुष्य अपनी पूर्णतः में सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह कानून व न्याय से पृथक हो जाता है सबसे निकृष्ट प्राणी बन जाता है।''

आदर्शवादियों के विचार (View of Idealist)

आदर्शवादी (Idealists) विचारकों ने कानून व स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार किया है। हिगल(Hegal) के अनुसार ''राज्य में रहते हुए कानून के पालन में ही स्वतन्त्रता निहित है।'' हिगल (Hegal) ने राज्य को सामाजिक नैतिकता की साक्षात् मूर्ति कहा है, और कानून चूंकि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अतः नैतिक रूप से भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता कानून के पालन में ही निहित है। टी०एच० ग्रीन (T.H. Green) के अनुसार, ''हमारे अधिकांश कानून हमारी सामाजिक स्वतन्त्रता को कम करते हैं, परन्तु इनका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने गुणों का पूर्ण विकास कर सकता है।'' (Much modern legislation interferes with the freedom of country in order to maintain the conditions without which free exercise of the human facilities is impossible.) स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और व्यक्तित्व का विकास कानून के पालन द्वारा ही हो सकता है। रूसो (Rousseau) ने कहा है, ''ऐसे कानून का पालन, जो हम स्वयं अपने लिए निश्चित करते हैं, वही स्वतन्त्रता है।'' (Obedience to a law, which we precribe to ourselves is liberty.)

2.4.9 स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणाएँ

स्वतन्त्रता सम्बन्धी जे.एस. मिल की धारणा

जे.एस. मिल कृत **ऑन लिबर्टी** 1960 के दशक में अकादमिक बहसों में प्रभावशाली रही। मिल की पुस्तक को स्तन्त्रता सम्बन्धी नकारी अवधारणा की एक व्याख्या के रूप में देखा जता है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता हेतु मिल के तर्कों के आधार में प्रथा के लिए एक सख्त नफरत का भाव छिपा है, और जिसको कानूनी नियमों व मानदण्डों हेतु युक्तियुक्त रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। कभी–कभी यह भी तर्क दिया जाता है कि मिल के अनुसार कोई भी स्वतन्त्र कार्य, चाहे वह कितना भी अनैतिक हो, अपने में सद्‌गुण का कुछ तत्त्व रखता है, इस तथ्य से गुजरकर कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पादित किया गया हो। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुराई माना, उन्होंने नियंत्रणों को पूरी तरह अतर्कसंगत नहीं माना। फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतन्त्रता के पक्ष में एक परिकल्पना हमेशा रहती है। स्वतन्त्रता विषयक कुछ नियंत्रणों को, इसी कारण, उनके द्वारा सही ठहराया जाना पड़ा जो उन्हें व्यवहार में लाये।

मिल के अनुसार, स्वतन्त्रता का उद्‌देश्य था 'व्यक्तित्व' हासिल करने को बढ़ावा देना था। व्यक्तित्व (individuality) का अभिप्राय हर मानव–गुण सम्पन्न व्यक्ति के विशिष्ट एवं अन्य लक्षण से है, और आजादी का अर्थ है, हर व्यक्तित्व का बोध, यथा निजी विकास एवं आत्म–निश्चय। मनुष्यों में व्यक्तित्व के गुण ने ही उन्हें निष्क्रिय की बजाय सक्रिय बनाया, साथ ही सामाजिक व्यवहार की वर्तमान रीतियों का छिन्द्रान्वेषी भी, ताकि वे जब तक परम्पराओं को तर्कसंगत न पायें, उन्हें स्वीकार न करें। मिल के तानेबाने में स्वतन्त्रता इसीलिए मात्र नियंत्रण–अभाव के रूप में नहीं, बल्कि कुछ वांछित प्रवृत्तियों की सुविवेचित वृद्धि (deliberate cultivation) में नजर आती है। यही बात है जिसके कारण मिल को अक्सर स्वतन्त्रता की सरकारी संकल्पना की ओर आकर्षित होते देखा जाता है। स्वतन्त्रता संबंधी मिल की संकल्पना का मूल विकल्प की धारणा में भी है। यह बात उनके इस विश्वास से प्रमाणित होती है कि वह व्यक्ति जो 'अपने लिए स्वयं की जीवन–योजना को चुनने' का अधिकार दूसरों को दे देता है, 'व्यक्तित्व' अथवा आत्म–निश्चय संबंधी मानसिक शक्ति नहीं दर्शाता। यह मात्र जो मानसिक शक्ति रखता लगता है वह 'अनुकरण' की 'वानर सदृश' (apelipe) मानसिक शक्ति है। दूसरी ओर, वह व्यक्ति 'जो स्वयं के लिए योजना चुनता है, अपनी सभी मानसिक शक्तियों को काम में लाता है' (1974, पृ० 123)। अपने व्यक्तित्व को स्पष्टतया अनुभव करने के लिए, और उसके द्वारा स्वतन्त्रता की स्थिति प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक था कि व्यक्तिजन दबावों अथवा मानदण्डों व प्रथाओं का विरोध करें जो आत्म–निश्चय में बाधक थे। मिल का, तथापि, यह विचार भी था कि विरोध करने व स्वतन्त्र विकल्प चुनने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। शेष जन 'वानर–सदृश अनुकरण' में विश्वास रखने वाली विषयपवस्तु है, जिसके द्वारा वे परतंत्रता की दशा में रहते हैं। स्वतन्त्रता–संबंधी मिल की अवधारणा को इसी कारण अभिजातवर्गीय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का उपभोग मात्र एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है, न कि व्यापक रूप से जन–साधारण द्वारा।

अन्य उदारवादियों की ही भाँति, मिल ने व्यक्ति व समाज के बीच सीमा–निर्धारण पर बल दिया। वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर तर्कसंगत अथवा न्यायोचित प्रतिबंधों के बारे में बात करते हुए, मिल ने आत्म–सम्मानजनक एवं अन्य–सम्मानजनक कार्यों के बीच भेद किया, यथा वे कार्य जो सिर्फ व्यक्ति–विशेष को प्रभावित करते थे, और वे कार्य जो आम समाज को प्रभावित करते थे। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप को सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने के लिहाज से ही सही ठहराया जा सकता था। उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वयं प्रभावित करते थे, व्यक्ति संप्रभु था। जो सिर्फ सामाजिक निग्रहों की इस प्रकार की समझ ऐसे समाज की धारणा प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति व समाज के बीच संबंध 'पितृसत्तात्मक' नहीं होता, यथा, व्यक्ति चूँकि अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ पारखी होता है, कानून व समाज किसी व्यक्ति के 'सर्वश्रेष्ठ हितों' को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

इसी प्रकार, यह धारणा कि किसी कार्य पर सिर्फ तभी नियंत्रण लगाया जा सकता है यदि यह दूसरों को हानि पहुँचाता हो, इस धारणा को नियम–विरूद्ध कहकर घोषित करती है कि कुछ कार्य अन्तर्भूत (intrinsically) रूप से अनैतिक होते हैं और इसी कारण इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वे किसी और को प्रभावित करते हैं, अवश्य ही सजा देकर सुधारे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मिल का तानाबाना 'उपयोगितावाद' को अप्रासंगिक कहकर घोषित करता है, जैसा कि बैन्थम द्वारा कहा गया है, जो कि हस्तक्षेप को सही ठहरायेगा यदि वह आम हित को अधिकतम सीमा तक बढ़ाता है। तथापि, मिल के विचार में व्यक्ति व समाज के बीच सीमांकन इस अर्थ में कठोर नियम–निष्ठ नहीं है कि सभी कार्य दूसरों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते ही हैं, और मिल का मानना यह भी था कि उसका सिद्धान्त दूसरों के आत्म–सम्मानजनक व्यवहार के संबंध में किसी नैतिक उदासीनता का धर्मोपदेश नहीं करता, साथ ही उन्होंने महसूस किया कि अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए अनुभव का प्रयोग अनुमति के योग्य है। इसी तरह, मिल का सामाजिक लाभ को प्रोत्साहन देने हेतु स्वतन्त्रता के सहायक मूल्य में अटूट विश्वास था। यह बात विचार, चर्चा एवं अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतन्त्रता तथा सभा व संस्था हेतु अधिकार के लिए उसके तर्कों के विषय में खासतौर पर सही है। मिल ने महसूस किया कि खुली चर्चा पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए जाने चाहिए, क्योंकि विचारों की खुली प्रतिस्पर्धा से सच्चाई उजागर होगी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतन्त्रताओं संबंधी आज की फिहरिस्त में, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को शायद एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में आर्थिक स्वतन्त्रता की बनिस्पत अधिक महत्व दिया जाता है। लोगों के बीच मुक्त विनिमय निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता–व्यवहार है और एक समाज, जिसने सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं को वर्जित कर इसे ही स्वीकृत किया हो, तिस पर भी अपेक्षाकृत स्वतन्त्र होगा। (देखें नॉर्मन बैरी, ऐन इण्ट्रोडक्शन टु मॉडर्न पॉलिटिकॅल थिअरी, अध्यायः लिबर्टी)।

ईसाइया बर्लिन तथा 'टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी'

अपनी नई साहित्यिक रचना *टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी* (प्रथम प्रकाशितः 1958) में ईसाइया बर्लिन स्वतन्त्रता संबंधी नकारी व सकारी धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यथा सामाजिक प्रसंग में निग्रह–अभाव के रूप में स्वतन्त्रता की धारणा का उसकी कार्य–प्रणाली से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ। बर्लिन के अनुसार, स्वतन्त्रता संबंधी 'नकारी' धारणा को इस प्रश्न का जवाब देकर समझा जा सकता हैः 'वह क्षेत्र क्या है जिसके भीतर अधीनस्थ – एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह – है अथवा उसे, वह जो दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बगैर कर सकने अथवा बन जाने में सक्षम हो, करने के लिए अथवा बनने के लिए छोड़ दिया जाये?, (1969, पृ० 121)। दूसरी ओर, 'सकारी' अर्थ इस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित हैः 'नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप का स्रोत क्या, अथवा कौन, है जो किसी व्यक्ति को उस की बजाय यह करने, अथवा बनने, को निश्चित कर सकता है?' (1969, पृ० 122)

सरकारी स्वतन्त्रता महज अकेले छोड़ दिए जाने के रूप में नहीं, प्रत्युत 'स्वयं–प्रभुत्व' के रूप में आजादी में हस्तक्षेप नहीं करती। इस सिद्धान्त में स्वयं–संबंधी एक विशेष सिद्धांत शामिल है। व्यक्तिगत विशेषता (personality) एक उच्च और एक निम्न व्यक्तित्व में विभाजित होती है। उच्च व्यक्तित्व ही किसी व्यक्ति के यथार्थ एवं युक्तिपरक दीर्घकालीन लक्ष्यों का स्रोत होता है, जबकि निम्न व्यक्तित्व उसकी उन युक्तिहीन इच्छाओं को मनोविनोद प्रदान करता है, जो अस्थायी और अल्पकालिक प्रवृत्ति की होती है। कोई व्यक्ति उस हद तक ही स्वतन्त्र है जहाँ तक कि उसका उच्च व्यक्तित्व उसके निम्न व्यक्तित्व के वश में है। तदनुसार, एक व्यक्ति बाहरी बलों द्वारा अवरुद्ध न किए जाने के अर्थ में स्वतन्त्र हो सकता था, परन्तु वह युक्तिहीन लालसाओं का दास ही रहता, जैसे कि एक नशेड़ी, एक शराबी अथवा एक विवश जुआरी को परतंत्र ही कहा जायेगा। इस अवधारणा का मुख्य लक्षण है, इसका खुले रूप से मूल्यांकनकारी स्वभाव, इसका प्रयोग वांछित माने जाने वाली जीवन–रीति से विशेष रूप से जुड़ा है। सकारी स्वतन्त्रता संबंधी धारणा में व्यक्तित्व का एक विशेष हस्तक्षेप शामिल है और वह सिर्फ यह मानकर नहीं चलती कि

गतिविधि का एक कार्यक्षेत्र होता है, जिसकी ओर ही व्यक्ति स्वयं को लक्ष्य–निर्देशित होता है तो वह स्वतन्त्र किया जा रहा होता है। सकारी स्वतन्त्रता संबंधी बर्लिन की धारणा के छिद्रान्वेषी यह महसूस करते हैं कि सकारी स्वतन्त्रता में विश्वास इस धारणा को भी लेकर चलता है कि अन्य सभी मूल्य – समानता, अधिकार, न्याय आदि – उच्च स्वतन्त्रता संबंधी सर्वोच्च मूल्य के मातहत हैं। इसी प्रकार, यह धारणा कि व्यक्ति के उच्च संकल्प समष्टियों, जैसे कि वर्ग, राष्ट्र व प्रजाति, के संकल्पों के अनुरूप ही होते हैं और सत्तावादी विचारधाराओं की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं।

मार्क्सवादी समालोचना तथा स्वतन्त्रता–बोध

स्वतन्त्रता संबंधी मार्क्सवादी संकल्पना उन उदारवादी विचारों से भिन्न है, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। भिन्न संबंधी मुख्य बातें व्यक्ति व समाज संबंधी मार्क्सवादी समझ, दोनों के बीच संबंध एवं पूँजीवादी समाज संबंधी मार्क्सवादी समीक्षा से सामने आती है। यद्यपि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति एवं उसकी परतन्त्रता की शर्तों के रूप में व्यक्ति व समाज संबंधी उदारवादी धारणा पर आधारित देखेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार, व्यक्ति विकल्प के स्वतन्त्र प्रयोग हेतु स्वायत्त स्थानों की सीमाओं द्वारा समाज में अन्य व्यक्तियों से विलग नहीं है। इसकी बजाय वे परस्पर निर्भरता में एक साथ बन्धे हैं। व्यक्तित्व–संबंधी धारणा उसी तौर से एक धनी व्यक्तित्व–संबंधी धारणा में बदल गयी, जो कि व्यक्ति की सामाजिक सलंग्नता पर जोर देती है, और इस धारणा में भी कि व्यक्तिजन रचनात्मक उत्कृष्टता की स्थिति में पहुँच सकते हैं और ऐसे समाज में अपनी क्षमताएँ विकसित कर सकते हैं जो अपने सभी सदस्यों की उन्नति का प्रयास करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार, इसी कारण स्वतन्त्रता रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में निहित होती है, और ऐसे पूँजीवादी समाज में प्राप्त नहीं की जा सकती जहाँ व्यक्तिजनों को स्वार्थ की सीमाओं द्वारा अलग–अलग कर दिया जाता है, और जहाँ वे स्वयं के स्वतंत्र होने की कल्पना मात्र कर सकते हैं जबकि वास्तव में वे शोषणकारी प्राधारों से बँधे होते हैं। सिर्फ ऐसे समाज में जो निजी हितों के स्वार्थपूर्ण प्रोत्साहन से मुक्त हो, ही स्वतन्त्रता की स्थिति विद्यमान रह सकती है। स्वतन्त्रता, इस प्रकार, एक पूँजीवादी समाज में प्राप्त नहीं की जा सकती।

ये विचार फ्रेड्रिक एन्जिल्स कृत *ऐन्टी–ड़्यूरिंग* एवं कार्ल मार्क्स कृत *इकॉन्मिक एण्ड फिलॅसाफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844* में स्पष्टतया व्यक्त है। एन्जिल्स स्वतन्त्रता–संबंधी धारणा की चर्चा आवश्यकता से स्वतन्त्रता तक अवस्थान्तर गमन की स्थिति के रूप में करते हैं। आवश्यकता–संबंधी अवस्था को उस स्थिति द्वारा सही निरूपित किया जाता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अधीन होता है। एन्जिल्स बताते हैं कि इंसान में उन शक्तियों को पहचानने व समझने की क्षमती होती है, जो उसके जीवन को अनुकूलित व निश्चित करती है। मनुष्य ने इस प्रकार उन प्राकृत कानूनों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की जो उसके अस्तित्व को निधारित करते हैं और यह भी जाना कि इन कानूनों के साथ यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार रहें। विडम्बना ही है कि मनुष्य अब तक उन उत्पादन–बलों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है, जिन्होंने उसे ऐतिहासिक रूप से अधीनता में रखा है, या अन्य शब्दों में, उसे आवश्यकता के कार्यक्षेत्र में ही सीमित रखा है। स्वतन्त्रता की स्थिति में पहुँचने के लिए, मनुष्य को न सिर्फ मानव इतिहास की जानकारी ही, बल्कि उसे बदल डालने की क्षमता भी रखनी पड़ती है। वैज्ञानिक समाजवाद की ही मदद से मनुष्य आवश्यकता के कार्यक्षेत्र को छोड़ने तथा स्वतन्त्रता के कार्यक्षेत्र में घुसने की आशा कर सकता है। स्वतन्त्रता *कम्युनिस्ट मैनिफ़ैस्टो* में मार्क्स व एन्जिलस द्वारा निर्धारित साम्यवादी समाज संबंधी धारणा का एक महत्वपूर्ण अवयव है। एक साम्यवादी समाज में ही, जहाँ कोई वर्ग–शोषण नहीं होगा, वह स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।

अपनी पुस्तक *मैन्युस्क्रिप्ट्स* में कार्ल मार्क्स दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि पूँजीवादी समाज व्यक्ति को अमानवीय बना रहा है। यह न सिर्फ व्यक्ति को उसके यथार्थ व्यक्तित्व से विमुख कर देता है, यह उसको समाज की रचनात्मक प्रवर्तक शक्तियों से भी पृथक कर देता है। मार्क्स प्रस्ताव करते हैं कि उन परिस्थितियों को बदलकर ही,

जिनमें पृथक्करण होता है, स्वतन्त्रता पुनर्प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार, सिर्फ ऐसे ही एक साम्यवादी समाज में, जहाँ उत्पादन–साधन सामाजिक रूप से रखे जाते, और समाज का प्रत्येक सदस्य सभी की उन्नति के लिए दूसरे के साथ सहयोंग में काम करता, सच्ची आजादी हासिल की जा सकती थी। इस प्रकार, मार्क्स की सामाजिक व्यवस्था में स्वतन्त्रता को आत्म–सिद्धि व आत्म–बोध अथवा व्यक्ति के सच्चे स्वभाव की अनुभूति को द्योतित करते एक सकारात्मक अर्थ में देखा जाता है। मार्क्स ने स्वतन्त्रता के यथार्थ कार्यक्षेत्र को उसके अपने लिए ही स्वतन्त्रता का परिवर्धन के रूप में देखा। इस प्रयोज्य संसाधन की अनुभूति, मार्क्स का मानना था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दूसरों के साथ काम करते हुए, सिर्फ रचनात्मक उद्योग के अनुभव से ही की जा सकती है। इस सामाजिक व्यवस्था के तहत रॉबिन्सन क्रूसो, जिसने कि जिस सीमा तक अधिक से अधिक संभव था नकारी स्वतन्त्रता का उपभोग किया, उसके द्वीप पर उसे रोकने अथवा बाध्य करने वाला अन्य कोई भी नहीं था, अविकसित और इसी कारण परतंत्र व्यक्ति था, जो कि उन सामाजिक संबंधों से वंचित था, जिनके माध्यम से मनुष्यजन पूर्णता हासिल करते हैं। स्वतन्त्रता संबंधी यह धारणा मार्क्स की 'पृथक्करण' संबंधी अवधारणा में स्पष्टतः प्रकट होती है। पूँजीवाद के अन्तर्गत, श्रम को व्यक्तित्व–वंचित (d-personalized) बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित व निरूपित मात्र एक जिन्स के रूप में परिणत कर दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पूँजीवादी कर्मचारी इस बात में पृथक्करण भोगते हैं कि वे अपनी ही यथार्थ प्रकृति से अलग हो जाते हैं, अपने साथी मनुष्यों से अलग हो जाते हैं, और अन्ततः अपने 'सच्चे' व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं। स्वतन्त्रता इसी कारण व्यक्तिगत सिद्धी से जुड़ी है जो कि सिर्फ अपृथक्त उद्योग ही करवा सकता है। (एन्ड्रयू हेवुड, पॉलिटिक्ल थिअरी, पृ० 263)

2.4.10 निष्कर्ष (Conclusion)

कानून स्वतन्त्रता का विरोधी है या सहयोगी यह वास्तविकता में परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है। यदि जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है, तो वह स्वतन्त्रता का सहयोगी होता है और स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है। परन्तु जब कानून थोड़े से लोगों के हित को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं तो ऐसे कानून स्वतन्त्रता के विरोधी होते हैं। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रजातन्त्र (Democracy) की स्थापना सर्वोत्तम साधन हैं, क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता स्वयं ही शासक और शासिक होती है।

2.4.11 मुख्य शब्दावली

- स्वायत्तता
- सामाजिक प्रजातंत्रवादी
- नकारात्मक स्वतन्त्रता
- विशेषाधिकार
- लोकतंत्रीय शासन
- अवरोध व संतुलन

2.4.12 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के अर्थ की व्याख्या करें और इसके रूपों का वर्णन करें।
   (Discuss the meaning of liberty and explain its various kinds.)
2. स्वतन्त्रता की परिभाषा दे। इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।
   (Define liberty. Mention briefly the chief characteristics of liberty.)

3. स्वतन्त्रता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
(Critically examine the concept of liberty.)

4. स्वतन्त्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके रक्षक तत्वों का वर्णन कीजिए।
(Define Liberty. Discuss various safeguards of Liberty.)

5. ''सतत् जागरूकता स्वतन्त्रता का मूल्य है।'' इस कथन को सामने रखते हुए स्वतन्त्रता की रक्षा के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।
("Eternal vigilance in the price of Liberty". In the light of this statement, discuss the various safeguards of liberty.)

6. स्वतन्त्रता तथा कानून में सम्बन्ध की व्याख्या करें।
(Discuss the relationship between law and liberty.)

2.4.13 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.5 समानता

(Equality)

2.5.1 परिचय

समानता अर्थात् बराबरी की धारणा आधुनिक राजनीति एवं राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय प्रतीत होती है। जन्म पर आधारित समाज में पदानुक्रम सामाजिक स्थिति अथवा अन्य किसी भी मानदण्ड को प्रकृति प्रदत्त माना जाता था। अब यह बात नहीं है, वस्तुतः आधुनिक राजनीतिक सोच इस परिकल्पना से शुरू होती है कि सभी मनुष्य समान हैं।

अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम (War of American Independence, 1776) और फ्रांस की राज्य फ्रांस की राज्य क्रान्ति (French Revolution, 1789) में जेफरसन (Jefferson) जॉन लॉक (John Locke) रूसों (Rouesseau) वाल्टेयर (Voltaire) एवं टामस पेन (Tomas Paine) जैसे विचारकों ने स्वतन्त्रता समानता और भातृत्व (Liberty Equality and Fraternity) का नारा दिया जिससे आगे चलकर स्वतन्त्र राष्ट्रों के निर्माण में मदद की। सन् 1776 में अमेरिका में यह घोषणा की गई, ''हम लोग इस सत्य को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान पैदा होते हैं'' सन् 1789 में सफल क्रान्ति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा (National Assembly of France) ने मानवीय अधिकारों की अपनी घोषणा में समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, ''मनुष्य हमेशा स्वतन्त्र और समान रूप से जन्म लेते हैं और अपने अधिकारों के विषय में समान ही रहते हैं।'' (Men are born free and always continue free and equal in the respect of their rights.)

2.5.2 उद्देश्य

1. समानता के अर्थ और इसकी अवधारणा से जुड़े महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयों पर ध्यान देना।
2. समानता संबंधी मूल सिद्धान्तों की संकल्पना को स्पष्ट कर सकें।
3. औपचारिक समानता, अवसर की समानता और परिणामों की समानता को स्पष्ट कर सकें।
4. उदारवादियों के असमानता–संबंधी औचित्य प्रतिपादन पर चर्चा कर सके।
5. स्वतन्त्रता और समानता के बीच संबंध का मूल्यांकन कर सके।

2.5.3 समानता की परिभाषाएँ
(Definition of Equality)

समानता की विभिन्न परिभाषाएँ हैं जो कि निम्नलिखित हैंः–

1. लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''समानता का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढ़ोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों।'' (Equality does not mean the identity of treatment or the someness of reward. If a bricklayer gets the same reward as mathematician or a scientist, the purpose of the society will be defeated. Equality, therefore, means, first of all the absence of special privileges. In the second place, it means that adequate opportunities are laid open to all.")

2. टॉनी (Tawny) के मतानुसार, ''सबके लिए व्यवस्था की समानता विभिन्न आवश्यकताओं को एक ही प्रकार से समझकर प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकारों से उन्हें पूरा करने के लिए एक समान ध्यान देकर प्राप्त की जा सकती है।'' (Equality of provision is to be achieved, not by teating different needs in the way, but by devoting equal care to ensuring that they are met in the different ways most appropriate to them.)

3. बार्कर (Barket) के अनुसार, ''समानता का यह अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएँ मुझे उपलब्ध हैं, वैसे ही और उतनी ही सुविधाएँ दूसरों को भी उपलब्ध हों, तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे मुझे अवश्य दिए जाएँ।'' (The principle of equality accordingly means that whatever conditions are guaranteed to me, in the form of right shall also and in the same measure, be guaranteed to others and that whatever rights are given to others hall also given to me.)

2.5.4 समानता का अर्थ (Meaning of Equality)

समानता का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता हैः–

समानता का गलत अर्थ (Wrong Conception of Equality)

समानता का अर्थ होता है बराबर या एक सा, इसमें ऊँच–नीच या छोटे–बड़े का भेद नहीं किया जाता है। इस बरबर की स्थिति का नाम ही समानता है। कुछ लोग समानता का अर्थ सभी लोगों के बीच बराबरी से लेते हैं। दूसरे शब्दों में समानता का अर्थ है – बराबरी अर्थात् सभी व्यक्तियों को समान भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जाति, वंश, रंग, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। इस मत के मानने वालों का कहना है कि सभी ईश्वर की संतान है। अतएव उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य समान ही पैदा होते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए पैदा किया है।

किन्तु यह सत्य नहीं है कि सभी मनुष्य समान है। मनुष्य में स्वाभावित असमानता है। स्वयं प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया है। कुछ लोग जन्म से ही तेज एवं बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ लोग मूर्ख एवं मंद बुद्धि वाले। कोई शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली तो कोई दुर्बल है। अतएव यह कहना कि प्रत्येक मनुष्य समान है, उसी प्रकार गलत है, जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल (Flat) है। इस संदर्भ में लॉस्की (Laski)ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, ''समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट जोड़ने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया जो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा।'' इस समानता का बराबर के अर्थ में प्रयोग करना गलत होगा।

समानता का सही अर्थ (True Conception of Equality)

समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलना चाहिए। लॉस्की (Laski) की समानता पर सही परिभाषा (Correct definition of Laski on Equality) जिस प्रकार सूर्य की किरणों, चाँद की ज्योत्सना, वर्षा, वायु एवं जल सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी सभी व्यक्तियों को समान सुविधा राज्य की ओर से मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लॉस्की (Laski) की समानता सम्बन्धी परिभाषा सही है जो निम्न प्रकार से है – ''इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों।'' (Equality, therefore, means first of all the absence of special privileges. In the second place, it means that adequate opportunities are laid upon to all.)

2.5.5 समानता की विशेषताएँ

(Characteristics of Equality)

समानता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **विशेष अधिकारों का अभाव (Absence of Special Privilages)**:– समानता की प्रथम विशेषता यह है कि समाज में किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। समाज के सभी लोगों को समान अर्थात् एक जैसे अधिकार व अवसर प्रदान (Equal Opportunities) किए जाने चाहिए।

2. **उन्नति के समान अवसर (Equal Opportunities for Progress)**:– समानता की द्वितीय विशेषता यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सकें। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग तथा धन के आधार पर भेद–भाव नहीं किया जाता।

3. **प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति (End of the Natural Inequalities)**:– समानता की तृतीय विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानताओं को नष्ट किया जाता है, यदि समाज में प्राकृतिक असमानताएँ रहेंगी तो समानता के अधिकार का कोई लाभ नहीं होगा।

4. **सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs of All Persons):–** समानता की यह भी विशेषता है कि समाज के सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अन्य शब्दों में लॉस्की (Laski) ने ठीक ही कहा है, कि ''मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि इस अधिकार के कारण मेरे पड़ोसी को खाने के लिए रोटी न मिले।

5. **तर्क के आधार पर भेदभाव (Logical Basis of Discriminations)**: यद्यपि समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है तथापि समाज में तर्क के आधार पर कुछ लोगों को विशेष सुविधाएँ प्रदान कराई जा सकती हैं। जैसे पिछड़े वर्ग, अपंग स्त्रियों, रोगी तथा विकलांगों को समाज में कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त कराई जाती हैं। इस व्यवस्था को कानून के सामने संरक्षण (Safeguard) कहते हैं।

2.5.6 समानता के प्रकार

(Kinds of Liberty)

स्वतन्त्रता के समान ही समानता के भी अनेक प्रकार हैं। भिन्न–भिन्न लेखक समानता के प्रकारों की भिन्न–भिन्न संख्या और नाम देते हैं, जैसे बार्कर (Barker) दो प्रकार की समानता मानता है – वैधानिक (Legal) तथा सामाजिक (Social) लास्की (Laski) के अनुसार, समानता राजनीतिक तथा आर्थिक दो प्रकार की होती है। ब्राइस (Bryce) ने समानता को चार प्रकार में विभाजित किया है। (1) नागरिक समानता (Civil Equality), (2) सामाजिक समानता (Social Equality), (3) राजनीतिक समानता (Political Equality) तथा (4) प्राकृतिक समानता (Natural Equality) साधारणतया समानता पाँच प्रकार की जानी जाती है, जैसे –(1) प्राकृतिक समानता (Natural Equality), नागरिक समानता (Civil Equality), (3) राजनीतिक समानता (Political Equality), (4) आर्थिक समानता (Economic Equality) तथा (5) सामाजिक समानता (Social Equality)।

उपरोक्त समानताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्पलिखित है:–

प्राकृतिक समानता (Natural Equality)

प्रकृति ने मनुष्य को एक समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप से बराबर है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। इसे 'कोरी कल्पना' (Mere Imagination) बताया जाता है।

कोल (Cole) के शब्दों में, ''मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और सम्भवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक–दूसरे से मूलतः भिन्न है।''

सामाजिक समानता (Social Equality)

सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के विशेषाधिकारों का अन्त होना चाहिए। (Equality means the absence of speical privileges) और समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक उत्थान के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।

नागरिक समानता (Civil Equality)

कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए (There should be equality before law) और राज्य के कानूनों द्वारा दण्ड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति–व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को नागरिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए।

राजनीति समानता (Political Equality)

राजनीतिक समानता का अभिप्राय सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने से है। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

मानव जीवन में आर्थिक समानता का महत्व सबसे अधिक है और समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्यों की आय में बहुत अधिक असामनता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनकी आय में इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लें। आर्थिक समानता धन के उचित वितरण पर बल देती है।

लॉस्की (Laski) ने लिखा है ''कुछ व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक होने से पहले सब व्यक्तियों के पास आवश्यकता न्यूनतम पदार्थ आवश्यक हो जाना चाहिए।'' (There must be sufficiency for all before there can be superfluity for a few.) उन्होंने आगे कहा है कि ''मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, यदि मेरा पड़ोसी मेरे इस अधिकार के कारण रोटी के बिना भूखा रहने के लिए लाचार किया जाता है।'' (I have no right to take the cake, if me neighbour, because of that right, is compelled to go without bread.)

इस प्रकार आर्थिक समानता इस बात पर बल देती है कि किसी के पास अपनी जरूरत से बहुत अधिक आर्थिक साधन न हो, जबकि दूसरे उसके अभाव के कारण भूखे मर रहे हों।

2.5.7 स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध (Relation Between Independence and Equality)

समानता और स्वतन्त्रता के सम्बन्धों के विषय में विचारकों ने दो प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं प्रथम मत के अनुसार स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी है। दूसरे मत के आधार पर समानता और स्वतन्त्रता में गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक–दूसरे पर निर्भर करते हैं। समानता के बिना स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता के बिना समानता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों मतों का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित हैः–

स्वतन्त्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं (Liberty and Equality are Opposed to Each Other)

कुछ विचारकों के अनुसार, स्वतन्त्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं और एक ही समय पर दोनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। टॉकविल (Tacquiwile) तथा लार्ड एक्टन (Lord Acton) इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। इन विद्वानों के मतानुसार जहाँ स्वतन्त्रता है, वहाँ समानता नहीं हो सकती और जहाँ समानता है वहाँ स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि समाज में आर्थिक समानता स्थापित कर दी गई तो स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। इन विद्वानों में निम्नलिखित आधारों पर स्वतन्त्रता तथा समानता का विरोधी माना हैः–

सभी 'मनुष्य समान नहीं हैं' (All men are not Equal)

इस विचारकों के अनुसार, ''असमानता प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से शक्तिशाली होते हैं तथा कुछ कमजोर। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख।''

आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी है (Economic Liberty and Equality are Opposed to each other)

व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार, स्वतन्त्रता तथा समानता को परस्पर विरोधी माना जाता है। व्यक्तिवादी सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि स्वतन्त्र प्रतियोगिता को अपनाया जाये तो कुछ व्यक्ति अमीर हो जायेंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी।

प्रगति में बाधक (Checks the Progress)

यदि समाज में योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति को समान दर्जा दे दिया, जो इससे योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति में अन्तर करना कठिन हो जाता है। इससे योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता।

उपर्युक्त तर्कों से स्पष्ट है कि दोनों अवधारणाएँ एक–दूसरे के विरोधी हैं। इसका समर्थन करते हुए सी०इ०एम० जोड़ (C.E.M. Joad) ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है कि, ''स्वतन्त्रता के सिद्धान्त जिसका राजनीति में बहुत महत्त्व है, अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ, जब इसे आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया।'' लार्ड एक्टन (Lord Acton) के अनुसार, ''समानता के आदेश में स्वतन्त्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है।'' (The passion for equality has made vain the hope of liberty.)

स्वतन्त्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं (Liberty and Equality are not opposed to each other)

स्वतन्त्रता और समानता के सम्बन्धों के विषय में जो दूसरा विचार व्यक्त किया गया है, इस दृष्टिकोण के अनुसार समानता और स्वतन्त्रता दोनों एक–दूसरे के विरोधी न होकर पूरक तथा समपूरक (Complementary and Supplimentry) हैं। जो विचारक इसका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं। उनमें प्रसिद्ध हैं रूसो (Rousseau), आर०एच० टॉनी (R.H. Tonney) व पोलनार्ड (Pollard) के अनुसार, ''बिना स्वतन्त्रता के समानता जीवित नहीं रह सकती।'' (Equality cannot survive without liberty)। आर०एच० टॉनी (R.H. Tonney) के अनुसार, ''समानता की प्रचुर मात्रा स्वतन्त्रता की विरोधी नहीं वरन् इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।'' (A Large measure of equality so far from being immical to liberty is eseential to it.) पोलार्ड (Pollard) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है और वह है समानता।'' (There is onlyone solution to the problem of liberty, it lies in equality.)

विचारक अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैंः–

विकास एक साथ(Growth Simultaneouly)

स्वतन्त्रता और समानता का संबंध जन्म से है। दोनों में रक्त सम्बन्ध है। इसी विचार के समर्थन में रूसो (Rousseau) ने कहा है कि ''सरकार का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना ही नहीं है उसका

उद्देश्य समानता को स्थापित करना भी है।'' (The end of government is not only to secure liberty for the individual but also equality.)

प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principles of Democracy)

स्वतन्त्रता और समानता का विकास प्रजातन्त्र के साथ हुआ है। दोनों प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त हैं। दोनों के बिना प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वतन्त्रता व समानता का होना अनिवार्य है।

समान रूप (Same Form)

स्वतन्त्रता और समानता के प्रकार एक ही हैं और उसके अर्थों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता तथा प्राकृतिक समानता का अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रता तथा समानता है।

उद्देश्य समान (Same Objectives)

दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता के बिना समानता असम्भव है और असमानता के बिना स्वतन्त्रता का कोई मूल नहीं है। आर्शीवादम् (Ashirvadam) ने दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है। उसने लिखा है, ''फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने जब स्वतन्त्रता, समानता तथा भाईचारे को अपने युद्ध का नारा बताया तो वे न पागल थे और न ही मूर्ख'' ("The French revolutionaries were neither mad nor stupid, when they made their war cry liberty, Equality and Fraternity.")

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है। (Political Liberty is not possible without economic Equality)

समानता और स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं है बलिक आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक धोखा व कपट मात्र है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का भाग कर ही नहीं सकता। उसके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रताओं का कोई मूल नहीं है, जैसा कि हॉब्सन (Hobson) ने ठीक ही कहा है, ''भूखे व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता का क्या लाभ है? वह स्वतन्त्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है?'' ("What is the utility of freedom to starving man? He can neither ear nor drink it.")

निष्कर्ष (Conclusion)

स्वतन्त्रता और समानता के आपसी सम्बन्धों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों एक–दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक–दूसरे के सहायक हैं। जो विद्वान इस दोनों को विरोधी मानते हैं, उन्होंने समानता व स्वतन्त्रता को सही अर्थों में नहीं लिया है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता के बिना समानता अधूरी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। (Two sides of the same coin)

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)

राजनीतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है, अर्थात् राजनीतिक स्वतन्त्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपभोग किया जा सके या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके। उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि के

रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्त्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम हैं।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

आर्थिक समानता के दो अर्थ बताये जा सकते हैं। इसका प्रथम तात्पर्य है कि सम्पत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएँ (Basic Necessities) आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएँ प्राप्त न हो जाए, तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ौसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से भी वंचित रहना पड़े।'' ("I have no right to eat cake, if my neighbour, because of that is compelled to go without bread.")

आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य 'उद्योग में प्रजातन्त्र' की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं वरन् इसके साथ–साथ उत्पादन व्यवस्था का कर्ता भी होना चाहिए।

राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समानता आधारित (Political Liberty Dependent Upon Economic Equality)

यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का आधार आर्थिक समानता है। राजनीतिक स्वतन्त्रता मूल रूप से निम्न तीन अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती हैः–

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि (Interest in Public Affairs)

जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हों।

शिक्षित (Educated)

व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत (Public Opinion) का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। भिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता प्रदान करती है।

सही सूचनाएँ और विचारकों की जानकारी(Correct and Reliable Information)

राजनीतिक स्वतन्त्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएँ और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस (Independent Press) नितान्त आवश्यक है।

उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितान्त आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय रूचि ले सकता है, जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने का पर्याप्त साधन (Enough Economic Means) हों। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमानदारी और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित हो जाता है और पं० नेहरू के शब्दों में (Pt. Nehru) कहा जा सकता है कि ''भूखे व्यक्ति के लिए मत (Vote) का कोई मूल्य नहीं होता।''

2.5.8 राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक समानताओं में सम्बन्ध (Relationship between Political Liberty and Economic Equality)

स्वतन्त्रता और समानता प्रजातन्त्र के दो प्रमुख आधार स्तम्भ माने जाते हैं। वास्तव में इनमें से एक के अभाव में समस्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चरमरा जाती है। स्वतन्त्रता और समानता दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। जिस समाज में राजनीतिक तौर पर स्वतन्त्रता नहीं है, वहीं आर्थिक समानता कोई अर्थ नहीं रखती। हैराल्ड लॉस्की

(Harald Laski) ने बिल्कुल सही कहा है कि ''आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता एक धोखा है।'' ("Without economic equality, political liberty is mere myth.")

आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतन्त्रता में क्या सम्बन्ध है, इसके अध्ययन के लिए इन दोनों का अर्थ जान लेना उचित होगाः–

राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ

(Meaning of Political Liberty)

राजनीतिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय उसे स्वतन्त्रता से है, जिसके अन्तर्गत अपने देश की शासन व्यवस्थाओं में भाग ले सकें। लास्की (Laski) ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में क्रियाशील होना है।'' ("Political Liberty is the power to be active in the affairs of the state.") इसमें निम्नलिखित बातें निहित होती हैंः–

1. सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार (Adult Franchise)
2. चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to First Elections)
3. राजनीतिक दल आदि बनाने का अधिकार (Right to form Political Parties)
4. सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to hold public office)
5. प्रार्थना–पत्र देने का अधिकार (Right to Petetion)
6. सरकार की आलोचना करने का अधिकार (Right to criticise the policies of Government)

ये अधिकार सभी नागरिकों को जाति, वंश, धर्म, लिंग, रंग, नस्ल, इत्यादि के भेदभाव के बिना समान रूप से मिलते हैं।

आर्थिक समानता

(Economic Equality)

आर्थिक समानता से अभिप्राय यह नहीं है कि सभी नागरिकों को बराबर सम्पत्ति बांट दी जाए और सभी को एक समान वेतन दिया जाए। वास्तव में आर्थिक समानता से अभिप्राय है कि समाज में आर्थिक आधार पर कम से कम असमानता होनी चाहिए। लॉस्की (Laski) ने ठीक ही कहा है कि ''कुछ व्यक्तियों के पास जरूरत से ज्यादा हो जाने से पहले, सब व्यक्तियों के पास जरूरी चीजें हो जानी चाहिए।'' आर्थिक समानता में निम्नलिखित बातें निहित होती हैंः–

1. **मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs)**: प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति।
2. **असमान वितरण को कम करना (Reduction in inequal wealth distribution)**: धन के असमान वितरण को कम करना।
3. **समान अवसर (Equal Opportunity)**: सबको अपनी आजीविका कमाने के लिए समान अवसर मिलें।
4. **समान काम, समान वेतन (Equal pay for equal work)**: सब को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।
5. **शोषण नहीं (No exploitation)**: आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए आर्थिक समानता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैः–

मत का अधिकार महत्वहीन (Right to Vote is Meaningless for Poor)

वोट का अधिकार राजनीतिक स्वतन्त्रताओं में सर्वाधिक महत्व रखता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं है एक निर्धन व्यक्ति जो दिन–रात, रोजी–रोटी की तलाश में भटकता रहता है, उसके लिए वोट के अधिकार से कहीं अधिक मूल्यवान चीज रोटी है।

मतदान के अधिकार का सदुपयोग असम्भव (Use of vote by a poor is impossible)

किसी नागरिक को मताधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु मतदान का सदुपयोग भी होना चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति के पास न तो देश की समस्याओं पर सोचने का समय होता है न ही इतना धन होता है कि वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके।

लालच में आकर मत डालना (Tempatation for Greed)

निर्धन व्यक्ति के लालच में आकर मतदान करने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है। बड़े–बड़े धनवान राजनीतिज्ञ कुछ पैसों में निर्धन व्यक्तियों के मत खरीद लेते हैं। वास्तव में इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं है, जिसने अपना वोट बेचा है, दोषी उसकी परिस्थितियाँ हैं, जिनसे बाध्य होकर उसके अपना वोट बेचना पड़ा। हॉब्सन (Hobson) ने ठीक ही कहा है कि, ''भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता का क्या लाभ है। वह स्वतन्त्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है।'' (''What good is freedom to a starving man? He can neither eat freedom nor can drink it.'')

मताधिकार का प्रयोग नहीं (No use of vote)

निर्धन व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या दो वक्त की रोटी की होती है। उसके लिए वोट का अधिकार कोई खास महत्व नहीं रखता। वे वोट डालने में दो–चार घंटे बर्बाद करने की अपेक्षा अपने काम पर जाना ज्यादा पसन्द करते हैं और मताधिकार का प्रयोग नहीं करते।

चुनाव लड़ना सरल नहीं (Not easy to Contest Election)

प्रजातन्त्र में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अधिकार दिया जाता है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए लाखों रूपये की आवश्यकता पड़ती है। एक निर्धन व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात चुनाव लड़ने का स्वप्न भी नहीं देख सकता।

अमीरों का नियन्त्रण (Control of Rich)

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों का संचालन राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल ही जनमत निर्माण, चुनाव लड़ने, सरकार का निर्माण करने, सरकार की आलोचना करने इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक है कि निर्धन व्यक्ति राजनीतिक दलों को अधिक धन नहीं दे सकते। राजनीतिक दलों पर अमीरों का नियंत्रण स्थापित होता है।

स्वतन्त्र छापाखाना (Independent Press)

स्वतन्त्र छापाखाना प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। छापाखाना (Press), एक ऐसा साधन है जो सरकार की उचित और अनुचित नीतियों अथवा कार्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। सभी महत्वपूर्ण समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ इत्यादि अमीर व्यक्तियों के नियत्रंण में कार्य करती हैं।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है कि राजनीतिक शक्ति का निर्धारण आर्थिक शक्तियों द्वारा होता है अर्थात् राजनीतिक शक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथों में एक खिलौना है।'' आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति राजनीतिक शक्ति का प्रयोग न केवल अपने हितों के लिए करते हैं, अपितु वे इसका प्रयोग निर्धन वर्ग के शोषण के लिए भी करते हैं। इससे अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर और निर्धन व्यक्ति और अधिक निर्धन होता चला होता है। उसके बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त अध्याय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक दिखावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है लॉस्की (Laski) कहता है कि ''राजनीतिक स्वतन्त्रता को तब तक वास्तविक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसके साथ आर्थिक समानता न हो।'' (Political Liberty can never be real unless it is accompanied by virtual economic equality.)

2.5.9 निष्कर्ष

इस अध्याय में हमने इस बात पर सूक्ष्म दृष्टि डाली है कि समानता की अवधारणा का मतलब क्या है? इस तथ्य के साथ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो अनेक प्रकार की असमानताओं से लड़ रहा है। समानता अपने बहुत ही सीमित अर्थ में औपचारिक समानता है जो कि सभी मनुष्यों की सार्वभौम मानवता संबंधी धारणा को स्वीकार करती है। अवसर की असमानता, जिसमें हमने देखा, असमानता को अन्यतम रूप से सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। परिणामों की समानता, समानता शब्द के अर्थ को विस्तार प्रदान करती है। अन्ततः हमने समानता व स्वतन्त्रता के बीच संबंध विषयक बहस पर सूक्ष्म दृष्टि डाली, और देखा कि स्वतन्त्रता संबंधी एक नकारी अवधारणा, इन दो अवधारणाओं को प्रतीयमानतः विवादास्पद बनाती है।

2.5.10 मुख्य शब्दावली

- समानता
- प्राकृतिक समानता
- समान अवसर
- मताधिकार
- राजनीतिक दल

2.5.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. समानता की धारणा से आपका क्या अभिप्राय है? समानता के अर्थों और परिभाषा को स्पष्ट रूप से वर्णन करें।
   (What do you mean by the concept of equality? Explain clearly meaning and definitions of equality.)
2. वैधानिक समानता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Critically examine the concept of legal equality.)
3. राजनीतिक समानता की धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
   (Discuss critically the concept of poilitical equality.)
4. आर्थिक समानता के अर्थों की व्याख्या करें। आर्थिक समानता की विशेषताएँ कौन सी होती हैं?
   (Explain the meaning of economic equality. Which are its characteristics?)

5. ''समानता के बिना स्वतन्त्रता अनुचित छूट के समान है।'' व्याख्या करो।
("Liberty without equality degenerates into licence." Discuss.)

6. ''समानता और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी नहीं अपितु सहयोगी है।'' क्या आप विचार से सहमत हैं? तर्क दें।
("Equality and Liberty are not incompatible, but they are complementary to each other". Do you agree to the view? Argue.)

7. ''आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है।'' इन कथन की तर्कों सहित व्याख्या करें।
("Political equality is meaningless without economic equality." Discuss this statement with arguments.)

2.5.12 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.6 न्याय

(Justice)

न्याय की अवधारणा प्रारम्भ से ही हमारे चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में 'न्याय' (Justice) को धर्म (Religion) का पर्याय माना गया है। मनु, याज्ञवलक्य और बृहस्पति आदि विद्वानों की वे रचनाएँ जो विवाह, पुर्नविवाह, अंतरजातीय विवाह, संपत्ति के बंटवारे और फौजदारी विवादों से सम्बन्ध रखती है, 'धर्म शास्त्रों' की श्रेणी में आती है पाश्चात्य विद्वानों में प्लेटो (Plato) ने न्याय के सिद्धान्त की विस्तार से चर्चा की थी। उसके मतानुसार समाज के विभिन्न वर्गों – उत्पादन वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग के बीच जब पूर्ण संतुलन कायम हो जाता है, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है।

2.6.1 परिचय

अब तक आप सभी कानून, अधिकार, स्वतन्त्रता एवं समानता जैसी संकल्पनाओं के विषय में जान चुके होंगे। इन संकल्पनों का एक पूर्व–अध्ययन न्याय की अवधारणा को समझने में मदद करेंगे। न्याय का मूल सिद्धान्त वस्तुतः उपरोक्त विषयों से जुड़ा है। इसी कारण, इस अवधारणा की एक सही समझ विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, उनकी नीतियों व उन विचारधाराओं, जिन पर वे आधारित हैं, के मूल्यांकन में मदद करेगी।

2.6.2 उद्देश्य

1. न्याय–संबंधी संकल्पना के अर्थ को समझना।
2. न्याय–संबंधी विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर को जानना।
3. न्याय की प्रकृति संबंधी विभिन्न सिद्धातों की पहचान और व्याख्या को समझना।
4. स्वतन्त्रता, समानता, कानून व न्याय के बीच संबंध स्पष्ट कर सके।

2.6.3 न्याय का अर्थ

(Meaning of Justice)

न्याय शब्द को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस (Justice) कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'जस' (Jus) से हुई है जिस शब्द का अर्थ है 'बन्धन' या 'बांधना' या 'गांठ' (To Bind or Tie) इसका अर्थ है कि न्याय व्यवस्था ही समाज में मनुष्यों को एक–दूसरे से बांधती थी और आज भी बांधे हुए है। जो उचित है उसे न्याय और अनुचित को अन्याय कहा जाता है। साधारण शब्दों में 'न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो निष्पक्षता, स्वार्थ हीनता और तर्क संगतता हो। जिसमें व्यक्ति अपने–अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

2.6.4 न्याय की परिभाषा

(Definition of Justice)

न्याय की परिभाषा करना सरल कार्य नहीं है कई लेखक न्याय का अर्थ सिर्फ समानता (Equality) से लेते हैं तो अन्य स्वतन्त्रता (Liberty) पर ज्यादा बल देते हैं। कुछ विद्वानों ने व्यक्तिगत अधिकारों (Personal Rights) की बात की है तो कुछ ने 'समाज को सुव्यवस्थित करने' (Social Ordering) की बात कही है। ज्यादातर लेखकों की यह धारणा है कि 'न्याय' (Justice) एक समझौताकारी सिद्धान्त (Conciliatory Doctrine) है। समाज में जितने मनुष्य रहते हैं उनमें से प्रत्येक को 'उसका उचित हक व स्थान' (due place) दिलाने वाली व्यवस्था को ही न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। न्याय की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. मैरियम (C.E. Merriam) के शब्दों में 'न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएँ जुटाई जाती है।'' ("Justice consists in a system of understandings and procedures through which each is accorded what is agreed upon as fair.")
2. डी०डी० राफेल (D.D. Raphael) के शब्दों में, ''न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है।'' ("Justice protects the rights of the individual as well as the order of the society.")
3. बैन तथा पीटर्स (Benn and Peters) के अनुसार, ''न्याय का अर्थ है कि जब तक भेदभाव किये जाने का कोई उचित कारण न हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक सा व्यवहार किया जाए।'' (To act justly then, is to treat all men alike except where there are relevant differences between them.)
4. जे०एस० मिल (J.S. Mill) का कथन है कि ''न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव जाति की कल्याण अवधारणाओं से सम्बन्धित है और इसलिए जीवन पथ–प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियम से अधिक महत्वपूर्ण है।'' (Justice is the name of certain classes of moral rules which concern the essentials of human well being more clearly and are therefore of more absolute obligation than any other rules for guidence of life.)
5. सालमण्ड (Salmand) के अनुसार, ''न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है।'' (Justice means to distribute the due share of everybody.)
6. कांट (Kant) के शब्दों में, ''न्याय प्रत्येक व्यक्ति की बाह्म स्वतन्त्रता है, जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा सीमित है।'' (Justice is the external liberty of each limited by the liberty of all others.)
7. सेबाइन (Sabine) के शब्दों में, ''न्याय एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में इकट्ठा करता है। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता और प्रशिक्षणानुसार कार्य करता है।'' (Justice is a bond which holds a society together in a harmonious union of individual each of whom has found his work in accordance with his fitness and training.)

उपर्युक्त भिन्न–भिन्न परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न्याय का सम्बन्ध मानवीय कल्याण और व्यक्ति के उचित हितों की रक्षा से है और ऐसा तभी हो सकता है यदि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का उचित पालन करे। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो (Plato) ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक (Republic) में न्याय सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है और इन कर्तव्यों को पूरा करने की भावना ही न्याय है।

2.6.5 न्याय की विशेषताएँ

(Characteristics of Justice)

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् हम देखते हैं कि न्याय की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:–

1. **मानवीय भलाई (Human Welfare)**: मानवीय भलाई न्याय की सर्वप्रथम विशेषता है।
2. **उचित हितों की पूर्ति (Fulfillment of reasonable interests)**: समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उचित हितों की रक्षा ही न्याय का उद्देश्य है।
3. **कर्तव्यों का पालन (Performance of Duties)**: समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि कर्तव्यों का भुगतान नहीं करता तो ऐसे समाज में न्याय की कल्पना नहीं की सकती।

4. **प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग प्रदान करना (To provide everybody his reasonable share)**: प्रत्येक व्यक्ति को उस का उचित भाग प्रदान करना आवश्यक है।

न्याय के आधारभूत तत्त्व (Fundamental Postulates of Justice)

न्याय (Justice) का महत्व प्रत्येक युग में रहा है तथापि न्याय का रूप प्रत्येक युग में अलग रहा है। न्याय का रूप स्थान, परिस्थितियों, समाज के ढांचे और राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऑर्नाल्ड बैचट (Arnold Brecht) ने न्याय के निम्नलिखित आधारभूत तत्वों का वर्णन किया है:–

न्याय का सम्बन्ध समाज से है (Justice is realted to Society)

न्याय की भावना का संबंध मानव समाज से है। समाज के बाहर न्याय की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। जब समाज नहीं था और मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तब न्याय की धारणा नहीं थी।

सत्य (Truth)

सत्य का अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुतीकरण करना। वस्तुनिष्ठ रूप (Objective Sense) में न्याय की मांग है कि तथ्य और कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। न्यायालयों में तथ्यों (Facts) की सत्यता (Truth) का विशेष महत्व है।

कानून के समक्ष समानता (Equality before law)

कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होने चाहिए। नागरिकों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

स्वतन्त्रता (Freedom or Liberty)

न्याय और स्वतन्त्रता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाना अन्याय है। सामाजिक हित और राष्ट्रहित के लिए ही स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध होने चाहिए।

बन्धुत्व की भावना (Spilrit of Fraternity)

न्याय के लिए बंधुत्व की भावना का होना भी आवश्यक है। न्याय की मांग है कि लोगों में सहयोग, प्रेम, त्याग आदि की भावनाएँ होनी चाहिए।

प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान (Restect for Nature)

जो कार्य व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असम्भव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरूद्ध है। उदाहरण के लिए किसी (Sick) या बूढ़े (Old) व्यक्ति से भारी शारीरिक काम लेना अन्यायपूर्ण है।

2.6.6 न्याय के भिन्न–भिन्न रूप अथवा पक्ष

(Various Forms or Dimensions of Justice)

न्याय की धारणा के अनेक रूप अथवा पक्ष हैं उसके अन्तर्गत आमतौर पर दो बातों की चर्चा की जाती है: (1) कानूनों का न्याय संगत होना (Just Laws), (2) कानून का न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना (Just administration of the law)। अपराधों या, दीवानी मामलों के लिए उचित कानूनों से ही काम नहीं चलेगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि मुकद्दमें लम्बें न खिंचे और न्याय कम खर्चीला हो। हमारे देश में न्याय बहुत खर्चीला और विलम्बकारी न्याय को शीघ्रकारी और कम खर्चीला बनाने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं:– जैसे अलग–अलग

किस्म के मामलों के लिए अलग–अलग न्यायाधिकरणों (Tribunals) को होना तथा लोक अदालतों (Lok Adalt) का गठन, दंड निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि अपराध किस प्रकार का है, अपराधी की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। अर्थात् पेशेवर अपनाधी हैं या अपराध की दुनिया में अभी हाल ही में दीक्षित हुआ है तथा अपराध महज एक अकस्मात था या उसके पीछे कोई गहरी साजिश अथवा चाल थी। इसके अतिरिक्त दीवानी तथा फौजदारी मामलों के लिए अलग–अलग किस्म के कानून चाहिए। न्यायधीशों को प्रायः यह सलाह दी जाती है – ''निष्पक्षता से कार्य करो, भ्रामक व तर्क विरूद्ध बातों पर ध्यान न दो, कोई फैसला करते समय मित्रता, शत्रुता, भय, लालच और अहंकार से काम न लो'' इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायधीशों की सेवा शर्त ऐसी हों कि वे कार्यपालिका या विधायकों के दबाव से दूर रह सकें।

न्याय का राजनीति पक्ष (Political Dimension of Justice)

मानव अधिकार घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights) कहता है – ''प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रीति से या स्वतन्त्र रीति से चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है।'' (Everyone has the right to be part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.) इसी का दूसरा नाम ''संवैधानिक लोकतन्त्र'' है। मताधिकार नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का साधन हैं। उससे लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति को बोध होता है। वह शासनाधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

राजनीतिक न्याय के साथ कई बातें जुड़ी हैं।

(1) समय–समय पर निष्पक्ष चुनाव (Periodic and Fair Elections)

(2) बालिग मताधिकार (Universal Suffrage or Universal Franchise)

(3) गुप्त मतदान (Secret Ballot)

(4) सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की समान सुविधाएँ (Equal Access to Public Services)

मानव अधिकारों की रक्षा का प्रश्न भी एक खास महत्व रखता है। बिना मुकदमा चलाये लोगों को कारागारों में बंद रखा जाता है, जेलों में बंदियों पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को शोषण हो रहा है तथा शासन विरोधियों का उत्पीड़ित किया जाता है। मानव अधिकारों का हनन मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से होता है और प्रबल जनमत बनाकर ही सत्ताधारियों को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

सामाजिक न्याय (Social Justice)

'सामाजिक न्याय' एक व्यापक चीज है। उसमें 'सामाजिक कल्याण' (Social Welfare) के साथ–साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय (Economic and Political Justice) भी शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता, अवसरों की समानता व बंधुता का आदर्श भी उसकी सीमा में आ जाते हैं। हॉबहाऊस (Hobhouse) ने अपने प्रसिद्ध गंथ 'सामाजिक न्याय के तत्व' (The Elements of Social Justice) में अधिकारों, कर्तव्यों, स्वतन्त्रता दण्ड–विधान, धन के वितरण, पैतृक सम्पत्ति (Social and Unsocial Wealth) तथा सामाजिक व गैर सामाजिक आदि बहुत से विषयों पर चर्चा की है। सामाजिक न्याय के कुछ विशेष पहलू निम्नलिखित हैंः–

सामाजिक व्यवस्था में सुधार (Revision of the Social Order)

भारतीय समाज में छुआछूत (Untouchability) जैसी घिनौनी प्रथाएँ प्रचलित रही हैं। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि मनुष्य–मनुष्य के बीच भेदभाव न किया जाए तथा सभी को आत्मविकास के उचित अवसर उपलब्ध हों। भारतीय संविधान में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य किसी

भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। संविधान का आदेश है कि ''किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जा सकेगा। इन आधारों पर कोई नागरिक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोरंजन के साधनों तथा तालाबों व कुओं के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।''

शोषण का निषेध (Prohibition of Exploitation)

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त किया जाए। भारतीय संविधान ने न्याय के इस आदर्श को भी अपनाया है। मानव व्यापार या जबरदस्ती काम लेना गैरकानूनी घोषित किया गया है।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा (Protection of the Interests of Minorities)

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा बहुत आवश्यक है। अल्संख्यकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी भाषा लिपि व संस्कृति की रक्षा कर सकें। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की पूरी स्वतन्त्रता है।

काम की न्यायपूर्ण दशाएँ (Just Conditions of Work)

यह आवश्यक है कि राज्य काम की उचित दशाएँ जुटाएँ। कारखानों में समुचित प्रकाश, स्वच्छ हवा सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा की स्वतन्त्रता (Liberty of Thought, Expression Faith and Worship)

लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति का वही स्थान है जो शरीर में रक्त संचार (Blood circulation) का इसके कारण लोकतन्त्र के सभी अवयव धुले और स्वस्थ रहते हैं और उनके बीमार और मृत विषाणु (Germs) हटा दिये जाते हैं।

आर्थिक न्याय (Economic Justice)

'सामाजिक न्याय' (Social Justice) और 'आर्थिक न्याय' (Economic Justice) के आदर्श आपस में इतने घुल मिल गये हैं कि प्रायः यह कहा जाने लगा है कि 'आर्थिक न्याय' के बिना 'सामाजिक न्याय' कोरी कल्पना है। 'आर्थिक न्याय' का अभिप्राय है कि देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा हो तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके।

'आर्थिक न्याय' के महत्त्वपूर्ण तत्व ये हैंः–

जीवन निर्वाह के लिए उचित पारिश्रमिक (Decent living Wage)

हर व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकताएँ (Basic Needs) होती है। उनकी पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि लोगों को काम पाने का अधिकार प्रदान (Right to Work) किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि यह भी जरूरी है कि लोगों को उनके काम की मात्रा व गुण के अनुसार वेतन मिले। काम की दशाएँ ऐसी होनी चाहिए कि किसी से भी उसकी क्षमता (Capacity) से ज्यादा कार्य न लिया जाए।

विशेष परिस्थितियों में राजकीय सहायता पाने का अधिकार (Public assistance in certain special cases)

आधुनिक राज्य लोक हितकारी बनते जा रहे हैं। वे नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रबन्ध करते हैं। बुढ़ापे, बीमारी, बेकारी व अंगभंग की स्थिति में लोगों को राजकीय सहायता मिलनी चाहिए। प्रसिद्ध कानूनवेता एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad) के शब्दों में, ''आर्थिक न्याय के अंतर्गत यह सिद्धान्त भी निहित है कि जो व्यक्ति अपंग, बूढ़े या बेरोजगार हैं और सम्पत्ति का उपार्जन नहीं कर सकते, समाज को उनकी सहायता करनी चाहिए।''

(Economic justice implis that those who are disabled or old or unemployed and, therefore, not in a position to earn their living should be helped by society to live.)

इसी बात को जॉन राल्स (John Rawls) ने इन शब्दों में रखा है, ''न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धान्त न होकर, क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त है।'' (Justice is not an ethic of rewards' but an ethic of redress.)

जो लोग ऊँची प्रतिभा या ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें योग्यतानुसार ज्यादा पुरस्कार मिले, यह अच्छी बात है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि कम योग्यता और कम क्षमता रखने वालों की क्षति पूर्ति की जाए।

समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)

यह भी जरूरी है कि पुरूष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। महिलाओं की मजबूरी और बालकों की अवस्था का अनुचित लाभ न उठाया जाय।

सम्पत्ति का अधिकार व उसकी सीमाएँ (Right to Property and Its Limiations)

आर्थिक न्याय की चर्चा करते समय सम्पत्ति के अधिकार का वर्णन जरूरी है। उदारवादी विचारक, जमीन, मकान और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का समर्थन करते हैं। इंग्लैण्ड, भारत, अमेरिका व फ्रांस आदि देशों में लोगों को निजी व्यवसाय की स्वतन्त्रता है किन्तु तुम सभी देशों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सार्वजनिक हित के लिए निजी सम्पत्ति पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा या कुछ राशि अवश्य देता है। मार्क प्लाटनर (Mark Plattner) लिखता है ''जो लोग धन के पुर्नवितरण (Redistributive Justice) में विश्वास रखते हैं। उनकी दलील यह होती है कि व्यक्ति की जो भी आय है, वह उसकी निजी आय ने होकर समूचे समाज की सम्पत्ति है इसलिए निर्धारण का यह अर्थ नहीं कि सरकार 'व्यक्ति की आय' से कितना ले लेती है। उसका अर्थ तो यह है कि 'सामाजिक सम्पत्ति' में से किसी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए कितनी सम्पत्ति रखने की इजाजत होगी।' (The redistributinist view implies that the income obtained by individuals is not their own but that of society as a whole. Hence, in assessing the rate of tax on an individual the government is deciding not how much of the society's income it will allow him to keep.)

2.6.7 न्याय सम्बन्धी विचार (Different Views about Justice)

न्याय सम्बन्धी अनेक मत प्रचलित रहे हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित हैंः–

प्लेटों के विचार (Plato's View)

यूनानी विद्वान प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी रिपब्लिक'' (The Republic) में न्याय संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। प्लेटों का विश्वास था कि मानवीय, प्राणी में तीन तत्व हैं – विचार (Brain), आत्मा (Soul) तथा तृष्णा या लालसा (Appetite) इन तत्वों के साथ मिलती–जुलती समाज में मनुष्य की तीन श्रेणियाँ हैं। एक प्रकार के मनुष्यों को विचार (Reason) वाले मनुष्य, दूसरी प्रकार के मनुष्यों में हौंसले (Courage) वाले मनुष्य, तीसरी प्रकार व्यक्तियों में तृष्णा (Appetite) या लालसा वाले मनुष्य होते हैं। जब मनुष्य की यह भिन्न–भिन्न श्रेणियाँ अपने–अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है तो ऐसी स्थिति को न्यायपूर्ण स्थिति कहा जाता है। प्लेटो (Plato) के विचारानुसार, अगर मनुष्य केवल उस कार्य तक ही सीमित रहे जिस कार्य के लिए वह प्राकृतिक रूप से योग्य हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो इसको न्याय का नाम दिया जा सकता है। संक्षेप में, प्लेटो के अनुसार अपने निश्चित कर्तव्यों की पूर्ति न्याय है।

स्वधर्म (Swadharma)

स्वधर्म का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति का समाज में प्राकृतिक रूप से कोई निश्चित स्थान होता है और उस निश्चित स्थान से ही उसके कर्त्तव्य और अधिकार सम्पन्न होते हैं। इसलिए उन कर्तव्यों को पूरा करना ही स्वधर्म

का मूल आधार माना जाता है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने न्याय सम्बन्धी अपनी धारणा दी थी। उसका यह मत था कि राज्य में न्याय तब ही सम्भव हो सकता है। यदि भिन्न–भिन्न सामाजिक वर्गों में सद्भावना हो। ऐसी सद्भावना तब ही सम्भव हो सकती है, जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्यों को सही प्रकार से पूरा करता है और अन्य वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्राचीन भारत में धर्म से अभिप्रायः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्यों को पूरा करना समझा जाता था। मेरा स्थान इसके कर्त्तव्य (My station and its duties) थे। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक स्थान माना जाता था और उस स्थान के साथ कुछ कर्तव्य निश्चित रूप से जुड़े हुए माने जाते थे, उन कर्तव्यों को पूरा करना ही धर्म या स्वधर्म समझा जाता था।

उदारवादी विचार (Liberal Views)

उदारवाद की विचारधारा ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सबसे अधिक महता दी है। प्राचीन उदारवाद में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को इतना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था कि इस विचारधारा के समर्थकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई (Necessary Evil) बताया था। राज्य को बुराई मानने का एक मुख्य कारण यह था कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करते थे। समकालीन उदारवाद ने राजय को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विरोधी नहीं माना है। उनके अनुसार स्वतन्त्रता का अस्तित्व केवल राज्य के कानूनों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। उदारवादियों का यह विचार है कि प्रत्येक राज्य का अन्तिम उद्देश्य न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करना है। ऐसी व्यवस्था तभी कायम हो सकती है अगर व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा सामाजिक भलाई में उचित मेलजोल तथा राज्य की शक्ति पर शक्ति की स्वतन्त्रता में उचित सन्तुलन सम्मिलित हो। संक्षेप में, उदारवादी विचारानुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता को राज्य के कानूनों द्वारा अधिक से अधिक सामाजिक भलाई के अनुसार नियमित करना न्याय का दूसरा नाम है।

मार्क्सवादी विचार (Marxist View)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने न्याय सम्बन्धी नई धारणा दी है। कार्ल मार्क्स तथा मार्क्सवाद के दूसरे समर्थकों का यह विचार है कि राज्य के कानून न्यायपूर्ण व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था को सम्भव नहीं बना सकते। मार्क्स का यह दृढ़ विचार था कि पूंजीवाद राज्य में न्याय की सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे राज्य में आर्थिक पक्ष से शक्तिशाली श्रेणी निर्धन वर्ग का शोषण करती है। मार्क्स ने न्याय के अस्तित्व को आर्थिक प्रणाली से जोड़ा है तथा उसके मतानुसार पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में न्याय का अस्तित्व असम्भव है क्योंकि ऐसी प्रणाली परस्पर विरोधी श्रेणियों के संघर्ष को जन्म देती है। मार्क्सवादी विचारानुसार केवल 'श्रेणी हीन तथा राज्यहीन समाज' (Classless and stateless society) में ही न्याय का अस्तित्व हो सकता है।

2.6.8 जान राल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त (John Rawls Theory of Distributive Justice)

जान राल्स (John Rawls) मूलतः एक उदारवादी (Liberal) विचारक थे उन्होंने अपने विवरणात्मक न्याय के सिद्धान्त को न्याय के अनुबन्धवादी सिद्धान्त (Contract Theory) पर आधारित विचार है। अनुबन्धवादी सिद्धान्त (Contract Theory) को न्याय का वितरणात्मक सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक जान राल्स (John Rawls) तथा रूसो (Rousseau) थे। उनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धान्त व शक्ति सिद्धान्त के आधार पर नहीं हुई बल्कि राज्य की उत्पत्ति का आधार अनुबंध (Contract) है। अर्थात् व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। समझौते के समय व्यक्ति अपने सभी अधिकार राजा को सौंप न ही देते बल्कि तीन अधिकार सम्पत्ति, (Property) जीवन (Life) व स्वतन्त्रता (Liberty) का अधिकार अपने पास रख लेते हैं और बाकी सभी अधिकार राजा या संप्रभु को सौंप देते हैं। अर्थात् जॉन लॉक (John Locke) इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। इन अधिकारों में भी मुख्यतः सम्पत्ति का अधिकार है। जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र

प्रतियोगिता (Free competition) मुक्त व्यापार (Free Trade) और अनुबन्ध की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract) शामिल है। इन अनुबन्धवादी सिद्धान्त का समर्थन जॉन लॉक (John Locke) के अतिरिक्त एडम स्थित (Adam Smith), हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) आदि ने भी किया।

न्याय के अनुबन्धवादी सिद्धान्त को संक्षिप्त रूप से ऐसे वर्णित किया जा सकता हैः–

1. **अनुबन्ध करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract)**: व्यक्ति को अनुबंध करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।
2. **निजी सम्पत्ति (Right to Private Property)**: व्यक्ति को अपनी निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार है।
3. **कम से कम हस्तक्षेप (Minimum Control)**: राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। उसे केवल पुलिस मैन के कार्य करते हैं।

जॉन लॉक (John Locke), एडम स्मिथ (Adam Smith) व अनुबन्धवादियों ने स्वतन्त्रता व स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) का प्रतिपादन किया उसमें पूंजीवादियों और श्रमिकों का शत्रु (Enemy) बना दिया।

जॉन राल्स (John Rawies) पर अनुबन्धवादियों का प्रभाव स्पष्ट है। उसकी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971' (A Theory of Justice, 1971) में प्रकाशित हुई। उन दिनों उदारवाद बड़े संकट से गुजर रहा था। अमेरिकन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों में संघर्ष चल रहा था। अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध में व्यस्त था और इस युद्ध पर अमेरिका का बेतहाशा खर्च हो रहा था। इस युद्ध में अमेरिका ने उदारवादियों को झंझोर कर रख दिया। उदारवादी प्रजातन्त्र लड़खड़ा रहा था। गरीबों में लोकतन्त्र के प्रति व उदारवाद दोनों के प्रति असंतोष उत्पन्न होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में साम्यवाद की स्थापना होने और सैनिक तानाशाही की स्थापना होने के आसार नजर आ रहे थे। इन स्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी जान राल्स (John Rawls) ने अपने कंधों पर ली। लेकिन सर्वप्रथम प्रश्न यह था किन चीजों का वितरण किया जाए। न्याय का सम्बन्ध इन वस्तुओं के वितरण से है अर्थात् इन वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए? इन वस्तुओं का वितरण योग्यता (Merit) के अनुसार किया जाए या जरूरतों के अनुसार (According to needs) या फिर अधिकारों (Rights) के अनुसार किया जाए।

विशेषताएँ (Characteristics)

जान राल्स (John Rawls) के न्याय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

1. **न्याय का प्रथम स्थान (First Place of Justice)**: राल्स का कहना है कि उत्तम समाज के बहुत से गुण होते हैं लेकिन न्याय को समाज का सर्वोत्तम गुण माना जाता है। न्याय की अवहेलना से समाज कल्याण को धक्का पहुंचता है और समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ जाता है।
2. **वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण (Judicious Distribution of Primary Goods)**: राल्स (Rawls) उदार लोकतन्त्र के पक्ष में है और इसमें स्वतन्त्रताएँ और अधिकार प्राप्त होते हैं। वह इन स्वतन्त्रताओं और अधिकारों को प्राथमिक वस्तुओं (Primary Goods) का समाज में न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख (Greatest good of the greater number) को ठीक नहीं मानता। इसलिए प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए अर्थात् स्वतन्त्रता, अधिकार, आय, सम्पत्ति, शक्तियों और अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण हो।
3. **अवसरों की समानता (Equality of Opportunity)**: राल्स के न्याय के सिद्धान्त को अन्य विशेषता है अवसरों की समानता। राल्स पूँजीवाद का समर्थक था। जिसमें उन्हें उद्योग व कारखाने समानता के आधार पर चलाने काद मौका मिलता है। लेकिन सरकार द्वारा उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। सरकार को ऐसे अवसर

प्रदान करने चाहिए कि जिसमें (1) बाजार पूरी तरह प्रतियोगी (Cooperative) बना रहे अर्थात् वस्तुएँ माँग व पूर्ति के आधार पर बाजार में बिके।

क) भौतिक साधनों (Material Resources) का सर्वोत्तम प्रयोग (Optimum use) होना चाहिए।

ख) सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। (Decentralisation of Private Property)

ग) लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए (Basic needs of people must be fulfilled)

घ) सभी को उन्नति करने के समान अवसर मिलें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। (Equal opportunity to education and progress)

4. **आय का वितरण (Distribution of Income)**: राल्स पूँजीवाद के पक्ष में थे। राल्स की यह मान्यता है कि लोग अपने विशेष निपुणता के कारण जिस सम्पत्ति का उपार्जन करते हैं उस पर अकेले व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है बल्कि सारे समाज का है। क्योंकि उसकी सफलता में परिवार व समाज का भी हाथ है। इसलिए आय व संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि जिससे सामूहिक हितों की पूर्ति सम्भव हो सके। पूँजीपति वर्ग की आय का एक हिस्सा जो आयकर सम्पदा कर सीमा शुल्क व अन्य करों के रूप में प्राप्त होता है। उसके देश की सुरक्षा, शान्ति व व्यवस्था यातायात व संचार आदि पर खर्च किया जाता है। लेकिन राल्स यह चेतावनी देता है कि पूँजीपतियों पर उचित ढंग से कर लगाये जाएं। उद्योगपतियों पर इतने भारी कर न लगाए जाएं कि वह उनकी उद्यम की रूचि को प्रभावित करे। वह चाहता है कि करदाताओं से उतना ही कर लिया जाए जिससे उसकी धन कमाने की रूचि में कमी न आए इससे समाज के दोनों वर्गों पूँजीपतियों व साधारण वर्ग का भला होगा।

5. **क्षतिपूर्ति का अवधारणा (Concept of Redress)**: राल्स स्वतन्त्रता व समानता और अवसरों की समानता के सिद्धान्त की बात करता है कि राज्य का यह कर्त्तव्य है कि धन का न्यायिक वितरण होना चाहिए। राल्स दरिद्रों में भी दरिद्र (Poorest of the poor) की सहायता करना चाहता है। जैसे अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएँ, बेकार, अपंग असहाय वृद्ध आदि को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की भाषा में मलाईदार परत (Creamy Layer) का हवाला दिया जा सकता है। राल्स के अनुसार, समाज एक माला के समान है और अमीर गरीब उसकी कड़ियाँ है। माला की यदि एक कड़ी कमजोर हो जाए जो माला टूट जाती है। इसलिए माला की कमजोर से कमजोर कड़ी की मजबूत करता है। इससे दरिद्रों का विकास होगा।

6. **लोकतन्त्र का समर्थक (Supports Demoracy)**: राल्स उदारवादी लोकतन्त्र का समर्थक है। वह लोगों की भिन्न प्रकार की स्वतन्त्रताएँ देने को ही न्याय मानता है। विभिन्न स्वतन्त्रताओं में विचारों की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति की स्वतन्त्रता विवाह व परिवार स्थापित करने का अधिकार शामिल है। इन स्वतन्त्रताओं को कार्य रूप देने के लिए लोकतन्त्र का होना अनिवार्य है। इसलिए राल्स संवैधानिक लोकतन्त्र (Constitutional Democracy) का समर्थक है।

आलोचना

(Criticism)

राल्स के न्याय के सिद्धान्त की आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित हैः–

मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना (Criticism of Marxists)

मार्क्सवादियों ने राल्स के सिद्धान्त की आलोचना की है उनमें मिल्टन फिस्क (Milton Fisk) व रिचर्ड मिल्टन (Richard Milton) के नाम से प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने निम्न आधार पर आलोचना की है–

पूँजीवाद के विरोधी (Against Capitalism)

राल्स ने पूँजीवाद का समर्थन किया है। पूंजीवाद के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए मार्क्सवादी राल्स के सिद्धान्त की आलोचना करते हैं।

वर्ग–संघर्ष का समर्थक नहीं (Against Class Struggle)

वह समाज के वर्ग स्वरूप को नहीं मानता। मार्क्सवादी राल्स की इस विचारधारा की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समाज वर्ग भेद पर ही आधारित है।

उदारवादियों द्वारा आलोचना (Criticism by Liberals)

मार्क्सवादियों की तरह उदारवादियों ने भी राल्स के न्याय सिद्धान्त की आलोचनाकी है। वे इसे बुद्धिसंगत व वैज्ञानिक (Lacks Logic or reason) नहीं मानते।

1. **सामाजिक समझौते की परिकल्पना (Social Contract Utopia)**: उदारवादियों ने राल्स की सामाजिक समझौते की परिकल्पना को गलत माना है।
2. **असमानताएँ (Inequalities)**: पूंजीवादी समाज में असमानताएँ आवश्यक ही रहेंगी।

मूल्यांकन (Evaluation of Rawls Theory of Justice)

राल्स के सिद्धान्त की मार्क्सवादियों और उदारवादियों द्वारा आलोचना की गई। लेकिन फिर भी राल्स के सिद्धान्त की महत्ता है। उसका वर्णन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

1. **परिवर्तनः** राल्स के न्याय सिद्धान्त में इस बात का महत्व है कि वह परिवर्तन चाहता है। वह समाज में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन चाहता है।
2. **समन्वय (Coordination)**: दूसरी महत्ता यह है कि वह समाजवाद व पूँजीवाद में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में है।
3. **हीन स्थिति (Lowest Class)**: राल्स के सिद्धान्त की महत्ता इस बात से है कि वे हीन स्थिति वाले व्यक्तियों के कल्याण पर जोर देता है।
4. **लोकतन्त्र का समर्थक (Supporter of Democracy)**: वह लोकतन्त्र का समर्थक है। उसका न्याय का सिद्धान्त उदारवाद व लोकतन्त्र के सिद्धान्त से मेल खाता है।

2.6.9 निष्कर्ष

हमने जो अब तक देखा वह यह छाप छोड़ता है कि न्याय अनिवार्यतः एक नियामक संकल्पना है, जिसका स्थान अनेक क्षेत्रों में है, जैसे धर्म, नीतिशास्त्र एवं कानून, यद्यपि इसके शाखा–विन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र आते हैं। न्याय चाहता है कि एक न्याय संगत आधार पर मूल्यों का विभेदीकरण। विभिन्न सिद्धान्त इनकी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय लोगों की आवश्यकताओं पर जोर देता है।

2.6.10 मुख्य शब्दावली

- बन्धुत्व
- कानूनी पक्ष
- अभिव्यक्ति
- वितरणात्मक न्याय
- मार्क्सवाद

2.6.11 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. न्याय की धारणा का क्या अर्थ है? न्याय के विभिन्न पक्षों की संक्षिप्त व्याख्या करें।
(What is meant by the concept of Justice? Discuss briefly the various dimensions of Justice.)

2. वैधानिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन सी है?
(What do you mean by legal Justice? What are its cheif characteristics?)

3. राजनीतिक न्याय के अर्थों की व्याख्या करे। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए कौन सी व्यवस्थाएँ होना अनिवार्य है?
(Explain the meaning of Political Justice. Which provisions are essential for the attainment of political justice?)

4. सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
(What do you mean by Social Justice? How it can be recured?)

5. आर्थिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार विश्वसनीय बनाया जा सकता है?
(What is meant by Economic Justice? How it can be ensured?)

6. जान राल्स की वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
(Critically examine John Rawls Theory of Distributive Justice.)

2.6.12 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modern Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M.Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and NewYork, Oxford University Press, 1930.
- N. J. Hirschmanand C.D.Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D.Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S.Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D.Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M.Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron (ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

इकाई –3

लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्न

राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्त्व

(Political Theory : Meaning, Nature, Scope and Significance)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: राजनीतिक सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए।

Define Political Theory.

उत्तरः राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory) को अंग्रेजी में 'पोलिटिकल थ्यूरी' कहा जाता है। 'थ्यूरी' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 'थ्योरिया' (Theoria) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है – एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के विषय में कोई विचार या सुझाव ही सिद्धान्त नहीं कहलाता। आर्नोल्ड ब्रैशर (Political Theory) के शब्दों में, ''किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है, उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास–बोध, उसकी मान्यताएँ और वे लक्ष्य शामिल हैं, जिनके लिए किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है।''

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धान्त की भिन्न–भिन्न परिभाषाएँ दी है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैंः–

1. डेविड हैल्ड (David Held) के अनुसार, ''राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणों और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना–बाना है, जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्णों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।''
2. एण्ड्रयू हैकर (Andrew Hacker) के शब्दों में, ''राजनीतिक सिद्धान्त एक ओर बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है तो दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात–रहित जानकारी का मिश्रण है।''
3. कोकर (Cocker) के अनुसार, ''जब राजनीतिक शासन, उसके रूप एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन केसल अध्ययन या तुलना मात्र के लिए ही नहीं किया जाता अथवा उनको समय के और अस्थायी प्रभावों के संदर्भ में ही नहीं आंका जाता, बल्कि इनको लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओ एवं उनके मतों के सन्दर्भ में घटनाओं को समझा व इनका मूल्य आंका जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धान्त कहते हैं।''

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धान्त मुख्यतः दार्शनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धान्त में तीन तत्व शामिल है। (i) अवलोकन, (ii) व्याख्या, (iii) मूल्यांकन।

प्रश्न 2: राजनीतिक सिद्धान्त के कार्य–क्षेत्र से संबंधित किन्हीं चार विषयों का उल्लेख कीजिए।

उत्तरः आज के युग में मनुष्यों के जीवन का कोई भाग ऐसा नहीं है जो राजनीति से अछूता रह सके। उदारवादियों (Liberals) ने राज्य तथा राजनीति का संबंध केवल सरकार तथा नागरिकों तक ही सीमित रखा, जबकि मार्क्सवादियों (Marxist) ने उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व माना है। अब

राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। राजनीतिक सिद्धान्त की विषय वस्तु से संबंधित चार विषयों का वर्णन निम्नलिखित हैः–

1. **राज्य का अध्ययन (Study of State)**:– प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य–क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उसका विकास कैसे हुआ? नगर–राज्य से लेकर अब तक राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुंचने तक इसके स्वरूप में कैसा विकास हुआ? राज्य से संबंधित प्रत्येक गतिविधि को राजनीतिक सिद्धान्त की विषय–वस्तु में सम्मिलित किया जाता है।
2. **मानव व्यवहार का अध्ययन (Study of Human Behaviour)**:– राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि राजनैतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है उसके पीछे जो प्रेरणाएँ कार्य करती है, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त में होना चाहिए।
3. **सरकार का अध्ययन (Study of Government)**:– सरकार ही राज्य का वह तत्व है, जिसके द्वारा राज्य की इच्छा का अभिव्यक्ति होती है। सरकार राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है।
4. **नीति निर्माण प्रक्रिया (Study of Policy Formuolation)**:– आधुनिक विद्वानों के अनुसार नीति–निर्माण प्रक्रिया का भी राजनीतिक सिद्धान्त का क्षेत्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस एक विषय में उन सब साधनों का अध्ययन होना आवश्यक है, जोकि शास्त्र में विधान–पालिका तथा कार्य पालिका के शासन संबंधी कार्यों, मतदाताओं, राजनीतिक दल, उनके संगठन तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 3: परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त (Classical or Traditional Political Theory) की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तरः राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory) का इतिहास बहुत पुराना है। मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है – (i) शास्त्रीय अथवा परम्परागत चिन्तन (Classicial or Traditional Theory), तथा (ii) आधुनिक राजनीतिक चिंतन (Modern Political Theory), परम्परागत राजनीतिक चिन्तन से संबंधित लेखकों में प्लेटो (Plato), अरस्तू (Aristotee), हाब्स (Hobbes), लॉक (Locke), केंट (Kant), हीगल (Hegal), कार्लमार्क्स (Karl Marks), तथा मान्टेस्क्यू (Montesquiu) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान शताब्दी के कई लेखकों–लार्ड ब्राईस (Lord Byce), मैंकाइवर (Macivor) तथा लॉस्की (Laski) को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है।

परम्परागत सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Classical or Traditional Political Theory)

परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैः–

1. **मुख्यतः कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन (Mostly legal, formal and Institutional study)**:– परम्परागत अध्ययन मुख्यतः संविधान द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था। उस काल के लेखकों ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि संस्था के औपचारिक रूप से बाहर जाकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए जिससे उसके विशिष्ट व्यवहार का परीक्षण किया जा सके।
2. **मुख्यतः आदर्शात्मक (Mostly Ideal)**:– परम्परात चिन्तकों ने कुछ आदर्शों को पहले ही स्वीकार कर लिया फिर इन्हीं मान्यताओं की कसौटी पर अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं व शासन को परखा। प्लेटो (Plato) व रूसो (Rousseau) आदि ने इसी आधार पर चिन्तन किया है।

3. **मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन (Mostly Descriptive)**:– परम्परागत चिंतन मुख्यतः वर्णनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

4. **परम्परागत चिंतन पर दर्शन धर्म तथा नीतिशास्त्र का प्रभाव (Influence of Philosophy, Religion and Ethics)**:– परम्परागत चिंतन दर्शन तथा धर्म से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं।

प्रश्न 4: आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त (Modern Political Theory) की किन्हीं चार प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तरः विशेषताएँ (Characteristics)

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **अध्ययन की अन्तशास्त्रीय पद्धति (Inter Disciplinary Study)**:– आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की अनेक उप–व्यवस्थाओं (Multi-System) में से एक है और इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग–अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रभाव ठीक ढंग से समझने के लिए उस समाज की आर्थिक (Economics), सामाजिक (Social), धार्मिक (Religous) तथा सांस्कृतिक (Cultural) व्यवस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। यही पद्धति अन्तःशास्त्रीय पद्धति कहलाती है।

2. **विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical Study):–** आधुनिक विद्वानों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। वे संस्थाओं के सामान्य वर्णन से सन्तुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने व्यक्तियों व संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार को समझने के लिए अनौपचारिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया। ईस्टन (Easton), डहल (Dahl), वेबर (Weber), आमण्ड (Almend), इत्यादि अनेक विद्वानों ने व्यक्ति के कार्यों व उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया। इनके विश्लेषण से राजनीतिक व्यवस्था को समझना आसान है।

3. **आनुभाविक अध्ययन (Empirical Study)**:– राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों के माप–तोल पर बल दिया है। यह तथ्य–प्रधान अध्ययन है जिसमें वास्तविकताओं का अध्ययन होता है।

4. **अनौपचारिक कारकों का अध्ययन (Study of Informal Factors)**:– आधुनिक विद्वान अनौपचारिक कारकों का अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं, जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह जनमत (Public Opion), मतदान (Voting), आचरण (Behaviour), विधान मण्डल (Legislature) कार्यपालिका (Executive), न्यायपालिका (Judiciary), राजनीतिक दल (Politcal Party), दबाव समूहों (Pressure Group) तथा जन सेवकों (Public Servant) के अध्ययन पर भी बल देते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: 'थ्यूरी' (Theory) शब्दी की उत्पत्ति 'थ्योरिया' शब्द से हुई है। यह शब्द निम्नलिखित भाषा का है:–

(क) अंग्रेजी (ख) ग्रीक
(ग) टयूटोनिक (घ) फ्रेंच

प्रश्न 2: निम्नलिखित का अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में शामिल है:–

(क) राज्य तथा सरकार (ख) शक्ति
(ग) नारीवाद (घ) उपरोक्त तीनों

प्रश्न 3: राजनीतिक सिद्धान्त को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है?

(क) दो (ख) तीन
(ग) चार (घ) पाँच

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्धान्त को 'जाल' कहा है?

(क) डेविड हैल्ड (ख) एण्ड्रयू हैंकर
(ग) कार्ल पॉपर (घ) कोकर

प्रश्न 5: निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है:–

(क) प्लेटो (ख) अरस्तू
(ग) मार्क्स (घ) मैक्यावली

प्रश्न 6: निम्नलिखित में परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त का लक्षण नहीं है:–

(क) आदर्शात्मक अध्ययन
(ख) कानून, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन
(ग) वर्णनात्मक अध्ययन
(घ) अन्तःशास्त्रीय पद्धति

प्रश्न 7: निम्नलिखित में राजनीतिक सिद्धान्त के तत्व माने जाते हैं?

(क) अवलोकन (ख) व्याख्या
(ग) मूल्यांकन (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 8: निम्नलिखित में आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त का लक्षण नहीं है।

(क) आनुभाविक अध्ययन (ख) विश्लेषणात्मक अध्ययन
(ग) अनौपचारिक कारकों का अध्ययन (घ) आदर्शात्मक अध्ययन

प्रश्न 9: राजनीतिक सिद्धान्त

(क) भविष्य की योजना सम्भव बनाता है।
(ख) समस्याओं के समाधान में सहायक होता है।
(ग) अनुगामियों का मार्ग दर्शन करता है।
(घ) उपरोक्त तीनों कार्य करता है।

प्रश्न 10: निम्नलिखित आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त का लक्षण है –

(क) दर्शन तथा धर्म का प्रभाव
(ख) मुख्यतः वर्णात्मक अध्ययन
(ग) मुख्य कानूनी औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन
(घ) अन्तःशास्त्रीय अध्ययन

प्रश्न 11: आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की निम्न एक विशेषता है –

(क) आनुभाविक (ख) अन्तःशास्त्रीय
(ग) वैज्ञानिक (घ) ये सभी

उत्तरः (1) ख, (2) घ, (3) क, (4) ग, (5) ख, (6) घ, (7) घ, (8) घ, (9) घ, (10) घ, (11) घ

'शक्ति' की अवधारणा

(Concept of "Power")

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: 'शक्ति' की परिभाषा दीजिए।

उत्तरः 'शक्ति' "David Held" शब्द का अर्थ बताना अथवा उसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि शक्ति के लिए बल, प्रभुत्व, प्रभाव तथा अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग होता रहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा शक्ति की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गई हैः–

1. मैकावइर के अनुसार (Macivar) ''शक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या व्यवहार को नियन्त्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता से है।''
2. टॉवनी (Towney) के शब्दों में, ''व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की, दूसरों का आचरण अपनी इच्छानुसार मोड़ लेने की क्षमता ही शक्ति है।''
3. डेविड़ ईस्टन (David Easton) के शब्दों में, ''शक्ति (सत्ता) वह संबंध व्यवस्था है, जिसमें व्यक्तियों को एक समूह अपने साध्यों (ends) की दिशा में दूसरे समूह की क्रियाओं (Actions) को निर्धारित कर सकता है।''
4. मैक्स वेबर (Max Weber) के शब्दों में, ''शक्ति वह संभावना है, जिसमें एक कर्मी (Actor) किसी एक सामाजिक संबंध के बीच इस स्थिति में होगा कि प्रतिरोध के बावजूद अपनी बात मनवा ना ले भले ही इस संभावना का आधार कुछ भी क्यों न हो।''
5. पामर (Palmer) के अनुसार, ''शक्ति से हमारा अभिप्राय दूसरों के निर्णयों, नीतियों, मूल्यों या भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित की क्षमता से है।''

प्रश्न 2: शक्ति (Power) की मुख्य विशेषताएँ (Characteristics) लिखिए।

उत्तरः शक्ति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैः–

1. **एक लक्ष्य है(Aim or Object)**:–राबर्ट डहल (Robert Dahl) ने शक्ति को एक लक्ष्य माना है। उसका कहना है कि प्रायः मनुष्य अपना प्रभाव बनाने या बढ़ाने के लिए राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करते हैं। इस बारे में राबर्ट वासर्यटेड (Robert Bistead) का कहना है कि शक्ति हमेशा छिपी रहती है और उसका प्रकट रूप हमें बल (Power) तथा सत्ता (Authority) में दिखाई देता है।
2. **एक साधन(Means)**:–कैटलिन (Catlin) शक्ति की इच्छा को जन्मजात मानकर भी उसे एक तटस्थ साधन (Neutral means) मानता है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति (Power) अपने–आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छाई या बुराई उसके प्रयोग या उपयोग पर निर्भर करती है।
3. **एक स्वतन्त्र तत्व है (An Independent Matter)**:–कई विद्वान जैसे मैक्यावली (Machiaveli), हाब्स (Hobbes), ग्राहम–वालास (Grraham Wallace) आदि शक्ति (Power) को स्वतन्त्र तत्व मानते हैं। उनका कहना है कि शक्ति विरोध के होते हुए भी एक व्यक्ति, व्यक्ति–समूह, राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा अन्यों पर अपनी इच्छा के लादने से संबंधित होने की वजह से मानवीय संबंधों का विशेषरूप बन जाती है, जिसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य है एक, शक्ति (Power) से विवश होकर कार्य करने वाला।
4. **दमन या पुरस्कार मौजूद होता है(Award or Punishment)**:–शक्ति के पीछे दमन (Punishment) मौजूद रहता है। दमन या स्वरूप प्रत्येक जाति, समाज और देश में अलग–अलग होता है। इसके साथ ही शक्ति

(Power) के प्रयोग में पुरस्कार (Reward) का तत्त्व भी हो सकता है। कैटलिन ने इसलिए राजनीति को 'शक्ति राजनीति' (Power Politics) या उसे शक्ति पर आधारित बताया है।

प्रश्न 3: शक्ति के किन्हीं चार स्त्रोतों (Sources) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शक्ति के चार स्त्रोत निम्नलिखित हैं

1. **ज्ञान (Knowledge)**:–मानवीय क्षेत्र में शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत ज्ञान है। साधारण अर्थ में ज्ञान व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने लक्ष्यों (Aims) को पूरा करने की योग्यता प्रदान करता है। मनुष्य शेर, हाथी, चीते आदि से अधिक शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति के कष्टों को दूर करके उसे उन साधनों को पाने की क्षमता भी देता है, जिनके अभाव में व्यक्ति या समाज का जीवन सुरक्षित और स्वतन्त्र नहीं रह सकता।

2. **संगठन(Organisation)**:–संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। कहावत भी है कि संगठन में शक्ति है (Unity of strength) आधुनिक समय के मजदूर संघ या व्यापारिक–वाणिज्यिक संगठन इसी सच्चाई की पुष्टी करते हैं। शक्ति (Power) की दृष्टि से राज्य ही सबसे बड़ा संघ है और इसका कारण राज्य का सबसे अधिक संगठित रूप है।

3. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति(Scientific and Technical Progress)**:–वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति भी शक्ति का एक प्रमुख स्त्रोत है। आज के इस युग में कोई भी राज्य नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति किए बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता।

4. **प्राप्तियाँ–ज्ञान शक्ति(Possessions Knowledge of Power)**:–प्राप्तियों में भौतिक सामग्री, स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की शक्ति, व्यक्ति द्वारा अपनाई गई परिस्थिति और स्तर आदि शामिल है।

प्रश्न 4: राजनीतिशक्ति(Political Power) के आधारों (Basis) का वर्णन करें।

उत्तर: प्रत्येक राज्य में शासन की शक्ति का प्रयोग एक या कुछ या बहुत से व्यक्ति करते हैं। आज के लोकतंत्रीय युग में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शासन में भाग लेती है। राजनीतिक शक्ति के चार आधार माने जाते हैं:–

(i) वंशानुगत आधार (Hereditary)
(ii) चुनाव में विजय (Electrol Victory)
(iii) वर्तमान शासन का तख्ता उलटकर स्वयं शासक बनना (Mutiny or Revolt)
(iv) सैनिक विजय (Military conquest)

प्रश्न 5: आर्थिक स्थिति (Economic Power) किसे कहते हैं?

उत्तर: शक्ति का आर्थिक (Economic) आधार भी बड़ा प्रभावशाली होता है। यह सत्य है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसका राजनीतिक शक्ति पर भी प्रभाव तथा नियंत्रण होता है। देश के भौतिक साधनों, टैक्नोलॉजी, उद्योग–धन्धों, अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार आदि का राजनीतिक शक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। मार्क्स (Marx) का कहना है कि समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं और शासन की शक्ति अमीर वर्ग के हाथ में होती है जो उस शक्ति पर प्रयोग अपने हितों की रक्षा तथा गरीबों का शोषण करने के लिए करता है। राबर्ट डहल (Robert Dahl) का कहना है कि जिस देश में भौतिक साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में होते हैं और समस्त जनता गरीब होती है वहाँ निरंकुश शासन की बहुत अधिक सम्भावना होती है। जहाँ अधिकतर जनता समृद्ध होती है वहाँ लोकतन्त्र शासन सफल होता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: 'शक्ति राजनीति का हृदय है' – यह कथन किस लेखक का है?

(क) बेकर (ख) बर्क
(ग) हॉब्स (घ) फ्रेडरिक

प्रश्न 2: 'शक्ति की परिभाषा प्रभाव के एक विशेष रूप में की जाती है। इस रूप में शक्ति प्रयुक्त करने वाले की आज्ञा का पालन न करने पर बहुत हानि उठानी पड़ती है।' – यह कथन किस लेखक का है?

(क) राबर्ट (ख) टोनी
(ग) कैटलिन (घ) हॉब्स

प्रश्न 3: 'राजनीति शक्ति का विज्ञान है' – ये शब्द किस विद्वान के है?

(क) कैटलिन (ख) बर्नहाडी
(ग) रोबसन (घ) ईस्टन

प्रश्न 4: राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित में से एक है –

(क) एक पक्षीय (ख) द्विपक्षीय
(ग) त्रिपक्षीय (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 5: 'शक्ति तथा और शक्ति प्राप्त करने की कामना ही जीवन है' – ये शब्द किस विद्वान ने कहे?

(क) लॉक (ख) हॉब्स
(ग) रूसो (घ) मैरियम

प्रश्न 6: 'राजनीतिक शक्ति का पता उन लोगों की क्षमता को देखने से लगता है, जो अपने निर्णयों का पालन करवाने के लिए सरकार के यन्त्रों पर नियन्त्रण रखते हैं' – ये शब्द किस लेखक के हैं?

(क) प्रो० एलन (ख) हटिमान
(ग) बेकर (घ) रूसो

प्रश्न 7: उदारवादियों के अनुसार शक्ति निम्नलिखित के पास है–

(क) केवल राज्य के पास (ख) एक समुदाय के पास
(ग) विभिन्न समुदायों के पास (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 8: मार्क्सवादियों के अनुसार राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित के पास है:–

(क) पूंजीपतियों के पास (ख) श्रमिकों के पास
(ग) जनता के पास (घ) सरकार के पास

प्रश्न 9: ''बन्दूकों, जहाजों, किलों और टैकों की कतारों में शक्ति का निवास नहीं है। इन सबका अपना महत्व है, परन्तु वास्तविक राजनीतिक शक्ति लोगों की भावना में निवास करती है।'' ये शब्द किस लेखक के हैं?

(क) मैरियम (ख) लासवैल
(ग) दण्ड (घ) लास्की

प्रश्न 10: शक्ति के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित एक सही है –

(क) अनुनय (ख) पुरस्कार
(ग) दण्ड (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर: (1) घ, (2) क, (3) क, (4) ख, (5) ख, (6) क, (7) ग, (8) क, (9) क, (10) घ

सत्ता की अवधारणा

(Concept of Authority)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: सत्ता (Authority) का क्या अर्थ है?

उत्तरः सत्ता शब्द जिसे अंग्रेजी में (Authority) कहते हैं, कि उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'आक्टोराइटस' (Auctoaritces) से हुई, जिसका अर्थ 'सहमति' अथवा 'स्वीकृति' है। विभिन्न विद्वानों द्वारा सत्ता की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गई हैंः–

1. राबर्ट डहल (Rovert Dahl) के शब्दों में ''औचित्यपूर्ण शक्ति या प्रभाव को प्रायः सत्ता कहते हैं।''
2. मैकाइवर (Macivar) के शब्दों में ''सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है।''
3. जोवेनल (Jovenal) के अनुसार, ''सत्ता दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है।''
4. बीच (Beech) के शब्दों में, ''दूसरों को प्रभावित करने या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।''
5. हन्ना आरेण्ट (Hanna Arrant) के अनुसार, ''सत्ता का अभिप्राय वह शक्ति है जो इच्छा पर आधारित है। उसका मुख्य तत्व उन लोगों द्वारा इसे बिना शर्त के मान्यता देना है, जिनको इसका पालन करने के लिए कहा गया गया है। इसके लिए न तो दमन कीर आवश्यकता है और न ही समझाने–बुझाने की।''

प्रश्न 2: सत्ता के कोई चार तत्व(Element) एवं विशेषताएँ (Characteristics) बताइए।

उत्तरः सत्ता के चार तत्व निम्नलिखित हैः–

1. **शक्ति नहीं है (Not Power Alone)**:–फ्रेडिक (Fredrick) के अनुसार, ''सत्ता शक्ति की प्रकार नहीं है, परन्तु एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के साथ जुड़ा होता है। यह एक ऐसा गुण है, जो शक्ति उत्पन्न करता है, परन्तु यह स्वयं शक्ति नहीं है।
2. **प्रभुत्व(Influence)**:–राजनीतिक सत्ता का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व रहता है।
3. **विवेक पर आधारित होना(Rational)**:–विवेक सत्ता का मूल तत्व है। सत्ता की स्वीकृति केवल ठोस तर्कों पर आधारित होती है, बल पर नहीं।
4. **पदसोपान(Hereditary)**:–सत्ता सदैव श्रृंखलाबद्ध होती है। सत्ता की श्रृंखलाबद्धता इस तथ्य को निश्चित करती है कि कौन किसका आदेश मानेगा। सत्ताधारी अपने अधीनस्थ से आदेशानुसार कार्य करवाने की क्षमता रखता है।

प्रश्न 3: सत्ता के किन्हीं चार रूपों (Kinds) का वर्णन करें।

उत्तरः सत्ता के चार रूप (Kinds) निम्नलिखित हैं

1. **परम्परागत सत्ता (Traditional Authority)**:–जब अधीनस्थ व्यक्ति उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदा से होता है, तो इस प्रकार की सत्ता को परम्परागत सत्ता कहा जाता है।

2. **संवैधानिक सत्ता(Constitutional Authority)**:–जब किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त होती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को संविधान द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है, उन्हें संवैधानिक सत्ता कहा जाता है।

3. **औचित्यपूर्ण सत्ता(Legitimate Authority)**:–वह सत्ता जो संविधान अथवा कानून के अनुसार उचित हो। उदाहरण–स्वरूप लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सत्ता औचित्यपूर्ण होती है।

4. **अवैध सत्ता(Illegitimate Authority)**:–जो सत्ता कानून अथवा संविधान के अनुसार न होकर अनुचित साधनों, छलकपट या सैनिक विद्रोह आदि द्वारा प्राप्त हो उसे अवैध सत्ता कहा जाता है।

5. **धार्मिक सत्ता(Religious Authority)**: जिस सत्ता को किसी धर्म के सिद्धान्तों द्वारा मान्यता दी जाती है और उसका पालन किया जाता है तो उसे धार्मिक सत्ता कहते हैं। ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पोप (Pope) की सत्ता इस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है।

प्रश्न 4: सत्ता(Authority) तथा शक्ति (Power)**में कोई चार भेद** (Difference) बताइए।

उत्तर: सत्ता तथा शक्ति (Autority and Power) में निम्नलिखित आधार पर भेद किया जा सकता है–

1. **बल तथा कानून (Force and Law)**: शक्ति बल पर जबकि सत्ता नियमों व धारणाओं पर आधारित होती है। शक्ति का आधार प्रायः बल होता है। दूसरी ओर कानूनों, नियमों, धारणाओं विश्वासों तथा मूल्यों के अनुसार अपने निर्णयों को दूसरे पर लागू करना सत्ता कहलाएगा।

2. **विवेक (Reason or Rational)**: सत्ता में विवेक का अंश होता है, जबकि शक्ति में यह अंश नहीं होता।

3. **वैध तथा अवैध (Legal and Legitimate or Illigitimate)**: शक्ति वैध तथा अवैध दोनों हो सकती है, परन्तु सत्ता वैध होती है।

4. **क्षमता तथा स्वीकृति (Capacity and Consent)**: शक्ति अन्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि सत्ता अन्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: सत्ता जिसे अंग्रेजी में (Authority) कहते हैं कि उत्पत्ति लेटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है –

(क) स्टेटस (ख) सिविटास
(ग) आक्टोराईटस (घ) सुपरेनस

प्रश्न 2: 'उचित शक्ति' को प्रायः सत्ता कहा जाता है, यह कथन है –

(क) राबर्ट ए० डहल (ख) डेविड ईस्टन
(ग) लासवैल (घ) कैटलिन

प्रश्न 3: 'सत्ता दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है'', यह कथन किसका है?

(क) टॉनी (ख) डेहिड ईस्टर्न
(ग) जोवैनल (घ) राबर्ट डहल

प्रश्न 4: 'सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है'', यह कथन है –

(क) राबर्ट ए० डहल (ख) लासवेल
(ग) डेविड ईस्टन (घ) उपरोक्त तीनों में से

प्रश्न 5: निम्नलिखित सत्ता का आधार है –

(क) संविधानप (ख) अनैतिकता

(ग) बल (घ) अत्याचार

प्रश्न 6: सत्ता तथा शक्ति

(क) परस्पर विरोधी है (ख) एक ही धारणा के दो नाम है

(ग) दो अलग–अलग अवधारणाएँ हैं (घ) दोनों में कोई संबंध नहीं है

प्रश्न 7: सत्ता की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित ठीक है –

(क) स्वीकृति (ख) परम्परागत सत्ता

(ग) राजनीतिक सत्ता (घ) अवैध सत्ता

प्रश्न 8: "Politics-who gets? What? When? and How?" नामक पुस्तक किस निम्नलिखित विद्वान ने लिखी है–

(क) राबर्ट ए० डहल (ख) लासवैल

(ग) डेविड ईस्टन (घ) बैकर

प्रश्न 9: ''सत्ता से मेरा अभिप्रायः व्यक्ति की वह योग्यता है जिसे द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है'' यह कथन है –

(क) जोविनल (ख) डेविड ईस्टन

(ग) राबर्ट ए० डहल (घ) लासवैल

उत्तरः (1) ग, (2) क, (3) ग, (4) क, (5) क, (6) ग, (7) क, (8) ख, (9) क।

नागरिकता

(Citizenship)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: नागरिक (Citizen)की परिभाषाएँ क्या है?

उत्तरः नागरिक की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. अरस्तू (Aristotle) के अनुसार, ''किसी राज्य का नागरिक वह व्यक्ति है, जिसको उस राज्य के विधान कार्य अथवा न्याय–प्रशासन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।''
2. मिलर (Miller) के अनुसार, ''नागरिक एक राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं। उन्हीं लोगों से राज्य बना है और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए, एक सरकार की स्थापना कर लेते हैं या उसकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं।''
3. वाटाल (Vattal) के अनुसार, ''नागरिक किसी राज्य के वे सदस्य हैं, जो उस राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों से बंधे हैं, उनकी सत्ता के नियंत्रण में रहते हैं तथा उसके भाग में सबसे साथ बराबरी के साझेदार है।''
4. ए०के० सियू (A.K. Sieu) के अनुसार, ''नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के प्रति वफादार हो, जिसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जो समाज–सेवा की भावना से प्रेरित हो।''

प्रश्न 2: नागरिकता (Citizenshio) की परिभाषाएँ क्या हैं?

उत्तरः नागरिकता नागरिक का कानूनी दर्जा है, जिसके आधार पर उसे किसी राज्य के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा नागरिकता की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से की गई हैः–

1. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयुक्त करना ही नागरिकता है।''
2. गैटेल (Gettel) के अनुसार, ''नागरिकता का अभिप्राय व्यक्ति के उस वैधानिक पद से है, जिसके आधार पर उसे अपने राजनीतिक समाज के सभी सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों तथा उसके निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता हो।
3. विलियम बायॅड (William Boyd) के अनुसार, ''नागरिकता अपनी निष्ठाओं को ठीक से निभाना है।''

प्रश्न 3: राज्यकृत (Naturalised) नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ बताओ।

उत्तरः राज्यकृत (Naturalised) नागरिकता निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है–

1. **विवाह (Marriage)**:–यदि कोई महिला किसी विदेशी से शादी कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है, परन्तु जापान में विदेशी पुरुष को जापानी महिला से विवाह करने पर जापान की नागरिकता मिल जाती है। सभी देशों में यह नियम समान नहीं है।
2. **राज्य की सेवा(Government Service)**:–कुछ राज्यों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी सरकारी सेवा में लिया जाता है तो उसे राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
3. **सम्पत्ति खरीदने पर(Purchase of Property)**:–पीरू (Peru) तथा मैक्सिको (Mexico) जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी वहाँ अचल सम्पत्ति खरीद लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है।

4. **सेना में भर्ती होना(Military Service)**:–कुछ देशों में यह भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी सेना में भर्ती हो जाता है तथा उस देश के प्रति वफादारी की शपथ लेता है, तो वह वहाँ का नागरिक बन जाता है।

प्रश्न 4: नागरिकता(Chitizenship) कैसे खोई जाती है?

उत्तरः प्रत्येक देश में नागरिकता के छिन जाने के लिए भिन्न–भिन्न नियम होते हैं। निम्नलिखित किसी कारण से एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है–

1. **विवाह द्वारा (By Marriage)**: विवाह से नागरिकता खो जाती है। जब कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और वह अपनी नागरिकता खो देती है।
2. **लम्बी अनुपस्थिति के कारण (Long Absence)**: यदि कोई नागरिक बहुत वर्षों तक अपने देश से अनुपस्थित रहता है और विदेशी सरकार की नौकरी करता है या कोई विदेशी पद ग्रहण कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता खो जाती है।
3. **राज्य के कानून द्वारा (Law of the State)**: सेना से भागे हुए सिपाही, देश–द्रोही तथा पुराने अपराधियों से भी नागरिकता राज्य के कानून द्वारा छीन ली जाती है।
4. **स्वेच्छा द्वारा (Voluntary)**: वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग सकता है।

प्रश्न 5: आदर्श नागरिक के गुणों का उल्लेख करें।

उत्तरः आदर्श नागरिक के गुणों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता हैः–

1. **उत्तम स्वास्थ्य (Good Health)**: एक आदर्श नागरिक अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। स्वस्थ नागरिक ही अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन कर सकता है।
2. **अच्छी शिक्षा (Good Education)**: प्रजातन्त्र में एक नागरिक अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को उचित ढंग से तभी निभा सकता है, यदि वह शिक्षित हो।
3. **उदार तथा उच्च विचार (Liberal Ideas)**: आदर्श नागरिक के विचार भी उच्च तथा उदारवादी होते हैं। वह संकीर्ण तथा तुच्छ विचारों से दूर रहता है।
4. **प्रगतिशील दृष्टिकोण (Progressive Attitude)**: अच्छे नागरिक का दृष्टिकोण भी प्रगतिशील होना चाहिए। जात–पात तथा छुआछूत का प्रजातन्त्र में कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें समाप्त कर देना चाहिए।
5. **जन–सेवा की भावना** (Social Service): उत्तम नागरिक में समाज–सेवा की भावना कूट–कूटकर भरी रहती है। समाज में जो लोग पिछड़े, गरीब, अनपढ़ तथा शोषित है, उनकी सेवा करना सुयोग्य नागरिक का कर्तव्य है।

प्रश्न 6: नागरिक के दो प्रकारों अथवा रूपों (Kinds) का वर्णन कीजिए।

उत्तरः नागरिक के दो प्रकारों का वर्णन इस प्रकार हैः–

1. **जन्मजात नागरिक (By Birth Citizen):** जन्मजात नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं।
2. **राज्यकृत नागरिक (Naturalised Citizen)**: राज्यकृत नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, परन्तु किसी अन्य देश की कानूनी शर्तें पूरी करने के बाद उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्न 7: नागरिकता का रक्त सिद्धान्त (Kinship) क्या है?

उत्तरः इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को अपने माता–पिता के देश की नागरिकता रक्त (Kinship) द्वारा प्राप्त होती है। चाहे बच्चे का जन्म स्थान विदेश भी क्यों न हो, उसे अपने पैतृक देश की ही नागरिकता मिल जाती है। एक भारतीय दम्पत्ति का बच्चा चाहे देश में पैदा हुआ हो या विदेश में पर्यटन करते हुए, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा।

प्रश्न 8: नागरिकता का जन्म–स्थान (Place of Birth) का सिद्धान्त क्या है?

उत्तरः इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का आधार वंश न होकर जन्म स्थान होता है। इसके अन्तर्गत विदेशियों के बच्चे अन्य राज्यों में पैदा हो तो वे उस राज्य के नागरिक बन सकते हैं। इंग्लैड़ में नियम है कि उसकी सीमा में ही नहीं वरन् उसके किसी जहाज में भी यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह इंग्लैड़ का नागरिक कहलाएगा।

प्रश्न 9: नागरिकता का दोहरा (Double Chitizenship) या मिश्रित सिद्धान्त क्या है?

उत्तरः रक्त वंश तथा जन्म स्थान के कारण उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के लिए कुछ देशों में इन दोनों नियमों को माना जाता है। इसलिए इसे दोहरा नियम कहा जाता है। इसके अनुसार किसी देश के नागरिकों की सन्तानें विदेशों में भी पैदा हो तो भी वे स्वदेश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है और विदेशी नागरिकों की संतानें अगर उसकी सीमा में पैदा होंगी व उन्हें भी उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इंग्लैण्ड, अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस आदि देशों में दोहरा नियम–पालन किया जाता है। एक बच्चे को व्यस्क (Adult) हो जाने पर स्वेच्छा से कोई एक नागरिकता का त्याग करना होता है।

प्रश्न 10:नागरिकता की विशेषताओं(Characteristics of Citizenship) का उल्लेख करो।

उत्तरः नागरिकता की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित हैः–

1. **राज्य की सदस्यता (Membnership of a State)**: नागरिकता की प्रथम विशेषता राज्य की सदस्यता है। नागरिक को राज्य की स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है।
2. **सर्व व्यापकता (Comprehensive)**: नागरिकता की दूसरी विशेषता इसकी सर्वव्यापकता में हैं अर्थात् नागरिकता राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्राप्त होती है।
3. **अधिकारों का प्रयोग (Grant of Fundfamental Rights)**: नागरिकता सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करवाती है, जिन्हें प्राप्त करके नागरिक अपने जीवन में विकास व उन्नति कर सकते हैं।
4. **कर्तव्य परायणता (Duty)**: नागरिकता व्यक्तियों में कर्तव्य परायणता की भावना को जगाती है।
5. **देश–भक्ति की भावना** (Patriotism): नागरिकता में देश–भक्ति की भावना निहित है, जिसके दम पर राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर करता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: "नागरिकता वह व्यक्ति है जिसे किसी राज्य के शासन तथा न्याय प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है।" नागरिक की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है?

(क) अरस्तु (ख) लॉस्की

(ग) गैटेल (घ) बोसांके

प्रश्न 2: ''नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार रहता है।'' नागरिकता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से कि विद्वान ने दी?

(क) गैटेल (ख) लॉस्की

(ग) अरस्तु (घ) बायड

प्रश्न 3: नागरिकता प्राप्त करने का आधार है–

(क) उस देश में व्यापार करना

(ख) उस देश के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना

(ग) उस देश के किसी नागरिक से विवाह करना

(घ) उस देश में सैर करने के लिए जाना

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन–सी नागरिक की विशेषता नहीं है–

(क) राज्य की सदस्यता (ख) अधिकारों की प्राप्ति

(ग) राज्य के प्रति वफादारी (घ) अस्थायी निवासी

प्रश्न 5: नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं –

(क) सामाजिक अधिकार

(ख) राजनीतिक अधिकार

(ग) आर्थिक अधिकार

(घ) उपर्युक्त तीनों प्रकार के अधिकार

प्रश्न 6: भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून संसद द्वारा निम्नलिखित वर्ष में पास किया गया था –

(क) 1948 (ख) 1951

(ग) 1957 (घ) 1955

प्रश्न 7: किसी राज्य का नागरिक वह व्यक्ति है जिसको उस राज्य के विधान–कार्य तथा न्याय–प्रशासन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।'' यह शब्द किस विद्वान के हैं।

(क) लॉस्की (ख) अरस्तु

(ग) वाटाल (घ) गैटेल

प्रश्न 8: नागरिकता के उदारवादी सिद्धान्त का समर्थक कौन है?

(क) राबर्ट नाजिक (ख) लॉस्की

(ग) एंथनी गिडेन्स (घ) टी०एच० मार्शल

उत्तरः (1) क, (2) घ, (3) ग, (4) घ, (5) घ, (6) घ, (7) ख, (8) घ।

अधिकार

(Rights)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: अधिकारों का अर्थ एवं उनकी परिभाषा दीजिए।

उत्तर: मनुष्यों को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएँ समाज में मिली होती है, उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय असुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है।

1. लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यकित अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता।''
2. बोसांके (Bosanquet) के अनुसार, ''अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।''
3. ग्रीन (Green) के अनुसार, ''अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएँ हैं।''

प्रश्न 2: नागरिक जीवन में अधिकारों का क्या महत्व हैं?

उत्तर: मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। नागरिक जीवन में अधिकारों का महत्व निम्नलिखित हैः–

1. **व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास (To develop one's personality)**: जिस प्रकार एक पौधे के विकास के लिए धूप, पानी, मिट्टी, हवा की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता है।
2. **समाज के विकास के साधन (To Develop Society):** व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। यदि अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो सामाजिक विकास भी स्वयंमेव हो जाता है।
3. **समाज की आधारशिला (Foundation Stone):** अधिकारों की व्यवस्था के बिना समाज का जीवित रहना संभव नहीं है, अधिकार ही मनुष्य द्वारा परस्पर व्यवहार से सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला का निर्माण करते हैं।
4. **कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक (To assist in Welfare Functions):** प्रत्येक राज्य की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। जिस राज्य के नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकत नहीं होंगे और अपने कर्तव्यों का सही तरह पालन नहीं करेंगे, उस राज्य की योजनाएँ असफल होंगी।

प्रश्न 3: अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ(Characteristics) बताइये।

उत्तर: अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः–

1. **समाज में ही संभव (Possibile in Society)**:–अधिकार केवल समाज में ही प्राप्त होते हैं। समाज के बाहर अधिकारों का न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता।
2. **समाज द्वारा मान्य(Recognized by the Society)**:–अधिकार व्यक्ति की मांग है जिसे समाज मान ले या स्वीकार कर ले।

3. **असीमित नहीं होते(Not unlimited)**:–प्रत्येक अधिकार पर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध अवश्य होते हैं। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारों को सीमित करना अनिवार्य है।

4. **व्यक्ति का दावा है(Rights are Individual Demands)**:–अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने का दावा है जो वह समाज में करता है।

5. **सर्वव्यापक (Comprehensive)**: अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 4: नागरिक(Civil) या सामाजिक(Social Rights) अधिकार किसे कहते हैं? किन्हीं तीन प्रकार के नागरिक अधिकारों का वर्णन करें।

उत्तर: नागरिक या सामाजिक अधिकार राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। आधुनिक लोकतन्त्रीय राज्य में नागरिक को निम्नलिखित सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं –

1. **जीवन का अधिकार (Rights to Life)**: जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ है। जिस मनुष्य का जीवन ही सुरक्षित नहीं है, वह उन्नति नहीं कर सकता। नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है।

2. **शिक्षा का अधिकार (Right to Education)**: शिक्षा के बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति को गंवार तथा पशु समान समझा जाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञसन नहीं होता।

3. **सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)**: सम्पत्ति का अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।

प्रश्न 5: आर्थिक अधिकारों (Economic Rights) से आप क्या समझते हैं? कोई पाँच आर्थिक अधिकार लिखो।

उत्तर: आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। नागरिकों को निम्नलिखित आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं:–

1. **काम का अधिकार(Right to Work)**: कई राज्यों में नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को काम दे ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके।

2. **उचित मजदूरी का अधिकार(Right to Wages)**: किसी नागरिक को काम देना ही पर्याप्त नहीं है उसे उसके काम की उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए।

3. **अवकाश पाने का अधिकार(Right to Rest)**: मजदूरों को काम करने के पश्चात् अवकाश भी मिलना चाहिए। अवकाश वेतन सहित होना चाहिए।

4. **काम के नियमित समय का अधिकार(Right to fixed working hour)**: आधुनिक राज्यों में काम करने के घंटे भी निश्चित होने चाहिए ताकि पूंजीपति मजदूरों का शोषण न कर सके।

5. **आर्थिक सुरक्षा का अधिकार(Right to Economic Security)**: नागरिक को आर्थिक सुरक्षा के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करते समय अंगहीन या अंधा हो जाता है, तो सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

प्रश्न 6: व्यक्ति को प्राप्त किन्हीं पाँच अधिकारों(Rights) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: **1. जीवन का अधिकार (Right to Life):** जीवन आ अधिकार सबसे महत्पपूर्ण अधिकार है। अपने जीवन की रक्षा करना नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है।

2. **काम का अधिकार (Right to Work)**: प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार नौकरी प्राप्त करने का तथा व्यवसाय करने का पूरा–पूरा अधिकार होता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को काम दें।

3. **समानता का अधिकार (Right to Equality)**: सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4. **राजनीतिक अधिकार (Political Right)**: राजनीतिक अधिकार के द्वारा नागरिक शासन में भाग लेता है। इसमें मत देने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद प्राप्त करने आदि के अधिकार शामिल है।

5. **धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Religious Freedom)**: धर्म की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि मनुष्य को स्वतन्त्रता है कि वह जिस धर्म में चाहे विश्वास रखे, जिस देवता की चाहे पूजा करे और जिस तरह चाहे पूजा करे। सरकार को नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 7: राजनीति अधिकार (Political Rights) क्या होते हैं? किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।

उत्तर: राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा नागरिक शासन में भाग ले सकते हैं। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं–

1. **मतदान का अधिकार (Right to Vote)**: लोकतन्त्र में जनता का शासन होता है, परन्तु शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। नागरिक को अपनी इच्छानुसार मताधिकार का अधिकार है।

2. **चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Contest Elections)**: लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी होता है। चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम निश्चित आयु होती है।

3. **सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार (Right to hold Public Office)**: लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को उच्च सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

4. **आलोचना का अधिकार** (Right to Criticism): लोकतन्त्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है।

प्रश्न 8: अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त(Natural Theory of Rights) पर संक्षिप्त लेख लिखें।

उत्तर: इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है, समाज की नहीं। व्यक्ति को अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार राज्य तथा समाज बनने से पूर्व के हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक हॉब्स (Hobbes), लॉक (Locke), तथा रूसो (Rousseau) थे।

मिल्टन (Milton), वाल्टेयर (Voltair), थॉमस पैन (Thomas Pane), ब्लैक स्टोन (Black Stone) जैसे विद्वानों ने भी प्राकृतिक अधिकारों (Natural Rights) के सिद्धान्त का समर्थन किया। अमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा (1796) में यह स्पष्ट कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र तथा समान है और इन अधिकारों को राज्य नहीं छीन सकता। फ्रांस की क्रान्ति (1789) में भी प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला रहा।

प्रश्न 9: प्राकृतिक अधिकारों(Natural Rights) के सिद्धान्त की किन आधारों पर आलोचना की जाती है?

उत्तर: प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त कर निम्नलिखित आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है–

1. **'प्रकृति' (Nature)तथा 'प्राकृतिक' (Natural) शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं (The words "Nature" and "Natural" are unclear)**: इस सिद्धान्त की आलोचना इसलिए की जाती है कि इस सिद्धान्त में प्रयुक्त 'प्रकृति' तथा 'प्राकृतिक' शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है।

2. **प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर मतभेद** (No Compromise in the list of Natural Rights): प्राकृतिक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होने के कारण इस सिद्धान्त के समर्थन अधिकारों की सूची पर भी सहमत नहीं होते।

3. **प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते (No rights are possioble in state of nature)**: प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अधिकार तो केवल समाज में ही प्राप्त होते हैं, न कि प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में।

4. **प्राकृतिक अधिकार असीमित है जो कि गलत है** (Natural Rights are not unlimited): प्राकृतिक अधिकार असीमित है और इन अधिकारों पर कोई नियन्त्रण नहीं है जो कि गलत है समाज में मनुष्य को कभी भी असीमित अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

5. **अधिकार परिवर्तनशील** (Rights are Changeable): प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के अनुसार अधिकार निश्चित है जो सर्वथा गलत है। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं।

प्रश्न 10: अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त(Historical Theory of Rights) पर एक संक्षिप्त लेख लिखो।

उत्तर: अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त (Historical Theory of Rights) के अनुसार अधिकारों का जन्म इतिहास में हुआ है। अधिकारों का जन्म उन रीति–रिवाजों तथा परम्पराओं से होता है जो काफी समय से चली आ रही होती है और जिन्हें उपयोगी समझा जाता है। रिचि (Ritchie) के मतानुसार, ''जिन अधिकारों के बारे में लोग यह सोचते हैं कि उन्हें मिलने चाहिए ये वे अधिकार होते हैं जिनके वे आदी (habitual) होते हैं या जिनके विषय में गलत या सही एक परम्परा (convention) चली आती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे।''

इस सिद्धान्त के अनुसार, अधिकार रीति–रिवाजों पर आधारित होते हैं और उन्हें इतिहास मान्यता दे चुका होता है। सम्पत्ति का अधिकार, रीति–रिवाजों पर आधारित है जिसे समाज स्वीकृति दे चुका है। इंग्लैण्ड में नागरिकों के अधिकार, मुख्यतः परम्पराओं तथा रीति–रिवाजों पर आधारित है। बर्क (Burke) के मतानुसार, ''इंग्लैण्ड की शानदार क्रान्ति (Glarrious Revolution) लोगों के परम्परागत अधिकारों पर आधारित थी।''

प्रश्न 11:अधिकारों के कानूनी (Legal Theory of Rights) की व्याख्या करो।

उत्तर: अधिकारों के कानूनी सिद्धान्त का समर्थन बैन्थम (Bentham), आस्टिन (Austin), हालैंड (Halland) तथा आमंड (Almod) ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार राज्य की देन है अधिकारों की प्राप्ति मनुष्य को जन्म से नहीं होती, बल्कि राज्य, मनुष्य को अधिकार देता है। मनुष्य के अधिकार वही है जो राज्य में उसको दिए है अथवा संविधान में जो लिखे हुए हैं। व्यक्ति को राज्य के विरूद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। व्यक्ति के अधिकार असीमित न होकर सीमित है। जिन अधिकारों को राज्य मान्यता नहीं देता वे व्यर्थ है। कानूनी अधिकारों के सिद्धान्त में निम्नलिखित बातें निहित है:–

1. अधिकार राज्य को देन है राज्य से पूर्व ये अधिकार नहीं थे। (Rights are granted by State)
2. अधिकार राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। (Rights are implimentedf by the state)
3. व्यक्ति को राज्य के विरूद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। (No rights against the state)

4. अधिकार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। (Rights are changeable according to circumstances)

5. देश–भक्ति की भावना (Patriotism): नागरिकता में देश–भक्ति की भावना निहित है, जिसके दम पर राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर करता है।

प्रश्न 12: अधिकारों के उदारवादी–व्यक्तिवादी सिद्धान्त (Liberal Individualistic Theory) पर एक नोट लिखो।

उत्तर: उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। जॉन लॉक (John Locke), बैन्थम (Bentham), मिल (Mill), स्पेन्सर (Spencer), जैफरसन (Jefferson), मैडिसन (Medison), मैकाईवर (Maciver), ग्रीन (Green) तथा लॉस्की (Laski) आदि विद्वान उदारवाद के प्रमुख समर्थक है। इन विचारकों ने व्यक्ति के अधिकारों संबंधी महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, जिनको अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान्त कहा जाता है। अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान्त निम्नलिखित बातों पर बल देता है –

1. **अधिकार मानव से अलग नहीं किए जा सकते** (Rights cannot be Separated): प्रारम्भिक उदारवादियों का मानना है कि अधिकार व्यक्ति के स्वभाव में निहित है, जिस कारण मनुष्य न तो इसको किसी को दे सकता है और न ही राज्य इसको छीन सकता है।

2. **सभी क्षेत्रों में समानता** (Equality of Rights): उदारवादियों का कहना है कि व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

3. **प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त की मान्यता** (Recognition of Natural Rights): प्रारम्भिक उदारवादियों ने अधिकारों को प्रकृति की देन मानकर उन्हें मान्यता प्रदान की है

4. **व्यक्तिगत सुरक्षा पर विशेष बल**: उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धान्त व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार पर विशेष बल देता है।

प्रश्न 13: अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त (Idealistic Theory of Rights) से आप क्या समझते है?

उत्तर: अधिकारों का सर्वोत्तम सिद्धान्त आदर्शवादी सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त अधिकारों का शुद्ध आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धान्प्त अधिकारों के नैतिक तथा सामाजिक पक्ष को महत्व देता है। व्यक्ति का यह सर्वोच्च अधिकार है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करे। व्यक्ति अनेक गुणों के साथ जन्म लेता है। वह इन गुणों का विकास तभी कर सकता है जब उसे सही परिस्थितियों की सहायता प्राप्त हों। इन सही परिस्थितियों को समाज स्वीकार करता है जिससे यही परिस्थितियाँ व्यक्ति के अधिकार बन जाती है। व्यक्ति केवल अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करता, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के अधिकार को भी स्वीकार करता है।

प्रश्न 14: नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं?

उत्तर: नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किये जाने चाहिए –

1. **स्वतन्त्र, न्यायपालिका (Independent Judiciary):** नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वतन्त्र न्यायपालिका ही अधिकारों की ठीक ढंग से रक्षा कर सकती है।

2. **अधिकारों का संविधान में अंकित होना (Constitutional Rights)**: अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अधिकारों का वर्णन संविधान में किया जाए ताकि आने वाली सरकारें इनको ध्यान में रखें।

3. **लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली (Democratic Form of Government)**: अधिकारों की सुरक्षा लोकतन्त्रीय प्रणाली में ही संभव है। लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली में सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार लोकतन्त्रीय प्रबन्ध में ही सुरक्षित रह सकते हैं।

4. **जागरूक नागरिक (Vigilant Citizens)**: सचेत या जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसलिए जागरूक नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण शर्त माना गया है।

प्रश्न 15: अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धान्त (Social Welfare Theory of Rights) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धान्त के अनुसार अधिकतर समाज की देन है जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। बैन्थम (Bentham) तथा जे०एस० मिल (J.S. Mill) इसके मुख्यय समर्थक थे। इन विद्वानों ने अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता (The greatest happiness of the greatest number) पर जोर दिया अर्थात् जिस कार्य में अधिकतम व्यक्तियों की प्रसन्नता निहित हो उसे अधिकार मान लेना चाहिए। अतः इस सिद्धान्त के समर्थकों के मतानुसार अधिकारों का आधार सामाजिक कल्याण (Social Welfare) है। व्यक्ति को अधिकार समाज में ही मिलते हैं और उनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सामाजिक कल्याण के विरूद्ध अधिकार उसे प्राप्त नहीं हो सकते। लॉस्की (Laski) के मतानुसार, ''सामाजिक उपयोगिता के बिना अधिकार निरर्थक है अधिकार समाज स्वतन्त्र नहीं होते, इसलिए अधिकार सामाजिक हित के विरूद्ध नहीं हो सकते।

प्रश्न 16: अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धान्त (Marxist Theory of Rights) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अधिकार का मार्क्सवादी सिद्धान्त कार्लमार्क्स (Karl Marks), एंजल्स (Engels), लेनिन (Lenin), स्टालिन (Stalin) आदि के विचारों पर आधारित है। मार्क्सवादी सिद्धान्त अधिकारों की उदारवादी–व्यक्तिवादी धारणा का खण्डन करता है और उसे मिथ्या तथा वास्तविकता से दूर बताता है। मार्क्सवादी सिद्धान्त राजनीतिक अधिकारों के स्थान पर आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। मार्क्सवादी निजी सम्पत्ति के अधिकार के विरूद्ध है। मार्क्सवादी निजी सम्पत्ति के अधिकार के विरूद्ध है। मार्क्स (Marx) का कहना है, ''बिना कर्तव्यों के कोई अधिकार नहीं तथा बिना अधिकारों के कर्तव्य नहीं।''

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: ''अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है।''

(क) बोसांके (ख) लॉस्की
(ग) टी०एच० ग्रीन (घ) हालैंड

प्रश्न 2: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष की गई?

(क) 1948 (ख) 1949
(ग) 1950 (घ) 1952

प्रश्न 3: प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस विद्वान ने किया?

(क) प्लेटो (ख) अरस्तु
(ग) लॉक (घ) मार्क्स

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन–सा आर्थिक अधिकार है –

(क) काम करने का अधिकार (ख) वोट का अधिकार
(ग) चुनाव लड़ने का अधिकार (घ) जीवन का अधिकार

प्रश्न 5: 'अधिकार उन सामाजिक संस्थाओं का नाम है, जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता' यह कथन किसका है?

(क) हालैंड (ख) ऑस्टिन

(ग) लॉस्की (घ) बोसांके

प्रश्न 6: अधिकार की यह परिभाषा, विशेष कार्य करने में स्वतन्त्रता की उचित मांग ही अधिकार है' – किसने दी है?

(क) वाइल्ड (ख) बोसांके

(ग) हालैंड (घ) लॉस्की

प्रश्न 7: जीवन का अधिकार

(क) आर्थिक अधिकार है (ख) सामाजिक अधिकार है

(ग) नैतिक अधिकार है (घ) धार्मिक अधिकार है

प्रश्न 8: प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय

(क) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं।

(ख) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिये हैं।

(ग) उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है।

(घ) उन अधिकारों से है जो राज्य की ओर से प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 9: प्राकृतिक अधिकार का समर्थन '

(क) अरस्तु ने किया (ख) कार्ल मार्क्स ने किया

(ग) हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने किया (घ) ग्रीन ने किया

प्रश्न 10: सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार

(क) राजनीति अधिकार है (ख) सामाजिक अधिकार है

(ग) आर्थिक अधिकार है (घ) नैतिक अधिकार है

प्रश्न 11: यह किसने कहा – केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्व होता है।''

(क) वाइल्ड (ख) ग्रीन

(ग) बोसांके (घ) गार्नर

प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन–सा एक राजनीतिक अधिकार है –

(क) मतदान का (ख) जीवन का

(ग) काम का (घ) सम्पत्ति का

प्रश्न 13: कानूनी अधिकारों का समर्थक है –

(क) हॉब्स (ख) लॉक

(ग) रूसो (घ) बैन्थम

प्रश्न 14: अधिकारों के सामाजिक कल्याण का समर्थक है –

(क) हॉब्स (ख) ग्रीन

(ग) जे०एस० मिल (घ) रूसो

प्रश्न 15: अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त का समर्थक है –

(क) टी०एच० ग्रीन (ख) गार्नर

(ग) लॉस्की (घ) रूसो

प्रश्न 16: निम्नलिखित प्राकृतिक अधिकार नहीं है –

(क) शिक्षा का अधिकार (ख) जीवन का अधिकार

(ग) स्वतन्त्रता का अधिकार (घ) सम्पत्ति का अधिकार

प्रश्न 17: अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त का समर्थक है –

(क) लॉक (ख) बार्कर

(ग) ग्रीन (घ) लॉस्की

प्रश्न 18: काम का अधिकार –

(क) नागरिक अधिकार है (ख) राजनीतिक अधिकार है

(ग) मौलिक अधिकार है (घ) आर्थिक अधिकार है

प्रश्न 19: वोट डालने का अधिकार –

(क) राजनीतिक अधिकार (ख) आर्थिक अधिकार

(ग) सामाजिक अधिकार (घ) नैतिक अधिकार

प्रश्न 20: प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस विद्वान ने किया?

(क) प्लेटो (ख) अरस्तु

(ग) लॉक (घ) मार्क्स

प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन–सा राजनीतिक अधिकार है?

(क) परिवार का अधिकार (ख) शिक्षा का अधिकार

(ग) सम्पत्ति का अधिकार (घ) चुनाव लड़ने का अधिकार

उत्तर: (1) क, (2) क, (3) ग, (4) क, (5) ग, (6) क, (7) ख, (8) ख, (9) ग, (10) क, (11) क, (12) क, (13) घ, (14) ग, (15) क, (16) क, (17) ख, (18) घ, (19) क, (20) ग, (21) घ।

स्वतन्त्रता

(Liberty)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: स्वतन्त्रता (Liberty) का अर्थ बताइए।

उत्तर: स्वतन्त्रता शब्द जिसे अंग्रेजी में 'लिबर्टी' (Liberty) कहते हैं, लेटिन भाषा के शब्द 'लिबर' (Liber) से निकला है, जिसका अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात् किसी प्रकार के बन्धनों का न होना। इस प्रकार स्वतन्त्रता का अर्थ–व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार के बन्धन नहीं होने चाहिए। परन्तु स्वतन्त्रता का यह अर्थ गलत है। स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति पर अनुचित तथा अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए और उसे उन अवसरों की भी प्राप्ति होनी चाहिए जिनसे उसे अपना विकास करने में सहायता मिलती है।

1. लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''स्वतन्त्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करना है जिससे मनुष्य को अपने जीवन के विकास के सर्वोत्तम अवसर मिल सके।''
2. कोल (Cole) के अनुसार, ''बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतन्त्रता है।''
3. गैटल (Gettel) के अनुसार, ''स्वतन्त्रता से अभिप्राय इस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को करके आनन्द प्राप्त होता है जो करने योग्य है।''

स्वतन्त्रता की ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि:–

(i) स्वतन्त्रता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों तथा अवसरों की स्थापना है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सके।
(ii) स्वतन्त्रता का अर्थ सभी प्रकार के बन्धनों का अभाव नहीं बल्कि उन बन्धनों का अभाव है जो अनुचित हो।
(iii) स्वतन्त्रता उन करने योग्य कार्यों को करने तथा उपभोग करने योग्य वस्तुओं को उपभोग करने का अधिकार है।

प्रश्न 2: स्वतन्त्रता के नकारात्मक (Negative)तथा सकारात्मक (Positive) रूपों (Kinds) का अर्थ बताइए।

उत्तर: स्वतन्त्रता (Negative) स्वतन्त्रता का अर्थ है – व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य को करने की स्वतन्त्रता होना और उस पर किसी भी प्रकार के बन्धनों का न होना, परन्तु स्वतन्त्रता का यह सही अर्थ नहीं है। यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो तो समाज में अराजकता फेल जाएगी और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is Right) समाज के जीवन का आधार बन जाएगा। स्वतन्त्रता के सकारात्मक (Positive) पक्ष से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को वह सब कुछ करने की स्वतन्त्रता है जो करने योग्य होता है। स्वतन्त्रता के इस पक्ष का अर्थ प्रत्येक प्रकार के प्रतिबन्धों का अभाव नहीं। स्वतन्त्रता का अभिप्राय एक ऐसा वातावरण स्थापित करना है जिसमें मनुष्य को अपना सर्वोत्तम करने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हो।

प्रश्न 3: स्वतन्त्रता के कोई पाँच रूपों(Kinds) का वर्णन करें।

उत्तर: स्वतन्त्रता के पाँच प्रकार (Kinds) निम्नलिखित हैं:–

1. **प्राकृतिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty)**:–प्राकृतिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय यह है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्वतन्त्रता। इस स्वतन्त्रता में व्यक्ति पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं थे। व्यक्ति स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करते थे।

2. **राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)**:–राजनीतिक स्वतन्त्रता में लोगों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है।

3. **नैतिक स्वतन्त्रता (Moral Liberty)**:–नैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सम्मान प्रदान करते हुए निर्णय लने सके और कार्य कर सके।

4. **राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (National Liberty)**:–राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अर्थ है – विदेशी नियंत्रण से स्वतन्त्रता।

5. **आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)**: आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ शोषण के अभाव से है। नागरिक भूख और बेरोजगारी से मुक्त होने चाहिए तथा नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।

प्रश्न 4: आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty) तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty) के संबंधों का वर्णन करो।

उत्तरः आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty) का अर्थ है – भूख और अभाव से मुक्ति। राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty) का अर्थ है – मत डालने, चुनाव, सार्वजनिक पद प्राप्त करने और सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता। राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक स्वतन्त्रता में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं वहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है। एक भूखे व्यक्ति के लिए मताधिकार (Votting) का भी कोई मूल्य नहीं। गरीबी के कारण लोग अपना वोट बेच देते हैं और धनवान व्यक्ति उन्हें खरीद लेते हैं। यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति का धन पर नियंत्रण है, उसका प्रशासन पर भी प्रभाव जम जाता है।

प्रश्न 5: आधुनिक राज्य में स्वतन्त्रता किस प्रकार सुरक्षित(Safe guards of Liberty) रखी जा सकती है?

उत्तरः स्वतन्त्रता की सुरक्षा के विभिन्न उपायों में से पाँच उपाय निम्नलिखित हैं:–

1. **प्रजातन्त्र (Democracy)**: प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में जनता की सरकार होती है और लोगों के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता।

2. **मौलिक अधिकारों की घोषणा (Declaration of Fundamental Rights)**: जनता को स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर उन्हें संविधान (Contitution) में लिख दिया जाता है, ताकि संविधान द्वारा लोगों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा हो सके।

3. **स्वतन्त्र प्रेस (Independent Press)**: स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रेस भी लोगों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। स्वतन्त्रा व निष्पान प्रेस की सरकार की आलोचना करके सत्ता पर नियन्त्रण बनाए रखती है।

4. **कानून का शासन (Rule of Law)**: कानून का शासन स्वतन्त्रता की सुरक्षा करता है। कानून के सामने सब सामने होने चाहिए और सभी लोगों के लिए एक–सा कानून होना चाहिए।

5. **स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)**: कानूनों को लागू करने के लिए न्यायाधीश स्वतन्त्र निडर और ईमानदार होने चाहिए।

प्रश्न 6: ''सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता की कीमत है।''(Eteral vigilance is the price of liberty) टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः लास्की (Laski) ने ठीक ही कहा है, ''सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता की कीमत है।'' स्वतन्त्रता की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय स्वतन्त्रता के प्रति जागरूक रहना है। लॉस्की (Laski) के शब्दों में, ''नागरिकों की महान् भावना, न कि कानूनी शब्दावली स्वतन्त्रता की वास्तविक संरक्षक है।''

प्रश्न 7: प्राकृतिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty) से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः **प्राकृतिक स्वतन्त्रता (Natural Liberty)**: प्राकृतिक स्वतन्त्रता का ठीक–ठीक अर्थ क्या है, यह कहना कठिन है। रूसो के कथनानुसार, ''मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है किन्तु प्रत्येक स्थान पर वह बन्धन में क्या होता है।''

इसका अर्थ है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतन्त्र पैदा किया है। इस मत से अधिकांश विचारक सहमत नहीं है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता केवल जंगल की स्वतन्त्रता है जो वास्तव में स्वतन्त्रता है ही नहीं। सच्चे अर्थ में तो स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज में ही पाई जा सकती है।

प्रश्न 8: नागरिक स्वतन्त्रता(Civil Liberty) से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तरः **नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)**: नागरिक स्वतन्त्रता प्राकृतिक स्वतन्त्रता से उलट है। जहाँ प्राकृतिक स्वतन्त्रता राज्य की स्थापना से पहले मानी जाती है वहाँ नागरिक स्वतन्त्रता राज्य के द्वारा सुरक्षित मानी जाती है। गैटेल (Gettel) के अनुसार, ''नागरिक स्वतन्त्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल है। जिन्हें राज्य अपनी प्रजा के लिए बनाता और सुरक्षित रखता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक (व्यक्ति) को कानून की सीमा के अन्दर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। इसमें दूसरे लोगों के हस्तक्षेप से रक्षा करना या सरकार के हस्तक्षेप से रक्षा करना शामिल हो सकते हैं।'' इस प्रकार नागरिक स्वतन्त्रता उन अधिकारों के समूह का नाम है जो कानून के द्वारा मान लिए गए हों, और राज्य जिनको सुरक्षित रखता हो। कानून दो प्रकार के होते हैं –

(i) **सार्वजनिक (Public)**: सार्वजनिक कानून स्वतन्त्रता की सरकार के हस्तक्षेप से रक्षा करता है।

(ii) **व्यक्तिगत (Private)**: बार्कर (Barker) के अनुसार नागरिक स्वतन्त्रता तीन प्रकार की होती है –

(क) शारीरिक स्वतन्त्रता (Physical Liberty): शारीरिक स्वतन्त्रता में जीवन, स्वास्थ्य और घूमना–फिरना शामिल है।

(ख) मानसिक स्वतन्त्रता (Psychological Liberty): मानसिक स्वतन्त्रता में विचारों और विश्वासों को प्रकट करना आता है।

(ग) व्यावहारिक स्वतन्त्रता (Practical Liberty): व्यावहारिक स्वतन्त्रता में दूसरे व्यक्तियों के संबंधों और समझौते से संबंधित कार्यों में अपनी इच्छा आदि को शामिल करता है।

प्रजातन्त्र में नागरिक स्वतन्त्रता अधिक सुरक्षित होती है, जबकि स्वेच्छाचारी सरकार में इसकी अधिक सुरक्षा नहीं होती। लोकतन्त्र में भी व्यक्तियों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, जिनसे नागरिक स्वतन्त्रताओं पर रोक लग जाती है, जैसे भारत के संविधान में विभिन्न स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई है। इसके साथ संविधान में ही निवारक नजरबन्दी कानून, भारत सुरक्षा अधिनियम, आन्तरिक सुरक्षा कानून, पोटा आदि समाज व राष्ट्र की सुरक्षा का बहाना लेकर नागरिक स्वतन्त्रताओं पर रोक लगा दी गई है।

प्रश्न 9: राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty) का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तरः राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty): राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, उनका वह स्वतन्त्रता पूर्वक प्रयोग करे, वह कानून निर्माण तथा प्रशासन में भाग ले।

लॉस्की (Laski) ने ठीक कहा है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति से है। यह स्वतन्त्रता केवल लोकतन्त्र में ही संभव है, राजतन्त्र और तानाशाही में नहीं। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान की स्वतन्त्रता, चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता, सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता। लीकॉक (Ledcocks) ने राजनीतिक स्वतन्त्रता से संवैधानिक स्वतन्त्रता (Constitutional Liberty) का नाम दिया है और कहा है कि जनता को अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

प्रश्न 10: आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty) का क्या अर्थ है?

उत्तर: प्रजातन्त्र तभी वास्तविक हो सकता है जब राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ–साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी हो। लेनिन (Lenin) के शब्दों में, ''नागरिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना निरर्थक है।''

लॉस्की (Laski) के अनुसा, ''आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ मनुष्य तो अपना दैनिक भोजन कमाते हुए युक्तियुक्त रूप में सुरक्षा व अवसर प्राप्त होता है।''

प्रत्येक नागरिक को बेकारी और अभाव के भय से स्वतन्त्र बनाया जाना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। इसके लिए एक ओर मजदूरों के कुछ आर्थिक अधिकार हों जैसे काम पाने, उचित घण्टे काम करने, उचित मजदूरी पाने, अवकाश पाने, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे और दुर्घटना की अवस्था में सहायता व सुरक्षा पाने तथा मजदूर संघ बनाकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए अधिकार तो दूसरी ओर मजदूरों को उद्योग–धन्धे के प्रबन्ध में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: ''स्वतन्त्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हो।''स्वतन्त्रता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?

(क) लॉस्की ने (ख) गैटेल ने
(ग) सीले ने (घ) लॉक ने

प्रश्न 2: अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी (Liberty) की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है?

(क) लिबर (ख) लाइवल
(ग) लिंगवा (घ) सुपरेनस

प्रश्न 3: स्वतन्त्रता के सकारात्मक स्वरूप से क्या अभिप्राय है?

(क) सभी प्रतिबन्धों का अभाव नहीं।
(ख) लोगों के अधिकारों की रक्षा।
(ग) व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक परिस्थितियाँ पैदा करना।
(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 4: निम्न में से किस विद्वान ने सकारात्मक स्वतन्त्रता का समर्थन किया?

(क) लॉक (ख) हरबर्ट स्पेन्सर
(ग) जे०एस०मिल (घ) टी०एच० ग्रीन

प्रश्न 5: नकारात्मक स्वतन्त्रता से क्या तात्पर्य है?

(क) कानून एक बुराई है (ख) स्व कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता
(ग) सरकार का कार्य–क्षेत्र सीमित होना (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 6: ''स्वतन्त्रता अति शासन का उल्टा रूप है? यह कथन किस विद्वान का है?

(क) लॉस्की का (ख) सीले का
(ग) जी०डी०एच० कोल का (घ) गैटेल का

प्रश्न 7: राजनीतिक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है?

(क) चुने जाने का अधिकार
(ख) धार्मिक स्वतन्त्रता
(ग) भाषण देने का अधिकार
(घ) देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार

प्रश्न 8: राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है?

(क) राष्ट्र की विदेशी नियन्त्रण से स्वतन्त्रता
(ख) देश के बाह्म कार्यों में स्वतन्त्रता
(ग) विदेश की आर्थिक परतन्त्रता
(घ) देश के आन्तरिक कार्यों में स्वतन्त्रता

प्रश्न 9: निम्नलिखित में कौन–सा स्वतन्त्रता का संरक्षक नहीं है?

(क) लोकतन्त्र (ख) आर्थिक सुरक्षा
(ग) शक्ति का विकेन्द्रीकरण (घ) राज्याध्यक्ष

प्रश्न 10: ''व्यक्ति जितनी अधिक स्वतन्त्रता चाहता है, उतना ही अधिक उसे सत्ता के सामने झुकना पड़ता है।'' यह कथन किस विद्वान का है?

(क) जे०एस० मिल का (ख) हॉकिन्स का
(ग) लॉस्की का (घ) रिटशे का

प्रश्न 11:समाज का सदस्य होने के नाते एक व्यक्ति को कौन–सी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है?

(क) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (ख) आर्थिक स्वतन्त्रता
(ग) धार्मिक स्वतन्त्रता (घ) नागरिक स्वतन्त्रता

प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व स्वतन्त्रता का संरक्षक है –

(क) विधानमण्डल (ख) कार्यपालिका
(ग) न्यायपालिका (घ) मौलिक अधिकारों की घोषणा

प्रश्न 13: ''जहाँ कुछ लोग धनी तथा कुछ निर्धन, कुछ शिक्षित तथा कुछ अशिक्षित होते हैं। वहाँ हम सदैव स्वामी तथा दास का संबंध पाते हैं।'' यह कथन किसका है?

(क) माण्टेस्क्यू का (ख) लॉस्की का
(ग) गैटैल का (घ) टी०एच० ग्रीन का

प्रश्न 14: हम इस तथ्य को प्रमाणित मानते हैं कि सब मनुष्स समान बनाए गए हैं? यह कहाँ पर कहा गया है?–

(क) भारतीय संविधान में (ख) फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली, 1789 में
(ग) अमेरिका के स्वाधीनता घोषणा–पत्र में (घ) इनमें से किसी में नहीं

उत्तर: (1) क, (2) क, (3) घ, (4) घ, (5) घ, (6) ख, (7) क, (8) क, (9) घ, (10) ख, (11) घ, (12) घ, (13) ख, (14) ग।

समानता

(Equality)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: समानता (Equality) का अर्थ बताइए।

उत्तरः साधारण शब्दों में समानता का अर्थ लिया जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, परन्तु समानता का यह अर्थ ठीक नहीं है। समानता का ठीक अर्थ यह है कि समाज में सभी प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाए और सभी को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्राप्त हों। व्यक्तियों में केवल उनकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं होना चाहिए।

परिभाषा– समानता की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. लॉस्की (Laski) के अनुसार, ''समानता का अर्थ व्यक्ति का अपनी शक्तियों के यथासंभव प्रयोग के समान अवसर प्रदान करने के प्रयास करना है।''
2. स्टीफन (Stephen) के अनुसार, ''समानता से अभिप्राय मानव विकास को नियमित आवश्यक उपकरणों का समान विभाजन है।''

समानता का अभिप्राय विशेषाधिकारों का अभाव तथा राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसरों का प्रदान किया जाना।

प्रश्न 2: सामाजिक समानता (Social Equality)का क्या अर्थ है?

उत्तरः सामाजिक समानतार (Social Equality) का अर्थ है कि समाज में सब व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबको समान सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, स्थान, जाति, रंग, नस्ल तथा सम्पत्ति के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) द्वारा भी (1948 ई०), जो मानव अधिकारों (Human Rights) के बारे में घोषणा की गई थी, उसमें सामाजिक समानता पर बहुत जोर दिया गया है।

प्रश्न 3: राजीतिक समानता(Political Equality) का क्या अर्थ है?

उत्तरः राजनीतिक समानता (Political Equality) का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, रंग, लिंग, सम्पत्ति, शिक्षा, धर्म आदि के आधार पर चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिस देश में ये सब अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से नहीं दिये जाते, वहाँ राजनीतिक समानता कायम नहीं रह सकती। उदाहरणस्वरूप, कुछ राज्यों में अब तक भी स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया है।

प्रश्न 4: आर्थिक समानता(Economic Equality) का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तरः आर्थिकसमानता (Economic Equality) का अर्थ है कि लोगों में किसी प्रकार का आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, परन्तु इसका यह अर्थ भी है कि सभी के पास समान धनराशि तथा सम्पत्ति हो या सभी को एक जैसा (समान) वेतन मिलना चाहिए। इस प्रकार की समानता बिल्कुल असंभव है। आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि समाज में धनी तथा निर्धन के बीच का अन्तर कम से कम हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन मिलना चाहिए अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को रोटी,

कपड़ा तथा मकान की आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में लॉस्की (Laski) ने लिखा है ''कुछ व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक होने से पहले सब व्यक्तियों के पास आवश्यक पदार्थ (Basic Needs) होने चाहिए।'' लॉस्की (Laski) ने आगे कहा है, ''मुझे केक (Cake) खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरा पड़ोसी मेरे इस अधिकार के कारण, रोटी के बिना भूखा रहने के लिए लाचार होता है।''

प्रश्न 5: स्वतन्त्रता (Liberty) तथा समानता (Equality) के आपसी संबंधों का वर्णन करें।

उत्तर: स्वतन्त्रता तथा समानता के संबंधों के बारे में भिन्न–भिन्न विचार पेश किए गए हैं। डी० टाकविल (De Tocquville), लॉर्ड एक्टन (Lord Acton) आदि विचारकों का विचार है कि स्वतन्त्रता तथा समानता में कोई संबंध नहीं है। ''समानता के आवेश ने स्वतन्त्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है।'' जहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में लोगों में बहुत अधिक असमानता होती है वहाँ पर गरीब लोगों के लिए स्वतन्त्रता का उपयोग करना असंभव हो जाता है।

हॉब्सन (Hobson) ने लिखा है, ''एक भूखे से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता का क्या लाभ है? वह स्वतन्त्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है।'' इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के उचित प्रयोग के लिए आर्थिक समानता का होना अनिवार्य है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वतन्त्रता तथा समानता में गहरा संबंध है और वास्तव में एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।

प्रश्न 6: समानता की पांच विशेषताओं(Characteristics) का वर्णन करो।

उत्तर: समानता की पांच विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है:–

1. **विशेष अधिकारों का अभाव (Absence of Privileges)**: समानता की प्रथम विशेषता यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। समाज के सभी लोगों को समान अर्थात् एक जैसे अधिकार व अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
2. **उन्नति के समान अवसर (Equal Opporutnities)**:– समाज में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सकें। किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग तथा धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।
3. **मौलिक आवश्कताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs)**: समाज के सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।
4. **उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण (Control over means of production)**: सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है।
5. **प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति (Removal of natural inequalities)**:– समानता की विशेषता यह है कि समाज में प्राकृतिक असमानताओं को नष्ट किया जाता है। यदि समाज में प्राकृतिक असमानता रहेगी तो समानता के अधिकार का कोई लाभ नहीं है।

प्रश्न 7: समानता के किन्हीं चार रूपों(Kinds) का वर्णन करो।

उत्तर: समानता के चार रूपों (Kinds) का वर्णन निम्नलिखित है:–

1. **प्राकृतिक समानता(Natural Equality)**: कुछ लोगों का विचार है कि सभी लोग जन्म से ही समान है। प्राकृतिक समानता की अवधारणा को 1789 में फ्रांस की मानव अधिकारों की घोषणा में माना गया है और

1776 की अमेरिका की स्वतन्त्रता घोषणा में भी माना गया है। परन्तु ऐसा विचार गलत है, क्योंकि लोगों में काफी असमानताएँ हैं जो जन्म से ही होती हैं और उनको समाप्त करना भी असंभव है।

2. **नागरिक समानता (Civil Equality)**: नागरिक समानता का अर्थ है कि नागरिक अधिकार सब लोगों के लिए समान हो, सब लोगों के लिए जीवन, स्वतन्त्रता, परिवार और धर्म आदि से संबंधित अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हो। किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा सब लोग कानून के सामने बराबर हो (Equality before Law)।

3. **सामाजिक समानता (Social Equality)**: सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4. **आर्थिक समानता (Economic Equality)**: आर्थिक समानता का अर्थ है कि लोगों में किसी प्रकार का आर्थिक भेदभाव न हो। सभी के पास धन सम्पत्ति हो। सबकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: नकारात्मक समानता से क्या अभिप्राय है?

(क) निम्न वर्गों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करना।

(ख) विशेष अधिकारों का अभाव

(ग) अधिकारियों को विशेष अधिकार होना

(घ) राजनेताओं को सुविधाएँ देना।

प्रश्न 2: समानता के अर्थ के संबंध में कौन–सा कथन ठीक है?

(क) सबके साथ समान व्यवहार (ख) सब का समान वेतन

(ग) विशेषाधिकारों का अभाव (घ) इनमें से कोई नहीं।

प्रश्न 3: सकारात्मक समानता से क्या तात्पर्य है?

(क) समान अवसरों की प्राप्ति

(ख) राजनेताओं को विशेष अधिकार देना

(ग) अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति

(घ) राजनीतिक अधिकार प्रदान करना

प्रश्न 4: सामाजिक समानता का अर्थ है कि –

(क) समाज के प्रत्येक व्यक्ति समान है।

(ख) धर्म के आधार पर समानता

(ग) जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त

(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 5: समानता की पर्याप्त मात्रा स्वतन्त्रता की विरोधी न होकर उसके लिए अनिवार्य है।''यह कथन किस विद्वान का है?

(क) लॉस्की का (ख) लॉर्ड एक्टन का

(ग) आर०एच० टोनी का (घ) टी०एच० ग्रीन का

प्रश्न 6: निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता में सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है?

(क) आर्थिक समानता (ख) राजनीतिक समानता

(ग) सामाजिक समानता (घ) प्राकृतिक समानता

प्रश्न 7: राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि –

(क) वोट देने का अधिकार

(ख) सभी को चुने जाने का अधिकार

(ग) सरकार की आलोचना का अधिकार

(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 8: आर्थिक समानता का अर्थ है कि –

(क) समान अवसरों की प्राप्ति

(ख) समान कार्य के लिए समान वेतन

(ग) आर्थिक शोषण समाप्त

(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर: (1) ख, (2) ग, (3) क, (4) घ, (5) ग, (6) ख, (7) घ, (8) घ।

न्याय

(Justice)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: न्याय (Justice) की धारणा का क्या अर्थ है?

उत्तर: 'न्याय' शब्द, जिसे अंग्रेजी में (Justice) कहते हैं, कि उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द ''Jus'' से हुई है, जिसका अर्थ है – 'बंधन' अथवा 'बांधना'। प्लेटो (Plato) ने न्याय के बारे में कहा है, ''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।''

न्याय की परिभाषाएँ–

1. साल्मण्ड (Salmond) के अनुसार, ''न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना।''
2. जे०एस० मिल (J.S. Mill) के अनुसार, ''न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धाराओं से संबंधित है और इसीलिए जीवन के पथ–प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियम से महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है।''
3. बैन तथा पीटर (Ben and Peter) के अनुसार, ''न्यायपूर्ण कार्य का अर्थ है कि जब तक भेदभाव करने के लिए उचित कारण नहीं है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए।''
4. सेबाइन (Sabine) के अनुसार, ''न्याय एक ऐसा बंधन है जो व्यक्तियों को एक समान समाज के रूप में इकट्ठे करती है, ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता तथा प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करता है।''

प्रश्न 2: न्याय के पाँच आधारभूत तत्वों का वर्णन करें।

उत्तर: न्याय के आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं:–

1. **कानून के समक्ष समानता (Equality Before Law)**: कानून के सामने सबको समान समझा जाना चाहिए और उन पर एक–से कानून लागू किए जाने चाहिए। जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर बने भेदभाव के बिना सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। सी०के० एलेन (C.K. Allen) ने यह है, ''जहाँ पक्षपात द्वार से अन्दर आया, न्याय खिड़की से बाहर गया।''
2. **सत्य (Truth)**: सत्य का अर्थ है, घटना का ज्यों–का–त्यों प्रस्तुतीकरण करना। न्यायालयों में तथ्यों की सत्यता का विशेष महत्व है।
3. **स्वतन्त्रता (Liberty)**: व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाना अन्याय है।
4. **मूल्यों की व्यवस्था की समानता (Same Law)**: इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मामले में तथा विभिन्न परिस्थितियों में न्याय की एक ही धारणा का प्रयोग किया जाना चाहिए।
5. **प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान** (Respect for Nature): जो कार्य व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है और कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असंभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरूद्ध है।

प्रश्न 3: सामाजिक न्याय(Social Justice) का क्या अर्थ है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए पाँच व्यवस्थाएँ लिखो।

उत्तरः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी०बी० गजेन्द्र गड़कर के अनुसार, ''सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है।''

सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यवस्थाओ में से पांच व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैंः–

1. **कानून के समक्ष समानता (Equality before Law)**: सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाए। किसी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए।
2. **सामाजिक समानता (Social Equality)**: समाज में सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए और सबको अपने जीवन के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। सब पर एक ही कानून लागू होने चाहिए और कानून के सामने सब सदस्य समान होने चाहिए।
3. **समान अधिकार (Equal Rights)**: सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यदि किसी वर्ग अथवा व्यक्ति को रंग, जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वहाँ पर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है।
4. **पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएँ (Privilegs for Backward Classes)**: समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करता है।
5. **असमानता को हटानाः** समाज में फैली असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। इसी के अन्तर्गत भारत में छुआछूत को समाप्त किया गया है और गैर–कानूनी घोषित किया गया है। जिस समाज में एक वर्ग को अछूत (Untouchable) माना जाता हो, वहाँ सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

प्रश्न 4: न्याय के आर्थिक (Economic Aspect) की व्याख्या करें।

उत्तरः आर्थिकन्याय (Economic Justicer) से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को धन प्राप्त करने तथा जीवन में उसका प्रयोग करने के लिए समान अवसर प्रदान करना। आर्थिक न्याय के आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं–

(i) सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएँ (Basic Necessities) पूरी होनी चाहिए।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने चाहिए और व्यक्ति को अपने काम के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए।

(iii) आर्थिक न्याय का यह भी अथ है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राजकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो। बुढ़ापे, बेरोजगारी तथा असमर्थता में राज्य सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करें।

(iv) स्त्रियों और पुरूषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

(v) सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों के नियंत्रण के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है।

आर्थिक न्याय की प्राप्ति के उपाय (Ways to Secure Economic Justice): आर्थिक न्याय की प्राप्ति तथा सभी लोगों को कार्य देने के लिए सरकार का उत्तरदायी होना चाहिए तथा कार्य न देने की अवस्था में सरकार की ओर से बेरोजगारी (unemployment allowance) भत्ता दिया जाना चाहिए। अपाहिज हो जाने अथवा बीमारी या वृद्धा–अवस्था में लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होना

अनिवार्य है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है, यदि निर्बल वर्गों तथा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाए।

प्रश्न 5: न्याय(Justice) तथा स्वतन्त्रता (Liberty) के बीच संबंध लिखिए।

उत्तर: न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं, परन्तु एक स्वतन्त्र राज्य ही ऐसे वातावरण की स्थापना कर सकता है। जिसमें व्यक्ति का विकास संभव हो। वही समाज न्यायपूर्ण कहलाने का अधिकारी है। जहाँ नागरिकों को स्वतन्त्रताएँ प्रदान की जाए, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वतन्त्रताएँ निरंकुश व पूर्ण हो। यदि स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबंध न लगाया जाए, तो समाज में अराजकता व अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे वातावरण में न्याय की कल्पना करना संभव नहीं होगा।

प्रश्न 6: न्याय (Jusstice) समानता (Equality)केसाथ संबंध बताओ।

उत्तर: कानून के सामने सभी समान हों और कानून सबकी समान रूप से रक्षा करें। धर्म, जाति, भाषा, रंग, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव न किया जाए। होटल, पार्क, दुकान तथा दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। आर्थिक समानता का अभिप्राय है कि सभी के लिए रोजगार हो, काम करने के घण्टे निश्चित हो। दिन–प्रतिदिन की आवश्यक चीजें लोगों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इसी तरह से उन्नति के अवसर पर सभी लोगों को समान प्राप्त होने चाहिए।

प्रश्न 7: आर्थिक–न्याय (Economic Justice) के चार लक्षणों का विवेचन करो।

उत्तर: आर्थिक न्याय (Economic Justice) के चार लक्षण निम्नलिखित हैः–

1. **काम का अधिकार (Right to Work)**: प्रत्येक नागरिक को काम मिलना चाहिए। काम न मिलने की स्थिति में उन्हे बेरोजगारी भत्ता (Unemployment allowance) दिया जाना चाहिए।
2. **समान काम के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)**: पुरुष व महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। महिलाओं की मजबूरी का लाभ न उठाया जाए। एक–से श्रमिकों का वेतन सभी जगह एक सा होना चाहिए।
3. **न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfilment of Basic Needs)**: मनुष्य की कुछ भौतिक आवश्यकताएँ (Basic Needs) हैं। उनकी पूर्ति होनी अनिवार्य है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की स्थिति में लोकतन्त्र व राजनीतिक स्वतन्त्रता के बारे में सोचना एक ढांग व दिखावा (myth) है, क्योंकि अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति राजनीतिक के बारे में सोच ही नहीं सकता।
4. **आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)**: इसका अर्थ है कि बुढ़ापे, बीमारी, अपंग और असहाय होने की स्थिति में जब व्यक्ति अपनी रोजी–रोटी नहीं कमा सकता तो राज्य द्वारा उसकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए। उन्हें पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा आदि की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

प्रश्न 8: न्याय के राजनीतिक (Political Justice) पक्ष के अर्थ को स्पष्ट करो।

उत्तर: न्याय के राजनीतिक पक्ष (Political Justice) का अर्थ निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है –

न्याय का राजनीतिक पक्ष (Political Justice): राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन को प्रभावित करने का अधिकार होना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनैतिक न्याय की मांग है कि शासन की शक्तियाँ कुछ लोगों में

केन्द्रित न होकर समस्त जनता में निहित होनी चाहिए और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही उन शक्तियों का प्रयोग करें। न्याय के राजनीतिक पक्ष में तीन मुख्य बातों पर बल दिया जाता है –

(i) राजनीतिक जीवन पर लोकतान्त्रिक आधार पर गठित संस्थाओं का नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार मिले और बिना किसी भेदभाव के चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार भी मिले।

(ii) दूसरी बात जो राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए।

(iii) जनता को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न समुदायों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए अर्थात् राजनीतिक दल, दबाव–समूह व राजनीतिक समूह बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

प्रश्न 9: रॉल्स (Rawls) के न्याय सिद्धान्त की चार विशेषताएँ लिखो।

उत्तर: रॉल्स (Rawls) के न्याय सिद्धान्त की चार विशेषताएँ निम्नलिखि हैं–

1. **समाज में न्याय का प्रथम स्थान (Justice First and Foremost)**: रॉल्स का कहना है कि उत्तम समाज के बहुत से गुण होते हैं, लेकिन न्याय को समाज का सर्वोत्तम माना जाता है। रॉल्स की यह मान्यता है कि समाज में न्याय से ऊपर और गुण हो सकते हैं लेकिन न्याय की अवहेलना नहीं की जा सकती क्योंकि न्याय की अवहेलना से समाज कल्याण को धक्का पहुंचता है और समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर होता है।

2. **प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण (Judicial Distribution of "Primary Goods")**: रॉल्स उदार लोकतन्त्र के पक्ष में है और इसमें स्वतन्त्रताएँ और अधिकार प्राप्त होते हैं। वह इन स्वतन्त्रताओं और अधिकारों को 'प्राथमिक वस्तुओं' (Primary Goods) का नाम देता है। इस तरह राज्य के न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इन 'प्राथमिक वस्तुओं' का समाज में न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए।

3. **अवसरों की समानता (Equality of Opporutnities)**: रॉल्स, पूंजीवाद का समर्थक था जिसमें उन्हें उद्योग व कारखाने समानता के आधार पर चलाने का मौका मिलता है। लेकिन सरकार द्वारा उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। सरकार को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि जिसमें

   (i) प्रतियोगी– बाजार पूरी तरह प्रतियोगी बना रहे अर्थात् वस्तुएं मांग व पूर्ति के आधार पर बाजार में बिके।

   (ii) सर्वोत्तम प्रयोग – भौतिक साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होना चाहिए।

   (iii) विकेन्द्रीकरण – सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

   (iv) प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति – लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।

   (v) समान अवसर – सभी को उन्नति करने का समान अवसर मिले। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए।

4. **क्षतिपूर्ति की अवधारणा (Theory of Compensation)**: रॉल्स स्वतन्त्रता व समानता और अवसरों की समानता के सिद्धान्त की बात करता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि धन का न्यायिक वितरण होना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: ''न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है'' – यह शब्द किस विद्वान के है?

(क) साल्मण्ड (ख) आर्नोल्ड

(ग) डी०डी० राफेल (घ) जे०एस० मिल

प्रश्न 2: ''न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है'' – ये शब्द किस विद्वान के हैं?

(क) साल्मण्ड (ख) पीटर्स

(ग) बेन (घ) इनमें से किसी के भी नहीं।

प्रश्न 3: ''न्याय उन मान्यताओं और प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था है, जिसमें समाज द्वारा मान्य सभी अधिकार व सुविधाएँ दी जाती हैं'' – ये शब्द निम्नलिखित में से किसने कहे?

(क) जे०एस० मिल (ख) पीटर्स

(ग) मैरियम (घ) आर्नोल्ड

प्रश्न 4: न्याय के बारे में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है –

(क) सत्य (ख) निष्पक्षता

(ग) स्वतन्त्रता (घ) विभिन्न बन्धन

प्रश्न 5: 'राजनीतिक न्याय' निम्नलिखित में से एक है –

(क) सामाजिक जीवन में भागीदारी (ख) आर्थिक जीवन में भागीदारी

(ग) शासन में भागीदारी (घ) खेल–कूद में भागीदारी

प्रश्न 6: सामाजिक न्याय के सदंर्भ में निम्नलिखित में से एक सही है –

(क) सामाजिक व्यवस्था में सुधार (ख) सामाजिक समानता

(ग) विशेषाधिकारों की समाप्ति (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 7: ''समान सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था करना ही सामाजिक न्याय है'' – ये शब्द किस लेखक के हैं?

(क) लॉस्की (ख) बार्कर

(ग) हॉब्स (घ) प्लेटो

प्रश्न 8: आर्थिक न्याय के संबंध में निम्नलिखित एक सही नहीं है –

(क) काम का अधिकतर (ख) आर्थिक सुरक्षा

(ग) श्रमिकों के हितों की रक्षा (घ) सामाजिक शोषण

प्रश्न 9: वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन थे?

(क) रूसो (ख) मार्क्स

(ग) जॉन राल्स (घ) ऐंजल्स

प्रश्न 10: "A Theory of Justice" नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी?

(क) जॉन राल्स (ख) जॉन लॉक

(ग) रूसो (घ) आस्टिन

उत्तरः (1) ग, (2) क, (3) ग, (4) क, (5) ग, (6) घ, (7) क, (8) घ, (9) ग, (10) क।

न्याय का समाजवादी सिद्धान्त

(Social Theory of Justice)

लघुत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxist Theory) के अनुसार न्याय का अर्थ बताओ।

उत्तर: न्याय के संबंध में विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से मार्क्सवादी सिद्धान्त एक सिद्धान्त है। साधारण शब्दों में न्याय के मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार समाज में वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सिद्धान्त वर्गहीन व राज्यहीन समाज की स्थापना करने के पक्ष में है समाज प्राचीन समय से ही दो वर्गों में बंटा हुआ है, और दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। लॉस्की (Laski) ने कहा है, ''यदि मार्क्स के दिल को टटोला जाए तो पता चलेगा कि न्याय के प्रति उसमें कितना आवेग था।'' इस प्रकार के विचार का लिंडसे (Lindsay) ने समर्थन किया है, ''मार्क्स में न्याय का भावावेग देखने को मिलता है।''

मार्क्स (Marx) व ऐंजल्स (Angles) ने शोषण के प्रति रोष प्रकट किया है। भौतिक समाज को तब तक न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता, जब तक वर्ग–भेद पर आधारित शोषण समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए मार्क्सवादी जिस न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए वर्ग–संघर्ष अनिवार्य है। अतः वर्गहीन समाज जिसमें किसी का शोषण न होता हो वह ही न्यायपूर्ण समाज है।

प्रश्न 2: न्याय के समाजवादी सिद्धान्त (Socialist Theory of Justice)की चार विशेषताएँ लिखो।

उत्तर: न्याय के समाजवादी सिद्धान्त की चार विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1. **पूंजीवाद का विरोध (Against Capitalism)**: समाजवाद की स्थापना के लिए उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य के अधिकार का समर्थन किया है।
2. **राज्य शोषण का साधन नहीं है (State not an agency for exploitation)**: समाजवादियों ने साम्यवाद की इस धारणा की आलोचना की कि राज्य, शोषण की एक मशीन है। इसके विपरित वे उत्पादन व वितरण के साधनों पर नियंत्रण की बात करते हैं।
3. **उत्पादनद के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण (Control of state over means of production)**: समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण के पक्ष में है। वह निजी उद्योगों को समाप्त कर उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहेगा।
4. **कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा (Concept of Welfare State)**: लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य की कल्याणकारी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि राज्य एक और समाज के हित के कार्यों को करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा आदि के कार्य और दूसरी ओर समाज के दुर्बल वर्गों की सुख–सुविधाओं की विशेष व्याख्या करता है।

प्रश्न 3: सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की आलोचना के चार शीर्षक लिखो।

उत्तर: समाजवादी न्याय के सिद्धान्त की आलोचना के चार शीर्षक निम्नलिखित हैं:–

1. **इससे व्यक्तिगत उत्साह नष्ट हो जाता है (Discourages individual's initiative)**: प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक निजी सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। समाजवाद में व्यक्ति में सरकार नियंत्रण के अधीन अधिक उत्पादन करने का उत्साह घट जाएगा।

2. **समाजवाद व्यवहार में असफल हो जाएगा (Failure)**: आलोचकों का कथन है कि समाजवाद व्यवहार में असफल हो जाएगा। समाजवाद आर्थिक असमानता कथा सामाजिक दुःखों को दूर करके शान्त और आर्थिक समृद्धि लाना चाहता है, परन्तु व्यवहार में ऐसा करना बहुत कठिन है।

3. **नौकरशाही का बोल–बाला रहता है (Dominance of Bureaucracy)**: समाजवादी व्यवस्था में 'लाल फीताशाह' (Red Tapism) का बोलबाला रहता है, अर्थात् फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर घूमती रहती है, पर निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता। इससे राष्ट्र के साधनों की बर्बादी होती है।

4. **स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है (Liberty Curbed)**: राज्य के कार्य–क्षेत्र के विस्तार का अर्थ है – व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कम हो जाना। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाता है।

प्रश्न 4: न्याय का अराजकतावादी सिद्धान्त (Anarchist Theory of Justice) क्या है?

उत्तरः **न्याय का अराजकतावादी सिद्धान्त (Anarchist Theory of Justice)**: अराजकतावादियों के न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा को समझने से पहले 'अराजकतावाद' को समझना आवश्यक हो जाता है। साधारण भाषा में अराजकतावाद (Anarchy) का अर्थ लूटमार, हत्या, आतंक व अव्यवस्था से लिया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र की भाषा में ''अराजकतावाद वह सिद्धान्त है, जो राजनीतिक सत्ता को एक बुराई मानता है, और इसलिए सत्ता अनावश्यक और अवांछनीय है।'' अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य अन्याय व हिंसात्मक होता है। इसलिए वे राज्य को नष्ट करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। अराजकतावादियों का कहना है कि मनुष्य प्रारंभ से सरल स्वभाव वाला है। वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहता और न ही वह किसी की सम्पत्ति छीनता है, लेकिन राज्य के कानून समाज में असमानता पैदा कर लेते हैं। राज्य के कानून ही व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को प्रोत्साहित करते हैं। अराजकतावादी राज्य को समाप्त करके व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदायों के निर्माण पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक विलियम गोडविन (William Godwin), जोजेफ प्रौफन (Joseph Profin), माइकल बाकूनिन (Michel Bakunin), एवं पीटर क्राफ्टकीन (Peter Cropotkin) है।

प्रश्न 5: अराजकतावादी न्याय (Anarchist Theory) के सिद्धान्त की चार विशेषताएँ(Characteristics) लिखो।

उत्तरः अराजकतावादी न्याय के सिद्धांत की चार विशेषताएँ निम्नलिखित हैः–

1. **राज्य के प्रति विरोध (Against State)**: अराजकतावादी न्याय का सिद्धान्त राज्य के प्रति घोर विरोध प्रकट करता है। वह राज्य की सत्ता का विरोध करता है। राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। राज्य की प्रकृति पूर्णतया अन्यायी है। राज्य बल का प्रयोग करता है और इससे अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी भ्रष्ट हो जाता है। अतः राज्य एक बुराई है (State is an evil)।

2. **राज्य की समाप्ति (End of State)**: अराजकतवादी न्याय के सिद्धान्त को राज्य की एक बुराई मानकर इसे समाप्त करने के पक्ष में है। उनका विचार है कि राज्य की पुलिस, अपराधों को कम करने की बजाए उन्हें बढ़ावा देती है, अव्यवस्था में बढ़ोतरी करती है। अतः अराजकतावादी ऐसे अन्यायी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं।

3. **सम्पत्ति की संस्था का विरोध (Against Private Property)**: अराजकतावादी साम्यवादियों की तरह सम्पत्ति की संस्था को अन्याय का मूल कारण मानते हैं। इसलिए वे व्यक्तिगत सम्पत्ति की वर्तमान प्रणाली का विरोध करते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रमिकों के शोषण का साधन है। राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करता है इसलिए वह ऐसे मुट्ठी भर लोगों के हाथों का खिलौना बन जाता है, जिन्होंने सम्पत्ति पर अपना

निजीस्वामित्व स्थापित कर लिया है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए वे व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाप्त करना चाहते हैं।

4. **धर्म की समाप्ति (Ends of Religion)**: अराजकतावादी न्याय की अवधारणा में धर्म का कोई स्थान नहीं है। वे धर्म को अफीम की तरह मानते हैं। धर्म व्यक्तियों की उन्नति के मार्ग में एक बाधा है। धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण किया जाता है। धर्म के प्रभाव को समाप्त करके ही समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है।

प्रश्न 6: न्याय के अराजकतावादी सिद्धान्त की आलोचना(Criticism)के चार सिद्धान्त लिखो।

उत्तर: न्याय के अराजतावादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism) के चार आधार निम्नलिखित हैः–

1. **राज्य की धारणा गलत है (Concept of State-wrong)**: अराजकतावादियों की राज्य की धारणा गलत है। वे राज्य को एक बुराई मानते हैं। वास्तव में राज्य स्वतन्त्रता का विनाशक नहीं बल्कि पोषक है।

2. **राज्य के आधार गलत है**: अराजकतावादी शक्ति को राज्य का आधार मानते हैं। इसी शक्ति के आधार पर राज्य लोगों का शोषण करता है। वास्तव में 'राज्य का आधार शक्ति नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा है।' (Will not the force is the basis of state)

3. **मानव प्रकृति में अत्यधिक विश्वास (Too much faith in Human Nature)**: अराजकतावादियों का मनुष्य की प्रकृति में अधिक विश्वास है। उनका विचार है कि मनुष्य प्रकृति से बहुत अच्छा है और यदि उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो वह अच्छे कार्य ही करेगा, लेकिन मनुष्य की प्रकृति का यह चित्रण काल्पनिक है क्योंकि मनुष्य सदैव अच्छा नहीं होता।

4. **काल्पनिक व अव्यवहारिक (Imaginary)**: अराजकतावादी जिस राज्य विहीन व वर्ग–विहीन राज्य की बात करते हैं, वह काल्पनिक तो है ही साथ ही अव्यवहारिक भी है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice)

प्रश्न 1: मार्क्स समाज को कितने वर्गों में विभाजित करता है?

(क) दो वर्गों में (ख) तीन वर्गों में

(ग) पाँच वर्गों में (घ) इनमें से कोई भी नहीं

प्रश्न 2: मार्क्सवादी न्यायपूर्ण समाज के निम्नलिखित समर्थक हैं–

(क) लेनिन (ख) ऐंजल्स

(ग) रैल्फ गिलिबैण्ड (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 3: "मार्क्स में न्याय का भावावेश देखने को मिलता है" यह शब्द किसने कहे?

(क) लॉस्की (ख) लिंडसे

(ग) बर्क (घ) ऐंजल्स

प्रश्न 4: न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है –

(क) संघर्ष द्वारा (ख) राज्य द्वारा

(ग) शिक्षा द्वारा (घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 5: मार्क्सवादी न्यायपूर्ण समाज के बारे में सही है–

(क) निजी सम्पत्ति की समाप्ति

(ख) राज्य की समाप्ति

(ग) प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार फल मिलेगा।

(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 6: समाजवाद के बारे में निम्नलिखित सही है–

(क) पूंजीवाद का विरोध (ख)राज्य शोषण का साधन नहीं है

(ग) कल्याणकारी राज्य की अवधारणा (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 7: ''समाजवाद एक गिरगिट की तरह परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है'' यह शब्द किस विद्वान के हैं?

(क) रैम्जे म्योर (ख) लॉस्की

(ग) मार्क्स (घ) गाँधी

प्रश्न 8: ''यह एक ऐसे टोप के समान हो गया है, जिसका हर किसी द्वारा पहने जाने के कारण उसकी कोई शक्ल नहीं रह गई है।'' यह शब्द किसके हैं?

(क) जय प्रकाश नारायण (ख) आशीर्वादम

(ग) ईमाईल (घ) सी०ई०एम० जोड

प्रश्न 9: अराजकतावाद के बारे में निम्नलिखित सही है –

(क) राज्य की समाप्ति (ख) सम्पत्ति की संस्था का विरोध

(ग) धर्म की समाप्ति (घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन–सा सिद्धान्त राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है?

(क) व्यक्तिवादी सिद्धान्त (ख) मार्क्सवादी सिद्धान्त

(ग) समाजवादी सिद्धान्त (घ) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

प्रश्न 11:निम्नलिखित में से समाजवाद का समर्थक था –

(क) लॉस्की (ख) हाब्स

(ग) लॉक (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (1) क (2) ख, (3) ख, (4) क, (5) घ, (6) घ, (7) क, (8) घ, (9) घ, (10) घ, (11) घ।